

4028

राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी

लेखक

मोहनदास करमचन्द्र गांधी


अनुवादक

काशिनाथ त्रिवेदी

197-4

16

“हिन्दुस्तानीका मतलब शुद्ध नहीं; बल्कि हिन्दी और शुद्धकी वह खूबसूरत मिलावट है, जिसे अत्तरी हिन्दुस्तानके लोग समझ सकें, और जो नागरी या शुद्ध लिपिमें लिखी जाती हो। यह पूरी राष्ट्रभाषा है, बाक़ी अधूरी। पूरी राष्ट्रभाषा सीखनेवालोंको आज तो दोनों लिपियाँ सीखनी चाहियें और दोनों रूप जानने चाहियें। राष्ट्र-प्रेमका निश्चय ही यह तकाज़ा है। जो जिसे जानेगा वह कमायेगा, और न जाननेवाला खोयेगा।”



नवजीवन प्रकाशन मन्दिर

अहमदाबाद

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभाभी देसाओ
नवजीवन मुद्रणालय, काळुर, अहमदाबाद

पहली बार, १९४७ : ३,२००

103844.

डेढ़ रुपया

अगस्त, १९४७

प्रकाशकका निवेदन

राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानीके बारेमें गांधीजीके विचारोंको प्रकट करनेवाले अुनके आजतकके लेखों और भाषणोंका यह संग्रह प्रकाशित करते हुअे हमें आनन्द होता है । जैसा कि गांधीजीने अपने 'दो बोल'में कहा है, यह "बड़े मौक़ेसे प्रकाशित" हो रहा है । अिस कथनमें हमारे प्रान्तके राष्ट्रभाषा-प्रचारके कामका अितिहास समाया हुआ है; खासकर पिछले १० सालोंका ।

गांधीजीके विचारोंका अभ्यास करनेवाले जानते होंगे कि अुनके शिक्षण-सम्बन्धी ग्रन्थ ('खरी केळवणी')में राष्ट्रभाषाका अेक अलग खण्ड दिया गया है । यह ग्रन्थ सन् १९३८में छपा था । राष्ट्रभाषाकी रचनाके सिलसिलेमें तीव्र मतभेदोंका जन्म देशमें अुन्हीं दिनों हो रहा था, लेकिन हमारे यहाँ अुसका कोअी असर नहीं हुआ था । अिसलिअे अुसके बारेमें होनेवाली फ़ज़ूलकी बहसोंको कम करके अुस किताबके अिस खण्डकी रचना की गयी थी । बादमें जैसे-जैसे राष्ट्रभाषाके कामका और पद्धतिका विकास होता गया, और अुसके मुताबिक़ काम किया जाने लगा, वैसे-वैसे हमारे यहाँ भी मतभेद और चर्चा बढ़ने लगी । (यह दूसरी बात है कि राष्ट्रीय जीवनके दूसरे क्षेत्रोंकी धारार्यें भी अिस हालतको पैदा करनेमें कारण बनी थीं ।) यही नहीं, बल्कि आज राष्ट्रभाषाके निर्माण-कार्यके रूपमें पूरी राष्ट्रभाषाके प्रचारका काम हमारे यहाँ शुरू हो चुका है । अिसलिअे यह सोचकर कि अिस ज्वलन्त प्रश्नपर गांधीजीके विचार अेक साथ पढ़ने और सोचनेको मिल जायँ तो अच्छा हो, यह संग्रह प्रकाशित किया गया है । अिस काममें सहायक होनेके ख़यालसे पुस्तकके अन्तमें अेक आवश्यक सूची भी दी गयी है ।

अिस संग्रहसे पाठक यह भी देख पायेंगे कि गांधीजी सन् १९०९से जिस बातको लिखते आये हैं, अुसीको आज करीब अेक पीढ़ीका समय गुजर जानेके बाद भी कहते हैं । "फ़र्क़ सिर्फ़ अितना है कि आज वे विचार दृढ़ बने हैं, और अुन्होंने अधिक स्पष्ट रूप धारण किया है ।"

राष्ट्रभाषाका सवाल सिर्फ़ शिक्षाका सवाल होता, तो अेक तरहसे यह काम आसान हो जाता । लेकिन राष्ट्रके लिये अेक भाषा बनानेसे देशकी अेकता सिद्ध करनेमें भी मदद मिल सकती है; अिसलिये वह क़ौमी अेकता या अित्ताहादके सवालको भी छूता है । अिसकी वजहसे सिर्फ़ शिक्षण या साहित्यके अलावा दूसरे क्षेत्रोंमें फ़ैसकर अक्सर यह व्यर्थ ही जटिल बन गया है । साथ ही, अिस सिलसिलेमें यह हक़ीक़त भी गूँथ ली जाती है कि हिन्दुस्तानी दो लिपियोंमें लिखी जाती है, और आज अुनमेंसे किसी अेकको रखनेके निर्णयपर पहुँचा नहीं जा सकता । अिस तरह क़भी कारणोंसे बहुसूत्री बने हुअे अिस सवालके बारेमें गांधीजीके विचारोंको देखनेसे पता चलेगा कि अुन सबमें, सूत्रमें मणिकी तरह, अेक ही अखण्ड विचार साफ़ तौरसे पाया जाता है । पाठकोंको राष्ट्रभाषा-प्रचारकी विकासमान कार्य-पद्धतिको ध्यानमें रखकर अिस चीज़को समझना होगा । संप्रहकी अधिकतर रचनायें तारीखवार दी गयी हैं । अिसमें खयाल यह रहा है कि अिससे पाठकोंको क्रमिक विकासके समझनेमें मदद मिलेगी । कहीं-कहीं विषयके सुसम्बद्ध निरूपणकी दृष्टिसे अिसमें कुछ फ़र्क़ करना ज़रूरी हो गया है । लेकिन अिसकी वजहसे गांधीजीके विचारोंको तारीखवार समझनेमें कोअी कठिनाअी पैदा नहीं होती ।

मूलरूपसे यह संप्रह गुजरातीमें है । यहाँ अुसका हिन्दुस्तानी अनुवाद पाठकोंके सामने रक्खा जाता है । लेकिन गुजरातीसे अिसकी किञ्चित्ता यह है कि अिसके दूसरे खण्डमें राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानीके सम्बन्धमें गांधीजीके आजतकके सब विचार आ जाते हैं । आशा है, यह संप्रह राष्ट्रभाषा-प्रचारकों और सर्व-साधारण राष्ट्र-प्रेमियोंके लिये सहायक सिद्ध होगा ।

दो बोल

भाभी जीवणजीने राष्ट्रभाषा-सम्बन्धी मेरे लेखों और भाषणोंका संग्रह बड़े मौकेसे प्रकाशित किया है। सब लेख तो नहीं पढ़ सका हूँ, लेकिन शुरूके कोअी २० पन्ने पढ़ सका हूँ। सन् १९१७ में मैंने पहला भाषण* किया था। तबसे आगे अत्तरोत्तर

* सन् १९१७ में भड़ौंचमें हुअी दूसरी गुजराती शिक्षा-परिषद्के सभापतिके नाते दिये गये अपने भाषणमें गांधीजीने 'हिन्दी' भाषाकी व्याख्या नीचे लिखे ढंगसे की है (देखिये पृष्ठ ५)। अुसपरसे यह साफ़ हो जायगा कि अुन्होंने 'हिन्दी' शब्दका अिस्तेमाल आजके 'हिन्दुस्तानी' शब्दके पर्याय शब्दकी तरह किया है—

“हिन्दी भाषा में अुसे कहता हूँ, जिसे अुत्तरमें हिन्दू और मुसलमान बोलते हैं, और जो देवनागरी या अुर्दू लिपिमें लिखी जाती है . . . ।

“दलील यह की जाती है कि हिन्दी और अुर्दू दो अलग भाषायें हैं। यह दलील वास्तविक नहीं। हिन्दुस्तानके अुत्तरी हिस्सेमें मुसलमान और हिन्दू दोनों अेक ही भाषा बोलते हैं। मेद सिर्फ़ पढ़े-लिखोंने पैदा किया है। . . . अुत्तरी हिन्दुस्तानमें जिस भाषाको वहाँका जन समाज बोलता है, अुसे आप चाहे अुर्दू कहें, चाहे हिन्दी, बात अेक ही है। अुर्दू लिपिमें लिखकर अुसे अुर्दू नामसे पहचानिये, और अुन्हीं वाक्योंको नागरीमें लिखकर अुसे हिन्दी कह लीजिये।

“अब रहा सवाल लिपिका। फ़िलहाल मुसलमान लड़के ज़रूर ही अुर्दू लिपिमें लिखेंगे। हिन्दू ज़्यादातर देवनागरीमें लिखेंगे। . . . आखिर जब हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच शंकाकी थोड़ी भी दृष्टि न रहेगी, जब अविश्वासके सब कारण दूर हो चुकेंगे,

मैंने जो विचार प्रकट किये हैं, वे ही आज भी हैं। फ़र्क सिर्फ़ अितना है कि आज वे विचार दृढ़ बने हैं, और अुन्होंने अधिक स्पष्ट रूप धारण किया है। हिन्दी और अुर्दूको मैंने अेक साथ जाना है। हिन्दुस्तानी शब्दका अिस्तेमाल भी खुलकर किया है। सन् १९१८ में अिन्दौरके हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनमें मैंने जो कुछ कहा था, वही मैं आज भी कह रहा हूँ। हिन्दुस्तानीका मतलब अुर्दू

तब जिस लिपिमें शक्ति रहेगी, वह लिपि ज्यादा लिखी जायगी, और वह राष्ट्रीय लिपि बनेगी।”

+ अिन्दौर-सम्मेलनके व्याख्यानमेंसे वह भाग नीचे दिया गया है (देखिये पृष्ठ ११) —

“हिन्दी भाषा वह भाषा है, जिसको अुत्तरमें हिन्दू व मुसलमान बोलते हैं, और जो नागरी अथवा फ़ारसी लिपिमें लिखी जाती है। यह हिन्दी अेकदम संस्कृतमयी नहीं है, न यह अेकदम फ़ारसी शब्दोंसे लदी हुयी है। . . . भाषा वही श्रेष्ठ है, जिसको जनसमूह सहजमें समझ ले। देहाती बोली सब समझते हैं। भाषाका मूल करोड़ों मनुष्यरूपी हिमालयमें मिलेगा, और अुसमें ही रहेगा। हिमालयमेंसे निकलती हुयी गंगाजी अनन्त कालतक बहती रहेंगी। अैसा ही देहाती हिन्दीका गौरव रहेगा। और, जैसे छोटीसी पहाड़ीसे निकलता हुआ झरना सूख जाता है, वैसी ही संस्कृतमयी तथा फ़ारसीमयी हिन्दीकी दशा होगी।

“हिन्दू-मुसलमानोंके बीच जो भेद किया जाता है, वह कृत्रिम है। अैसी ही कृत्रिमता हिन्दी व अुर्दू भाषाके भेदमें है। हिन्दुओंकी बोलीसे फ़ारसी शब्दोंका सर्वथा त्याग और मुसलमानोंकी बोलीसे संस्कृतका सर्वथा त्याग अनावश्यक है। दोनोंका स्वाभाविक संगम गंगा-जमुनाके संगम-सा शोभित और अचल रहेगा। मुझे अुम्मीद है कि हम हिन्दी-अुर्दूके झगड़ेमें पड़कर अपना बल क्षीण नहीं करेंगे।

नहीं; बल्कि हिन्दी और शुद्धकी वह खूबसूरत मिलावट है, जिसे उत्तरी हिन्दुस्तानके लोग समझ सकें, और जो नागरी या शुद्ध लिपिमें लिखी जाती हो। यह पूरी राष्ट्रभाषा है, बाकी अधूरी। पूरी राष्ट्रभाषा सीखनेवालोंको आज तो दोनों लिपियाँ सीखनी चाहियें और दोनों रूप जानने चाहियें। राष्ट्र-प्रेमका निश्चय ही यह तकाज़ा है। जो उसे जानेगा वह कमायेगा, और न जाननेवाला खोयेगा।

महाबलेश्वर, १-५-'४५

मोहनदास करमचन्द गांधी

“ लिपिकी कुछ तकलीफ़ जरूर है। मुसलमान भाभी अरबीमें ही लिखेंगे; हिन्दू बहुत करके नागरी लिपिमें लिखेंगे। राष्ट्रमें दोनोंको स्थान मिलना चाहिये। अमलदारोंको दोनों लिपियोंका ज्ञान अवश्य होना चाहिये। जिसमें कुछ कठिनायी नहीं है। अन्तमें जिस लिपिमें ज्यादा सरलता होगी, उसकी विजय होगी। व्यवहारके लिये एक भाषा होनी चाहिये, जिसमें कुछ सन्देह नहीं है।”

और, २१-१-१९२० के ‘यंग अिण्डिया’में ‘अपील टु मद्रास’ नामके लेखमें गांधीजीने राष्ट्र-भाषाकी नीचे लिखे ढंगपर व्याख्या (देखिये पृष्ठ १६) की थी—

“ मैं सोच-समझकर जिस नतीजेपर पहुँचा हूँ कि राष्ट्रका कारबार चलानेके लिये या विचार-विनिमयके लिये हिन्दुस्तानीको छोड़कर दूसरी कोभी भाषा शायद ही राष्ट्रीय माध्यम बन सके। (हिन्दुस्तानी यानी हिन्दी और शुद्धके मिलापसे पैदा होनेवाली भाषा)।”

विषय-सूची

प्रकाशकका निवेदन	३
दो बोल	५

खण्ड १

१. राष्ट्रीय भाषाका विचार	३
२. हिन्दी साहित्य सम्मेलन	८
३. कांग्रेसमें ' हिन्दुस्तानी '	१५
४. अंग्रेज़ी बनाम हिन्दुस्तानी	१८
५. हिन्दी सीख लीजिये	२०
६. हिन्दी-नवजीवन	२२
७. स्वराज्यकी ज़रूरतें	२३
८. कानपुर कांग्रेसका प्रस्ताव	२४
९. सभाओंकी भाषा	२५
१०. अेक लिपिका प्रश्न	२८
११. शिक्षामें राष्ट्र-भाषाका स्थान	३२
१२. कराची महासभाका प्रस्ताव	३३
१३. दक्षिणमें हिन्दी-प्रचार	३५
१४. अगला क्रदम	३७
१५. दो महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव	४६
१६. अखिल भारतीय साहित्य-परिषद्	४८
१७. राष्ट्रभाषा हिन्दी-हिन्दुस्तानी	५२
१८. कांग्रेस और राष्ट्रभाषा	५८
१९. हिन्दी-प्रचार और चारित्र्य-शुद्धि	६३
२०. हिन्दी या हिन्दुस्तानी	६७
२१. ग़लतफ़हमियोंकी गुत्थी	७९
२२. और भी ग़लतफ़हमियाँ	८१
२३. राजनीतिक संस्था नहीं	८७
२४. हिन्दी बनाम शुद्ध	८८

२५. अभिनन्दनीय	९३
२६. मद्रासमें हिन्दुस्तानीकी शिक्षा	९५
२७. हिन्दुस्तानी, हिन्दी और अर्द्ध	९८
२८. राष्ट्रभाषाका नाम	१०१
२९. हिन्दुस्तानीका शब्दकोश	१०२
३०. हमारी ज़िम्मेदारी	१०२
३१. रोमन बनाम देवनागरी लिपि	१०४
३२. संस्कृतकी पुत्रियोंके लिये अेक लिपि	१०७
३३. राष्ट्रभाषा-प्रचार	१०८
३४. परदेशी भाषाकी गुलामी	११०
३५. अंग्रेज़ीका स्थान	११६
३६. हिन्दुस्तानी	११८
३७. हिन्दी + अर्द्ध = हिन्दुस्तानी	१२१
३८. हिन्दुस्तानी सीखो	१२६
३९. हिन्दुस्तानी बोलीका इतिहास	१२८
४०. राष्ट्रभाषा-सम्बन्धी दस प्रश्न	१३७
४१. चतुराभी भरी युक्ति	१४२
४२. हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा	१४४
४३. गुजरातमें हिन्दुस्तानी-प्रचार	१४७
४४. कुछ सवाल-जवाब	१५०
४५. अखिल भारतीय हिन्दुस्तानी-प्रचार-सम्मेलन	१५२
पूर्ति	१६१

खण्ड २

१. राष्ट्रभाषाका प्रश्न	१६३
२. हिन्दुस्तानी क्यों ?	१७३
३. हिन्दुस्तानी करोड़ों स्वाधीन मनुष्योंकी राष्ट्रभाषा	१७८
४. हिन्दुस्तानी बनाम अंग्रेज़ी	१८०
५. पाठकोंसे	१८२
६. अफ़ ! यह हमारी अंग्रेज़ी !!!	१८३

७. हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा, वर्धा	१८६
८. हिन्दुस्तानी	१८८
९. गुजरात हिन्दुस्तानी-प्रचार-समिति	१८९
१०. 'रोमन अर्दू'	१९४
११. अंग्रेज़ी भाषाका प्रभाव	१९६
१२. हिन्दुस्तान और अ़सकी मुल्की ज़बान	१९८
१३. अर्दू 'हरिजन'का मज़ाक	२००
१४. अर्दू, दोनोंकी भाषा ?	२०१
१५. हिन्दी और अर्दूका अन्तर	२०३
१६. हिन्दुस्तानी बनाम हिन्दी और अर्दू	२०५
१७. हिन्दुस्तानीके बारेमें	२०७
१८. हिन्दी या हिन्दुस्तानी	२०९
१९. गरवीला गुजरात भी ?	२१३
सूची	२१६

राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी

राष्ट्रीयभाषाका विचार

“हरभेक पढ़े-लिखे हिन्दुस्तानीको अपनी भाषाका, हिन्दूको संस्कृतका, मुसलमानको अरबीका, पारसीको पर्शियनका और सबको हिन्दीका ज्ञान होना चाहिये। कुछ हिन्दुओंको अरबी और कुछ मुसलमानों और पारसियोंको संस्कृत सीखनी चाहिये। अत्तर और पश्चिममें रहनेवाले हिन्दुस्तानीको तामिल सीखनी चाहिये। सारे हिन्दुस्तानके लिखे तो हिन्दी ही होनी चाहिये। असे अर्दू या नागरी लिपिमें लिखनेकी छूट रहनी चाहिये। हिन्दू-मुसलमानोंके विचारोंकी ठीक रखनेके लिखे बडुतेरे हिन्दुस्तानियोंका दोनों लिपि जानना जरूरी है। असा होने पर हम अपने आपसेके व्यवहारमेंसे अंग्रेजीको निकाल बाहर कर सकेंगे।”

‘हिन्दुस्वरज’ (१९०९), पृष्ठ १२४

जिस तरह शिक्षाके वाहन या माध्यमका विचार करना पडा है*,
 (८) असी तरह हमारे लिखे **राष्ट्रीय भाषाका विचार** करना अचित है।^{१५}
 यदि अंग्रेजीको राष्ट्रीय भाषा बनना है, तो असे अनिवार्य स्थान मिलना चाहिये।

क्या अंग्रेजी राष्ट्रीय भाषा हो सकती है? कुछ स्वदेशाभिमानी विद्वान् कहते हैं कि यह सवाल ही अज्ञान दशाका सूचक है कि क्या अंग्रेजी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिये? अंग्रेजी राष्ट्रीय भाषा बन चुकी है। हमारे माननीय वाजिसराय महोदयने जो भाषण किया है, असेमें तो अन्तोंने सिर्फ आशा ही प्रकट की है। अउनका अत्साह अन्हें अपर जताअही हद तक नहीं ले जाता। वाजिसराय साहब मानते हैं कि अिस देशमें अंग्रेजी भाषाका दिन-ब-दिन फैलाव होगा, वह हमारे घरोंमें प्रवेश करेगी, और अन्तमें राष्ट्रीय भाषाकी अुच्च पदवी प्राप्त करेगी। अिस वक्त अुपरअुपरसे सोचने पर अिस विचार को समर्थन मिलता है।

* यह हिस्सा सन् १९१७ में भड़ौंचमें हुअी दूसरी गुजरात शिक्षा-परिषद् में सभापति-पदसे दिये गये भाषण से लिया है। असल भाषणके लिखे देखिये ‘खरी केळवणी’ (गुजराती) ले० — गांधीजी।

अपने पढ़े-लिखे समाजकी हालत को देखते हुअे कैसा आभास होता है कि अंग्रेज़ीके अभावमें हमारा कारबार रुक जायगा । फिर भी अगर गहरे पैठ-कर सोचेंगे, तो पता चलेगा कि अंग्रेज़ी राष्ट्रीय भाषा नहीं बन सकती, न बननी चाहिये ।

तो अब हम यह सोचें कि राष्ट्रीय भाषाके क्या-क्या लक्षण होने चाहियें ।

१. अमलदारोंके लिअे वह भाषा सरल होनी चाहिये ।

२. अुस भाषाके द्वारा भारतवर्षका आपसी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार हो सकना चाहिये ।

३. यह ङरूरी है कि भारतवर्षके बहुतसे लोग अुस भाषाको बोलते हों ।

४. राष्ट्रके लिअे वह भाषा आसान होनी चाहिये ।

५. अुस भाषाका विचार करते समय किसी क्षणिक या अल्पस्थायी स्थिति पर ङोर नहीं देना चाहिये ।

अंग्रेज़ी भाषामें अिनमेंसे अेक भी लक्षण नहीं ।

पहला लक्षण अखीरमें देना चाहिये था । लेकिन मैंने अुसे पहला स्थान दिया है, क्योंकि अैसा आभास होता है, मानो अंग्रेज़ी भाषामें यह लक्षण है । ज्यादा विचार करने पर हम देखेंगे कि आज भी अमलदारोंके लिअे वह भाषा सरल नहीं है । यहाँ के शासन-विधानकी कल्पना यह है कि अंग्रेज़ लोग कम होते जायेंगे, और सो भी अिस हद तक, कि अखिरमें अेक वाअिसराय और अँगुलियों पर गिनेजानेवाले कुछ अंग्रेज़ अमलदार ही यहाँ रह जायेंगे । बड़ी तादाद आज भी हिन्दुस्तानियों की ही है, और वह बढ़ती ही जायगी । अिन लोगोंके लिअे हिन्दुस्तानकी किसी भी भाषाके मुक़ाबलें अंग्रेज़ी मुश्किल है, अिस बातको तो सभी कोभी कबूल करेंगे ।

दूसरे लक्षण पर विचार करनेसे हमें पता चलता है कि जब तक अंग्रेज़ी भाषाको हमारा जनसमाज बोलने न लग जाय, जब तक यह मुमकिन न हो, तब तक हमारा धार्मिक व्यवहार अंग्रेज़ीमें चल ही नहीं

सकता। समाजमें अंग्रेज़ीका जिस हद तक फैल जाना नामुमकिन मालूम होता है।

तीसरा लक्षण अंग्रेज़ीमें हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह भारतवर्षके बहुजनसमाजकी भाषा नहीं।

चौथा लक्षण भी अंग्रेज़ीमें नहीं, क्योंकि सारे राष्ट्रके लिखे वह श्रुतनी आसान नहीं।

पाँचवें लक्षणका विचार करनेसे हमें पता चलता है कि आज अंग्रेज़ी भाषाको जो सत्ता प्राप्त है, वह क्षणिक है। चिरस्थायी स्थिति तो यह है कि हिन्दुस्तानमें जनता के राष्ट्रीय कामोंमें अंग्रेज़ी भाषाकी ज़रूरत कम ही रहेगी। हाँ, अंग्रेज़ी साम्राज्यके व्यवहारमें उसकी ज़रूरत होगी। यह दूसरी बात है कि वह साम्राज्यके राज्य-व्यवहारकी ('डिप्लो-मसी'की) भाषा होगी। उस व्यवहारके लिखे अंग्रेज़ीकी ज़रूरत रहेगी। हम कहीं भी अंग्रेज़ी भाषाका द्वेष नहीं करते। हमारा आग्रह तो यही है कि हम उसे उसकी मर्यादासे बाहर बढ़ने नहीं देना चाहते। साम्राज्यकी भाषा तो अंग्रेज़ी ही रहेगी, और जिस कारण हम अपने मालवीयजी, शास्त्रीजी और बैनरजी वगैरोंको उसे सीखनेके लिखे बाध्य करेंगे। और, यह विश्वास रखेंगे कि वे दूसरे देशोंमें हिन्दुस्तानकी कीर्ति फैलायेंगे। किन्तु राष्ट्रकी भाषा अंग्रेज़ी नहीं हो सकती। अंग्रेज़ीको राष्ट्रभाषा बनाना देशमें 'अस्पेरेण्टो'को दाखिल करना है। अंग्रेज़ीको राष्ट्रीय भाषा बनानेकी कल्पना हमारी निर्बलताकी निशानी है। अस्पेरेण्टोका प्रयास निरे अज्ञान का सूचक होगा।

तो फिर किस भाषामें ये पाँच लक्षण मिलते हैं? हमें यह क्रबूल कर ही लेना होगा कि हिन्दी भाषामें ये सब लक्षण हैं।

हिन्दी भाषा में उसे कहता हूँ, जिसे अक्षरमें हिन्दू और मुसलमान बोलते हैं, और जो देवनागरी या अर्द्ध लिपिमें लिखी जाती है। जिस व्याख्याके खिलाफ़ थोड़ा विरोध पाया गया है।

दलील यह की जाती है कि हिन्दी और अर्द्ध दो अलग भाषायें हैं। यह दलील वास्तविक नहीं। हिन्दुस्तानके अक्षरोंमें मुसलमान और हिन्दू दोनों एक ही भाषा बोलते हैं। मेद सिर्फ़ पढ़े-लिखनेने पैदा किया है।

यानी पढ़े-लिखे हिन्दू हिन्दीको केवल संस्कृतमय बना डालते हैं। नतीजा यह होता है कि कभी मुसलमान उसे समझ नहीं पाते। लखनशूके मुसलमान भाषी फ़ारसीमय अर्द्ध बोलकर उसे ऐसी शकल दे देते हैं कि हिन्दू समझ न सकें। ये दोनों परभाषा हैं, और आम जनताके बीच अिनकी कोभी जगह नहीं। मैं अत्तरमें रहा हूँ, हिन्दुओं और मुसलमानोंके साथ खूब मिला हूँ, और हिन्दी भाषाका मेरा अपना ज्ञान बहुत कम होने पर भी अउनके साथ व्यवहार करनेमें मुझे ज़रा भी अड़चन नहीं हुआ है। अत्तरी हिन्दुस्तानमें जिस भाषाको वहाँका जन-समाज बोलता है, उसे आप चाहे अर्द्ध कहें, चाहे हिन्दी, बात अेक ही है। अर्द्ध लिपिमें लिखकर उसे अर्द्धके नामसे पहचानिये, और अुन्हीं वाक्योंको नागरीमें लिखकर उसे हिन्दी कह लीजिये।

अब रहा सवाल लिपिका। फ़िलहाल मुसलमान लड़के क़र्र ही अर्द्ध लिपिमें लिखेंगे। हिन्दू ज़्यादातर देवनागरीमें लिखेंगे। 'ज्यादातर' शब्दका प्रयोग अिसलिअे कर रहा हूँ कि दृकारों हिन्दू आज भी अपनी हिन्दी अर्द्ध लिपिमें लिखते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं, जो देवनागरी लिपि जानते भी नहीं। आखिर जब हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच शंकाकी थोड़ी भी दृष्टि न रहेगी, जब अविश्वासके सब कारण दूर हो चुकेंगे, तब जिस लिपिमें शक्ति रहेगी, वह लिपि ज़्यादा लिखी जायगी और वह राष्ट्रीय लिपि बनेगी। अिस बीच जिन मुसलमान और हिन्दू भाअियोंको अर्द्ध लिपिमें अर्षीं लिखनेकी अिच्छा होगी, अउनकी अर्षीं राष्ट्रके स्थानमें क़बूल की जायगी—की जानी चाहिये।

पाँच लक्षण धारण करनेमें हिन्दीकी होड़ करनेवाली दूसरी कोभी भाषा नहीं। हिन्दीके बादका स्थान बँगलाको प्राप्त है। तिस पर भी बँगाली भाषी बँगालके बाहर तो हिन्दीका ही अुपयोग करते हैं। हिन्दी बोलनेवाला जहाँ जाता है, वहाँ हिन्दीका ही अुपयोग करता है, और अुससे किसीको आश्चर्य नहीं होता। हिन्दी बोलनेवाले धर्म-प्रचारक और अर्द्धके मौलवी सारे हिन्दुस्तानमें अपने व्याख्यान हिन्दीमें ही देते हैं, और अनपढ़ जनता भी अुसे समझ लेती है। अनपढ़ गुजराती भी अत्तरमें आकर हिन्दीका थोड़ा-बहुत अिस्तेमाल कर लेता है, जब कि अत्तरका

मैया बम्बळीके सेठकी दरवानगीरी करता हुआ भी गुजराती बोलनेसे अिनकार करता है, और सेठ मैयाके साथ टूटी-फूटी हिन्दी बोलना शुद्ध कर देता है। मैंने देखा है कि ठेठ द्राविड़ प्रान्तोंमें भी हिन्दीकी ध्वनि सुनायी पड़ती है। यह कहना ठीक नहीं कि मद्रासमें तो सब काम अंग्रेज़ीसे चलता है। मैंने तो वहाँ भी अपना काम हिन्दीमें किया है। सैकड़ों मद्रासी मुसाफ़िरोंको मैंने दूसरे लोगोंके साथ हिन्दीमें बोलते सुना है। फिर, मद्रासके मुसलमान भायी तो ठीक-ठीक हिन्दी बोलना जानते हैं। यहाँ यह याद रखना चाहिये कि सारे हिन्दुस्तानके मुसलमान अर्द्ध बोलते हैं, और सब प्रान्तोंमें उनकी संख्या कोभी छोटी नहीं है।

जिस प्रकार राष्ट्रीय भाषाके नाते हिन्दी भाषाका निर्माण हो चुका है। हमने बहुत बरस पहले राष्ट्रीय भाषाके रूपमें उसका अुपयोग किया है। अर्द्धकी अुत्पत्ति भी हिन्दीकी जिस शक्तिमें समायी हुई है।

मुसलमान बादशाह फ़ारसी या अरबीको राष्ट्रीय भाषा नहीं बना सके। अुन्होंने हिन्दी व्याकरणको माना, और अर्द्ध लिपिका अुपयोग करके फ़ारसी शब्दोंका ज़्यादा अिस्तेमाल किया। लेकिन आम जनताके साथ वे अपने व्यवहारको परदेशी भाषाके ज़रिये न चला सके। अंग्रेज़ हाकिमोंसे यह बात छिपी नहीं है। जिन्हें फ़ौजी जातियोंका अनुभव है, वे जानते हैं कि सिपाही जमातके लिखे हिन्दी या अर्द्धमें संकेत रखने पड़े हैं।

जिस तरह हम यह जानते हैं कि राष्ट्रीय भाषा तो हिन्दी ही हो सकती है। फिर भी मद्रासके पढ़े-लिखे लोगोंके लिखे यह सवाल मुश्किल तो है।

दक्षिणी, गुजराती, सिन्धी और बंगालीके लिखे तो यह बहुत आसान है। वे कुछ ही महीनोंमें हिन्दी पर अच्छा प्रभुत्व प्राप्त करके राष्ट्रका कारबार अुसमें चला सकते हैं। तामिल भाषियोंके लिखे यह अितना आसान नहीं। तामिल आदि द्राविड़ विभागकी भाषायें हैं, और उनकी रचना व व्याकरण संस्कृतसे बिलकुल ही भिन्न है। संस्कृत भाषाओं और द्राविड़ भाषाओंके बीच अेक शब्दोंकी अेकताको छोड़कर दूसरी कोभी अेकता पायी नहीं जाती। लेकिन यह कठिनायी आजकलके पढ़े-लिखे लोगोंके लिखे ही है। अुनके स्वदेशाभिमान पर आधार रखकर हमें अुनसे यह आशा रखनेका

अधिकार है कि वे विशेष प्रयास करके हिन्दी सीख लेंगे। यदि हिन्दीको असका पद प्राप्त हो जाय, तो भविष्यमें हरभेक मद्रासी पाठशालामें हिन्दीका प्रवेश हो जाय, और मद्रासको दूसरे प्रान्तोंके विच्छेप परिचयमें आनेका अवसर मिल जाय। अंग्रेज़ी भाषा द्राविड जनतामें प्रवेश नहीं कर सकी है। किन्तु हिन्दीको प्रवेश करनेमें समय नहीं लगेगा। तेलगुवाले तो आज भी अस दिशामें कोशिश कर रहे हैं। कौनसी भाषा राष्ट्रीय भाषा हो सकती है, असके बारेमें यह परिषद् किसी भेक निश्चय पर पहुँच सके, तो फिर अस कामको पूरा करनेके लिये अुपाय सोचनेकी ज़रूरत पैदा होगी। जो अुपाय मातृभाषाके लिये सुझाये हैं, वे ही, आवश्यक फेरफारके साथ, राष्ट्रीय भाषाको भी लागू किये जा सकते हैं। खासकर गुजरातीको शिक्षाका माध्यम बनानेकी कोशिश तो मुख्यतः हमोंको करनी होगी। लेकिन राष्ट्रीय भाषाके आन्दोलनमें तो सारा देश हाथ बँटायेगा।

(सन् १९१७)

२

हिन्दी साहित्य सम्मेलन*

युवराज, सभापति, भाषियो और बहनो,

हमारे पूजनीय और स्वार्थत्यागी नेता पं० मदनमोहनजी मालवीय नहीं आ सके। मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि जहाँ तक बने सम्मेलनमें अुपस्थित रहियेगा। उन्होंने वचन दिया था कि वे ज़रूर आयेंगे। पंडितजी सम्मेलनमें तो अुपस्थित नहीं हुभे, पर उन्होंने भेक पत्र भेज दिया है। मैं अुम्मीद करता था कि यदि पंडितजी नहीं आयेंगे, तो उनका पत्र अवश्य आयेगा, और अुसे मैं आप लोगोंके सामने अुपस्थित कर सकूँगा। यह पत्र मुझे आज मिला है। मैंने स्वागतकारिणी सभाको हिन्दीके विषयमें विद्वानोंसे दो प्रश्नों पर सम्मति लेनेके लिये कहा था, अुन्हींका अुत्तर पंडितजीने अपने पत्रमें दिया है।

* यह भाषण अिन्दौरमें हिन्दी साहित्य सम्मेलनके आठवें अधिवेशनके समय सभापति-पदसे दिया गया था। (सन् १९१८)

(मालवीयजीका पत्र पढ़कर गांधीजीने जिस प्रकार कहा—)

भाभियो और बहनो,

मैं दिलगीर हूँ कि जो व्याख्यान सम्मेलनमें देनेका मेरा अिरादा था, वह आपके सामने नहीं रख सका हूँ । मैं बड़ी झंझटोंमें पड़ा हूँ । मेरी जिस समय बड़ी दुर्दशा है । जिससे मैं यह काम नहीं कर सका । पर मैंने वादा किया था कि आँखूंगा, आ गया; जो चीज़ सामने रखनेका अिरादा था, नहीं रख सका ।

यह भाषाका विषय बड़ा भारी और बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है । यदि सब नेता सब काम छोड़कर केवल जिसी विषय पर लगे रहें, तो बस है । यदि हम लोग भाषाके प्रश्नको गौण समझेंगे या अधिरसे मन हटा लेंगे, तो जिस समय लोगोंमें जो प्रवृत्ति चल रही है, लोगोंके हृदयोंमें जो भाव अत्यन्त हो रहा है, वह निष्फल हो जायगा ।

भाषा माताके समान है । माता पर हमारा जो प्रेम होना चाहिये, वह हम लोगोंमें नहीं है । मुझे तो जैसे सम्मेलनसे भी वास्तविक प्रेम नहीं है । तीन दिनका जलसा होगा । तीन दिन कह-सुनकर हमें जो करना होगा, उसे हम भूल जायेंगे । सभापतिके भाषणमें तेज नहीं है; जिस वस्तुकी आवश्यकता है, वह उसमें नहीं है । जिससे भारी कंगालियत मैं नहीं जान सकता । हम पर और हमारी प्रजाके अूपर एक बड़ा आक्षेप है कि हमारी भाषामें तेज नहीं है । जिनमें विज्ञान नहीं है, उनमें तेज नहीं है । जब हममें तेज आयेगा, तभी हमारी प्रजामें और हमारी भाषामें तेज आयेगा । विदेशी भाषा द्वारा आप जो स्वातंत्र्य चाहते हैं, वह नहीं मिल सकता, क्योंकि उसमें हम योग्य नहीं हैं । प्रसन्नताकी बात है कि अिन्दौरमें सब कार्य हिन्दीमें होता है । पर क्षमा कीजियेगा, प्रधानमंत्री साहबका जो पत्र आया है, वह अंग्रेज़ीमें है । अिन्दौरकी प्रजा यह बात नहीं जानती होगी, पर मैं उसे बतलाता हूँ कि यहाँ अदालतोंमें प्रजाकी अज़ियाँ हिन्दीमें ली जाती हैं, पर न्यायाधीशोंके फ़ैसले और वकील-बैरिस्टरोंकी बहस अंग्रेज़ीमें होती है । मैं पूछता हूँ कि अिन्दौरमें ऐसा क्यों होता है ? हाँ, यह ठीक है, मैं यह मानता हूँ कि अंग्रेज़ी राज्यमें यह आन्दोलन सफल नहीं हो सकता, पर देशी राज्योंमें

तो सफल होना ही चाहिये । शिक्षित वर्ग, जैसा कि माननीय पंडितजीने अपने पत्रमें दिखाया है, अंग्रेज़ीके मोहमें फँस गया है, और अपनी राष्ट्रीय मातृभाषासे उसे असन्तोष हो गया है । पहली मातासे जो दूध मिलता है, उसमें ज़हर और पानी मिला हुआ है, और दूसरी मातासे शुद्ध दूध मिलता है । बिना जिस शुद्ध दूधके मिले हमारी अन्नति होना असम्भव है । पर जो अन्धा है, वह देख नहीं सकता; और गुलाम नहीं जानता कि अपनी बेदियाँ किस तरह तोड़े । पचास वर्षोंसे हम अंग्रेज़ीके मोहमें फँसे हैं । हमारी प्रजा अज्ञानमें डूबी रही है । सम्मेलनको जिस ओर विशेष रूपसे ख़याल रखना चाहिये । हमें ऐसा अद्योग करना चाहिये कि अेक वर्षमें राजकीय सभाओंमें, कांग्रेसमें, प्रान्तीय सभाओंमें और अन्य सभा-समाज और सम्मेलनोंमें अंग्रेज़ीका अेक भी शब्द सुनायी न पड़े । हम अंग्रेज़ीका व्यवहार बिलकुल त्याग दें । अंग्रेज़ी सर्वव्यापक भाषा है, पर यदि अंग्रेज़ सर्वव्यापक न रहेंगे, तो अंग्रेज़ी भी सर्वव्यापक न रहेगी । अब हमें अपनी मातृभाषाको और नष्ट करके उसका ख़ून नहीं करना चाहिये । जैसे अंग्रेज़ अपनी मादरी ज़बान अंग्रेज़ीमें ही बोलते और सर्वथा उसे ही व्यवहारमें लाते हैं, वैसे ही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप हिन्दीको भारतकी राष्ट्रभाषा बननेका गौरव प्रदान करें । हिन्दी सब समझते हैं । जिसे राष्ट्रभाषा बनाकर हमें अपना कर्तव्य पालन करना चाहिये । अब मैं अपना लिखा हुआ भाषण पढ़ता हूँ ।

श्रीमान् सभापति महाशय, प्यारे प्रतिनिधिगण, बहनो और भाजियो !

आपने मुझे जिस सम्मेलनका सभापतित्व देकर कृतार्थ किया है । हिन्दी साहित्यकी दृष्टिसे मेरी योग्यता जिस स्थानके लिये कुछ भी नहीं है, यह मैं ख़ूब जानता हूँ । मेरा हिन्दी भाषाका असीम प्रेम ही मुझे यह स्थान दिलानेका कारण हो सकता है । मैं अुम्मीद करता हूँ कि प्रेमकी परीक्षामें मैं हमेशा अुत्तीर्ण होखूँगा ।

साहित्यका प्रदेश भाषाकी भूमि जानने पर ही निश्चित हो सकता है । यदि हिन्दी भाषाकी भूमि सिर्फ़ अुत्तर प्रान्त होगी, तो साहित्यका प्रदेश संकुचित रहेगा । यदि हिन्दी भाषा राष्ट्रीयभाषा होगी, तो साहित्यका

विस्तार भी राष्ट्रीय होगा । जैसे भाषक वैसी भाषा । भाषा-सागरमें स्नान करनेके लिये पूर्व-पश्चिम, दक्षिण-शुत्तरसे पुनीत महात्मा आयेंगे, तो सागरका महत्त्व स्नान करनेवालोंके अनुरूप होना चाहिये । जिसलिये साहित्य-दृष्टिसे भी हिन्दी भाषाका स्थान विचारणीय है ।

हिन्दी भाषाकी व्याख्याका थोड़ासा खयाल करना आवश्यक है । मैं कभी बार व्याख्या कर चुका हूँ कि हिन्दी भाषा वह भाषा है, जिसको शुत्तरमें हिन्दू व मुसलमान बोलते हैं, और जो नागरी अथवा फ़ारसी लिपिमें लिखी जाती है । यह हिन्दी अेकदम संस्कृतमयी नहीं है, न वह अेकदम फ़ारसी शब्दोंसे लदी हुअी है । देहाती बोलीमें जो माधुर्य में देखता हूँ, वह न लखनअू के मुसलमान भाअियोंकी बोलीमें, न प्रयाग के पंडितोंकी बोलीमें पाया जाता है । भाषा वही श्रेष्ठ है, जिसको जनसमूह सहजमें समझ ले । देहाती बोली सब समझते हैं । भाषाका मूल करोड़ों मनुष्यरूपी हिमालयमें मिलेगा, और शुत्तरमें ही रहेगा । हिमालय-मेंसे निकलती हुअी गंगाजी अनन्त काल तक बहती रहेंगी । अैसी ही देहाती हिन्दीका गौरव रहेगा । और जैसे छोटीसी पहाड़ीसे निकलता हुआ झरना सूख जाता है, वैसी ही संस्कृतमयी तथा फ़ारसीमयी हिन्दीकी दशा होगी ।

हिन्दू-मुसलमानोंके बीच जो भेद किया जाता है, वह कृत्रिम है । अैसी ही कृत्रिमता हिन्दी व अुर्दू भाषाके भेदमें है । हिन्दुओंकी बोलीसे फ़ारसी शब्दोंका सर्वथा त्याग और मुसलमानोंकी बोलीसे संस्कृतका सर्वथा त्याग अनावश्यक है । दोनोंका स्वाभाविक संगम गंगा-जमुनाके संगम-सा शोभित और अचल रहेगा । मुझे अुम्मीद है कि हम हिन्दी-अुर्दूके झगडेमें पड़कर अपना बल क्षीण नहीं करेंगे । लिपिकी कुछ तकलीफ़ झरूर है । मुसलमान भाअी अरबी लिपिमें ही लिखेंगे; हिन्दू बहुत करके नागरी लिपिमें लिखेंगे । राष्ट्रमें दोनोंको स्थान मिलना चाहिये । अमलदारोंको दोनों लिपियोंका ज्ञान अवश्य होना चाहिये । जिसमें कुछ कठिनाअी नहीं है । अन्तमें जिस लिपिमें ज्यादा सरलता होगी, शुत्तरकी विजय होगी । भारतवर्षमें परस्पर व्यवहारके लिये अेक भाषा होनी चाहिये, जिसमें कुछ सन्देह नहीं है । यदि हम हिन्दी-अुर्दूका झगड़ा भूल जायँ, तो हम जानते हैं कि मुसलमान भाअियोंकी तो अुर्दू

ही राष्ट्रीय-भाषा है। जिस बातसे यह सहजमें सिद्ध होता है कि हिन्दी या उर्दू मुगलोंके ज़मानेसे राष्ट्रीय भाषा बनती जाती थी।

आज भी हिन्दीसे स्पर्दा करनेवाली दूसरी कोअी भाषा नहीं है। हिन्दी-अुर्दूका झगड़ा छोड़नेसे राष्ट्रीय भाषाका सवाल सरल हो जाता है। हिन्दुओंको फ़ारसी शब्द थोड़े-बहुत जानने पड़ेंगे। जिसलामी भाषियों को संस्कृत शब्दोंका ज्ञान सम्पादन करना पड़ेगा। जैसे लेन-देनसे जिसलामी भाषाका बल बढ़ जायगा, और हिन्दू-मुसलमानोंकी अेकताका अेक बड़ा साधन हमारे हाथमें आ जायगा। अंग्रेज़ी भाषाका मोह दूर करनेके लिये जितना अधिक परिश्रम करना पड़ेगा कि हमें लाज़िम है कि हम हिन्दी-अुर्दूका झगड़ा न अुठावें। लिपिकी तकरार भी हमको न करनी चाहिये।

अंग्रेज़ी भाषा राष्ट्रीय-भाषा क्यों नहीं हो सकती, अंग्रेज़ी भाषाका बोझ प्रजाके अ़पर रखनेसे क्या हानि होती है, हमारी शिक्षाका माध्यम आज तक अंग्रेज़ी होनेसे प्रजा कैसी कुचल दी गयी है, हमारी जातीय भाषा क्यों कंगाल हो रही है, जिन सब बातों पर मैं अपनी राय भागलपुर और भड़ौंचके व्याख्यानोंमें दे चुका हूँ, इसीलिये यहाँ मैं फिर नहीं देना चाहता, जिन दोनों व्याख्यानोंमेंसे भाषा-सम्बन्धी भाग मैं जिस व्याख्यानके परिशिष्ट रूपमें रख दूँगा। हज़ीक़तमें, जिस बातमें सन्देह नहीं हो सकता कि हमारे कविवर सर रवीन्द्रनाथ टागोर, विदुषी बेसेंट, लोकमान्य तिलक और अन्यान्य प्रतिष्ठित और आप्त व्यक्तियोंका मन्तव्य जिस विषयमें अैसा ही है। कार्यकी सिद्धिमें कठिनाभियाँ तो होंगी ही, किन्तु अ़सका अ़पाय करना जिस सभा पर निर्भर है। लोकमान्य तिलक महाराजने अपना अभिप्राय कार्य करके बता दिया है। अ़न्होंने 'केसरी' में और 'मराठा' में हिन्दी-विभाग शुरू कर दिया है। भारतरत्न पंडित मदनमोहन मालवीयजीका अभिप्राय भी हिन्दुस्तानमें अज्ञात नहीं है। तो भी हमें मालूम है कि हमारे कअी विद्वान् नेताओंका अभिप्राय है कि कुछ वर्षों तक तो अेक अंग्रेज़ी ही राष्ट्रीय भाषा रहेगी। जिन नेताओंसे हम विनयपूर्वक कहेंगे कि अंग्रेज़ीके जिस मोहसे प्रजा पीड़ित हो रही है। अंग्रेज़ी शिक्षा पानेवालोंके ज्ञानका लाभ प्रजाको बहुत ही कम मिलता है, और अंग्रेज़ी शिक्षित वर्ग और आम लोगोंके बीच बड़ा दरियाव आ पड़ा है।

कहना आवश्यक नहीं है कि मैं अंग्रेज़ी भाषासे द्वेष नहीं करता हूँ । अंग्रेज़ी-साहित्य-भण्डारसे मैंने भी बहुत रत्नोंका अ्युपयोग किया है । अंग्रेज़ी-भाषाकी मारफ़त हमको विज्ञान आदिका खूब ज्ञान लेना है । अंग्रेज़ीका ज्ञान भारतवासियोंके लिये कितना आवश्यक है । लेकिन जिस भाषाको अ्युसका अ्युचित स्थान देना एक बात है, अ्युसकी जड़ पूजा करना दूसरी बात है ।

हिन्दी-अ्युर्दू राष्ट्रीयभाषा होनी चाहिये, जिस बातको सिर्फ़ स्वीकार करनेसे हमारा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता है, तो फिर किस प्रकार हम सिद्धि पा सकेंगे ? जिन विद्वद्गणोंने जिस मंडपको सुशोभित किया है, वे भी अपनी वक्तृतासे हमको जिस विषयमें ज़रूर कुछ सुनायेंगे । मैं सिर्फ़ भाषा-प्रचारके बारेमें कुछ कहूँगा । भाषा-प्रचारके लिये 'हिन्दी-शिक्षक' होना चाहिये । हिन्दी-बंगाली सीखने-वालोंके लिये एक छोटीसी पुस्तक मैंने देखी है । वैसी ही मराठीमें भी है । अन्य भाषा-भाषियोंके लिये ऐसी किताबें देखनेमें नहीं आयी हैं । यह काम करना जैसा सरल है, वैसा ही आवश्यक है । मुझे अ्युम्मीद है कि यह सम्मेलन जिस कार्यको शीघ्रतासे अपने हाथमें लेगा । ऐसी पुस्तकें विद्वान् और अनुभवी लेखकोंके द्वारा लिखवानी चाहियें ।

सबसे कष्टदायी मामला द्राविड़ भाषाओंके लिये है । वहाँ तो कुछ प्रयत्न ही नहीं हुआ है । हिन्दी-भाषा सिखानेवाले शिक्षकोंको तैयार करना चाहिये । ऐसे शिक्षकोंकी बड़ी ही कमी है । ऐसे एक शिक्षक प्रयागजीसे आपके लोकप्रिय मंत्री भाभी पुरुषोत्तमदासजी टण्डनके द्वारा मुझे मिले हैं ।

हिन्दी भाषाका एक भी सम्पूर्ण व्याकरण मेरे देखनेमें नहीं आया है । जो हैं, सो अंग्रेज़ीमें विलायती पादरियोंके बनाये हुअे हैं । ऐसा एक व्याकरण डॉ० केल्लोगका रचा हुआ है । हिन्दुस्तानकी अन्यान्य भाषाओंका मुक़ाबला करनेवाला व्याकरण हमारी भाषामें होना चाहिये । हिन्दी-प्रेमी विद्वानोंसे मेरी नम्र विनती है कि वे जिस त्रुटिको दूर करें । हमारी राष्ट्रीय सभाओंमें हिन्दी भाषाका ही अ्युस्तेमाल होना आवश्यक है । कांग्रेसके कार्यकर्त्ताओं और प्रतिनिधियों द्वारा यह प्रयत्न होना चाहिये । मेरा अभिप्राय है कि यह सभा ऐसी प्रार्थना आगामी कांग्रेसमें अ्युसके कर्मचारियोंके सम्मुख अ्युपस्थित करे ।

हमारी क़ानूनी सभाओंमें भी राष्ट्रीय-भाषा द्वारा कार्य चलना चाहिये । जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक प्रजाको राजनीतिक कार्योंमें ठीक

तालीम नहीं मिलती है। हमारे हिन्दी अखबार जिस कार्यको थोड़ा-सा करते तो हैं, लेकिन प्रजाको तालीम अनुवादसे नहीं मिल सकती है। हमारी अदालतमें ज़रूर राष्ट्रीय भाषा और प्रान्तीय-भाषाका प्रचार होना चाहिये। न्यायाधीशोंकी मारफ़्त जो तालीम हमको सहज ही मिल सकती है, उस तालीमसे आज प्रजा वंचित रहती है।

भाषाकी जैसी सेवा हमारे राजा-महाराजा लोग कर सकते हैं, वैसी अंग्रेज़ सरकार नहीं कर सकती। महाराजा होलकरकी कौन्सिलमें, कचहरीमें, और हरभेक काममें हिन्दीका और प्रान्तीय बोलीका ही प्रयोग होना चाहिये। उनके अुत्तेजनसे भाषा और बहुत ही बढ़ सकती है। जिस राज्यकी पाठशालाओंमें शुरूसे आखिर तक सब तालीम मादरी ज़बानमें देनेका प्रयोग होना चाहिये। हमारे राजा-महाराजाओंसे भाषाकी बड़ी भारी सेवा हो सकती है। मैं अुम्मीद रखता हूँ कि होलकर महाराजा और अुनके अधिकारीवर्ग जिस महान् कार्यको अुत्साहसे अुठा लेंगे।

ऐसे सम्मेलनसे हमारा सब कार्य सफल होगा, ऐसी सम्झ भ्रम ही है। जब हम प्रतिदिन किसी कार्यकी धुनमें लगे रहेंगे, तभी जिस कार्यकी सिद्धि हो सकेगी। सैकड़ों स्वार्थ-त्यागी विद्वान् जब जिस कार्यको अपनायेंगे तभी सिद्धि सम्भव है।

मुझे खेद तो यह है कि जिन प्रान्तोंकी मातृभाषा हिन्दी है, वहाँ भी उस भाषाकी अुन्नति करनेका अुत्साह नहीं दिखायी देता है। अुन प्रान्तोंमें हमारे शिक्षित-वर्ग आपसमें पत्र-व्यवहार और बातचीत अंग्रेज़ीमें करते हैं। भेक भाषी लिखते हैं कि हमारे अखबार चलानेवाले अपना व्यवहार अंग्रेज़ीकी मारफ़्त करते हैं, अपने हिसाब-किताब वे अंग्रेज़ीमें ही रखते हैं। फ़्रांसमें रहनेवाले अंग्रेज़ अपना सब व्यवहार अंग्रेज़ी ही में रखते हैं। हम अपने देशमें अपने महत् कार्य विदेशी भाषामें करते हैं। मेरा नम्र लेकिन दृढ़ अभिप्राय है कि जब तक हम (हिन्दी) भाषाको राष्ट्रीय और अपनी-अपनी प्रान्तीय भाषाओंको अुनका योग्य स्थान नहीं देते, तब तक स्वराज्यकी सब बातें निरर्थक हैं। जिस सम्मेलन द्वारा भारतवर्षके जिस बड़े प्रश्नका निराकरण हो जाय, ऐसी मेरी आशा और प्रभु-प्रति प्रार्थना है।

कांग्रेसमें 'हिन्दुस्तानी'

मद्रास शब्दका उपयोग मैं उसके प्रचलित अर्थमें, यानी समूचे मद्रास प्रान्त और सभी द्राविड़ भाषा बोलनेवाले लोगोंके अर्थ में करता हूँ* ।

मैं देखता हूँ कि अबकी कांग्रेसका सारा काम खासकर हिन्दुस्तानीमें होनेकी वजहसे श्रीमती अनी बेसण्ट नाराज़ हुयी हैं, और वे जिस आश्चर्यजनक परिणाम पर पहुँची हैं कि जिससे कांग्रेस राष्ट्रीय न रहकर अेक प्रान्तीय सभा बन गयी है । मेरे दिलमें श्रीमती बेसण्टके लिये और उनकी भारत-सेवाके लिये बहुत अिङ्गित है । हिन्दुस्तानके लिये स्वराज्यके विचारको जितना उन्होंने लोकप्रिय बनाया, उतना दूसरे किसीने नहीं बनाया । हममेंसे जो उत्तम हैं, और उमर में छोटे हैं, वे भी उनके अ्यम, उनकी लगन और उनकी संगठन शक्तिको पा नहीं सकते; उन्होंने यह सब हिन्दुस्तानकी सेवाके लिये दे डाला है । अपनी प्रौढ़ उमरका उत्तम अंश उन्होंने हिन्दुस्तानकी सेवामें खर्च किया है, और जिसके कारण वे शायद लोकमान्य तिलकके बाद की, दूसरे नम्बरकी, लोकप्रियता प्राप्त कर सकी हैं, जो अचित ही है । लेकिन आजकल चूँकि ज्यादातर पढ़े-लिखे हिन्दुस्तानियोंको उनके विचार पसन्द नहीं पड़ते हैं, जिसलिये उनकी लोकमान्यता कुछ कम हुयी है । और, उनके जिस विचारसे कि हिन्दुस्तानीके अिस्तेमालसे कांग्रेस अेक प्रान्तीय सभा बन गयी है, सार्वजनिक रीतिसे अपना मतभेद प्रकट करते हुये मुझे दुःख होता है । मेरी नम्र सम्मतिमें यह अेक गम्भीर भूल है, और जिसकी ओर सबका ध्यान खींचना मेरा फ़र्ज़ हो जाता है ।

सन् १९१५से मैं, अेकके सिवा, कांग्रेसकी सभी बैठकमें शामिल हुआ हूँ । उसके कारबारको अंग्रेज़ीके बदले हिन्दुस्तानीमें चलानेकी अुपयोगिताके विचारसे मैंने उनका खास तौरसे अभ्यास किया है । मैंने सैकड़ों प्रतिनिधियों और हज़ारों प्रेक्षकोंसे जिसकी चर्चा की है; लोकमान्य

* (२१-१-१९२०के 'यंग अिण्डिया' में छया 'अपील टु मद्रास' लेख ।)

तिलक और श्रीमती बेसण्ट सहित सभी लोकसेवकोंकी अपेक्षा मैं शायद सारे देशमें ज्यादा घुमा-फिरा हूँ, और पढ़े-लिखों व अनपढ़ोंको मिलाकर सबसे ज्यादा लोगोंसे मिला हूँ; और मैं सोच-समझकर जिस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि राष्ट्रका कारबार चलानेके लिये या विचार विनिमयके लिये हिन्दुस्तानीको छोड़कर दूसरी कोई भाषा शायद ही राष्ट्रीय माध्यम बन सके। (हिन्दुस्तानी यानी हिन्दी और शुद्धके मिलापसे पैदा होनेवाली भाषा)। साथ ही व्यापक अनुभवके आधार पर मेरी यह पक्की राय बनी है कि पिछले दो सालोंको छोड़कर बाक़ी सब सालोंमें कांग्रेसका क़रीब-क़रीब सारा ही काम अंग्रेज़ीमें चलानेसे राष्ट्रको बहुत नुक़सान उठाना पड़ा है। जिसके अलावा, मैं यह भी कहा चाहता हूँ कि एक मद्रास प्रान्तको छोड़कर बाक़ी सब जगह राष्ट्रीय कांग्रेसके दर्शकों और प्रतिनिधियोंकी बड़ी संख्या अंग्रेज़ीके मुक़ाबले हिन्दुस्तानीको हमेशा ही ज्यादा समझ सकी है। जिसका एक आश्चर्यजनक परिणाम यह हुआ है कि जिन तमाम वर्षोंके लम्बे समयमें कांग्रेस दिखाने भर को राष्ट्रीय रही है; लोक-शिक्षाकी सच्ची कसौटी पर उसे कसैं, उसकी क़ीमत कूटें, तो कहना होगा कि वह कभी राष्ट्रीय नहीं थी। दुनियाका दूसरा कोई देश होता, तो जिस तरहकी संस्था, जो हर साल अपनी लोकप्रियतामें बढ़ती ही रही है, अपनी ज़िन्दगीके ३४ सालोंमें आम लोगोंके सामने उनकी अपनी भाषामें तरह-तरहके सवालोंकी चर्चा करके उन्हें हल करती, और जिस तरह लोगोंको राजनीतिकी तालीम देती। जिसलिये कांग्रेसकी पिछली बैठकमें दूसरी कमियाँ चाहे जो रही हों, फिर भी जिसमें शक नहीं कि वह उससे पहलेकी बैठकोंके मुक़ाबले ज्यादा राष्ट्रीय थी, और वह जिस वजहसे कि ज्यादातर दर्शक और प्रतिनिधि उसके काम-काजको समझ सके थे। यदि श्रोता श्रीमती बेसण्टको सुनना न चाहते थे, वे अडब गये थे, तो जिसलिये नहीं अडबे थे कि अन्हें उनकी बात सुननी ही न थी, या कि उनके दिलमें श्रीमती बेसण्टके लिये अनादर था; बल्कि वजह उसकी यह थी कि भाषणके बहुत क़ीमती और दिलचस्प होते हुअे भी वे उसे समझ नहीं पाते थे। और, जैसे-जैसे राष्ट्रीय भावना जागेगी और राजनीतिक ज्ञान और शिक्षाकी भूख खुलेगी—और खुलनी भी चाहिये—वैसे-वैसे

अंग्रेज़ीमें बोलनेवालोंके लिये अपने सर्वसाधारण श्रोताओंका ध्यानपात्र बनना अधिकाधिक कठिन होता जायगा; फिर भले ही वक्ता कितना ही शक्तिशाली और लोकप्रिय क्यों न हो । जिसलिये मैं मद्रास प्रान्तकी जनतासे प्रार्थना करता हूँ कि वह जिस बातको समझ ले कि लोक-सेवाका काम करनेवालोंके लिये हिन्दुस्तानी सीखना ज़रूरी है । मद्रासके सिवा दूसरे सभी प्रान्तोंके श्रोता बिना कठिनाओंके कमोबेश हिन्दुस्तानी समझ सकते हैं । दयानन्द सरस्वती अुत्तर हिन्दुस्तानके बाहरकी जनताको भी अपने हिन्दुस्तानी भाषणोंसे वश कर लेते थे, और जनसाधारण भी बिना किसी कठिनाओंके उनकी बातको समझ सकते थे । कांग्रेसका सारा काम अंग्रेज़ीमें चलता रहा, जिससे सचमुच राष्ट्रको बहुत नुकसान अुठाना पड़ा है । जिसका मतलब यह होता है कि ३१॥ करोड़की आबादीमेंसे सिर्फ़ ३ करोड़ ८० लाखसे कुछ अुपर मद्रासी लोग हिन्दुस्तानी वक्ताकी बातको समझ नहीं सकते । मैंने जिसमें मुसलमानोंकी गिनती नहीं की है, क्योंकि सभी जानते हैं कि मद्रास अिलक्रेके ज्यादातर मुसलमान हिन्दुस्तानी समझते हैं । तो फिर सवाल यह रहता है कि अुस अिलक्रेके ३८० लाख लोगोंका धर्म क्या है ? क्या अुनके लिये हिन्दुस्तान अंग्रेज़ी सीखे ? या फिर बाङ्गके २,७७० लाख हिन्दुस्तानियोंके लिये अुन्हें हिन्दुस्तानी सीखनी चाहिये ? स्व० न्यायमूर्ति कृष्णस्वामीने अपनी अचूक और सहज बुद्धिसे जिस बातको ताड़ लिया, और मंजूर किया था कि देशके अलग-अलग हिस्सोंमें आपसके व्यवहारके लिये हिन्दुस्तानी ही अेक माध्यम बन सकती है । मैं नहीं जानता कि आजकल कोअी जिस स्थापनाका विरोध करता हो । यह कभी हो नहीं सकता कि हज़ारों लोग अंग्रेज़ी भाषाको अपना माध्यम बनायें; और अगर यह मुमकिन हो, तो भी चाहने लायक तो क्रतअी नहीं । जिसकी सीधी-सादी वजह यह है कि अंग्रेज़ीके ज़रिये मिलनेवाला अुच्च और पारिभाषिक ज्ञान आम लोगों तक पहुँच नहीं सकता । यह तो तभी हो सकता है, जब जिस ज्ञानका प्रसार अुपरके दरजेवालोंमें भी किसी देशी भाषाके द्वारा हो । मसलन्, सर जगदीशचन्द्र बसुकी रचनाओंका बँगलासे गुजरातीमें अुल्था करना, हक्स्लीके अंग्रेज़ी ग्रंथोंको गुजरातीमें अुतारनेकी अपेक्षा आसान है ।

और जिस कथनका मतलब क्या कि बाङ्गी हिन्दुस्तानके लिभे मद्रासियोंको हिन्दुस्तानी सीखनी चाहिये ? जिसका मतलब यही है कि मद्रासके जो लोक-सेवक हिन्दुस्तानके बाहर काम करना चाहते हैं, और अपने प्रान्तके बाहरकी राष्ट्रीय समाओंमें भाग लेना चाहते हैं, उन्हें प्रतिदिन अेक घण्टे के हिसाबसे अपना अेक साल हिन्दुस्तानी सीखनेमें बिताना चाहिये । अेक सालकी अैसी कोशिशके बाद कअी हजार मद्रासी, कम-से-कम कांग्रेसकी कार्यवाभीका सार या निचोड़ तो समझने लग ही जायेंगे । मद्रास प्रान्तके कअी हिस्सोंमें हिन्दी-प्रचार-कार्यालय क्रायम हो चुके हैं, जहाँ हिन्दुस्तानी सीखनेकी अिच्छा रखनेवालोंको बिना फीसके हिन्दुस्तानी सिखाभी जाती है । . . .

(य० अि०, २१-१-१९२०)

४

अंग्रेजी बनाम हिन्दुस्तानी

हाल ही हुअे साहित्य सम्मेलनोंकी कार्यवाभियोंको जिन्होंने ध्यानसे देखा है, वे स्पष्ट ही यह समझ सके होंगे कि हमारी राष्ट्रीय जागृति सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है । अिन सम्मेलनोंमें जो अुत्साह पाया गया, वह अेक अच्छे परिवर्तनका सूचक है । हम अपने राष्ट्रीय जीवनमें और अपनी चर्चाओंमें देशी भाषाओंको अुचित स्थान देने लगे हैं । राजा राममोहन रायने यह भविष्यवाणी की थी कि अेक दिन हिन्दुस्तान अंग्रेज़ी बोलनेवाला देश बन जायगा; आज जिस भविष्यवाणीके ग्रह अच्छे नज़र नहीं आते । हमारे कुछ जाने-माने लोग राष्ट्रभाषाके नाते अंग्रेज़ीकी हिमायत करनेका अुतावला निर्णय कर लेते हैं । आजकल अदालती भाषाके रूपमें अंग्रेज़ीकी जो अिज्ज़त है, अुससे वे ज़रूरतसे ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं । लेकिन वे यह देखना भूल जाते हैं कि अंग्रेज़ीकी आजकी अिज्ज़त न तो हमारे सम्मानको बढ़ानेवाली है, और न वह लोकशाहीके सच्चे जोशको पैदा करनेमें सहायक ही होती है ।

कुछ सौ अमलदारों या हाकिमोंकी सहूलियत के लिये करोड़ों लोगोंको एक परदेशी भाषा सीखनी पड़ती है; यह बेहूदेपनकी हद है। अक्सर हमारे पिछले इतिहाससे झुदाहरण लेकर यह साबित किया जाता है कि देशकी केन्द्रीय सरकारको मजबूत बनानेके लिये एक राष्ट्रीय भाषाकी जरूरत है। लोगोंके लिये एक सर्वसामान्य माध्यमकी आवश्यकता के बारेमें विवादकी कोअी गुंजाबिश नहीं। लेकिन अंग्रेज़ीको वह जगह नहीं दी जा सकती। हाकिमोंको देशी भाषायें अपनानी चाहियें।

अंग्रेज़ीके हिमायतियोंको अपील करनेवाली एक दूसरी बात साम्राज्यमें हिन्दुस्तानका स्थान है। सादे शब्दोंमें जिस दलीलका सार यह होता है कि जिस साम्राज्यमें १२ करोड़से ज़्यादा लोग नहीं है, उसमें रहनेवाले दूसरे लोगोंके लिये हिन्दुस्तानके ३० करोड़ लोग अपने सर्व-सामान्य माध्यमके रूपमें अंग्रेज़ीको अपनायें।

जिस प्रश्नका अध्ययन करनेवाले हरएक व्यक्तिके लिये ध्यानमें रखने लायक पहली बात यह है कि १५० बरसके अंग्रेज़ी राजके बाद भी अंग्रेज़ी भाषा हिन्दुस्तानकी राष्ट्रभाषाका स्थान ग्रहण करनेमें विफल हुआ है। हाँ, जिसमें शक नहीं कि एक तरहकी टूटी-फूटी अंग्रेज़ी हमारे शहरोंमें अपना कुछ स्थान बना पायी है। लेकिन जिस हकीकतसे तो वे लोग ही चौंधिया सकते हैं, जो बम्बयी-कलकत्ते-जैसे शहरोंमें बैठकर हमारे राष्ट्रीय प्रश्नोंका अध्ययन करनेमें लगे हैं। मगर आखिर ऐसे लोग कितने हैं? हिन्दुस्तानकी कुल आबादीके २.२ प्रतिशत ही न?

अंग्रेज़ीके हिमायती एक दूसरी बात यह भी भूल जाते हैं कि हमारी बहुतसी देशी भाषायें एक-दूसरीसे मिलती-जुलती हैं, और जिसलिये एक मद्रास प्रान्तको छोड़ बाक़ी सब प्रान्तोंके लिये राष्ट्रभाषाके नाते हिन्दी अनुकूल है। हिन्दी के जिस लाभको और हमारी हालकी राष्ट्रीय जागृतिको देखते हुअे हम अंग्रेज़ीको अपनी राष्ट्रभाषाके रूपमें कैसे स्वीकार कर सकते हैं?*

(यं० जिं०, २१-५-१९२०)

* 'देशी भाषाओंका पक्ष'—The cause of the vernaculars देखसे।

हिन्दी सीख लीजिये

मुझे पक्का विश्वास है कि किसी दिन द्रविड़ भाषी-बहान गम्भीर-भावसे हिन्दीका अभ्यास करने लग जायेंगे । आज अंग्रेज़ीपर प्रभुत्व प्राप्त करनेके लिये वे जितनी मेहनत करते हैं, उसका आठवाँ हिस्सा भी हिन्दी सीखनेमें करें, तो बाक़ी हिन्दुस्तानके जो दरवाज़े आज उनके लिये बन्द हैं, वे खुल जायें, और वे उस तरह हमारे साथ अेक हो जायें, जैसे पहले कभी न थे । मैं जानता हूँ कि उसपर कुछ लॉग यह कहेंगे कि यह दलील तो दोनों ओर लागू होती है । द्रविड़ लोगोंकी संख्या कम है; उसलिये राष्ट्रकी शक्तके मितव्ययकी दृष्टिसे यह ज़रूरी है कि हिन्दुस्तानके बाक़ी सब लोगोंको द्रविड़ भारतके साथ बातचीत करनेके लिये तामिल, तेलगू, कन्नड़ और मलयालम सिखानेके बदले द्रविड़ भारतवालोंको शेष हिन्दुस्तानकी आम ज़बान सीख लेनी चाहिये । उसी हेतुसे पिछले १८ महीनोंसे अिलाहाबादके हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनकी देख-रेखमें मद्रासमें हिन्दी-प्रचारका काम ज़ोरसे चल रहा है । पिछले हफ़्ते बम्बयीमें अप्रवाल-मारवाड़ी-सम्मेलन हुआ था । मेरी अपीलके जवाबमें उस सम्मेलनने मद्रास प्रान्तमें पाँच साल तक हिन्दी-प्रचारका काम करनेके लिये ६० ५०,०००)का चन्दा करवा दिया है । . . . उस शुदारताके कारण अिलाहाबादके सम्मेलनकी और उन द्रविड़ भाषी-बहनोंकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, जो मेरे साथ यह मानते हैं कि सम्पूर्ण राष्ट्रीय विकासके लिये मद्रासवालोंको हिन्दी सीख लेनी चाहिये । कोअी भी द्रविड़ यह न सोचे कि हिन्दी सीखना क़रा भी मुश्किल है । अगर रोज़के मनोरंजनके समयमेंसे नियमपूर्वक थोड़ा समय निकाला जाय, तो साधारण आदमी अेक सालमें हिन्दी सीख सकता है । मैं तो यह भी सुझानेकी हिम्मत करता हूँ कि अब बड़ी-बड़ी म्युनिसिपैलिटियाँ अपने मदरसोंमें हिन्दीकी पढ़ाअीको वैकल्पिक बना दें । मैं अपने अनुभवसे यह कह सकता हूँ कि द्रविड़

बालक अद्भुत सरलतासे हिन्दी सीख लेते हैं। शायद कुल ही लोग यह जानते होंगे कि दक्षिण अफ्रीकामें रहनेवाले लगभग सभी तामिल-तेलगू-भाषी लोग हिन्दी समझते हैं, और उसमें बातचीत कर सकते हैं। जिसलिखे मैं साहसपूर्वक यह आशा करता हूँ कि शुदार मारवाड़ियोंने मुफ्त हिन्दी सीखनेकी जो सहूलियत पैदा कर दी है, मद्रासके नौजवान उसकी क़दर करेंगे—यानी वे जिस सहूलियतसे लाभ उठायेंगे।

(यं० अि०, १६-६-'२०)

२

हिन्दुस्तानकी दूसरी कोअी भाषा न सीखनेके बारेमें बंगालका अपना जो पूर्वग्रह है, और द्रविड़ लोगोंको हिन्दुस्तानी सीखनेमें जो कठिनायी मालूम होती है, उसकी वजहसे हिन्दुस्तानी न जाननेके कारण शेष हिन्दुस्तानसे अलग पड़ जानेवाले दो प्रान्त हैं—बंगाल और मद्रास। अगर कोअी साधारण बंगाली हिन्दुस्तानी सीखनेमें रोज़के तीन घण्टे खर्च करे, तो सचमुच ही दो महीनोंमें वह उसे सीख ले; और जिसी रफ़्तारसे सीखनेमें द्रविड़को छह महीने लगे। कोअी बंगाली या द्रविड़ बितने समयमें अंग्रेज़ी सीख लेनेकी आशा नहीं कर सकता। हिन्दुस्तानी जाननेवालोंके मुकाबले अंग्रेज़ी जाननेवाले हिन्दुस्तानियोंकी संख्या कम है। अंग्रेज़ी जाननेसे अिन थोड़े लोगोंके साथ ही विचार-विनिमयके द्वार खुलते हैं। जिसके विपरीत, हिन्दुस्तानीका कामचलाअू ज्ञान अपने देशके बहुत ही ज़्यादा भाअी-बहनोंके साथ बातचीत करनेकी शक्ति प्रदान करता है। मैं आशा करता हूँ कि अगली कांग्रेसमें बंगाल और मद्रासके भाअी हिन्दुस्तानीका कामचलाअू ज्ञान प्राप्त करके जायेंगे। जिस भाषाको जनताके ज़्यादा-से-ज़्यादा लोग समझते हैं, हमारी सबसे बड़ी सभा उस भाषामें अपना काम न चलाये, तो सचमुच ही वह जनताके लिखे सबक़ सीखनेकी चीज़ न बन सके। मैं द्रविड़ भाअियोंकी कठिनायीको समझता हूँ; लेकिन मातृभूमिके प्रति उनके प्रेम और अुद्यमके सामने कोअी चीज़ कठिन नहीं।

(यं० अि०, २-२-'२१)

हिन्दी-नवजीवन

यद्यपि मुझे मालूम है कि 'नवजीवन' को हिन्दीमें प्रकाशित करना कठिन काम है, तथापि मित्रोंके आग्रहके वश होकर और साथियोंके अत्साहसे 'नवजीवन' का हिन्दी अनुवाद निकालनेकी धृष्टता में करता हूँ। मेरे विचारों पर मेरा प्रेम है। मेरा विश्वास है कि अुनके अनुकरणसे जनताको लाभ है। जिसलिअे अुनको हिन्दीमें प्रकट करनेकी अिच्छा मुझे बहुत समयसे थी। परन्तु आजतक परमात्माने अुसे सफल नहीं किया था। हिन्दुस्तानीको भारतवर्षकी राष्ट्रीयभाषा बनानेका प्रयत्न मैं हमेशा करता आया हूँ। हिन्दुस्तानीके सिवा दूसरी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती, जिसमें कुछ भी शक नहीं। जिस भाषाको करोड़ों हिन्दू-मुसलमान बोल सकते हैं, वही अखिल भारतवर्षकी सामान्य भाषा हो सकती है। जबतक अुसमें 'नवजीवन' न निकाला गया, तबतक मुझे दुःख था।

हिन्दुस्तानी-भाषानुरागी 'हिन्दी-नवजीवन'में अुत्तम प्रकारकी हिन्दीकी आशा न रखें। 'नवजीवन' और 'यंग अिण्डिया' का अनुवाद ही अुसमें देना सम्भवनीय है। मुझे न तो अितना समय है कि हमेशा हिन्दुस्तानीमें लेख आदि लिखकर दे सकूँ, और न बहुत हिन्दुस्तानी लिखनेकी शक्ति ही मुझमें है।

'हिन्दुस्तानी भाषाका प्रचार' जिस साहसका मुख्य हेतु नहीं है। 'शान्तिमय असहयोग' का प्रचार ही जिसका अुद्देश्य समझना चाहिये। हिन्दुस्तानी भाषा जाननेवाले जबतक असहयोग और शान्तिके सिद्धान्त भलीभाँति समझ न लेंगे, तबतक शान्तिमय असहयोगकी सफलता असम्भव-सी है। जिसलिअे 'हिन्दी-नवजीवन'की आवश्यकता थी। परमात्मासे प्रार्थना है कि जो लोग केवल हिन्दुस्तानी ही समझते हैं, अुन्हें 'हिन्दी-नवजीवन' मददगार हो।

(हिन्दी-नवजीवन, १९-८-'२१)

स्वराज्यकी ज़रूरतें

[बेलगौंवकी ३९वीं राष्ट्रीय महासभाके सभापति-पदसे दिये गये गांधीजीके भाषणसे—]

अेक खास मीयादके अन्दर हर प्रान्तकी अदालतों और धारासभाओंका कामकाज उसी प्रान्तकी भाषामें जारी हो जाना चाहिये । अपीलकी आखिरी अदालतकी ज़बान हिन्दुस्तानी करार दी जाय—लिपि चाहे देव-नागरी हो या फ़ारसी । मध्यवर्ती सरकार और बड़ी धारासभाओंकी भाषा भी हिन्दुस्तानी ही हो । अन्तर्राष्ट्रीय राज्य-व्यवहारकी भाषा अंग्रेज़ी रहे ।

मुझे भरोसा है कि अगर आपको यह लगे कि अपने विचारके अनुसार सुझाओ गयी स्वराज्यकी कुछ ज़रूरतोंकी रूप-रेखामें मैं हृदसे बाहर चला गया हूँ, तो भी आप छूटते ही उसकी हँसी न बुझाने लग जायेंगे । भले आज हमारे पास अिन चीज़ोंके लेने या पानेकी ताक़त न हो । सवाल यह है कि हम अिन्हें हासिल भी करना चाहते हैं या नहीं ? आभिये, पहले हम कम-से-कम अपनी अिस अभिलाषाको ही बढ़ायें ।

(हिन्दी-नवजीवन, २६-१२-१९२४)

कानपुर कांग्रेसका प्रस्ताव

[कानपुर कांग्रेसमें (सन् १९२५) नीचे लिखा प्रस्ताव पास हुआ था —]

यह कांग्रेस तय करती है कि (विधानकी ३३वीं धाराको नीचे लिखे अनुसार सुधारा जाय —) कांग्रेसका, कांग्रेसकी महासमितिका और कार्यकारिणी समितिका काम-काज आम तौरपर हिन्दुस्तानीमें चलाया जायगा । जो वक्ता हिन्दुस्तानीमें बोल नहीं सकते, उनके लिये, या जब-जब जरूरत हो, तब अंग्रेज़ीका या किसी प्रान्तीय भाषाका अिस्तेमाल किया जा सकेगा ।

प्रान्तीय समितियोंका काम साधारणतया शुन-शुन प्रान्तोंकी भाषाओंमें किया जायगा । हिन्दुस्तानीका अुपयोग भी किया जा सकता है ।

[जिस प्रस्ताव पर 'यंग जिण्डिया' और 'नवजीवन'में गांधीजीने यों लिखा था —]

हिन्दुस्तानीके अुपयोगके बारेमें जो प्रस्ताव पास हुआ है, वह लोकमतको बहुत आगे ले जानावाला है । हमें अबतक अपना कामकाज ज्यादातर अंग्रेज़ीमें करना पड़ता है, यह निस्सन्देह प्रतिनिधियों और कांग्रेसकी महासमितिके ज्यादातर सदस्यों पर होनेवाला एक अत्याचार ही है । जिस बारेमें किसी-न-किसी दिन हमें आखिरी फैसला करना ही होगा । जब ऐसा होगा, तब कुछ वक्तके लिये थोड़ी दिक्कतें पैदा होंगी, थोड़ा असन्तोष भी रहेगा । लेकिन राष्ट्रके विकासके लिये यह अच्छा ही होगा कि जितनी जल्दी हो सके, हम अपना काम हिन्दुस्तानीमें करने लयें ।

(य० जि०, ७-१-२६)

जहाँ तक हो सके, कांग्रेसमें हिन्दी-शुर्दका ही अिस्तेमाल किया जाय, यह एक महत्त्वका प्रस्ताव माना जायगा । अगर कांग्रेसके सभी सदस्य जिस प्रस्तावको मानकर चलें, जिसपर अमल करें, तो कांग्रेसके काममें शरीबोंकी दिलचस्पी बढ़ जाय ।

(न० जी०, ३-१-२६)

सभाओंकी भाषा

मालूम होता है कि सभाओंके प्रबन्धकर्त्ताओंको निरन्तर जिस बातकी याद दिलाते रहनेकी ज़रूरत है कि जनतासे बातें करनेकी भाषा अंग्रेज़ी नहीं, बल्कि हिन्दी या हिन्दुस्तानी है। मैंने देखा है कि सन् १९२१ के झुलटे जिस बार जिस दौरमें मुझे जो अभिनन्दन-पत्र मिले हैं, वे अधिकांशमें प्रायः अंग्रेज़ीमें ही थे। यह स्पष्ट विरोध झरियामें दिखायी पड़ने लगा, जहाँ कोयलेकी खानोंके मज़दूरोंकी ओरसे मुझे अंग्रेज़ीमें मान-पत्र देनेकी कोशिश की गयी। और, वह भी एक ऐसी सभामें, जिसमें हज़ारों आदमी थे, मगर उनमेंसे शायद ५० आदमी ही अंग्रेज़ी समझ सकते होंगे। अगर वह मान-पत्र हिन्दीमें होता, तो बहुत अधिक लोग उसे आसानीसे समझ सकते। उस संघके कार्यकर्त्ता बंगाली थे। अगर वह मान-पत्र मेरी खातिर अंग्रेज़ीमें लिखा गया था, तो यह बिल्कुल शैरज़रूरी था। मान-पत्र बँगलामें लिखा जा सकता था, और उसका हिन्दी अनुवाद या अंग्रेज़ी भी तैयार करा लिया जा सकता था। मगर उन श्रोताओं पर अंग्रेज़ीका प्रहार करना उनका अपमान करना था। मैं शुम्मीद करता हूँ कि वे दिन आ रहे हैं, जब किसी सभाकी कार्रवाहीके ऐसी किसी भाषामें होने पर, जिसे सभाके अधिकांश लोग न जानते हों, लोग उस सभासे झुठकर चल देंगे। झरियाकी सभाके सभापतिकी तारीफ़में यह कहना चाहिये कि ज्योंही मैंने जिसकी ओर उनका ध्यान खींचा, उन्होंने उसे समझ लिया, और बड़ी शिष्टतासे उस अभिनन्दन-पत्रको बिना पढ़े ही पढ़ा हुआ-सा मान लेने दिया। यह घटना सभी सभा-प्रबन्धकोंके लिये एक चेतावनी बन जानी चाहिये, खासकर आन्ध्रदेश, तामिलनाडु, केरल और कर्नाटकवालोंके लिये। मैं उनकी कठिनायियोंको जानता हूँ, मगर अब कोयी ६ सालसे उनके बीच हिन्दीका प्रचार करनेके लिये एक संस्था

काम कर रही है। उनके अभिनन्दन-पत्र अपने-अपने प्रान्तकी भाषाओंमें होने चाहियें, और मेरे समझनेके लिये उनके हिन्दी अनुवाद करा लेने चाहियें। मैं द्राविड़ देशके लिये हमेशा छूट दी है, और जब कभी अन्होंने चाहा है, अपना भाषण अंग्रेज़ीमें ही किया है। मगर मैं यह सोचता हूँ कि अब वह समय आ गया है, जब अन्हें बड़ी सार्वजनिक सभाओं के लिये अंग्रेज़ीका आसरा छोड़ देना चाहिये। सब पूछो तो हिन्दी सीखनेसे अिनकार करके हमारे अंग्रेज़ीदाँ नेता ही जनसमूहोंमें हमारी शीघ्र प्रगतिके रास्तेमें रोड़े अटका रहे हैं। हिन्दी तो द्राविड़ देशोंमें भी तीन महीनेके भीतर-भीतर सीख ली जा सकती है, अगर अुसे रोज़ ३ घण्टेका समय दिया जाय। अगर अन्हें अिसमें कोअी सन्देह हो, तो वे अेक बार हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयागके अधीन चलने-वाले मद्रासके हिन्दी-प्रचार-कार्यालयको आजमा देखें। हिन्दुस्तानके २० करोड़ आदमी हिन्दी समझते हैं। अुस हिन्दीको न सीखनेके लिये आलस्य और अनिच्छाको छोड़ दूसरा कोअी बहाना हो नहीं सकता।

(हिन्दी-नवजीवन, २०-१-२७)

२

[छत्रपुर (जिला गंजाम)में दिये गये भाषणसे —]

. . . . मुझसे तो यह भी कहा गया था कि आजकी सभामें मैं अंग्रेज़ीमें ही बोलूँ। किन्तु अिसे तो मैं मातृभूमिकी दूसरी भाषाओंसे द्वेष, और अंग्रेज़ीसे अनुचित प्रेमका चिह्न मानता हूँ। मैं अंग्रेज़ीसे नफ़रत नहीं करता। पर मैं हिन्दीसे अधिक प्रेम करता हूँ, अिसीलिये मैं हिन्दुस्तानके शिक्षितोंसे कहता हूँ कि वे हिन्दीको अपनी भाषा बना लें। हम हिन्दीके ज़रिये ही दूसरी प्रान्तीय भाषाओंसे परिचय प्राप्त कर सकते हैं, अुनकी अुन्नति कर सकते हैं। अगर विदेशी भाषा सीखनेमें हमारे दिल और दिमाग़, दोनों, पथरा न गये होते, तो हमारे लिये ५, ६ देशी भाषायें न जाननेका कोअी कारण ही न होता।

(हिन्दी-नवजीवन, १५-१२-२७)

३

[कराचीके व्यापार-शुद्धोग-मण्डलके संघके वार्षिक अख्तसव (सन् १९३१)के अवसरपर दिये गये प्रास्ताविक भाषणसे —]

मेरे अंग्रेज़ मित्र मुझे माफ़ करेंगे, यदि मैं अुनके सामने आपको अपनी बात राष्ट्रभाषामें ही सुनाऊँ । जिस मौक़े पर मुझे सन् १९१८की युद्ध-परिषद् याद आती है, जो अिसी जगह हुआी थी । जब बहुत ज़्यादा चर्चाके बाद मैंने युद्ध-परिषद्में भाग लेना मंज़ूर किया, तो मैंने अुनसे प्रार्थना की थी कि परिषद्में मुझे हिन्दी या हिन्दुस्तानीमें बोलनेकी छूट दी जाय । मैं जानता हूँ कि अिस तरहकी प्रार्थना करनेकी कोअी ज़रूरत न थी, फिर भी विनयकी दृष्टिसे यह आवश्यक था, अन्यथा वाअिसरायको आघात पहुँचता । तुरत ही अुन्होंने मेरी प्रार्थना मंज़ूर की, और तबसे अिस सम्बन्धमें मेरी हिम्मत अधिक बढ़ी । आज अुसी स्थानमें मैं अिस प्रथाका पालन करनेवाला हूँ । और, व्यापारी-संघके सदस्योंसे भी मैं नम्रता-पूर्वक यह कहूँगा कि देशवासियोंके अिस संघमें जब आपको देशवालोंके साथ ही काम-काज करना है, और मौजूदा वातावरण अपना असर आपपर डाल रहा है, तब आपका धर्म है कि आप अपना काम-काज राष्ट्रभाषामें करें । सभापति महोदयका भाषण मैं बहुत ही ध्यानके साथ सुन रहा था । सुनते ही मेरे मनमें यह खयाल आया कि यदि आप अिस व्याख्यानका प्रभाव अिस सभापर या मेरे हृदयपर डालना चाहते हैं, तो विदेशी भाषासे यह प्रभाव कैसे अुत्पन्न हो सकता है ? हिन्दुस्तानको छोड़कर आप दूसरे किसी भी आज़ाद या गुलाम देशमें चले जाअिये, यहाँ-जैसी स्थिति तो कहीं भी आपको दिखाअी न पड़ेगी । दक्षिण अफ्रीका-जैसे नन्हें-से देशमें अंग्रेज़ी और डच भाषाके दरमियान झगड़ा शुरू हुआ, और आखिर नतीजा यह हुआ कि अंग्रेज़ों और डच लोगोंमें समझौता हुआ, और दोनों भाषाओंको बराबरीका स्थान दिया गया । बहादुर डच लोग अपनी मातृभाषा छोड़नेको तैयार न थे ।

अक लिपिका प्रश्न

कुछ समय पहले किसी गुजराती पत्र-प्रेषकने 'नवजीवन'में अक पत्र भेजा था, जिसमें अन्होंने मुझे सलाह दी थी कि मैं 'नवजीवन'को देवनागरी लिपिमें छपवाऊँ । अुद्देश्य यह था कि मैं अपने अिस विश्वासको दृश्य स्वरूप दे दूँ कि भारतके लिअे अेक ही लिपिका होना आवश्यक है । सचमुच मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि भारतकी तमाम भाषाओंके लिअे अेक ही लिपिका होना फ़ायदेमन्द है, और वह लिपि देवनागरी ही हो सकती है । तथापि मैं पत्र-प्रेषककी सलाह पर अमल नहीं कर सका । 'नवजीवन'में मैं अिसके कारण दे चुका हूँ ।* यहाँ अन्हें दोहरानेकी जरूरत नहीं है । पर अिसमें सन्देह नहीं कि हमें अिस विचारके प्रचारको और ठोस काम करनेके मौक़ेको, जो अिस महान् देश-जागृतिके

* 'नवजीवन' पु० ८, पृ० ३३९में दिअे गये कारण नीचेके अवतरणसे मालुम होंगे —

“अगर 'नवजीवन'के पाठकोंका बहुत बड़ा भाग देवनागरी लिपिमें छपे 'नवजीवन'को पसन्द करे, तो मैं 'नवजीवन'को देवनागरीमें छापनेकी चर्चा साथियोंसे तुरन्त करूँ । पाठकोंकी राय जाने बिना पहल करनेकी मेरी हिम्मत नहीं ।

अिन प्रश्नों पर मैंने वर्षों विचार किया है, और जिन्हें मैं अतिशय महत्त्वके मानता हूँ, अुनके प्रचारको अेक लिपिके प्रचारके मुक्ताबले मैं ज़्यादा महत्त्व-पूर्ण समझता हूँ । 'नवजीवन'ने बहुतसे साहस किये हैं, लेकिन वे सब मौलिक सिद्धान्तोंके सिलसिलेमें थे । देवनागरी लिपिके लिअे मैं 'नवजीवन'के प्रचारकी हानि पहुँचानेका साहस न करूँगा ।

'नवजीवन'के पढ़नेवालोंमें बहुतसी बहनें हैं, कभी पारसी हैं, कभी मुसलमान हैं । मुझे डर है कि अिन सबके लिअे देवनागरी लिपि असम्भव नहीं, तो कठिन अवश्य होगी । अगर मेरा यह अनुमान सही हो, तो मैं 'नवजीवन'को देवनागरीमें नहीं छाप सकता । चूँकि देवनागरी लिपिका प्रचार मेरा खास विषय नहीं है, अिसलिअे मैं सोचता हूँ कि अुसमें पहल करनेकी जोखिम मैं नहीं अुठा सकता । 'नवजीवन'को देवनागरीमें छापनेके बाद भी 'हिन्दी नवजीवन'की जरूरत तो रहेगी ही । अुसके पाठक गुजराती नहीं समझ सकते ।”

कारण हमें प्राप्त हुआ है, अपने हाथसे खोना न चाहिये । जिसमें शक नहीं कि हिन्दू-मुस्लिम पागलपन पूर्ण सुधारके मार्गमें अेक महान् विग्रह है । पर जिसके पहले कि देवनागरी भारतकी अेकमात्र लिपि हो जाय, हमें हिन्दू भारतको जिस कल्पनाके पक्षमें कर लेना चाहिये कि तमाम संस्कृत-जन्य और द्राविड भाषाओंके लिअे अेक ही लिपि हां । जिस समय बंगालके लिअे बँगाली, पंजाबके लिअे गुरुमुखी, सिन्धके लिअे सिन्धी, अुत्कलके लिअे अुडिया, गुजरातके लिअे गुजराती, आन्ध्र देशमें तेलगू, तामिलनाडमें तामिल, केरलमें मलयाली और कर्नाटकमें कन्नड लिपि है । मैं बिहार की कैथी और दक्षिणकी मोड़ीको तो छोड ही देता हूँ । यदि तमाम व्यवहार्य और राष्ट्रीय कामोंके लिअे अिन सब लिपियोंके स्थानपर देवनागरीका अुपयोग होने लग जाय, तो वह अेक भारी प्रगति होगी । अुससे हिन्दू-भारत सुदृढ हो जायगा, और भिन्न-भिन्न प्रान्त अेक-दूसरेके अधिक निकट आ जायेंगे । वह प्रत्येक भारतीय, जिसे भारतकी भिन्न-भिन्न भाषाओंका तथा लिपियोंका ज्ञान है, अपने अनुभवसे जानना है कि नवीन लिपिको भलीभाँति सीखनेमें कितनी देर लगती है । जिसमें सन्देह नहीं कि देश-प्रेमके लिअे कोअी बात कठिन नहीं है । और भिन्न-भिन्न लिपियोंका, जिनमें कुछ तो बहुत ही सुन्दर हैं, अभ्ययन करनेमें जो समय लगता है, वह भी व्यर्थ नहीं जाता । परन्तु जिस त्यागकी आशा हम करोड़ोंसे नहीं कर सकते । राष्ट्रीय नेताओंको चाहिये कि वे अिन करोड़ोंके लिअे जिस कामको आसान करके रखें । जिसलिअे हमें अेक अैसी सर्व-सामान्य लिपिकी ज़रूरत है, जो जल्दी-से-जल्दी सीखी जा सके । और, देवनागरीके समान सरल, जल्दी सीखने योग्य और तैयार लिपि दूसरी कोअी है ही नहीं । जिस कामके लिअे भारतमें अेक सुसंगठित संस्था भी थी — शायद अब भी है । मुझे पता नहीं कि आजकल वह क्या कर रही है । परन्तु यदि यह काम करना अमीष्ट है, तो या तो अुसी पुरानी संस्थाको मज़बूत बना देना चाहिये, या अुसी कामके लिअे अेक नवीन संस्थाका निर्माण कर लेना चाहिये । जिस हलचलको राष्ट्र-भाषा हिन्दीके प्रचारके साथ नहीं जोडना चाहिये । जिसमें तो गड़बड़ी हो जायगी । यह दूसरा काम धीरे-धीरे, किन्तु अच्छी तरह

हो ही रहा है । अेक लिपि अेक भाषाके प्रचारको बहुत आसान कर देगी । पर दोनोंके काम अेक निश्चित हृद तक ही साथ-साथ चल सकते हैं । हिन्दी या हिन्दुस्तानीके प्रचारका अुद्देश्य यह कदापि नहीं कि वह प्रान्तीय भाषाओंका स्थान ग्रहण कर ले । यह तो अुनकी सहायताके लिअे और अन्तर्प्रान्तीय कामोंके लिअे है । जबतक हिन्दू-मुसलिम वैमनस्य कायम रहेगा, तबतक अुसका रूप द्विविध होगा । वह कहीं तो फ़ारसी लिपिमें लिखी जायगी, और अुसमें फ़ारसी और अरबी शब्दोंकी प्रधानता होगी । कहीं वह देवनागरी लिपिमें लिखी जायगी, और तब अुसमें संस्कृत शब्दोंकी बहुतायत होगी । जब दोनोंके हृदय अेक हो जायँगे, तब अेक ही भाषाके ये दोनों रूप भी अेक हो जायँगे । और अुसके अुस सर्व-सामान्य रूपमें संस्कृत, फ़ारसी, अरबी वगैरा वे सभी शब्द होंगे, जो अुसके पूर्ण विकास और विचार-प्रकाशनके लिअे आवश्यक होंगे ।

परन्तु भिन्न-भिन्न प्रान्तोंकी भाषाओंका अध्ययन करनेमें लोगोंको कठिनायी न हो, अिसके लिअे ज़रूर ही अेक लिपिके प्रचारका यह अुद्देश्य है कि वह दूसरी तमाम लिपियोंका स्थान ग्रहण कर ले । अिस अुद्देश्यको पूर्ण करनेका सबसे बढ़िया तरीक़ा यह है कि तमाम शालाओंमें हिन्दुओंके लिअे देवनागरीका पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाय, जैसे कि गुजरातमें किया जाता है, और दूसरे, भिन्न-भिन्न भारतीय भाषाओंका महत्त्वपूर्ण साहित्य देवनागरीमें छापना शुरू कर दिया जाय । कुछ हृद तक यह प्रयत्न किया भी गया है । मैंने देवनागरी लिपिमें छपी 'गीतांजलि' देखी है । पर यह प्रयत्न बहुत बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिये, और अैसी पुस्तकोंके प्रकाशनके लिअे प्रचार होना चाहिये । यद्यपि मैं जानता हूँ कि हिन्दुओं और मुसलमानोंको अेक-दूसरेके नज़दीक लानेके लिअे विधायक सूचनायें करना वर्त्तमान समयके रंगढंगके प्रतिकूल है, तथापि मैं जिस बातको अिन स्तम्भोंमें और अन्यत्र कभी मरतबा कह चुका हूँ, अुसे फिर यहाँ दोहराये बिना नहीं रह सकता कि यदि हिन्दू अपने मुसलमान भाअियोंके निकट आना चाहते हैं, तो अुन्हें अुर्दू पढ़नी ही चाहिये, और हिन्दू भाअियोंके निकट आनेकी अिच्छा रखनेवाले मुसलमानोंको भी हिन्दी ज़रूर सीख लेनी चाहिये । हिन्दू और मुसलमानोंकी सच्ची अेकतामें अिनका विश्वास है,

वे पारस्परिक द्वेषके अिन भयंकर दृश्योंको देखकर चिन्तित न हों । यदि अुनका विश्वास सच्चा है, तो वह जहाँ-जहाँ सम्भव होगा, वहाँ-वहाँ अुन्हें ऋर ही मौका मिलनेपर सहिष्णुता, प्रेम और अेक-दूसरेके प्रति सौजन्ययुक्त कार्य करनेके लिअे पहले प्रेरित करेगा । और, अेक-दूसरेकी भाषा सीखना तो अिस मार्गमें सबसे पहली बात है । क्या हिन्दुओंके लिअे यह अच्छा नहीं कि वे भक्त-हृदय मुसलमानोंके द्वारा अधिकार-युक्त वाणीमें लिखी किताबोंको पढ़ें, और यह जाने कि वे कुरान और पैगम्बर साहबके विषयमें क्या लिखते हैं ? अुसी प्रकार क्या मुसलमानोंके लिअे भी यह अच्छा नहीं कि अधिकारी भक्त हिन्दुओं द्वारा लिखी धार्मिक पुस्तकोंको पढ़कर वे यह जान लें कि गीता और श्रीकृष्णके बारेमें हिन्दुओंके क्या खयाल हैं, बनिस्वत अिसके कि दोनों पक्ष अुन तमाम खराब बातोंको जाने, जो अेक-दूसरेकी धार्मिक पुस्तकों तथा अुनके प्रवर्तकोंके बारेमें अज्ञानियों और तोड़-मरोड़कर बात कहनेवालोंके ज़बानी कही जायँ ?*

(नवजीवन, २१-७-१९२७)

* यहाँ काँगड़ी गुरुकुलमें हुआ राष्ट्रीय शिक्षण-परिषद्के अध्यक्ष-पदसे दिये गये भाषणके नीचे लिखे विचार भी देखने योग्य हैं —

“संस्कृत सीखना हरअेक हिन्दुस्तानी विद्यार्थीका कर्तव्य है । हिन्दुओंका तो है ही, मुसलमानोंका भी है; क्योंकि आखिर अुनके बापदादा भी तो राम और कृष्ण ही थे, जिन्हें पहचाननेके लिअे अुन्हें संस्कृत जाननी चाहिये । परन्तु मुसलमानोंके साथ सम्बन्ध रखनेके लिअे अुनकी भाषा सीखना हिन्दुओंका भी फ़र्ज़ है । आज हम अेक-दूसरेकी भाषासे भागे फिरते हैं, क्योंकि हम पागल बन गये हैं । यह निश्चय समझिये कि जो संस्था आपसमें द्वेष और भय रखना सिखलाती है, वह राष्ट्रीय नहीं है ।”

(हिन्दी-नवजीवन, ३१-३-१९२७)

शिक्षामें राष्ट्र-भाषाका स्थान

१

“ बहुतसी राष्ट्रीय संस्थाओंमें आज भी मातृभाषा और हिन्दी भाषाकी अपेक्षा की जाती है । बहुतसे शिक्षक भी अभी तक मातृभाषाके या हिन्दुस्तानी के द्वारा पढ़ाने के महत्त्वको समझे नहीं हैं । खुशीकी बात है कि श्री गंगाधररावने राष्ट्रीय शिक्षामें दिलचस्पी लेनेवालोंकी अेक सभा बुलायी है । ”

(बेलगाँव काँग्रेसके भाषणसे । न० जी०, २६-१२-'२४)

२

यह भी समयका ही अेक चिह्न है कि सर टी० विजय राघवाचारियर ट्रिप्लीकेन, मद्रासके हिन्दू हाजीस्कूलमें ‘ भारतीय शिक्षामें हिन्दीका स्थान ’ विषयपर भाषण दें ! जिससे यह भी सिद्ध होता है कि पिछले सात वर्षोंसे मद्रासमें हिन्दी-प्रचार-कार्यालय जो प्रचार-कार्य कर रहा है, उसका असर हो रहा है । वक्ताको यह दिखलानेमें कोअी मुश्किल नहीं हुआ कि हिन्दुस्तानके तीस करोड़ आदमियोंमें १२ करोड़ हिन्दी बोलते हैं, और दूसरे ८ करोड़ उसे समझ लेते हैं, तथा संसारकी सबसे अधिक बोली जानेवाली भाषाओंमें हिन्दीका तीसरा स्थान है; और यह बात ‘ जिसका काफ़ी सबल कारण है कि सब कोअी हिन्दी सीख लें ’ । विद्वान् वक्ताका यह खयाल सही है कि ‘ अच्छी हिन्दी सीखनेके लिअे कुल छह महीने काफ़ी होंगे ’ । उनका कहना है कि ‘ भारतीय शिक्षा-प्रणालीमें हिन्दीका आवश्यक स्थान होना चाहिये । स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयोंमें हिन्दी अेक अनिवार्य विषय होना चाहिये ’ । अन्तमें उन्होंने यह कहकर अपना भाषण समाप्त किया — “ हम लोग अधीर भावसे उस दिनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब हम अपनेको पहले हिन्दुस्तानी और बादमें बंगाली या मद्रासी मानेंगे । ”

अगर हम अधिक संख्यामें हिन्दी सीखने लगेँ—और जिस सम्बन्धमें हम मद्रासियोंका क्रसूर सबसे बड़ा है—तो वह दिन और भी जल्द आयेगा।” हिन्दी-प्रचार-कार्यालय दक्षिणवालोंको हिन्दी सीखनेकी सभी सुविधायें देता है। अगर सचमुच ही हमें हिन्दुस्तानके लिये वैसा प्यार हो, जैसा अपने-अपने प्रान्तोंके लिये है, तो हम बहुत जल्दी हिन्दी सीख लेंगे, और अपनी लोकप्रिय सभा यानी कांग्रेसकी महासमितिके लिये यह मद्द्द एड्युकेटिड फिर कमी उपस्थित न होने देंगे कि वहाँ उसकी पूरी नहीं, तो अधिकतर कार्रवाही अंग्रेज़ीमें ही होती रहे। जो बात मैंने अनेक बार कही है, उसे यहाँ फिर दुहराता हूँ कि मैं हिन्दीके ज़रिये प्रान्तीय भाषाओंका दबाना नहीं चाहता, किन्तु उनके साथ हिन्दीको भी मिला देना चाहता हूँ, जिससे एक प्रान्त दूसरेके साथ अपना सजीव सम्बन्ध जोड़ सके। जिससे प्रान्तीय भाषाओंके साथ हिन्दीकी भी श्री-वृद्धि होगी।
(नवजीवन, २३-८-१९२८)

१२

कराची महासभाका प्रस्ताव

१

[कराची कांग्रेसने स्वराज्यमें नागरिकोंके बुनियादी हकोंका जिक्र करनेवाला जो प्रस्ताव पास किया गया था, उसमेंसे संस्कृति, धर्म, भाषा, लिपि वगैरहसे ताल्लुक रखनेवाला हिस्सा नीचे दिया है—]

“ जिस महासभाकी राय है कि महासभाकी कल्पनाके स्वराज्यका आम रिआयके लिये क्या अर्थ होगा, जिस बातका उसे खयाल हो सके, जिसके लिये महासभाकी स्थितिका बयान जैसे ढंगसे करना ज़रूरी है, जिसे लोग आसानीसे समझ सकें। जिसलिये महासभा यह घोषणा करती है कि उसकी ओरसे जो कोई भी शासन-विधान क्रबूल किया जाय, उसमें अितनी बातोंका समावेश होना चाहिये अथवा स्वराज्य-सरकारको उसका अमल करनेकी शक्ति मिलनी चाहिये—

१. प्रजाके मौलिक स्वत्त्व, जिनमें नीचे लिखे होने ही चाहियें —
- (क) अन्तरात्माका अनुसरण करनेकी और सार्वजनिक अमन-क्रानून और सदान्वारमें बाधक न होनेवाले धार्मिक विश्वास और आचरणकी स्वतंत्रता ।
- (ख) अल्पमतवाली क्रौमोंकी संस्कृति, भाषा और लिपियोंकी रक्षा ।
- (ग) किसी भी नागरिकको अुसके धर्म, जाति-पाँति, विश्वास या लिंग-भेदके कारण सार्वजनिक नौकरीमें, सत्ता या सम्मानके पदोंमें, और किसी भी व्यापार अथवा धन्धेमें किसी प्रकारकी रुकावटका अभाव ।
२. धर्मके विषयमें सरकारकी निष्पक्षता ।

२

[अिस प्रस्तावपर बोलते हुअे गांधीजीने अपूर दिये गये विषयोंका नीचे लिखे मुताबिक जिक्र किया था —]

अिस प्रस्तावमें कहा है कि अल्पमतवाली क्रौमोंकी भाषा और लिपिकी रक्षा की जायगी । मुसलमान मानते हैं कि अुनकी सभ्यता कुछ निराली है, यद्यपि मेरी निगाहमें तो हिन्दी और अुर्दू दोनों सभ्यतायें समान हैं । कुरान और महाभारतमें मुझे तो जुदा-जुदा चीज़ नहीं मिलती, अेक ही चीज़ मिलती है । पर चूँकि मुसलमान अपनी तहज़ीबको निराली चीज़ मानते हैं, अिसलिअे हम सहिष्णुता सीखें, आत्म-निरीक्षण सीखें, यानी हम मुसलमानोंकी खातिर अुर्दू सीखनेका प्रयत्न करें, लिपि भी जानें । स्वराज्य मिलनेपर जब हम अिसका क़ानून बनावें, तब यह स्वाभाविक हो जाय, अिसके लिअे आज ही अिस बातको हम अपने दिलमें समझ लें ।

(नवजीवन, ५-४-'३१)

दक्षिणमें हिन्दी-प्रचार

तामिलनाडू परिषद्के साथ ही हिन्दी-प्रचार-परिषद्का भी होना एक सुलक्षण था । दक्षिण-भारतके लोगोंने अगले साल जैसे प्रतिनिधि भेजनेका वादा किया है, जो हिन्दी बोल और समझ सकते हों । अगर हम बनावटी वातावरणमें न रहते होते, तो दक्षिणवासी लोगोंको न तो हिन्दी सीखनेमें कोअी कष्ट मालूम होता, और न व्यर्थताका अनुभव ही होता । हिन्दी-भाषी लोगोंको दक्षिणकी भाषा सीखनेकी जितनी ज़रूरत है, उसकी अपेक्षा दक्षिणवालोंको हिन्दी सीखनेकी आवश्यकता अवश्य ही अधिक है । सारे हिन्दुस्तानमें हिन्दी बोलने और समझनेवालोंकी संख्या दक्षिणकी भाषा बोलनेवालोंसे दुगुनी है । प्रान्तीय भाषा या भाषाओंके बदलेमें नहीं, बल्कि उनके अलावा, एक प्रान्तका दूसरे प्रान्तसे सम्बन्ध जोड़नेके लिये एक सर्व-सामान्य भाषाकी आवश्यकता है । ऐसी भाषा तो हिन्दी या हिन्दुस्तानी ही हो सकती है । कुछ लोग, जो अपने मनसे सर्व-साधारणका खयाल ही भुला देते हैं, अंग्रेज़ीको हिन्दीकी बराबरीसे चलनेवाली ही नहीं, बल्कि एकमात्र शक्य राष्ट्रभाषा मानते हैं । परदेशी जुआकी मोहिनी न होती, तो इस बातकी कोअी कल्पना भी न करता । दक्षिण-भारतकी सर्व-साधारण जनताके लिये, जिसे राष्ट्रीय कार्यमें ज्यादा-से-ज्यादा हाथ बँटाना होगा, कौनसी भाषा सीखना आसान है — जिस भाषामें अपनी भाषाओंके बहुतेरे शब्द एक-से हैं, और जो अन्हें एकदम लगभग सारे अुत्तरीय हिन्दुस्तानके सम्पर्कमें लाती है, वह हिन्दी, या मुद्दीभर लोगों द्वारा बोली जानेवाली सब तरह विदेशी अंग्रेज़ी ? इस पसन्दका सच्चा आधार मनुष्यकी स्वराज्य-विषयक कल्पनापर निर्भर है । अगर स्वराज्य अंग्रेज़ी बोलनेवाले भारतीयोंका, अुन्हींके लिये होनेवाला हो, तो निस्सन्देह अंग्रेज़ी ही राष्ट्रभाषा होगी । लेकिन अगर स्वराज्य करोड़ों भूखों मरनेवालों, करोड़ों निरक्षरों, निरक्षर बहनों और दलितों व अन्यजोंका हो, और जिन सबके लिये होनेवाला हो, तो हिन्दी ही एकमात्र राष्ट्रभाषा हो सकती है ।

अिसलिये जो मेरे साथ विचार करनेवाले हैं, वे पिछले बारह वर्षोंके व्यवस्थित प्रचार-कार्यके फलस्वरूप हिन्दीने जो महान् प्रगति की है, अिसकी रिपोर्टका स्वागत ही करेंगे—

हिन्दी सीखना शुरू करनेवाले	४,००,०००
हिन्दीका काम-चलायु ज्ञान प्राप्त करनेवाले	२,५०,०००
हिन्दीकी परीक्षाओंमें सम्मिलित होनेवाले	११,०००
परीक्षाओंमें पास होनेवाले	१०,०००
हिन्दी-प्रचार-सभाके छापाखानेमें छापी गयी पाठ्य-पुस्तकें	३,००,०००
अिनमेंसे बिकी हुयी पुस्तकें	२,५०,०००
प्राकाशित पुस्तकोंके प्रकार	३५

(अिन सब पुस्तकोंके अनेक और अिनमेंसे अेकके १२ संस्करण हो चुके हैं)

वे केन्द्र, जहाँ आजतक हिन्दी सिखायी गयी है	४६०
आजकल चालू केन्द्र (कुल)	१५०
सीधी देख-रेखमें चलनेवाले केन्द्र	२५
फरवरी १९३०में जिन केन्द्रोंमें परीक्षा ली गयी	११३
शिक्षा-प्राप्त शिक्षक	२५०
आजतक अेकत्र किया हुआ और खर्च किया गया द्रव्य	रु० २,५०,०००
अुत्तरीय-भारतसे प्राप्त	रु० १,५५,०००
दक्षिण-भारतसे प्राप्त	रु० ९५,०००

हम आशा रखें कि वर्तमान मंगलवर्षमें अिस प्रगतिका वेग और भी बढ़ेगा, और अिसके लिये आवश्यक तमाम धन दक्षिणसे ही मिल जायगा । राष्ट्रभाषा सीखने और भारतवर्षकी अखण्ड तथा अेकरूप बनानेके लिये दक्षिणभारतकी अुत्कण्ठाकी यह अेक कसौटी होगी ।

अगला कदम

[सन् १९१८में बिन्दौरके हिन्दी साहित्य-सम्मेलनके ८वें अधिवेशनके बाद गांधीजीने दक्षिण-भारतमें राष्ट्रभाषा-प्रचारका काम शुरू किया। भूपुरके लेखसे हमें उसके श्रुतम फलोंका कुछ परिचय मिला। ता० २०-४-१५को बिन्दौरमें सम्मेलनका २४वाँ अधिवेशन हुआ, और गांधीजी दूसरी बार उसके सभापति बने। सभापतिके नाते उन्होंने अपने भाषणमें आगेके कामकी रूपरेखा पेश की। १९१८की तरह १९३५में राष्ट्रभाषा-प्रचारके कामका एक नया अध्याय शुरू हुआ। सभापति-पदसे दिया गया गांधीजीका समूचा भाषणका भिंसीका सचक है।]

अश्वरकी गति गहन है। अक्टूबर माससे मैं इस बोझको टाल रहा था। यह पद पूजनीय मालवीयजी महाराजका था। पर उनका स्वास्थ्य बिगड़ जानेके कारण, और चूँकि उनको विदेश जाना था, इसलिये उन्होंने त्याग-पत्र भेजा। दूसरा सभापति चुननेमें आपको कुछ मुसीबत थी। मेरा नाम तो स्वागत-समितिके सामने था ही। मुझे जब स्वागत-समितिका संकट बताया गया, तो मैं विवश हो गया और पद-ग्रहण करना स्वीकार कर लिया।

स्वीकृति देनेका मेरे लिये अन्य कारण तो था ही। गत वर्ष मेरे पास इस अधिवेशनके सभापतित्वका प्रस्ताव आया, तब मैंने दक्षिण भारत-हिन्दी-प्रचारके लिये दो लाख रुपये माँगे। भला आजकल दो लाख इस कामके लिये कौन दे?—‘हाँ, हम प्रयत्न करेंगे। आपके पद स्वीकार करनेसे सफल होंगे’—समितिकी ऐसी बातोंमें फँस जाऊँ, ऐसा भोला मैं कब था? मैंने तो दो लाखकी गारण्टी माँगी। मैंने समझा कि इसपर मित्रोंने मुझे छोड़ दिया।

लेकिन अश्वरको दूसरी ही बात करनी थी। उसे मेरी मारफ़्त हिन्दी-प्रचारकी कुछ और सेवा लेनी थी। मालवीयजी महाराज न आ सके। उनको अश्वर शतायु करे। मैंने आपके अधिवेशनों की रिपोर्ट कुछ अंशोंमें देखी है। सबसे पहला अधिवेशन सन् १९१०में हुआ था। उसके सभापति मालवीयजी महाराज ही थे। उनसे बढ़कर

हिन्दी-प्रेमी भारतवर्षमें हमें कहीं नहीं मिलेंगे। कैसा अच्छा होता, यदि वे आज भी अिस पदपर होते। उनका हिन्दी-प्रचार-क्षेत्र भारत-व्यापी है; उनका हिन्दी ज्ञान अत्कृष्ट है।

मेरा क्षेत्र बहुत मर्यादित है। मेरा हिन्दी भाषाका ज्ञान नहींके बराबर है। आपकी प्रथमा परीक्षामें मैं अुत्तीर्ण नहीं हो सकता हूँ। लेकिन हिन्दी भाषाका मेरा प्रेम किसीसे कम नहीं ठहर सकता है। मेरा क्षेत्र दक्षिणमें हिन्दी-प्रचार है। सन् १९१८ में जब आपका अधिवेशन यहाँ हुआ था, तबसे दक्षिणमें हिन्दी-प्रचारके कार्यका आरम्भ हुआ है। वह कार्य तबसे अुत्तरोत्तर बढ़ ही रहा है। धनाभावके कारण वह रुकना नहीं चाहिये। पं० हरिहर शर्मा धनके लिये मुझे नित्य सताते हैं। उनसे मैं कहता हूँ कि 'अब मुझे मत सताओ। दक्षिणसे ही आपको पैसे मिलने चाहियें। अितना भी करनेकी शक्ति यदि आपमें नहीं है, तो आप अपना प्रयत्न निष्फल समझिये।' कहनेको तो मैं यह कह देता हूँ; पर अितनी बड़ी संस्थाको २१ वर्षतक नाबालिग रहनेका भी तो हक होना चाहिये। अिसलिये जब मौक़ा आया तब मैंने दो लाखकी माँग की। अितना द्रव्य अधिक भी नहीं है। लेकिन जो सज्जन मेरे पास आये, अुन्होंने रूअीके दाम अेक दम गिर जानेसे दो लाखके लिये अपनी असमर्थता प्रगट की। बात भी ठीक थी। जमनालालजीने भी अुन भाअियोंका पक्ष लिया। मैंने भी हार मान ली, और अेक लाखकी शर्त क़बूल कर ली। अब किसी-न-किसी तरहसे, पर सचाअी के साथ, आपको मुझे अेक लाख देना है।

आप पूछ सकते हैं कि केवल दक्षिण ही में हिन्दी प्रचारके लिये क्यों ? मेरा अुत्तर यह है कि दक्षिण-भारत कोअी छोटा मुल्क नहीं है। वह तो अेक महाद्वीप-सा है। वहाँ चार प्रान्त और चार भाषायें हैं—तामिल, तेलगू, मलयाली और कानड़ी। आबादी क़रीब सवा सात करोड़ है। अितने लोगोंमें यदि हम हिन्दी-प्रचारकी नींव मज़बूत कर सकें, तो अन्य प्रान्तोंमें बहुत ही सुभीता हो जायगा।

यद्यपि मैं अिन भाषाओंको संस्कृतकी पुत्रियाँ मानता हूँ, तो भी ये हिन्दी, अुडिया, बंगला, आसामी, पंजाबी, सिन्धी, मराठी, गुजरातीसे

भिन्न हैं। उनका व्याकरण हिन्दीसे बिलकुल भिन्न है। उनको संस्कृतकी पुत्रियाँ कहनेसे मेरा अभिप्राय अतना ही है कि उन सबमें संस्कृत शब्द काफ़ी हैं, और जब संकट आ पड़ता है, तब ये संस्कृत-माता को पुकारती हैं, और नये शब्दोंके रूपमें उसका दूध पीती हैं। प्राचीन कालमें भले ही ये स्वतंत्र भाषायें रही हों; पर अब तो ये संस्कृतसे शब्द लेकर अपना गौरव बढ़ा रही हैं। उसके अतिरिक्त और भी तो कभी कारण उनको संस्कृतकी पुत्रियाँ कहनेके हैं, पर उन्हें इस समय जाने दीजिये।

दक्षिणमें हिन्दी-प्रचार सबसे कठिन कार्य है। तथापि अठारह वर्षोंसे हम व्यवस्थित रूपमें वहाँ जो कार्य करते आये हैं, उसके फल-स्वरूप उन वर्षोंमें छह लाख दक्षिणवासियोंने हिन्दीमें प्रवेश किया। ४२,००० परीक्षामें बैठे, ३२०० स्थानोंमें शिक्षा दी गयी, ६०० शिक्षक तैयार हुये, और आज ४५० स्थानोंमें कार्य हो रहा है। सन् १९३१से स्नातक-परीक्षाका भी आरम्भ हुआ, और आज स्नातकोंकी संख्या ३०० है। वहाँ हिन्दीकी ७० किताबें तैयार हुईं, और मद्रासमें उनकी आठ लाख प्रतियाँ छपीं। सत्रह वर्ष पूर्व दक्षिणके एक भी हाजीस्कूलमें हिन्दीकी पढ़ाई नहीं होती थी, पर आज सत्तर हाजीस्कूलोंमें हिन्दी पढ़ाई जाती है। सब मिलाकर वहाँ ७० कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, और आजतक जिस प्रयास में चार लाख रुपया खर्च हुआ है, जिसमेंसे आधेसे कुछ कम रुपये दक्षिणमें ही मिले हैं। यहाँ एक और बात कह देना ज़रूरी है। काका साहब अपने निरीक्षणके बाद कहते हैं कि दक्षिणमें बहनोंने हिन्दी-प्रचारके लिये बहुत काम किया है। वे जिसकी महिमा समझ गयी हैं। वे यहाँतक हिस्सा ले रही हैं कि कुछ पुरुषोंको यह फ़िक्र लग रही है कि यदि स्त्रियाँ जिस तरह अद्यमी बनेंगी, तो घर कौन सँभालेगा ?

क्या अतनी प्रगति सन्तोषजनक नहीं मानी जा सकती ? क्या जैसे वृक्षको हमें और भी न बढ़ाना चाहिये ? आज जब कि मुझे यह स्थान दिया गया है, तब भी मैं जिस संस्थाको चिरस्थायी बनानेका यत्न न करूँ, तो मेरे-जैसा मूर्ख कौन माना जा सकता है ? मुझको दुबारा यह पद लेनेका कुछ भी अधिकार है, तो सिर्फ़ मेरे दक्षिण-हिन्दी-प्रचारके कारण ही।

भले ही उस कार्यमें मैंने कोअी पद लेकर काम न किया हो; पर हर हालतमें उस वृक्षको सींचनेमें तो मैंने काफ़ी हिस्सा लिया ही है। उसके संरक्षक श्री जमनालाल बजाज, श्री राजगोपालाचारी, श्री रामनाथ गोयनका, श्री पद्मभि सीतारामैया और श्री हरिहर शर्मा हैं। उसका कौड़ी-कौड़ीका हिसाब रक्खा गया है, जो समय-समयपर प्रकाशित होता रहता है।

मैंने आपको जिस संस्थाका अज्ज्वल पक्ष ही दिखाया है। जिसका यह मतलब नहीं है कि जिसका काला पक्ष है ही नहीं।

“जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार।

सन्त हंस गुण गहर्हि पय, परिहरि वारि-विकार ॥”

निष्फलता भी काफ़ी हुअी है। सब कार्यकर्ता अच्छे ही निकले, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। यदि सब कार्य आरम्भसे अन्ततक अच्छा ही रहता, तो अवश्य ही और भी सुन्दर परिणाम आ सकता था। पर जितना तो कहा ही जा सकता है कि यदि अन्य प्रान्तोंके हिन्दी-प्रचारसे जिसकी तुलना की जाय, तो यह काम अद्वितीय ठहरेगा।

रही एक लाखके व्यय की बात! क्या यह व्यय सम्मेलनके प्रयागस्थ केन्द्रसे होना आवश्यक नहीं है? यदि ऐसा न किया गया, तो क्या जिससे सम्मेलनका अपमान नहीं होगा?—जिन प्रश्नोंके उत्तरमें मेरा नम्र निवेदन यह है कि जिसमें अपमानकी कोअी बात नहीं है। सम्मेलन न होता, तो दक्षिण भारत-हिंदी-प्रचार-सभा भी न होती। सन् १९१८में जिसी शहरमें, जिसी सम्मेलनकी छायामें, जिस संस्थाका शुद्भव हुआ। बादके अतिहासमें जाना अनावश्यक है। अंतमें जिस संस्थाको सम्मेलनने स्वतंत्र कर दिया, या यों कहिये कि ‘डोमीनियन स्टेटस’ दे दिया। जिससे सम्मेलनका गौरव बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ। यदि सम्मेलनसे सम्बन्धित सब संस्थायें स्वावलम्बी बन जायँ, तो जिससे ज्यादा हर्षकी बात सम्मेलनके लिये कौनसी हो सकती है? आपसे जो एक लाख रुपयेकी भिक्षा माँगी जा रही है, वह जिस स्वतंत्र संस्थाके लिये है। उसको भी झण्डा तो सम्मेलनका ही फहराना है!

पर तब यह प्रश्न खुठ सकता है कि क्या अन्य प्रान्तोंकी बात छोड़ दी जाय ? क्या अन्य प्रान्तोंमें हिन्दी-प्रचारकी आवश्यकता नहीं है ? अवश्य है । मुझे दक्षिणका पक्षपात नहीं है, और न अन्य प्रान्तोंसे द्वेष ! मैंने अन्य प्रान्तोंके लिये भी काफ़ी प्रयत्न किया है; लेकिन कार्यकर्त्ताओंके अभावके कारण वहाँ अितनी क्या, थोड़ी भी सफलता नहीं मिल सकी । बेचारे बाबा राघवदास शुत्कल, बंगाल और आसाममें हिन्दी-प्रचारके लिये अधिक प्रयत्न कर रहे हैं । कुछ सफलता भी मिली है, लेकिन खुसे नहींके बराबर ही मानना चाहिये । जो कुछ भी सहायता मैं खुनको दिला सकता था, वह दिलानेकी चेष्टा भी मैंने की है । बाबाजीकी मारफ़त आसाममें गोहाटी, जॉरहट, शिबसागर और नौगाँवमें प्रयत्न हो रहा है । वहाँ १६० विद्यार्थी पढ़ रहे हैं । दो छात्रों और दो छात्राओंको छात्रवृत्ति देकर काशी-विद्यापीठ और प्रयाग-महिला-विद्यापीठमें पढ़ाया जा रहा है । एक आसामी भाभी बरहज (गोरखपुर)में हिन्दी पढ़ रहे हैं, और वहाँ-वालोंको आसामी पढ़ा रहे हैं । आसामके प्रतिष्ठित लोग जिस प्रचार-कार्यमें कम रस लेते हैं । जो मदद बाबाजीको मिली भी है, वह एक ही वर्षके लिये है ।

शुत्कलमें कटक, पुरी और बरहमपुरमें कुछ प्रयत्न हो रहा है । शुत्कलके बारेमें एक बड़ी आशाजनक बात यह है कि श्री गोपबन्धु चौधरी और खुनकी धर्मपत्नी श्री रमादेवी हिन्दी-प्रचारमें बहुत दिलचस्पी लेती हैं । अपने परिवारको भी खुन्होंने हिन्दीका काफ़ी ज्ञान प्राप्त करा दिया है । वे सब आजकल एक देहातमें रहते हुअे अैसी ही क्रियात्मक सेवा कर रहे हैं । अैसे ही कुछ दूसरे भी त्यागी कार्यकर्त्ता शुत्कलमें हैं । जिसलिये शुत्कलमें हिन्दी-प्रचारकी आशा अवश्य रखी जा सकती है ।

बंगालमें तो एक समिति भी बन गयी थी, सब कुछ हुआ था, हिन्दीपर प्रेम रखनेवाले बंगाली भी काफ़ी हैं । श्री रामानन्द बाबू श्री बनारसीदास चतुर्वेदीकी मददसे 'विशाल भारत' निकाल रहे हैं । यह कोअी छोटी बात नहीं है । कलकत्तेमें हिंदी-प्रेमी मारवाड़ी सज्जन भी कम नहीं हैं । तो भी बंगालमें जितना कुछ हो रहा है, वह बहुत ही कम समझा जाना चाहिये ।

पंजाबकी बात में छोड़ देता हूँ, क्योंकि पंजाबमें तो शुद्ध सब समझते हैं। वहाँ तो केवल लिपिकी बात रह जाती है। जिस प्रश्नपर विचार करनेके लिये काका साहबकी अध्यक्षतामें लिपि-परिषद् हो रही है, जिसलिये मैं जिस बारेमें कुछ नहीं कहना चाहता। अब रहे सिन्ध, महाराष्ट्र, और गुजरात। जिन तीनों प्रान्तोंमें जो कुछ हो रहा है, वह शायद ही अुल्लेख-योग्य हो। पर मुझे अुम्मीद है कि जिसी सम्मेलनमें हम वहाँके लिये भी कुछ-न-कुछ रचनात्मक कार्य करनेका निश्चय करेंगे।

सारी मुश्किल तो यह है कि सम्मेलनके अुद्देश्योंमें तो अन्य प्रान्तोंमें हिन्दी-प्रचार खासा स्थान रखता है, लेकिन मेरा यह कहना अनुचित न होगा कि सम्मेलनने जिस प्रचार-कार्य पर अुतना ज़ोर नहीं दिया है, जितना कि परीक्षाओं पर। मेरा निवेदन है कि जिस सम्मेलनमें हम जिस बारेमें ध्यानपूर्वक विचार करके जिस सम्बन्धमें कोभी स्पष्ट नीति प्रहण करें।

मेरी रायमें अन्य प्रान्तोंमें हिन्दी-प्रचार सम्मेलनका मुख्य कार्य बनना चाहिये। यदि हिन्दीको राष्ट्रभाषा बनाना है, तो प्रचार-कार्य सर्वव्यापी और सुसंगठित होना ही चाहिये। हमारे यहाँ शिक्षकोंका अभाव है। सम्मेलनके केन्द्रमें हिन्दी-शिक्षकोंके लिये अेक विद्यालय होना चाहिये, जिसमें अेक ओर तो हिन्दी प्रान्तवासी शिक्षक तैयार किये जायँ, और अुनको जिस प्रान्तके लिये वे तैयार होना चाहें, अुस प्रान्तकी भाषा सिखायी जाय, और दूसरी ओर अन्य प्रान्तोंके भी छात्रोंको भरती करके अुन्हें हिन्दीकी शिक्षा दी जाय। अैसा प्रयास दक्षिणके लिये तो किया भी गया था, जिसके फल-स्वरूप हमको पं० हरिहर शर्मा और हृषीकेश मिले।

आप जानते हैं कि मेरी सलाहसे काका साहब कालेलकर दक्षिणमें प्रचार-कार्यका निरीक्षण करने और पं० हरिहर शर्माको मदद देनेके लिये गये थे। अुन्होंने तामिलनाडु, मलाबार, त्रावणकोर, मैसूर, आन्ध्र और अुत्कल तक भ्रमण किया, हिंदी प्रेमियोंसे मिले, और कुछ चन्दा भी अिकट्टा किया। जिस भ्रमणमें अुनका अनुभव यह हुआ कि कुछ लोग अैसा समझते हैं कि हम प्रान्तीय भाषाओंको नष्ट करके हिंदीको सारे भारतवर्षकी

एकमात्र भाषा बनाने चाहते हैं। जिस गलतफ़हमीसे भ्रमित होकर वे हमारे प्रचारका विरोध करते हैं। मेरा खयाल है कि हमें जिस बारेमें अपनी नीति स्पष्ट करके ऐसी गलतफ़हमियाँ दूर करनी चाहियें। मैं हमेशासे यह मानता रहा हूँ कि हम किसी हालतमें भी प्रान्तीय भाषाओंको मिटाना नहीं चाहते। हमारा मतलब तो सिर्फ़ यह है कि विभिन्न प्रान्तोंके पारस्परिक सम्बन्धके लिये हम हिंदी भाषा सीखें। ऐसा कहनेसे हिन्दीके प्रति हमारा कोई पक्षपात नहीं प्रगट होता। हिन्दीको हम राष्ट्रभाषा मानते हैं। यह राष्ट्रीय होनेके लायक है। वही भाषा राष्ट्रीय बन सकती है, जिसे अधिक-संख्यक लोग जानते-बोलते हों, और जो सीखनेमें सुगम हो। ऐसी भाषा हिन्दी ही है, यह बात यह सम्मेलन सन् १९१० से बता रहा है, और जिसका कोई वज़न देने लायक विरोध आजतक सुननेमें नहीं आया है। अन्य प्रान्तोंने भी जिस बातको स्वीकार कर ही लिया है।—

काका साहबने कुछ लोगोंमें दूसरी गलतफ़हमी यह देखी कि वे समझते हैं कि हम हिन्दीको अंग्रेज़ी भाषाका स्थान देना चाहते हैं। कुछ तो यहाँतक समझते हैं कि अंग्रेज़ी ही राष्ट्रभाषा बन सकती है, और बन भी गयी है।

यदि हिन्दी अंग्रेज़ीका स्थान ले, तो कम-से-कम मुझे तो अच्छा ही लगेगा। लेकिन अंग्रेज़ी भाषाके महत्त्वको हम अच्छी तरह जानते हैं। आधुनिक ज्ञानकी प्राप्ति, आधुनिक साहित्यके अध्ययन, सारे जगतके परिचय, अर्थ-प्राप्ति, राज्याधिकारियोंके साथ सम्पर्क रखने और जैसे ही अन्य कार्योंके लिये हमें अंग्रेज़ी ज्ञानकी आवश्यकता है। जिच्छा न रहते हुअे भी हमको अंग्रेज़ी पढ़नी होगी। यही हो भी रहा है। अंग्रेज़ी अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है।

लेकिन अंग्रेज़ी राष्ट्रभाषा कभी नहीं बन सकती। आज जिसका साम्राज्य-सा ज़रूर दिखायी देता है। जिससे बचनेके लिये काफ़ी प्रयत्न करते हुअे भी हमारे राष्ट्रीय कार्योंमें अंग्रेज़ीने बहुत स्थान ले रक्खा है। लेकिन जिससे हमें जिस भ्रममें कभी न पड़ना चाहिये कि अंग्रेज़ी राष्ट्रभाषा बन रही है। जिसकी परीक्षा प्रत्येक प्रान्तमें हम आसानीसे कर सकते हैं। बंगाल अथवा दक्षिण-भारतको ही लीजिये, जहाँ अंग्रेज़ीका प्रभाव सबसे अधिक है। यदि वहाँ जनताकी मारफ़त हम कुछ भी काम

करना चाहते हैं, तो वह आज हिन्दी द्वारा भले ही न कर सकें, पर अंग्रेज़ी द्वारा तो कर ही नहीं सकते। हिन्दीके दो-चार शब्दोंसे हम अपना भाव कुछ तो प्रगट कर ही देंगे। पर अंग्रेज़ीसे तो अितना भी नहीं कर सकते। हाँ, यह अवश्य माना जा सकता है कि अबतक हमारे यहाँ एक भी राष्ट्रभाषा नहीं बन पायी है। अंग्रेज़ी राजभाषा है। असा होना स्वाभाविक भी है। अंग्रेज़ीका अिससे आगे बढ़ना मैं असम्भव समझता हूँ, चाहे कितना भी प्रयत्न क्यों न किया जाय। अगर हिन्दुस्तानको सचमुच एक राष्ट्र बनाना है, तो चाहे कोअी माने या न माने, राष्ट्रभाषा तो हिन्दी ही बन सकती है, क्योंकि जो स्थान हिन्दीको प्राप्त है, वह किसी दूसरी भाषाको कभी नहीं मिल सकता। हिन्दू-मुसलमान दांनोंको मिलाकर करीब बाअीस करोड़ मनुष्योंकी भाषा थोड़े-बहुत फेरफारसे हिन्दी-हिन्दुस्तानी ही है। अिसलिअे अुचित और सम्भव तो यही है कि प्रत्येक प्रान्तमें अुस प्रान्तकी भाषा, सारे देशके पारस्परिक व्यवहारके लिअे हिन्दी, और अन्तर्राष्ट्रीय अुपयोगके लिअे अंग्रेज़ीका व्यवहार हो। हिन्दी बोलनेवालोंकी संख्या करोड़ोंकी रहेगी, किन्तु अंग्रेज़ी बोलनेवालोंकी संख्या कुछ लाखसे आगे कभी नहीं बढ़ सकेगी। अिसका प्रयत्न भी करना जनताके साथ अन्याय करना होगा।

मैंने अभी 'हिन्दी-हिन्दुस्तानी' शब्दका प्रयोग किया है। सन् १९१८में जब आपने मुझको यही पद दिया था, तब भी मैंने यही कहा था कि हिन्दी अुस भाषाका नाम है, जिसे हिन्दू और मुसलमान कुदरती तौर पर बगैर प्रयत्नके बोलते हैं। हिन्दुस्तानी और अुर्दूमें कोअी फ़र्क नहीं है। देवनागरी लिपिमें लिखी जानेपर वह हिन्दी, और अरबीमें लिखी जानेपर अुर्दू कही जाती है। जो लेखक या व्याख्यानदाता चुन-चुनकर संस्कृत या अरबी-फ़ारसीके शब्दोंका ही प्रयोग करता है, वह देशका अहित करता है। हमारी राष्ट्रभाषामें वे सब प्रकारके शब्द आने चाहियें, जो जनतामें प्रचलित हो गये हैं। हर व्यापक भाषामें यह शक्ति रहती ही है। अिसीलिअे तो वह व्यापक बनती है। अंग्रेज़ीने क्या नहीं लिया है? लैटिन और ग्रीकसे कितने ही मुहावरे अंग्रेज़ीमें लिये गये हैं। आधुनिक भाषाओंको भी वे लोग नहीं छोड़ते। अिस बारेमें अुनकी

निष्पक्षता सराहनीय है। हिन्दुस्तानी शब्द अंग्रेज़ीमें काफ़ी आ गये हैं। कुछ अफ़्रीकासे भी लिये गये हैं। जिसमें उनका 'फ्रीट्रेड' कायम ही है। पर मेरे यह सब कहनेका मतलब यह नहीं है कि बग़ैर अवसरके भी हम दूसरी भाषाओंके शब्द लें। जैसा कि आजकल अंग्रेज़ी पढ़े-लिखे युवक किया करते हैं। जिस व्यापारमें विवेकदृष्टि तो रखनी ही होगी। हम कंगाल नहीं हैं, पर कंजूस भी नहीं बनेंगे। कुरसीको खुशीसे कुरसी कहेंगे, उसके लिये 'चतुष्पाद पीठ' शब्दका प्रयोग नहीं करेंगे।

जिस मौक़े पर अपने दुःखकी भी कुछ कहानी कह दूँ। हिन्दी-भाषा राष्ट्रभाषा बने या न बने, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। तुलसीदासका पुजारी होनेके कारण हिन्दी पर मेरा मोह रहेगा ही। लेकिन हिन्दी बोलनेवालोंमें रवीन्द्रनाथ कहाँ हैं? प्रफुल्लचन्द्र राय कहाँ हैं? ऐसे और भी नाम मैं बता सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी अथवा मेरे-जैसे हज़ारोंकी अच्छामात्रसे ऐसे व्यक्ति थोड़े ही पैदा होनेवाले हैं। लेकिन जिस भाषाको राष्ट्रभाषा बनना है, उसमें ऐसे महान् व्यक्तियोंके होनेकी आशा रखी ही जायगी।

वर्धामें हमारे यहाँ कन्या-आश्रम है। वहाँ सम्मेलनकी परीक्षाके लिये कमी लड़कियाँ तैयार हो रही हैं। शिक्षक वर्ग और लड़कियाँ भी शिक्षायत करती हैं कि जो पाठ्य-पुस्तकें नियत की गयी हैं, उनमेंसे सब पढ़ने लायक नहीं हैं। शिकायतके लायक पुस्तकें शृंगार रससे भरी हैं। हिन्दीमें शृंगार-साहित्य काफ़ी है। जिस ओर कुछ वर्ष पूर्व श्री बनारसीदास चतुर्वेदीने मेरा ध्यान खींचा था। जिस भाषाको हम राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं, उसका साहित्य स्वच्छ, तेजस्वी और अच्वगामी होना चाहिये। हिन्दी भाषामें आजकल गन्दे साहित्यका काफ़ी प्रचार हो रहा है। पत्र-पत्रिकाओंके संचालक जिस बारेमें असावधान रहते हैं, अथवा गन्दगीको पुष्टि देते हैं। मेरी रायमें सम्मेलनको जिस विषयमें शुदासीन न रहना चाहिये। सम्मेलनकी तरफ़से अच्छे लेखकोंको प्रोत्साहन मिलना चाहिये। लोगोंको सम्मेलनकी तरफ़से पुस्तकोंके चुनावमें भी कुछ सहायता मिलनी चाहिये। जिस कार्यमें कठिनायी अवश्य है, लेकिन कठिनायीसे हम थोड़े ही भाग सकते हैं।

परीक्षाओंकी पाठ्य-पुस्तकोंमेंसे अेक पुस्तकके बारेमें अेक मुसलमानकी भी, जो देवनागरी लिपि अच्छी तरह जानते हैं, शिकायत है। अुसमें मुगल बादशाहके लिअे भली-बुरी बातें हैं। वे सब अैतिहासिक भी नहीं हैं। मेरा नम्र निवेदन है कि पाठ्य-पुस्तकोंका चुनाव सूक्ष्म विवेकके साथ होना चाहिये, और अुसमें राष्ट्रीय दृष्टि रहनी चाहिये, और पाठ्यक्रम भी आधुनिक आवश्यकताओंको खयालमें रखकर निश्चित करना चाहिये। मैं जानता हूँ कि मेरा यह सब कहना मेरे क्षेत्रके बाहर है। लेकिन मेरे पास जो शिकायतें आयी हैं, अुन्हें आपके सामने रखना मैंने अपना धर्म समझा।

१५

दो महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव

अिन्दौरके अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनमें कुछ खास अुपयोगी प्रस्ताव स्वीकृत हुअे। अेकमें तो हिन्दी भाषाकी परिभाषा बतायी गयी है, और दूसरेमें यह मत प्रकट किया गया है कि अुन समस्त भाषाओंको देवनागरी लिपिमें ही लिखना चाहिये, जो या तो संस्कृतसे निकली हैं या संस्कृतका जिनके अुपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। पहला प्रस्ताव अिस तथ्यपर ज़ोर देता है कि हिन्दी प्रान्तीय भाषाओंको नष्ट नहीं करना चाहती, किन्तु अुनको पूर्तिरूप बनाना चाहती है, और अखिल भारतीयताके सेवा-क्षेत्रमें हिन्दी बोलनेवाले कार्यकर्ताके ज्ञान तथा अुपयोगिताको बढ़ाती है। वह भाषा भी हिन्दी ही है, जो लिखी तो अुर्दू लिपिमें जाती है, पर जिसे मुसलमान और हिन्दू दोनों ही समझ लेते हैं। अिस बातको स्वीकार करके सम्मेलनने अिस सन्देहको दूर कर दिया है कि अुर्दू लिपिके प्रति सम्मेलनकी कोअी दुर्भावना है। तो भी सम्मेलनकी प्रामाणिक लिपि तो देवनागरी ही रहेगी। पंजाब तथा दूसरे प्रान्तोंके हिन्दुओंके बीच देवनागरी लिपिका प्रचार अब भी जारी रहेगा। यह प्रस्ताव किसी भी प्रकार देवनागरी लिपिके महत्त्वको कम नहीं करता। वह

तो मुसलमानोंके जिस अधिकारको स्वीकार करता है कि अबतक जिस अर्द्ध लिपिमें वे हिन्दुस्तानी भाषा लिखते आ रहे हैं उसमें अब भी लिख सकते हैं ।

दूसरे प्रस्तावको व्यावहारिक रूप देनेकी दृष्टिसे अेक समिति बना दी गयी है, जिसके अध्यक्ष और संयोजक श्री काकासाहब कालेलकर हैं । यह समिति देवनागरी लिपिमें यथासम्भव जैसे परिवर्तन और परिवर्द्धन करेगी, जो उसे और भी आसानीके साथ लिखनेके लिये आवश्यक होंगे, और मौजूदा अक्षरोंसे जो शब्दध्वनि व्यक्त नहीं हो सकती, उसे व्यक्त करनेके लिये देवनागरी लिपिको और भी पूर्ण बनायेंगे ।

अगर हमें अन्तर्प्रान्तीय संपर्क बढ़ाना है, और यदि हिन्दीको प्रान्त-प्रान्तके बीच लिखा-पढ़ीका माध्यम बनाना है, तो उसमें जिस प्रकारका परिवर्तन आवश्यक है । फिर अिधर गत २५ वर्षसे हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनकी अुद्देश्य-पूर्तिमें योग देनेवाले सज्जनोंका यह निश्चित कर्त्तव्य भी रहा है । जिस लिपि-सम्बन्धी प्रश्नपर चर्चा तो अक्सर हुअी, पर गंभीरतापूर्वक वह कभी हाथमें नहीं लिया गया । अन्य प्रान्तीय भाषाओंका ज्ञान आज असम्भव-सा है । बंगाली लिपिमें लिखी हुअी 'गीतांजलि'को सिवा बंगालियोंके और पढ़ेगा ही कौन ? पर यदि वह देवनागरी लिपिमें लिखी जाय, तो उसे सभी लोग पढ़ सकते हैं । संस्कृतके तत्सम और तद्भव शब्द उसमें बहुत अधिक हैं, जिन्हें दूसरे प्रान्तोंके लोग आसानीसे समझ सकते हैं । मेरे जिस कथनकी सत्यताको हरअेक जाँच सकता है । हमें अपने बालकोंको विभिन्न प्रान्तीय लिपियाँ सीखनेका व्यर्थ कष्ट नहीं देना चाहिये । यदि यह निर्दयता नहीं, तो और क्या है कि देवनागरीके अतिरिक्त तामिल, तेलगू, मलयाली, कानड़ी, अुड़िया और बंगाली अिन छह लिपियोंको सीखनेमें दिमाग खपानेको कहा जाय ? हाँ, यह जाननेके लिये कि हमारे मुसलमान भाअी क्या कहते और लिखते हैं, हम अुर्द्ध लिपि सीख सकते हैं । जो अपने देशका या मनुष्यमात्रका प्रेमी है, उसके सामने मैंने कोअी बहुत प्रचण्ड प्रोग्राम नहीं रक्खा है । अगर आज कोअी प्रान्तीय भाषायें सीखना चाहे, और प्रान्तीय भाषा-भाषी हिन्दी पढ़ना चाहें, तो लिपियोंका यह अमेय प्रतिबन्ध ही अुनके मार्गमें कठिनाअी अुपस्थित

करता है। काकासाहबकी यह समिति अेक ओर तो जिस सुधारके पक्षमें लोकमत तैयार करेगी, और दूसरी ओर सक्रिय अुद्योगके द्वारा जिसकी जिस महान् अुपयोगिताको प्रत्यक्ष करके दिखायेगी कि जो लोग हिन्दी या प्रान्तीय भाषाओंको सीखना चाहते हैं, उनका समय और उनकी शक्ति बच सकती है। किसीको भूलकर भी यह कल्पना नहीं करनी चाहिये कि यह लिपि-सुधार प्रान्तीय भाषाओंके महत्त्वको कम कर देगा। सच पूछिये तो वह उनकी अुस प्रकार श्री-वृद्धि ही करेगा, जिस प्रकार अेक सामान्य लिपि स्वीकार कर लेनेके फल-स्वरूप प्रान्तीय व्यवहार — विनिमय — सरल हो जानेसे यूरोपकी तमाम भाषायें समृद्ध हो गयी हैं।

(हरिजनसेवक, १०-५-१९३५)

१६

अखिल भारतीय साहित्य-परिषद्

१

[जिस परिषद्का मकसद हिन्दुस्तानके अलग-अलग सब्बोंके बीच आपसके सांस्कारिक और साहित्यिक (अदबो) सम्बन्ध बढ़ाना है। ये सम्बन्ध कुछ अिने-गिने किताब लिखनेवालोंतक ही अपना असर डालनेवाले नहीं होंगे, बल्कि जरूरी यह है कि अिनका असर अलग-अलग सब्बोंको देहाती जनतातक पहुँचे।

नागपुरमें परिषद्की पहली बैठकके सभापति-पदसे दिया गया लिखित भाषण -]

विद्वान् लोग अेक-दूसरेके साहित्यका कुछ ज्ञान प्राप्त करें, अिसीसे हमें कोअी सन्तोष नहीं हो सकता। हमें तो देहाती साहित्यकी भी दरकार है, और देहातियोंमें आधुनिक साहित्यके प्रचारकी भी। शरमकी बात है कि आज चैतन्यकी प्रसादी भारतवर्षके सभी भाषा-भाषियोंको अप्राप्य है। तिरुवेल्लु-वरका नामतक शायद हम सब नहीं जानते होंगे। अुत्तर भारतकी जनता तो अुस सन्तका नाम जानती ही नहीं। अुसने थोड़े शब्दोंमें जैसा ज्ञान दिया है, वैसा बहुत कम सन्त लोग दे सके हैं। जिस बारेमें जिस वक्त्रत तो तुकारामका ही दूसरा नाम मेरे खयालमें आता है।

अगर हम सारे हिन्दुस्तानके साहित्यके विशाल क्षेत्रमें प्रवेश करें, तो क्या उसकी कुछ सीमा-मर्यादा होनी चाहिये? मेरी रायमें अवश्य होनी चाहिये। मुझे पुस्तकोंकी संख्या बढ़ानेका मोह कभी नहीं रहा। मैं जिसे आवश्यक नहीं मानता कि प्रत्येक प्रान्तकी भाषामें लिखी और छपी प्रत्येक पुस्तकका परिचय दूसरी सब भाषाओंमें कराया जाय। ऐसा प्रयत्न सम्भव भी हो, तो उसे मैं हानिकर ही समझता हूँ। जो साहित्य अैक्यका, नीतिका, शौर्यादि गुणोंका और विज्ञानका पोषक है, उसका प्रचार प्रत्येक प्रान्तमें होना आवश्यक और लाभदायक है।

आजकल शृंगारयुक्त अश्लील साहित्यकी बाढ़ सब प्रान्तोंमें आ रही है। कुछ लोग तो यहाँतक कहते हैं कि अेक शृंगारको छोड़कर और कोअी रस है ही नहीं। शृंगार-रसको बढ़ानेके कारण अैसे सज्जन दूसरोंको 'त्यागी' कहकर उनकी अपेक्षा और अपहास करते हैं। जो सब चीज़ोंका त्याग कर बैठते हैं, वे भी रसका त्याग तो नहीं कर पाते। किसी न किसी प्रकारके रससे हम सब भरे हैं। दादाभाअीने देशके लिअे सब-कुछ छोड़ा था; फिर भी वे बड़े रसिक थे। देशसेवाको ही अुन्होंने अपना रस बना रक्खा था। अुसीमें अुन्हें प्रसन्नता मिलती थी। चैतन्यको रसहीन कहना रस ही को न जानना है। नरसिंह मेहताने अपनेको भोगी बताया है, यद्यपि वे गुजरातके भक्त-शिरोमणि थे। अगर आपको मेरी बात न अखरे, तो मैं तो यहाँतक कहूँगा कि मैं शृंगार-रसको तुच्छ रस समझता हूँ; और जब अुसमें अश्लीलता आती है, तब अुसे सर्वथा त्याज्य मानता हूँ। यदि मेरी चले तो मैं जिस संस्थामें अैसे रसको त्याज्य मनवा दूँ। अिसी तरह क्राँसी मेदोंको, धर्मान्धताको तथा प्रजामें अथवा व्यक्तियोंमें जो साहित्य वैमनस्यको बढ़ाता है, अुसका भी त्याग होना आवश्यक है।

यह कार्य कैसे किया जाय? मुंशीजी और काकासाहबने हमारा मार्ग अेक हदतक साफ कर रखा है। व्यपक साहित्यका प्रचार व्यपक भाषामें ही हो सकता है। अैसी भाषा अन्य भाषाकी अपेक्षा हिन्दी-हिन्दुस्तानी ही है। हिन्दीको हिन्दुस्तानी कहनेका मतलब यह है कि अुस भाषामें फ़ारसी मुहावरों का त्याग न किया जाय।

अंग्रेज़ी भाषा कभी सब प्रान्तोंके लिअे वाहन या माध्यम नहीं हो सकती। यदि सचमुच ही हम हिन्दुस्तानके साहित्यकी वृद्धि चाहते हैं, और भिन्न-भिन्न भाषाओंमें जो रत्न छिपे पड़े हैं, उनका प्रचार भारतवर्षके करोड़ों मनुष्योंमें करना चाहते हैं, तो यह सब हम हिन्दुस्तानीकी मारफ़्त ही कर सकते हैं।

२

[भारतीय साहित्य-परिषद्की मद्रासवाली दूसरी बैठकके सभापति-पदसे दिये गये भाषणसे —]

“अिस परिषद्का अुद्देश्य यह है कि सब प्रान्तीय साहित्योंकी सारभूत बातें संग्रह करके हिन्दीमें अुन्हें अुपलब्ध किया जाय। अिसके लिअे मैं आपसे अेक प्रार्थना करूँगा। निस्सन्देह हरअेक आद्रमीको अपनी मातृभाषा अच्छी तरह जाननी चाहिये। और अिसके साथ ही हिन्दीके द्वारा अन्य भाषाओंके महान् साहित्यका भी अुसे ज्ञान होना चाहिये। लेकिन साथ ही, परिषद्का यह भी अुद्देश्य है कि वह हम लोगोंमें अन्य प्रान्तोंकी भाषायें जाननेकी अिच्छाको प्रोत्साहन दे। जैसे, गुजराती लोग तामिल जानें, बंगाली गुजराती जानें, और दूसरे प्रान्तोंके लोग भी अैसा ही करें। मैं तजरबेके साथ आपसे कहता हूँ कि दूसरी देशी भाषा सीख लेना कोअी मुश्किल बात नहीं है। लेकिन अिसके साथ अेक सर्व-सामान्य लिपिका होना आवश्यक है। तामिलनाडुमें अैसा करना कुछ मुश्किल नहीं है। क्योंकि अिस सीधी-सारी बातपर ध्यान दीजिये कि ९० फ़ीसदीसे भी ज़्यादा हमारे देशवासी अशिक्षित हैं। हमें नये सिरेसे अुनकी शिक्षा शुरू करनी होगी। तब सामान्य लिपिके द्वारा ही हम अुन्हें शिक्षित बनानेकी शुरुआत क्यों न करें? यूरोपमें वहाँवालोंने सामान्य लिपिका प्रयोग किया और वह बिलकुल सफल रहा। कुछ लोग तो यहाँ-तक कहते हैं कि हम भी यूरोपकी रोमन लिपिको ही ग्रहण कर लें। लेकिन फिर वाद-विवादके बाद यह विचार बन चुका है कि हमारी सामान्य लिपि देवनागरी ही हो सकती है, और कोअी नहीं। अुद्दूको अुसका प्रतिस्पर्द्धी बताया जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अुर्दू या रोमन किसीमें भी वैसी संपूर्णता और ध्वन्यात्मक शक्ति नहीं है, जैसी

देवनागरीमें है। याद रखिये कि आपकी मातृभाषाओंके खिलाफ़ मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। तामिल, तेलगू, मलयालम, कन्नड़ तो ज़रूर रहनी चाहियें और रहेंगी, लेकिन अिन प्रदेशोंके अशिक्षितोंको हम देवनागरी लिपिके द्वारा अिन भाषाओंके साहित्यकी शिक्षा क्यों न दें ? हम जो राष्ट्रीय अेकता हासिल करना चाहते हैं, उसकी खातिर देवनागरीको सामान्य लिपि स्वीकार करना आवश्यक है। अिसमें कोअी कठिनाअी नहीं है। बात सिर्फ़ यह है कि हम अपनी प्रान्तीयता और संकीर्णता छोड़ दें। तामिल और अुर्दू लिपियाँ मुझे पसन्द न हों, सो बात नहीं है। मैं अिन दोनोंको जानता हूँ। लेकिन मातृभूमिकी सेवाने, जिसके लिअे मैंने अपना सारा जीवन अर्पण कर दिया है, और जिसके बिना मेरा जीवन निरर्थक होगा, मुझे सिखाया है कि हमारे देशके लोगोंपर जो अनावश्यक बोझ हैं, उनसे अुन्हें मुक्त करनेकी कोशिश हमें करनी चाहिये। तमाम लिपियोंको जाननेका बोझ अनावश्यक है, और उससे आसानीसे बचा जा सकता है। अिसलिअे सभी प्रान्तोंके साहित्यिकोंसे मैं प्रार्थना करूँगा कि वे अिस सम्बन्धके अपने मेद-भावोंको भुलाकर अिस अत्यन्त आवश्यक विषयपर अेक मत हो जायँ। तभी भारतीय साहित्य-परिषद् अपने अुद्देश्यमें सफल हो सकती है।

103844

*

*

*

आजका हमारा साहित्य कुछ ही लोगोंके कामका है, यानी जो लोग शिक्षित हैं, अुन्हींके मतलबका है। यहाँतक कि शिक्षितोंमें भी अैसे थोड़े ही होंगे, जिनकी साहित्यमें दिलचस्पी हो। गाँवोंमें तो हम बिलकुल गये ही नहीं। सेवाग्रामके लोगोंमें अेक फ़ीसदी भी अैसे नहीं हैं, जो साहित्य पढ़ सकें। हमारी रात्रिशालामें नियमितरूपसे अख़बार सुननेके लिअे भी आधे दरजनसे ज़्यादा आदमी नहीं आते। अिस अज्ञानको दूर करनेका महान् कार्य हमें करना है। क्या मुट्ठीभर आदमियोंके सहारे हम अिसे कर सकेंगे ? हमें तो आप सबके सहयोगकी ज़रूरत है।

*

*

*

मैं साहित्यके लिअे साहित्यका रसिक नहीं हूँ। यह ज़रूरी नहीं कि बौद्धिक विकासके जो अनेक साधन हैं, उनमें साक्षरताको भी अेक साधन

माना ही जाय । हमारे प्राचीन कालमें जैसे-जैसे बुद्धिशाली महापुरुष हुंसे हैं, जो बिलकुल अशिक्षित थे । यही कारण है कि हमने अपनेको जैसे ही साहित्य तक सीमित रक्खा है, जो अधिक-से-अधिक स्पष्ट और हितकर हो । जबतक हमें आपका हार्दिक सहयोग नहीं मिलता, और आप अपनी-अपनी भाषामें उपयुक्त सत्साहित्य चुननेके लिये तैयार नहीं होते, तबतक हमें जिसमें सफलता कैसे प्राप्त हो सकती है ?

(हरिजनसेवक, ३-४-१९३७)

१७

राष्ट्रभाषा हिन्दी-हिन्दुस्तानी

१

[बंगलोरमें हिन्दीके शुपाधि-वितरण-समारोहके अवसरपर दिये गये भाषणसे—]

आज जिन्हें शुपाधि और प्रमाण-पत्र मिले हैं, उन्हें मैं धन्यवाद देता हूँ, और आशा रखता हूँ कि वे रोज़ अपना अभ्यास चालू रखकर अपना ज्ञान बढ़ाते रहेंगे । साधारण स्कूलों और कॉलेजोंमें पढ़नेवाले लोग 'करियर'के खयालसे पढ़ते हैं, परीक्षाके लिये पढ़ते हैं, और परीक्षा-भवनसे निकलते ही अपनी पुस्तकोंको और ज्ञानसे प्राप्त ज्ञानको भूल जाते हैं । अधिकांश लोगोंको ज्ञानकी अपेक्षा शुपाधिकी चिन्ता विशेष होती है । किन्तु जिन्हें आज यहाँ शुपाधि मिली है, उन्होंने शुपाधिके लिये शुपाधि नहीं ली है । जिसका सीधा-सादा कारण यह है कि हिन्दी-प्रचार-सभाका शुद्देश्य नौकरी दिलाना नहीं है । आपको मिली हुयी यह शुपाधि उस ज्ञानका चिह्नमात्र है, जो आपको अपने शिक्षकसे मिला है । अलबत्ता, यह हो सकता है कि आपमेंसे कुछ अपने जिस हिन्दी-ज्ञानकी मददसे थोड़ा कमा सकें; किन्तु निश्चय ही वह आपका शुद्देश्य नहीं ।

मुझे यह देखकर खुशी होती है कि आजके सफल विद्यार्थियोंमें अधिक संख्या बहनोंकी है । यह भारतमाताके और हिन्दी-प्रचारके

अज्जल भविष्यकी भेक निशानी है, क्योंकि मेरा यह दृढ़ विद्वास है कि हिन्दुस्तानकी मुक्ति उसके स्त्री-समाजके त्याग और ज्ञानपर निर्भर है। स्त्रियोंकी सभामें मैं यह बात हमेशा जोर देकर कहता रहा हूँ कि जब हम अपने देवों, देवियों या प्राचीन वीर स्त्री-पुरुषोंके बारेमें कुछ कहते हैं, तो हम स्त्रीका नाम पहले लेते हैं। जैसे, सीताराम, राधाकृष्ण आदि। हम रामसीता या कृष्णराधा कभी नहीं कहते। यह प्रथा निरर्थक नहीं है। हमारे यहाँ स्त्रीका आदर किया जाता था, और स्त्रियोंके कार्यों और उनकी योग्यताकी खास कद्र की जाती थी। हमें यह पुराना रिवाज अक्षरशः और अर्थशः जारी रखना चाहिये।

जिस अवसर पर मैं आपको जिस बातके कुछ स्पष्ट कारण समझाऊँगा कि हिन्दी-हिन्दुस्तानी ही राष्ट्रभाषा क्यों होनी चाहिये। जबतक आप कर्नाटकमें रहते हैं और कर्नाटकसे बाहर आपकी दृष्टि नहीं दौड़ती, तबतक आपके लिये कन्नड़का ज्ञान काफी है। लेकिन अगर आप अपने किसी गाँवको देखेंगे, तो फ़ौरन ही आपको पता चलेगा कि आपकी दृष्टि और उसके क्षेत्रका विस्तार हुआ है। आप कर्नाटककी दृष्टिसे नहीं, बल्कि हिन्दुस्तानकी दृष्टिसे सोचने लगे हैं। कर्नाटकके बाहरकी घटनाओंमें आपकी दिलचस्पी बढ़ी है। लेकिन अगर भाषाका कोअी सर्व-साधारण माध्यम या वाहन न हो, तो आपकी यह दिलचस्पी बहुत आगे नहीं बढ़ सकती। कर्नाटकवाले सिन्ध या संयुक्तप्रान्तवालोंके साथ किस तरह अपना सम्बन्ध कायम कर सकते या उनकी बातें सुन और समझ सकते हैं? हमारे कुछ लोग मानते थे, और शायद अब भी मानते होंगे, कि अंग्रेज़ी अैसे माध्यमका काम दे सकती है। अगर यह सवाल हमारे कुछ हज़ार पढ़े-लिखे लोगोंका ही सवाल होता, तो ज़रूर अैसा हो सकता था। लेकिन मुझे विद्वास है कि जिससे हममेंसे किसीको सन्तोष न होगा। हम और आप चाहते हैं कि करोड़ों लोग अन्तर्प्रान्तीय सम्बन्ध स्थापित करें। अैसा सम्बन्ध कभी अंग्रेज़ी द्वारा स्थापित हो भी सके, तो भी स्पष्ट है कि अभी कभी पीढ़ियोंतक वह मुमकिन नहीं। कोअी वजह नहीं कि वे सब अंग्रेज़ी ही सीखें। और, अंग्रेज़ी जीविका का अचूक और निश्चित साधन तो हरगिज़ नहीं। अगर उसकी अैसी कोअी क्रीमत

कमी रही भी होगी, तो जैसे-जैसे अधिक संख्यामें लोग उसे सीखने लगेंगे, वैसे-वैसे उसकी वह क्रीमत कम होगी। फिर, अंग्रेज़ी सीखना जितना कठिन है, हिन्दी-हिन्दुस्तानी सीखना उतना कठिन है ही नहीं। अंग्रेज़ी सीखनेमें जितना समय लगेगा, उतना हिन्दी-हिन्दुस्तानी सीखनेमें कमी नहीं लग सकता। कहा जाता है कि हिन्दी-हिन्दुस्तानी बोलने और समझनेवाले हिन्दू-मुसलमानोंकी संख्या २० करोड़से ज्यादा है। क्या १ करोड़ १० लाख कर्नाटकी भाभी-बहन अपने अिन २० करोड़ भाभी-बहनोंकी भाषा सीखना पसन्द न करेंगे ? और क्या वे उसे बहुत आसानीसे सीख नहीं सकते ? अभी ही जिस अेक घटाने मेरा ध्यान खींचा है, उससे अिस सवालका जवाब मिल जाता है। आपने अभी-अभी लेडी रमणके हिन्दी व्याख्यानका कन्नड़ अनुवाद सुना है। उसे सुनते समय अिस बातकी तरफ़ आपका ध्यान अवश्य आकर्षित हुआ होगा कि लेडी रमणके बहुतसे हिन्दी शब्द भाषान्तरमें ज्योंके त्यों बरते गये थे— जैसे, प्रेम, प्रेमी, संघ, सभा, अध्यक्ष, पद, अनन्त, भक्ति, स्वागत, अध्यक्षता, सम्मेलन आदि। ये शब्द हिन्दी-कन्नड़, दोनोंमें प्रचलित हैं। अब मान लीजिये कि यदि कोअी अंग्रेज़ीमें अिसका अुत्था करता, तो क्या वह अिनमेंसे अेक भी शब्दका अुपयोग कर सकता ? कभी नहीं। अिनमेंसे हरअेक शब्दका अंग्रेज़ी पर्याय श्रोताओंके लिये बिलकुल नया होता। अिसलिये जब हमारे कुछ कर्नाटकी मित्र कहते हैं कि हिन्दी अुन्हें कठिन मालूम होती है, तो मुझे हँसी आती है; साथ ही गुस्सा और बेसब्री भी कुछ कम नहीं मालूम होती। मेरा यह विश्वास है कि रोज़ कुछ घण्टे लगनके साथ मेहनत करनेसे अेक महीनेमें हिन्दी सीखी जा सकती है। मैं ६७ सालका हो चुका हूँ। लोग कहेंगे कि नया कुछ सीखनेकी मेरी अुमर नहीं रही। लेकिन आप यह सच मानिये कि जिस समय मैं कन्नड़ अनुवाद सुन रहा था, उस समय मैंने यह अनुभव किया कि अगर मैं रोज़ कुछ घण्टे अभ्यासमें दूँ, तो कन्नड़ सीखनेमें मुझे आठ दिनसे ज्यादा समय न लगे। माननीय शास्त्रीजी और मेरे-जैसे दस-पाँचको छोड़कर बाक़ीके आप सब तो बिलकुल नौजवान हैं। क्या हिन्दी सीखनेके लिये आप अेक महीने तक रोज़के चार घण्टे भी

नहीं दे सकते ? अपने २० करोड़ देशबन्धुओंके साथ सम्बन्ध स्थापित करनेके लिये क्या जितना समय देना आपको ज्यादा मालूम होता है ? अब मान लीजिये कि आपमेंसे जो लोग अंग्रेज़ी नहीं जानते, वे खुसे सीखनेका निश्चय करते हैं । क्या आप मानते हैं कि प्रतिदिन चार घण्टोंकी मेहनतसे आप एक महीनेमें अंग्रेज़ी सीख सकेंगे ? कभी नहीं । हिन्दी जितनी आसानीसे खिसलिये सीखी जा सकती है कि दक्षिण भारतकी चार भाषाओं सहित हिन्दुस्तानके हिन्दू जो भाषायें बोलते हैं, उन सबमें संस्कृतके बहुतसे शब्द हैं । हमारा इतिहास कहता है कि पुराने ज़मानेमें उत्तर-दक्षिणके बीचका व्यवहार संस्कृत द्वारा चलता था । आज भी दक्षिणके शास्त्री उत्तरके शास्त्रियोंके साथ संस्कृतमें बातचीत करते हैं । अनेक प्रान्तीय भाषाओंमें मुख्य भेद व्याकरणका है । उत्तर भारतकी भाषाओंका तो व्याकरण भी एकसा है । अलबत्ता, दक्षिण भारतकी भाषाओंका व्याकरण भिन्न है, और संस्कृतसे प्रभावित होनेसे पहले उनके शब्द भी भिन्न थे । लेकिन अब उन्होंने भी बहुतसे संस्कृत शब्द ले लिये हैं; और वे इस हदतक लिये गये हैं कि जब मैं दक्षिण में घूमता हूँ, तो यहाँकी चारों भाषाओंमें जो कुछ कहा जाता है, उसका सार समझ लेनेमें मुझे कोअी कठिनायी नहीं मालूम होती ।

अब अपने मुसलमान मित्रोंकी बात लीजिये । वे अपने-अपने प्रान्तकी भाषा तो स्वभावतः जानते ही हैं; उसके अलावा वे अर्दू भी जानते हैं । दोनोंका व्याकरण एकसा है; लिपिके कारण दोनोंमें जो फ़र्क है, सो है; और जिसपर विचार करनेसे मालूम हांता है कि हिन्दी, हिन्दुस्तानी और अर्दू, ये तीनों शब्द एक ही भाषाके सूचक हैं । जिन भाषाओंके शब्द-भण्डारको देखनेसे हमें पता चलता है कि जिनके अधिकांश शब्द एक हैं । खिसलिये एक लिपिके सवालको छोड़ दें, तो जिसमें मुसलमानोंको कोअी कठिनायी नहीं हो सकती । और, लिपिका सवाल तो अपने-आप हल हो जायगा ।

खिसलिये फिर अपनी शुरूकी बातपर लौटकर मैं कहता हूँ कि अगर आपकी दृष्टि-मर्यादा उत्तरमें श्रीनगरसे दक्षिणमें कन्याकुमारीतक और पश्चिममें कराचीसे पूर्वमें डिब्रूगढ़तक पहुँचती हो — और जितनी

वह पहुँचनी भी चाहिये — तो उसके लिये आपके पास हिन्दीको छोड़ और कोअी साधन नहीं। मैं आपको समझा चुका हूँ कि अंग्रेज़ी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती। अंग्रेज़ीसे मुझे नफ़रत नहीं। थोड़े पण्डितोंके लिये अंग्रेज़ीका ज्ञान आवश्यक है; अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धोंके लिये और पश्चिमी विज्ञानके ज्ञानके लिये उसकी ज़रूरत है। लेकिन जब उसे वह स्थान दिया जाता है, जिसके योग्य वह है ही नहीं, तो मुझे दुःख होता है। मुझे इसमें कोअी सन्देह नहीं कि ऐसा प्रयत्न विफल ही हो सकता है। अपनी-अपनी जगह ही सब शोभा देते हैं।

आपके दिमागमें व्यर्थ ही जो अेक डर घुस गया है, उसे मैं निकाल डालना चाहता हूँ। क्या हिन्दी कन्नड़की जगह सिखाअी जायगी? क्या यह कन्नड़का उसके स्थानसे हटा देगी? नहीं, अुलटे मेरा दावा तो यह है कि जैसे-जैसे हम हिन्दीका अधिक प्रचार करेंगे, वैसे-वैसे हम अपनी प्रान्तीय भाषाओंके अभ्यासको न केवल विशेष प्रोत्साहन देंगे, बल्कि अुनकी शक्ति भी बढ़ायेंगे। यह बात मैं भिन्न-भिन्न प्रान्तोंके अपने अनुभवसे कहता हूँ।

दो शब्द लिपिके बारेमें। जब मैं दक्षिण अफ्रीकामें था, तब भी मैं मानता था कि संस्कृतसे निकली हुअी सभी भाषाओंकी लिपि देवनागरी होनी चाहिये; और मुझे विश्वास है कि देवनागरीके द्वारा द्राविड़की भाषायें भी आसानीसे सीखी जा सकती हैं। मैंने तामिल-तेलगूको और कुछ दिनतक कन्नड़ व मलयालमको भी अुनकी अपनी लिपियों द्वारा सीखनेका प्रयत्न किया है। मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे यह साफ़ दिखाअी पड़ रहा था कि अगर अिन चारों भाषाओंकी लिपि देवनागरी ही होती, तो मैं अिन्हें थोड़े ही समयमें सीख सकता था, लेकिन जब मैंने देखा कि मुझे चार-चार लिपियाँ सीखनी होंगी, तो मैं मारे डरके घबरा अुठा। मेरी तरह जिसे चारों भाषायें सीखनेका अुत्साह है, अुसके लिये यह कितना बड़ा बोझ है? और क्या यह समझानेके लिये भी किसी दलीलकी ज़रूरत है कि दक्षिणवालोंके लिये अपनी मातृभाषाके सिवा दूसरी तीन भाषायें सीखनेके लिये देवनागरी लिपि अधिक-से-अधिक सुविधाजनक हो सकती है? राष्ट्रभाषा हिन्दीके प्रश्नके साथ लिपिका प्रश्न मिलाना न चाहिये।

मैंने यहाँ उसका अल्लेख केवल यह दिखानेके लिये किया है कि हिन्दुस्तानकी सभी भाषाएँ सीखनेवालेको लिपिके कारण कितनी कठिनायी होती है ।

(ह० ब०, ५-७-४६)

२

[दक्षिणभारत-हिन्दी-प्रचार-सभाके पदवी-दान-समारम्भके अवसरपर दिये गये दीक्षान्त भाषण से —]

. . . मैंने अपने मनमें कहा, गुजराती मेरी मातृभाषा है, पर वह राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती । देशकी ३०वें हिस्सेसे अधिक जन-संख्या गुजराती भाषा-भाषी नहीं है । उसमें मुझे तुलसीदासकी रामायण कहाँ मिलेगी ? तो क्या मराठी राष्ट्रभाषा हो सकती है ? मराठी भाषासे मुझे प्रेम है । मराठी बोलनेवाले लोगोंमें मेरे साथ काम करनेवाले कुछ बड़े पक्के और सच्चे साथी हैं । महाराष्ट्रियोंकी योग्यता, आत्मबलिदानकी अुनकी शक्ति और अुनकी विद्वत्ताका मैं कायल हूँ । तो भी जिस मराठी भाषाका लोकमान्य तिलकने राजबका अुपयोग किया, अुसे राष्ट्रभाषा बनानेकी कल्पना मेरे मनमें नहीं अुठी । जिस वक्त मैं अिस प्रश्नपर अपने दिलमें दलीलें कर रहा था — मैं आपको बता दूँ कि अुस वक्त मुझे हिन्दी भाषा-भाषियोंकी ठीक-ठीक संख्या भी मालूम नहीं थी — अुस वक्त भी मुझे खुद-ब-खुद यह लगा था कि राष्ट्रभाषाकी जगह अेक हिन्दी ही ले सकती है — दूसरी कोअी ज़बान नहीं । क्या मैंने बँगलाकी प्रशंसा नहीं की ? मैंने की है; और चैतन्य, राममोहन राय, रामकृष्ण, विवेकानन्द और रवीन्द्रनाथ ठाकुरकी मातृभाषा होनेके कारण मैंने अुसे सम्मानकी दृष्टिसे देखा है, फिर भी मुझे लगा कि बँगलाको हम अन्तर्प्रान्तीय आदान-प्रदानकी भाषा नहीं बना सकते । तो क्या दक्षिण भारतकी कोअी भाषा बन सकती है ? यह बात नहीं कि मैं अिन भाषाओंसे बिलकुल ही अनभिज्ञ था । . . . पर तामिल या दूसरी कोअी दक्षिण भारतीय भाषा राष्ट्रभाषा कैसे हो सकती है ? तब हिन्दी ज़बान, बादको जिसे हम हिन्दुस्तानी या अुर्दू भी कहने लगे हैं, और जो देवनागरी और अुर्दू लिपिमें लिखी जाती है, वही माध्यम हो सकती है, और है ।

(हरिजनसेवक, ३-४-३७)

कांग्रेस और राष्ट्रभाषा

१

[हिन्दी साहित्य-सम्मेलनके मद्रासवाले अधिवेशनमें जिस आशयका एक सिफारिश प्रस्ताव* पास किया गया था कि अखिल भारत राष्ट्रीय कांग्रेसकी अपना सारा काम हिन्दी-हिन्दुस्तानीमें ही करना चाहिये । जिस प्रस्तावपर गांधीजीने नीचे लिखा भाषण किया था —]

हिन्दीको सामान्य भाषा बनानेके पक्षमें हमारे प्रस्ताव पास करते रहनेपर भी अगर कांग्रेसका काम किसी तरह होता रहा, तो हमारा काम खेदजनक रूपमें ढीला पड़ जायगा । जिस प्रस्तावमें कांग्रेससे प्रार्थना की गयी है कि वह अन्तर्प्रान्तीय काम-काजकी भाषाके रूपमें अंग्रेज़ीका व्यवहार छोड़ दे । जिसमें कहा गया है कि अंग्रेज़ीको प्रान्तीय भाषाओंका या हिन्दीका स्थान नहीं देना चाहिये । अगर अंग्रेज़ीने यहाँके लोगोंकी भाषाओंको निकाल न दिया होता, तो प्रान्तीय भाषायें आज आश्चर्यजनक रूपमें समृद्ध होतीं । अगर इंग्लैण्ड फ्रेन्च भाषाको अपने राष्ट्रीय काम-काजकी

* वह प्रस्ताव इस प्रकार था —

“यह सम्मेलन हिन्दुस्तानकी राष्ट्रीय महासभाकी कार्य-कारिणी समितिसे प्रार्थना करता है कि अबसे आगे महासभा, महासमिति, और कार्य-कारिणी समितिके काम-काजमें अंग्रेज़ीका उपयोग न करके उसके स्थानपर हिन्दी-हिन्दुस्तानीका ही उपयोग करनेका प्रस्ताव पास किया जाय; और जो लोग हिन्दी-हिन्दुस्तानीमें अपने भाव पूरी तरह प्रकट न कर सकें, उन्हेंके लिये अंग्रेज़ीमें बोलनेकी छूट रखी जाय । यदि कोई सदस्य हिन्दी-हिन्दुस्तानीमें न बोल सकता हो, और वह अपनी प्रान्तीय भाषामें बोलना चाहे, तो उसे वैसा करनेकी छूट होनी चाहिये, और हिन्दी-हिन्दुस्तानीमें उसके भाषणका अनुवाद करनेकी व्यवस्था की जानी चाहिये ।

“यदि किसी सज्जनको किसी मौकेपर सभासदोंके अमुक वर्गको अपनी बात समझानेके लिये अंग्रेज़ीमें बोलनेकी जरूरत मालूम हो, तो उन्हें सभापतिकी अनुमतिसे अंग्रेज़ीमें बोलनेकी छूट होनी चाहिये ।”

भाषा मान लेता, तो आज हमें अंग्रेज़ीका साहित्य जितना समृद्ध न मिलता। नॉर्मन विजयके बाद वहाँ फ्रेन्च भाषाका ही जोर था, लेकिन उसके बाद लोकप्रवाह 'विशुद्ध अंग्रेज़ी'के पक्षमें हो गया। अंग्रेज़ी साहित्यको आज हम जिस महान् रूपमें देखते हैं, वह फ़ारसीका फल है। याकूब हुसेन साहबने जो कहा वह बिलकुल सही है। मुसलमानोंके संपर्कका हमारी संस्कृति और सभ्यतापर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। जितना ज़्यादा कि स्वर्गीय पं० अयोध्यानाथ-जैसे लोग भी हमारे यहाँ हुअे हैं, जो फ़ारसी और अरबीके बहुत बड़े आलिम थे। उन्होंने अरबी और फ़ारसीके अध्ययनमें जो समय लगाया, वह सब समय अपनी मातृभाषाको दिया होता, तो उनकी मातृभाषाकी कितनी तरक्की हो जाती? जिसके बाद अंग्रेज़ीने वह अस्वाभाविक स्थिति प्राप्त कर ली, जिसपर वह अभीतक आसीन है-। विश्वविद्यालयके अध्यापक अंग्रेज़ीमें धाराप्रवाह बोल सकते हैं, लेकिन अपनी खुदकी मातृभाषामें अपने विचारोंको प्रकट नहीं कर सकते। सर चन्द्रशेखर रमणकी सारी खोजें अंग्रेज़ीमें ही हैं। जो लोग अंग्रेज़ी नहीं जानते, उनके लिये वे मुहरबन्द पुस्तककी तरह हैं। मगर रूसको देखिये। रूसवालोंने राज्यक्रान्तिसे भी पहले यह निश्चय कर लिया था कि वे अपनी पाठ्य-पुस्तकें (वैज्ञानिक भी) रूसी भाषामें लिखवायेंगे। दरअसल इसीसे लेनिनके लिये राज्यक्रान्तिका रास्ता तैयार हुआ। जबतक कांग्रेस यह निश्चय न कर ले कि उसका सारा काम-काज हिन्दीमें, और उसकी प्रान्तीय संस्थाओंका प्रान्तीय भाषाओंमें ही होगा, तबतक वास्तविक रूपमें हम जन-संपर्क स्थापित नहीं कर सकते।

जिस प्रस्तावको अमलमें लाना जितना सम्मेलनका काम है, उतना ही भारतीय साहित्य-परिषद्का भी है; क्योंकि प्रान्तीय भाषाओंको प्रोत्साहन देना भारतीय साहित्य-परिषद्का अद्देश्य है, और अगर कांग्रेस जिस प्रस्तावको न माने, तो उस हदतक जिसका अद्देश्य निष्फल रहेगा।

यह बात नहीं कि भाषाके पीछे मैं दीवाना हों गया हूँ। न जिसका यह मतलब ही है कि अगर भाषाके मोलपर स्वराज्य मिलता हो, तो मैं उसे लेनेसे अिनकार कर दूँगा। लेकिन जैसा कि मैं कहता रहा हूँ, सत्य और अहिंसाकी बलि देनेसे मिलनेवाला स्वराज्य में हरगिज़ न लूँगा। फिर

भी, मैं भाषापर अितन ज़ोर अिसीलिअे देता हूँ कि राष्ट्रीय अेकता हासिल करनेका यह अेक बहुत ज़बरदस्त साधन है । और जितना दृढ़ अिसका आधार होगा, अुतनी ही प्रशस्त हमारी अेकता होगी ।

मेरी अिस बातसे आप कोअी भयभीत न हों कि हिन्दी सीखनेवाले हरअेक व्यक्तिको अपनी मातृभाषाके अलावा कोअी अेक प्रान्तीय भाषा भी सीखनी चाहिये । भाषायें सीखना कोअी मुश्किल काम नहीं है । मैक्समूलर १४ भाषायें जानता था; और मैं अेक अैसी जर्मन लड़कीको जानता हूँ, जो ५ साल पहले जब यहाँ आअी थी, तब ११ भाषायें जानती थी, और अब २-३ भारतीय भाषायें भी जानती है । लेकिन् आपने तो अपने दिलकी आँखोंमें अेक डर-सा बैठा लिया है, और किसी तरह यह महसूस करने लगे हैं कि आप हिन्दीमें अपने भाव प्रकट नहीं कर सकते । यह हमारी मानसिक काहिली ही है, जिसके कारण कांग्रेस-विधानमें १२ बरसोंसे हिन्दुस्तानीको मंज़ूर कर लेनेपर भी हम अिस दिशामें कोअी प्रगति नहीं कर पाये हैं ।

याकूब हुसेन साहबने मुझसे पूछा है कि मैं सामान्य भाषाके रूपमें सीधे-सादे 'हिन्दुस्तानी' शब्दपर संतोष न करके 'हिन्दी-हिन्दुस्तानी' पर क्यों अितन ज़ोर देता हूँ ? अिसके लिअे मुझे आपको सब बातोंकी तहमें ले जाना होगा । सन् १९१८में मैं हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनका सभापति हुआ था, तभी मैंने हिन्दी-भाषी जगतको सुझाया था कि वह हिन्दीकी अपनी व्याख्याको अितना प्रशस्त बना ले कि अुसमें अुर्दूका भी समावेश हो जाय । सन् १९३५में जब मैं दुबारा सम्मेलनका सभापति बना, तो मैंने हिन्दी शब्दकी यह व्याख्या कराअी कि हिन्दी वह भाषा है, जिसे हिन्दू-मुसलमान दोनों बोल सकें, और जो देवनागरी या अुर्दू लिपिमें लिखी जाय । अैसा करनेमें मेरा अुद्देश्य यह था कि मैं हिन्दीमें मौलाना शिबलीकी धाराप्रवाह अुर्दू और बाबू रघुमसुन्दरदासकी धाराप्रवाह हिन्दीको शामिल कर दूँ । 'हिन्दी'की जगह यह 'हिन्दी-हिन्दुस्तानी' नाम मेरी ही तजवीज़से स्वीकार किया गया था । अब्दुल हक साहबने वहाँ ज़ोरोंसे मेरी मुखालिफ़त की । मैं अुनका सुझाव मंज़ूर न कर सका । जो शब्द हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनका था, और लिखकी अिस प्रकारकी व्याख्या करनेके लिअे मैंने सम्मेलनवालोंको मना किया था कि अुसमें अुर्दूको भी शामिल कर लिखा जाय, अुस हिन्दी

शब्दको मैं छोड़ देता, तो मैं खुद अपने तर्जि और सम्मेलनके प्रति भी हिंसा करनेका दोषी होता। यहाँ हमें यह याद रखना चाहिये कि यह 'हिन्दी' शब्द हिन्दुओंका गढ़ा हुआ नहीं है, यह तो जिस मुल्कमें मुसलमानोंके आनेके बाद उस भाषाको बतलानेके लिये बनाया गया, जिसे उत्तर हिन्दुस्तानके हिन्दू बोलते और लिखते-पढ़ते थे। अनेक नामी-गरामी मुसलमान लेखकोंने अपनी ज़बानको 'हिन्दी' या 'हिन्दवी' कहा है, और अब जब कि हिन्दीके अन्दर उन विभिन्न रूपोंको शामिल कर लिया गया है, जिन्हें हिन्दू और मुसलमान दोनों बोलते और लिखते हैं, तब यह महज़ शब्दोंका झगड़ा कैसा ?

फिर एक दूसरी बात भी ध्यानमें रखनी है। जहाँतक दक्षिण भारतकी भाषाओंका सम्बन्ध है, बहुत अधिक संस्कृत शब्दोंसे युक्त हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है, जो दक्षिणके लोगोंको अपील कर सकती है; क्योंकि कुछ संस्कृत शब्दों और संस्कृत ध्वनिसे तो वे पहचाने ही परिचित होते हैं। जब ये दोनों — हिन्दी और हिन्दुस्तानी या अर्द्ध — जुलमिल जायँगी, और जब दरअसल सारे हिन्दुस्तानकी एक भाषा बन जायगी, और प्रान्तीय शब्दोंके दाखिल होनेसे वह रोज़-ब-रोज़ तरक्की करती जायगी, तब हमारा शब्द-भण्डार अंग्रेज़ी शब्द-कोशसे भी अधिक समृद्ध बन जायगा। मैं आशा करता हूँ कि अब आप समझ गये होंगे कि 'हिन्दी-हिन्दुस्तानी' के लिये मेरा अितना आग्रह क्यों है।

(हरिजनसेवक, १०-४-'३७)

२

[यह मानकर कि कांग्रेसकी कार्य-कारणी समितिने सन् १९३८में अपनी नीतिको स्पष्ट करनेवाला जो प्रस्ताव पास किया था, उसे जिस सिलसिलेमें यहाँ देखना ठीक होगा, नीचे वह प्रस्ताव दिया जाता है —]

अ० भा० कांग्रेस समितिके हालके अधिवेशनमें डॉ० अशरफ़ने हिन्दुस्तानी ज़बानके सम्बन्धका जो प्रस्ताव रखा था, उसके बारेमें कार्य-समितिको अफ़सोस है कि अनेक प्रकारके संशोधनोंसे हुआ गड़बड़ीके कारण वह प्रस्ताव अड़ गया। किन्तु कांग्रेसकी जिस स्थितिका विधानकी

नीचे लिखी धारामें वर्णन किया गया है, उसमें जिस प्रस्तावके अड़ जानेसे किसी तरहका फ़र्क़ नहीं पड़ता—

“ धारा १९ (क) — कांग्रेस, अ० भा० कांग्रेस-समिति और कार्य-समितिका काम-काज साधारण रीतिसे हिन्दुस्तानीमें हुआ करेगा । वक्ता यदि हिन्दुस्तानीमें न बोल सकें तो, अथवा जब अध्यक्ष अिजाज़त दें तब, अंग्रेज़ी भाषाका या किसी प्रांतीय भाषाका अुपयोग किया जा सकेगा । (ख) प्रांतीय समितिका काम-काज साधारणतया प्रांतकी भाषामें हुआ करेगा । हिन्दुस्तानी भाषाका अुपयोग किया जा सकेगा ।

“ कांग्रेसकी प्रचलित प्रथाके अनुसार हिन्दुस्तानी वह भाषा है, जिसे अुत्तर भारतके लोग अुपयोगमें लाते हैं, और जो देवनागरी या अुर्दू दोनों लिपियोंमें लिखी जाती है ।

“ दरअसल कांग्रेसकी यही नीति चली आ रही है कि तमाम सभाओंमें और कांग्रेस-कमेटियोंके काम-काजमें हिन्दुस्तानीका अुपयोग करनेका आग्रह रखा जाय । कार्य-समितिको आशा है कि जिस वर्षके अंततक कांग्रेसवादी राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानीमें बोलनेका अभ्यास कर लेंगे, जिससे अुसके बाद कांग्रेसकी सभाओंमें या कांग्रेस-कमेटियोंके दफ़्तरोंमें अन्तर्प्रान्तीय व्यवहारके लिअे अंग्रेज़ीका अिस्तेमाल करनेकी ज़रूरत न रहे । सिर्फ़ अध्यक्ष महोदय, जब ज़रूरी समझेंगे, अंग्रेज़ीका अुपयोग करनेकी अिजाज़त दे सकेंगे । ”

हिन्दी-प्रचार और चारित्र्य-शुद्धि

१

पिछले महीनेकी २६ वीं तारीखको दक्षिण भारत-हिन्दी-प्रचार-सभाकी अन्तिम परीक्षामें अुत्तीर्ण युवक-युवतियोंको प्रमाण-पत्र देनेके लिये पदवी-दान-समारंभ रक्खा गया था। पदवी लेनेवालोंको प्रमाण-पत्र देनेके लिये मुझे आमंत्रित किया गया था। अुन्हें तिहेरी प्रतिज्ञा लेनी थी। हिन्दी-हिन्दुस्तानीका प्रचार, स्वदेशकी सेवा, और हिन्दी-प्रचार-सभाकी प्रतिष्ठाकी रक्षाके लिये चारित्र्य-शुद्धि, ये तीन व्रत अुन्हें लेने थे। प्रतिज्ञाके अंतिम दो भागोंकी ओर मैंने पदवीधारियोंका ध्यान विशेष रूपसे आकर्षित किया। लेकिन सेवा और चारित्र्य-शुद्धि-सम्बन्धी व्रत लिवानेमें प्रतिज्ञाकारोंकी खास मंशा थी। जिसमें अुनका आशय यह होना चाहिये कि यदि सभा द्वारा पदवी पानेवाले युवक और युवतियाँ सेवाभावसे हिन्दीका प्रचार करें, और अुनका चरित्र भी शुद्ध हो, तो ये दो चीजें अिन पदवीधारियोंकी प्रतिष्ठाको बढ़ायेंगी, और ये खुद ही हिन्दी-हिन्दुस्तानीको लोकप्रिय बनानेके लिये विज्ञापनका सबसे सुन्दर साधन बन जायेंगी। जिसलिये मैंने अुन्हें पदवी लेते समय अिस प्रतिज्ञाका स्मरण कराया। अपने कथनका समर्थन करनेके लिये मैंने अेक हिन्दी-शिक्षकके पतनकी खबर, जो मुझे मिली थी, अुन्हें सुनायी और बताया कि अिस पतनने हिन्दी-प्रचारके कामको कितनी हानि पहुँचायी है।

x

x

x

जिन संस्थाओंके साथ मेरा निकटका सम्बन्ध रहता है, अुन्हें जन-समुदायसे — पुरुषों तथा स्त्रियों — काम लेना पड़ता है। ये संस्थायें सैकड़ों स्वयंसेवकोंकी मददसे अपना काम चलाती हैं। अुनके पास अेक नैतिक बलके सिवा दूसरे किसी प्रकारकी कोअी सत्ता नहीं होती।

स्वयंसेवकोंपर जनता विश्वास रखती है, क्योंकि वह यह मान लेती है कि उनका चारित्र्य तो शुद्ध ही होगा। जिस क्षण वे अपनी चारित्र्य-शुद्धिकी साख खो देंगे, उसी क्षण उनका प्रतिष्ठा और उनका प्रभाव कम हो जायगा। पाप-पंक्तमें फँसी हुई संस्थाओं और व्यक्तियोंको पापके प्रकटीकरणसे कभी हानि नहीं हुआ।

यह चीज़ दक्षिण भारतके हिन्दी शिक्षकोंपर बहुत जोरसे लागू होती है। दक्षिण भारतमें परदेका रिवाज नहीं है। वहाँ लड़कोंकी अपेक्षा लड़कियाँ हिन्दीमें ज्यादा दिलचस्पी लेती दिखायी देती हैं। शिक्षकोंको अपने घन्धेके कारण ही अपने शिष्यों और शिष्याओंपर नैतिक अधिकार प्राप्त होता है। उससे उनका सन्देह दूर हो जाता है और वे एक तरहका विश्वास, जो साधारणतया नहीं रखा जाता, शिक्षकोंके प्रति रखने लगते हैं।

जिस आशयका एक सुझाव पहले ही आ चुका है कि अगर हिन्दी-प्रचार-सभा अपनेको १०० फ़ीसदी सुरक्षित बनाना चाहती है, तो उसे लड़कियोंको खानगी शिक्षा देनेकी प्रथा बिलकुल ही बन्द कर देनी चाहिये। मैं जिससे सहमत न हो सका। हम चाहे जितनी सावधानी रखें, तो भी पतनकी घटनायें तो घटेंगी ही। जिसलिये हम जितनी भी सावधानी रखें, थोड़ी ही है। पर लड़कियोंकी खानगी शिक्षा बन्द कर देना तो नैतिकताके सम्बन्धमें अपना दिवाला क़बूल कर लेने-जैसी बात है। हमारे लिये घबरा जाने या हताश हो जानेका कोई कारण नहीं। जहाँतक मैं जानता हूँ, हिन्दी-शिक्षकोंने साधारणतया चरित्र-शुद्धिके सम्बन्धमें निष्कलंक रहकर अपना कार्य सम्पन्न किया है। पतन सिद्ध हो जानेपर एक भी जुदाहरण मैंने जनतासे छिपाकर नहीं रक्खा। हम प्रलोभनको आमंत्रण न दें; जिसी तरह प्रलोभनसे बिलकुल ही बचनेके लिये लोहेके पिंजरेमें बन्द होकर न बैठ जायँ। प्रलोभन जब बिना बुलाये हमारे सामने आ जाय, तब उसका सामना करनेके लिये हमें तैयार रहना चाहिये।

(हरिश्चन्द्रसेवक, १०-४-१३७)

२

[वर्षा में हिन्दी-प्रचारकोंके अध्यापन-मन्दिरका शुद्धाटन करते समय दिये गये भाषणसे—]

राजेन्द्रबाबूने यह कहकर कि प्रचारकोंको चारित्र्यवान् होना चाहिये, मेरा काम बहुत हलका कर दिया है । यह कहनेकी ज़रूरत नहीं कि जो प्रचारक साहित्यिक योग्यता नहीं रखते, उनसे यह काम नहीं हो सकेगा । पर यह ध्यानमें रखना आवश्यक है कि जिनमें चारित्रिक योग्यताका अभाव होगा, वे किसी मसरफ़के साबित न होंगे ।

अिन्दौरके हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके अधिवेशनमें हिन्दीकी जो व्याख्या की गयी थी — अर्थात् वह भाषा जिसे अन्तर हिन्दुस्तानके हिन्दू और मुसलमान बोलते हैं, और जो देवनागरी और फ़ारसी दोनों ही लिपियोंमें लिखी जाती है — उस हिन्दीपर उनका अच्छा अधिकार होना चाहिये । अिस भाषापर आधिपत्य प्राप्त करनेका मतलब यही नहीं है कि जनता जिस आसान हिन्दी-हिन्दुस्तानीको बोलती है, उसपर हम प्रभुत्व प्राप्त कर लें, बल्कि संस्कृत शब्दोंसे पूर्ण अँची परिष्कृत हिन्दी तथा फ़ारसी और अरबी अल्फ़ाज़से भरी हुआ शुद्ध ज़बानपर भी हम क़माल हासिल कर लें । अिनके ज्ञानके बग़ैर हमारा भाषाका अधिकार अधूरा ही रहेगा, जिस तरह चॉसर, स्विफ्ट और जॉन्सनकी अंग्रेज़ीके ज्ञानके बिना कोअी अंग्रेज़ी भाषाका, या वाल्मीकि और कालिदासकी साहित्यिक संस्कृतमे अपरिचित रहकर कोअी यह दावा नहीं कर सकता कि अंग्रेज़ी और संस्कृतपर उसका पूरा-पूरा अधिकार है ।

“ पर मैं उनके देवनागरी या फ़ारसी लिपिके अथवा हिन्दी व्याकरणके अज्ञानको बरदाश्त कर लूँगा, लेकिन उनके चारित्र्यकी कमी को तो मैं अेक क्षणके लिये भी बरदाश्त नहीं कर सकता । हमें यहाँ अैसे आदमियोंकी ज़रूरत नहीं है । और अगर अिन अुम्मीदवारोंमें यहाँ कोअी अैसा व्यक्ति हो, जो अिस कसौटी पर खरा न अुतर सकता हो, तो अुसे अभी चले जाना चाहिये । जिस कामके लिये वे बुलाये गये हैं वह कोअी आसान काम नहीं है । अैसे अंग्रेज़ीदाँ लोगोंका भी देशमें अेक मज़बूत

दल है, जो यह कहते हैं कि अक अंग्रेज़ी ही हिन्दुस्तानकी राष्ट्रभाषा हो सकती है। काशी और प्रयागके पण्डित तो संस्कृतमयी हिन्दीको चाहते हैं, और दिल्ली और लखनऊके आलिम फ़ारसी लफ़्ज़ोंसे लदी हुई अर्दूको। अक तीसरा दल भी है, जिससे हमें लड़ना पड़ता है। यह दल हमेशा यह आवाज़ उठाता रहता है कि 'प्रान्तीय भाषायें खतरमें हैं'।

कोरी अलिमयतसे अिन विरोधी शक्तियोंका हम सफलतापूर्वक मुक़ाबला नहीं कर सकते। यह काम विद्वानोंका नहीं है, यह तो 'फ़कीरों'का काम है — जिनका चारित्र्य बिलकुल शुद्ध हो, और जो स्वार्थ-साधनसे परे हों। अगर लोग आपको न चाहें, और जिन लोगोंके बीच जाकर आप काम कर रहे हों, वे आपपर हाथतक चला बैठें, तो मैं अुन्हें दोष नहीं दूँगा। अुन्होंने अहिंसाका कोअी व्रत तो लिया नहीं है।

अिसी तरह धनसे भी हमको ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी। अकेले धनसे क्या हो सकता है? रुपयेसे भी अधिक हम चारित्र्यको प्रधानता देते हैं। आज सुबह मैं आप लोगोंसे यही कहने आया हूँ कि आप अिस तरह अिस काममें मदद दें।

(हरिजनसेवक, १७-७-'३७)

हिन्दी या हिन्दुस्तानी

१

अिस अंकमें दूसरी जगह* पाठक अेक आदरणीय मित्रका लिखा हुआ अेक बहुत कुतूहलभरा पत्र पढ़ेंगे । यह पत्र नागपुरमें जमा हुअे अुन प्रतिनिधियोंके सामने पढ़ा गया था, जिन्होंने वहाँ भारतीय साहित्य-परिषद् कायम की है । अिसी तरहका अेक खत अेक मुसलमान मित्रने भेजा है, और अुसके साथ अिसी विषयपर लिखा गया २७ अप्रैलके 'बॉम्बे क्रानिकल'का मुख्य लेख भी भेजा है । ये पत्र और लेख मुख्तलिफ़ प्रान्तोंके लिअे अेक सामान्य भाषाके बारेमें मेरे विचारोंसे मिलते-जुलते विचार ही प्रकट करते हैं । फिर भी मुझे डर है कि अिस बारेमें मैंने जो तय किया है, अुसमें शायद कुछ कमियाँ रह गयी हैं । अिसलिअे अुन्हें सबके सामने रख देना ज़रूरी है । अगर अुन्हें कमियाँ मान भी लिया जाय, तो वे अेक अैसे अिरादेसे की गयी हैं, जो मेरे मित्रोंसे छिपा नहीं है ।

शुरूमें ही मैं अुस शकको दूर कर देना चाहता हूँ, जो कुछ मुसलमानोंमें पैदा हो गया है । सारा वातावरण सन्देहसे भरा हुआ है । हर किसीके कामों और बातोंको सन्देहकी निगाहसे देखा जाता है । जो लोग पूरी साम्प्रदायिक अेकता चाहते हैं, और सन्देहका कोअी मौक़ा अपनी तरफ़से पैदा होने देना नहीं चाहते, अुनके लिअे, मेरी राय में, सबसे अच्छा रास्ता यह है कि वे क्षणिक जोशसे बचे रहकर अीमानदारीसे काम करते रहें । परिषद्के-से कामोंमें तो जोश का कोअी मौक़ा ही पैदा नहीं होता । परिषद्का मक़सद हिन्दुस्तानकी तमाम भाषाओंमेंसे अच्छी-से-अच्छी चीज़ोंका संग्रह करके अुनको देशके अधिक-से-अधिक लोगोंके लिअे अुस भाषाके ज़रिये सुलभ बनाना है, जिसे अधिक-से-अधिक देशवासी समझ सकते हैं । निस्सन्देह, अुर्दू अनेक भाषाओंमेंसे अेक है, जिसमें हीरों और जवाहरोंके अैसे खज़ाने भरे हुअे हैं, जो सारे

* अिस प्रकारके अन्तमें दिया गया परिशिष्ट देखिये ।

देशवासियोंकी आम जायदाद होने चाहियें । जो हिन्दुस्तानी, मुसलमानोंके दिलको या भारतीय दृष्टिसे की गयी अिस्लामकी व्याख्याको जानना चाहता है, वह अुर्दूकी अपेक्षा नहीं कर सकता । अगर यह परिषद् मौजूदा अुर्दू-साहित्यके खज़ानेका ताला खोलकर उसे सर्व-सुलभ नहीं बना सकेगी, तो वह अपने फ़र्ज़ और मक़सदको पूरा नहीं कर सकेगी ।

पत्र मेजनेवाले मित्रने अेक भूल की है, जिसे मैं दूर कर देना चाहता हूँ । अुनके सामने टण्डनजीका वह सारा-का-सारा भाषण नहीं था, जो अुन्होंने बनारसमें नहीं, अिलाहाबादमें दिया था; नहीं तो वह यह समझनेकी भारी भूल न करते कि टण्डनजीने २२ करोड़ हिन्दी बोलने-वालोंकी जो बात कही थी, वह अुनके बारेमें कही थी, जो आजकलकी बनावटी हिन्दी लिखते हैं । अुन्होंने यह साफ़ तौरपर कह दिया था कि अुनका मतलब विन्ध्याके अुत्तरमें रहनेवाले अुन लोगोंसे था, जिनमें ७ करोड़ मुसलमान भी शामिल हैं, जो अुस भाषाको बोलते या समझते हैं, जिसका जन्म ब्रज भाषासे हुआ है और जिसका व्याकरणि ढाँचा अुसीसे लिया गया है । अुसका हिन्दी नाम भी अपना असली नहीं है । यह नाम मुसलमान लेखकोंका अुत्तरमें रहनेवाले लोगोंके लिये दिया हुआ है । और यह वैसा ही नाम है, जैसे नामका प्रयोग अुनके हिन्दू भाभी अुनके लिये करते थे । अुसके बाद ये दो शाखायें हो गयीं— देवनागरीमें लिखी जानेवाली अुत्तरके हिन्दुओंकी भाषाको 'हिन्दी' और फ़ारसी या अरबी लिपिमें लिखी जानेवाली मुसलमानोंकी भाषाको 'अुर्दू' कहा जाने लगा । यह सच नहीं है कि सारे देशके मुसलमानोंकी आम क़बान अुर्दू है । मुझे मालूम है कि अलीभाजियोंके और मेरे लिये मलबारेके मोपलोंके साथ अुर्दूमें बात करना कठिन हो गया था । हमें अेक मलयाली दुभाषिया साथमें लेना पड़ा था । पूर्वी बंगालके मुसलमानोंके बीचमें जानेपर भी हमें वैसी ही मुसीबतका सामना करना पड़ा था । टण्डनजी और राजेन्द्रबाबूके 'हिन्दी' शब्दका प्रयोग करनेका ठीक वही मतलब था, जो मेरे अिन मित्रका है । 'हिन्दुस्तानी' शब्दका प्रयोग करनेसे अुनका मतलब ज़्यादा साफ़ न हो पाता ।

अन लेखकोंके बारेमें मेरे दोस्तकी शिकायत बिलकुल सही है, जो ऐसी 'हिन्दी' लिखते हैं, जिसको अत्तर भारतके भी बहुत ही कम लोग समझ सकते हैं। जॉन्सनकी भाषाकी तरह यह जतन ज़रूर ही नाकाम होनेवाला है।

खत भेजनेवाले सज्जन पूछ सकते हैं कि 'हिन्दी या हिन्दुस्तानी' का हठ छोड़कर सीधा-सादा 'हिन्दुस्तानी' क्यों नहीं काममें लाया जाता ? मेरे पास जिसके लिखे सीधी-सादी अेक ही दलील है। वह यह है कि मेरे सरीखे नये व्यक्तिके लिखे २५ बरसकी पुरानी संस्थाको अपना नाम बदलनेके लिखे कहना गुस्ताखी होगी, खासकर तब जब कि उसका नाम बदलनेकी ऐसी कोअी ज़रूरत भी साबित नहीं की गयी है। नअी परिषद् पुरानी संस्थाकी ही अुपज है, और वह अुत्तर भारतमें रहनेवाले और अेक ही मादरी ज़बान बोलनेवाले हिन्दू-मुसलमान दोनोंकी ज़रूरियात पूरी करना चाहती है। उसके लिखे भाषाके नामका अितना महत्त्व नहीं है, भले ही उसको 'हिन्दी' कहा जाय या 'हिन्दुस्तानी'। मुझे दोनों ही शब्दोंसे अेक-सा संतोष है। 'हिन्दी' शब्दका प्रयोग करनेवालोंसे मुझे कुछ झगड़ा नहीं है, बशर्ते कि अुनकी भाषा भी वही हो, जो मेरी है।

'अखिल भारतीय' लफ़्ज़ोंमें जो भाव है, अुसपर किये गये अेतराजकों में नहीं समझ सका हूँ। सारे देशके हिन्दू अिसको निश्चय ही समझते हैं। और, मैं यह कहनेका भी साहस कर सकता हूँ कि अुत्तरमें रहनेवाले ज़्यादातर मुसलमान भी अिसे समझ लेंगे। अभी हमारे ज़मानेकी भारतकी सभ्यताको ढाँचेमें ढाला जा रहा है। हममेंसे बहुतेरे अिस जतनमें लगे हुअे हैं कि अुन सब सभ्यताओंको अेकमें मिला लिया जाय, जो अिस समय आपसमें टकरा रही हैं। अलग रहनेकी कोशिश करनेवाली कोअी भी सभ्यता ज़िन्दा नहीं रह सकती। अिस समय भारतमें ऐसी कोअी तहज़ीब बाक़ी नहीं बची है, जिसे बिलकुल 'पवित्र आर्य सभ्यता' कहा जा सके। आर्य लोग यहाँके आदिम निवासी थे, या विदेशी आक्रमणकारी थे, अिस बहससे मुझे कोअी खास मतलब नहीं। मेरा मतलब अितना ही बतानेका है कि मेरे बहुत पुराने पुरखे पूरी आज्ञादीके साथ अेक-दूसरेसे मिलते थे, और हम अुन अिस समयकी सन्तान

अुसी मिलावटके फल हैं । यह तो आगे आनेवाले दिन ही बता सकेंगे कि अिस परिषद्को जन्म देकर हम अपने देश या अिस छोटी-सी दुनियाकी कुछ भलाभी कर रहे हैं या सिर्फ़ अुसके लिअे भार बन रहे हैं । लेकिन मुझको तो अितना संतोष है कि नयी परिषद् और हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, दोनों ही, भारतकी सब भाषाओंकी तमाम अच्छाअीको अेक साथ मिलानेका सुन्दर काम कर सकते हैं । अगर वे अुसे नहीं करेंगे, तो नष्ट हो जायेंगे । पर, मिलानेका यह मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम अुसको बिलकुल अलग ही कर दें, जिसमेंसे अेक-दूसरेकी अपेक्षा आर्यपन, अरबीपन या अंग्रेज़ीपनकी अधिक गन्ध आती है ।

अिस बहसको मैं अिस हफ़ते ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता । कुछ और भी विचारने लायक ज़रूरी बातें हैं । आशा है कि मैं अगले सप्ताह अुनपर विचार कर सकूँगा ।

(हरिजनसेवक, १६-५-१३६)

२

गतांकके ‘हिन्दी या हिन्दुस्तानी’ शीर्षकमें यह तो मैं बतला ही चुका हूँ कि किस तरह और क्यों मैं ‘हिन्दी’ और ‘हिन्दुस्तानी’ शब्दोंको समानार्थक समझता हूँ, और क्यों ‘हिन्दी.’ शब्दका अुपयोग जारी रखना ज़रूरी है ।

गतांकमें अिस सम्बन्धका जो पत्र अुद्धृत हुआ है, अुसमें ‘हिन्दी’ शब्दके अिस्तेमालपर यह अेतराज़ किया गया है — “अगले ज़मानेमें मुसलमान हिन्दी सीखते थे, अुसे अेक अदबी ज़बानकी हैसियत देनेमें अुन्होंने अपने हिन्दू भाअियोंसे ज़्यादा नहीं तो अुतनी ही कोशिश की है । लेकिन अदबी हैसियतके अलावा हिन्दीकी अेक मज़हबी और तहज़ीबी हैसियत है, जिसे मुसलमानोंकी पूरी जमात अपना नहीं सकती । अिसके अलावा, अब वह बहुतसे अलफ़ाज़ अपने अन्दर शामिल कर रही है, जो बिलकुल अुसीके हैं, और वे लोग जो सिर्फ़ अुर्दू जानते हैं, अुन्हें आम तौर-पर समझ नहीं सकते ।”

अगर अगले ज़मानेके मुसलमानोंने हिन्दीको सीखा और अुसे अदबी ज़बानकी हैसियत दी, तो मौजूदा ज़मानेके मुसलमान क्यों अुससे

किनारा करें ? बेशक उस ज़मानेकी हिन्दीमें आजकी हिन्दीसे कहीं ज्यादा मज़हबी और तहज़ीबी हैसियत थी । तो क्या किसी भाषाकी मज़हबी और तहज़ीबी हैसियतकी वजहसे ही उस भाषासे हमें दूर रहना चाहिये ? क्या मैं अरबी और फ़ारसीसे अिसीलिआे बचूँ कि उन ज़बानोंकी मज़हबी और तहज़ीबी हैसियत है ? अगर मैं उनसे प्रभावित नहीं होना चाहता या मेरे मनमें उनके लिआे चिढ़ या नफ़रत है, तो भले ही मैं उनसे प्रभावित न होऊँ । निस्सन्देह अगर हमें सगे-सहोदरोंकी तरह, जो कि हम हैं, अेक साथ यहाँ रहना है, तो हम अेक-दूसरेकी तहज़ीब या संस्कृतिसे क्यों कतरायें ? और खुद भाषाके खिलाफ़ बगावत खड़ी करके संस्कृत शब्दोंके अिस्तेमालपर क्यों झगड़ा करें ? सीधे-सादे प्रचलित शब्दोंकी जगह संस्कृत शब्द रखने या तद्भव शब्दोंको संस्कृत तत्सम शब्दोंके रूप देनेका कृत्रिम तरीक़ा निस्सन्देह निन्दनीय है । अिससे तो भाषाकी सहज मिठास ही चली जाती है । मगर राष्ट्रके विकासके साथ-साथ केवल संस्कृत जाननेवाले हिन्दू संस्कृत शब्दोंका अेक हदतक अुपयोग करते हैं, तो उनका अैसा करना अनिवार्य है । सिर्फ़ अरबी जाननेवाले मुसलमान भी यही करते हैं, हालाँ-कि दोनों लिखते अेक ही ज़बान हैं, और अिसमें उनकी कोअी खास पसन्दगी या नापसन्दगीकी बात नहीं है । पढ़े-लिखे हिन्दुओं और मुसलमानोंको भाषाके दोनों ही रूपोंका परिचय प्राप्त करना पड़ेगा । क्या अंग्रेज़ी आदि सभी अुन्नतिशील भाषाओंके बारेमें यह बात सच नहीं है ? कठिनाअी तो हमारे लिआे यह है कि आज हमारे दिल अेक नहीं हैं, और हममेंसे अच्छे-से-अच्छे लोगोंपर भी आपसी सन्देहके ज़हरने असर डाल रक्खा है ।

हिन्दी, हिन्दुस्तानी, और अुर्दू अेक ही भाषाके मुख्तलिफ़ नाम हैं । हमारा मतलब आज अेक नअी भाषा बनानेका नहीं है, बल्कि जिस भाषाको हिन्दी, हिन्दुस्तानी और अुर्दू कहते हैं, अुसे अन्तर्प्रान्तीय भाषा बनानेका हमारा अुद्देश्य है । मैं मानता हूँ कि श्री कन्हैयालाल मुन्शीने 'हंस'की भाषाके समर्थनमें जो कहा है, वह सही है । तामिल या तेलगूकी किसी चीज़का अुल्था आप हिन्दी या हिन्दुस्तानीमें करें, और अुसमें संस्कृत शब्द न आयें, यह हो नहीं सकता; उनका आना क़रीब-क़रीब लाज़िमी है, क्योंकि उनमें संस्कृत शब्द बहुत ज्यादा हैं । यही

हाल अरबी लफ्ज़ोंका है। अरबीकी किसी चीज़का तरजुमा अगर हम हिन्दी या हिन्दुस्तानीमें करने बैठें, तो उसमें अरबी शब्दोंको आनेसे हम रोक नहीं सकते। रवीन्द्रनाथकी 'गीतांजलि'के हिन्दी या हिन्दुस्तानी अनुवादमें अगर संस्कृत शब्दोंको, जिनकी कि बंगाली भाषामें भरमार है, अिरादतन् बचाया जाय, तो उसमें जो लालित्य या माधुर्य है, वह बहुत कम हो जायगा। अगर मौलवी अब्दुल हक़ साहब और आक़िल साहब-जैसे साहित्यिक मुसलमान चाहते हैं कि आम ज़बानको सिर्फ़ हिन्दुओं द्वारा बोली जानेवाली भाषाका रूप लेनेसे बचाना ज़रूरी है, तो अन्हें अिसमें अपना खास योग देना होगा। अगर मैं हटा सकूँ, तो मैं अुनके दिमाग़ोंसे अुर्दू रूपको ख़ालिस मुसलमानोंकी ज़बान माननेका खयाल हटा दूँ, जिस तरह कि मैं साहित्यिक हिन्दुओंका यह खयाल दूर कर दूँ कि हिन्दी तो सिर्फ़ हिन्दुओंकी ही भाषा है। अगर दोनोंके दिलोंसे यह खयाल जुदा नहीं होता, तो अुत्तर भारतके हिन्दुओं और मुसलमानोंकी कोअी आम ज़बान नहीं बन सकती, फिर अुसे आप चाहे किसी भी नामसे पुकारें। अिसलिअे यहाँ हमें कम-से-कम नामके अूपर झगड़नेकी ज़रूरत नहीं। अगर पूरी सच्चाअीके साथ आपका मतलब अेक ज़बानका है, तो आप अुसे चाहे जो नाम दे सकते हैं।

अब सवाल लिपिका रहता है। मुसलमान देवनागरी लिपिमें ही लिखें, अिसपर हमें आज विचार नहीं करना है। और, यह और भी कम विचारणीय विषय है कि अिसपर ज़ोर दिया जाय कि हिन्दुओंके विशाल जन-समूहको अरबी लिपि अवश्य स्वीकार कर लेनी चाहिये। अिसलिअे हिन्दी या हिन्दुस्तानीकी मैंने यह व्याख्या की है कि जिस भाषाको आमतौर पर अुत्तर भारतके हिन्दू और मुसलमान बोलते हैं, वह भाषा हिन्दी या हिन्दुस्तानी है, चाहे वह देवनागरी अक्षरोंमें लिखी जाय, चाहे अुर्दू ख़तमें। अिसकी मुख़ालिफ़त भी हुअी है, तो भी मैं अपनी अिस व्याख्या पर कायम हूँ। लेकिन अिसमें शक़ नहीं कि देवनागरी लिपिका अेक आन्दोलन चल रहा है, जिसका साथ मैं हृदयसे दे रहा हूँ। और, वह यह है कि विभिन्न प्रान्तोंमें — खासकर जिन प्रान्तोंमें संस्कृत शब्दोंका बहुत ज़्यादा अुपयोग होता है — बोली जानेवाली तमाम भाषाओंके लिअे देवनागरी

लिपिको सामान्य लिपि मान लिया जाय । सो कुछ भी हो; जिस तरह हिन्दुस्तानकी तमाम भाषाओंके अँचे-से-अँचे बहुमूल्य साहित्यको देवनागरी लिपिमें लिखनेका प्रयत्न किया जा रहा है ।

(हरिजनसेवक, २३-५-३६)

३

परिशिष्ट

[अध्यायके आरम्भमें 'अेक आदरणीय मित्र'के जिस पत्रका चित्र है, उसका खास हिस्सा नीचे दिया है ।]

. . . कभी सालसे कांग्रेस जिसका प्रचार कर रही है कि हमारी क्रौमके सियासी हौसलोंको सहारा देनेके लिअे अेक क्रौमी ज़बान भी होनी चाहिये । अगर ज़बानके लिहाज़से देखिये तो जिस खयालकी वजहसे बहुतसे मुक़र्रिर तरह-तरहके गुनाहोंमें मुबतिला हो गये हैं । लेकिन मैं जानता हूँ कि अुर्दूके अदबी हलक़ोंमें जिसने ज़बानको सादा और घरेलू बनानेका शौक़ पैदा किया है, जो पहले नहीं था । मौलाना सैयद सुलेमान नदवी-जैसे लिखनेवाले, जिनकी सारी अुम्र अरबी किताबें पढ़ते-गुज़री है, और जो जैसे मज़मूनों पर लिखते हैं, जिनकी अिस्तिलाहें बदलना अेक बेअदबी है, अुन्होंने भी बड़े जोशके साथ अपनी ज़बानको सादा और हिन्दुस्तानी बनानेकी कोशिश शुरू कर दी, जिसलिअे कि क्रौमी ज़बानका खयाल अुनको बहुत अज़ीज़ था ।

कांग्रेसी हलक़ोंमें यह क्रौमी ज़बान हिन्दुस्तानी कहलाती थी, लेकिन कांग्रेस ने अुर्दू और हिन्दी बोलनेवालोंसे जिस नामके बारेमें कोअी समझौता नहीं किया था । आप जानते हैं कि सियासी और समाजी ज़िन्दगीमें नामोंका बड़ा असर होता है, क्योंकि नामके साथ बहुतसी बातें याद आ जाती हैं । जिस वजहसे यह अेक बहुत बड़ा मसला है कि हम अपनी क्रौमी ज़बानका नाम क्या रक्खेंगे ? अभीतक अुर्दू ही अेक ज़बान थी, जो किसी अेक सूबेकी या किसी अेक मज़हबकी भाषा नहीं थी । हिन्दुस्तानभरके मुसलमान अुसे बोलते हैं, और अुमाली हिन्दुस्तानमें अुर्दू बोलनेवाले हिन्दुओंकी तादाद मुसलमानोंसे

ज्यादा है। अगर हमारी क़ौमी ज़बान शुर्दू नहीं कहला सकती, तो कम-अज़-कम उसका नाम ऐसा होना चाहिये, जिससे यह ज़ाहिर हो कि मुसलमानोंने एक ऐसी ज़बान बनानेकी खास कोशिश की, जो क़रीब-क़रीब क़ौमी ज़बान कही जा सकती है। 'हिन्दुस्तानी' से यह मतलब पूरा हो सकता है, 'हिन्दी' से नहीं हो सकता। अगले ज़मानेमें मुसलमान हिन्दी सीखते थे, उसे एक अदबी ज़बानकी हैसियत देनेमें अन्होंने अपने हिन्दू भाजियोंसे ज़्यादा नहीं, तो अतनी कोशिश तो की ही थी। लेकिन अदबी हैसियतके अलावा हिन्दीकी एक मज़हबी और तहज़ीबी हैसियत है, जिसे मुसलमानोंकी पूरी जमात अपना नहीं सकती। जिसके अलावा, अब उसने बहुतसे अल्फ़ाज़ अपने अन्दर शामिल कर लिये हैं, जो बिलकुल उसीके हैं, और वह लोग जो सिर्फ़ हिन्दी जानते हैं, अन्हें आम तौरपर समझ नहीं सकते।

जिस बातपर ज़ोर देना बेजा होता, अगर जिस वक़्त हिन्दी और हिन्दुस्तानीको एक, मगर शुर्दू और हिन्दुस्तानीको अलग ज़बान ठहरानेकी तरफ़ एक खास मैलान न होता। पिछले साल आपने अिन्दौरमें जो तक्ररीर की थी, उससे यह साफ़ ज़ाहिर होता था कि आप हिन्दी और हिन्दुस्तानीको एक समझते हैं, और 'हंस' के पहले नम्बरके लिये आपने जो प्रस्तावना लिखी थी, उसमें दोनों ज़बानोंको एक बताया है। मैं जानता हूँ कि हिन्दीसे आपका मतलब आम लोगोंकी ज़बान है—वह ज़बान जो वह बोलते हैं, और जो अुनकी तालीमका सबसे अच्छा ज़रिया बन सकती है। लेकिन बहुतसे लोग जो हिन्दीका प्रचार कर रहे हैं, उनको जिस ज़बानसे कुछ मतलब नह। वे जब 'हिन्दुस्तानी'की जगह 'हिन्दी' कहते हैं, तो बस एक नामकी जगह दूसरा नाम ही नहीं ले लेते, बल्कि एक पूरी छुगत (कोश) ही सियासी और मज़हबी ख़यालातकी जगह धर देते हैं। मैं आपकी अदालतमें जिस मैलानके खिलाफ़ फ़रियाद करने आया हूँ, जिसलिये कि मुझे जान पड़ता है कि भारतीय साहित्य-परिषद्भी इसी मैलानका शिकार हुआ है।

मैं अुन लोगोंमेंसे हूँ जिन्हें परिषद्के कायम होनेसे बड़ी ख़ुशी हुआ, जिसलिये कि मैं समझता था कि अब हमारी क़ौमी ज़बानकी

बुनियाद बहुत मज़बूत हो जायगी । 'हंस' शायी हुआ तभी मैं बहुत खुश हुआ । मुझे परिषद्के और कामों पर अंतराज़ नहीं करना है, लेकिन अगर 'हंस'के परचोंसे उसके रवैयेका कोअी अन्दाज़ हो सकता है, तो मैं कहूँगा कि मुझे बड़ी मायूसी हुअी । मुंशी प्रेमचन्द साहिब आजकल हमारी अदबी दुनियाके शायद सबसे बड़े आदमी हैं । वे अुन नायाब लोगोंमेंसे हैं, जिनके लिअे अदब और ज़बान अपने दिलकी बात कहने और देशकी सेवा करनेका अेक तरीक़ा है । वे अुर्दू और हिन्दी दोनोंके अुस्ताद हैं, और अुनमें हिन्दुओं और मुसलमानों दोनोंके बेहतरीन अदबी और समाजी हौसले मिलते हैं । 'हंस'को अुस ज़बानमें होना चाहिये था, जो यह लिखते हैं और अुन बातोंका नमूना बनाना चाहिये था, जो हमें अिनमें दिखाअी देती हैं । अैसा नहीं हुआ है, और अिसीकी मुझे शिकायत है । 'हंस' पढ़नेसे यह खयाल होता है कि यह किसी खास मज़हबी समाजका रिसाला है । अुसकी ज़बानमें दूसरे हिन्दी रिसालोंसे ज़्यादा संस्कृतके अल्फ़ाज़ मिलते हैं, और अिस ज़बानको हिन्दुस्तानी कहना वैसा ही होगा, जैसे अुसको अंग्रेज़ी कहना । अुसके नुकतेनज़रमें और अुसके मज़मूनोंमें कोअी अैसी बात नहीं है कि जिससे पता चले कि हिन्दुस्तानी क़ौम अेक समाज है, जो बहुतसे समाजोंसे बना है, या यह कि हिन्दुस्तानमें अेक तहज़ीबके अलावा कोअी और तहज़ीब भी है । यह तो मेल न हुआ, हुकूमत हुअी ।

अेक ज़रा-सी बात मेरा मतलब ज़ाहिर कर देगी — साहित्य-परिषद् 'भारतीय' कहलाता है, 'हिन्दुस्तानी' नहीं । अैसा क्यों है ? अगर भारतके कोअी माने हैं, तो आर्योंका हिन्दुस्तान है, जिसमें अेक मुसलमानों और अुनकी खिदमतके लिअे ही नहीं, बल्कि सदियोंकी तरक्की और तबदीलीके लिअे कोअी जगह नहीं । क्या अिससे यह नतीजा नहीं निकलता कि अिस परिषद्में ग़ैरोंकी ज़रूरत नहीं है, और अुसे आजकलके ज़मानेसे मतलब नहीं, बल्कि वह अेक बहुत पुराने ज़मानेको दुबारा वापस बुलाना चाहता है ? फिर आप देखिये कि हिन्दीमें जो ग़दती चिद्विधियाँ हमें मेजी गअी हैं, अुनमें बोलचालकी ज़बानके लफ़्ज़ दो-तीनसे ज़्यादा नहीं हैं, और मामूली हिन्दी 'नीचे लिखे हुअे'की जगह खालिस

संस्कृत लफ़्ज़ा 'निम्न लिखित' अिस्तेमाल किया गया है । मैं नागरी ख़त अच्छी तरहसे पढ़ लेता हूँ, लेकिन ये ग़स्ती चिद्वियाँ मेरी समझमें नहीं आती ।

-यह बात तो खुली हुअी है कि संस्कृत और अरबी दोनोंमें अिस्तिलाहोंका बड़ा खज़ाना है, लेकिन हिन्दुस्तानकी ज़बान यह नर्हा कर सकती कि अेकको काममें लाये और दूसरेको छोड़ दे, अिसलिअे कि अरबी अेक विदेशी ज़बान है, तो संस्कृत कभी बोलचालकी ज़बान नहीं थी । और, जो बोलचालकी हिन्दीके लफ़्ज़ोंको ग़ौरसे देखेगा, तो अुसे मालूम होगा कि अिनमेंसे जो संस्कृत लफ़्ज़ हैं, वे ज़मानेके साथ बहुत-कुछ बदल गये हैं, क्य़ोंकि अुन्हें ज़बानसे बोलनेमें दुश्वारी होती है, अेक मुसलमानों ही को नहीं, बल्कि आम लोगोंको भी । आप देखेंगे कि 'ग्राम' और 'वर्ष' जैसे छोटे-छोटे लफ़्ज़ भी बदलकर 'गाँव' और 'बरस' हो गये हैं । हिन्दीके बहुतसे प्रचारक अिन बातोंको भूल जाते हैं । अुन्होंने हिन्दीके अिन शब्दोंकी जगह असल संस्कृतके लफ़्ज़ लिखना शुरू किया है । मालूम नहीं, अपनी क़ाबिलीयत दिखानेके लिअे या अनजानी या अिस तास्सुबके सबबसे कि संस्कृतके जो लफ़्ज़ बोलचालमें आये हैं, अुन सबको अुर्दूने अपनेमें शामिल कर लिया । लेकिन यह बात ज़ाहिर है कि हमारे ये दोस्त ज़िन्दा बोलचालकी ज़बानको फैलाना नहीं चाहते, बल्कि अुनकी नीयत हिन्दुस्तानी ज़िन्दगीपर पुराना आर्यायी रंग चढ़ाना है । हमारे हिन्दूभाअी अपनेको सुधारनेकी कोशिश करें या किसी पुराने ज़मानेको दुबारा ज़िन्दा करनेकी, तो अुसमें मुसलमानोंको दखल देनेका कोअी हक़ नहीं । लेकिन यह तो अीमानदारीकी बात है कि अैसी तहरीक़ें ज़बानके मसलेसे बिलकुल अलग रक्खी जायँ ।

“मेरे अेक दोस्त आक़िल साहबके ख़तके जवाबमें श्री के० अेम० मुन्शी लिखते हैं कि 'गुजरातियों, मरहठों, बंगालियों और केरलवालोंने अदबी क़ायदे और रसमें बनाअी हैं, जिनमें ख़ालिस अुर्दूका क़रीब-क़रीब कोअी असर नहीं । अगर हम बोलेंगे, तो यह कुदरती बात है कि यह हिन्दी संस्कृतके रंगमें डूबी होगी ।' अब्वल तो मुझे ठीक मालूम है कि गुजराती, मराठी, और बंगालीमें बहुतसे फ़ारसी लफ़्ज़ हैं, और

मैं यह माननेपर तैयार नहीं हूँ कि गुजरातियों और बंगालियोंको एक-दूसरेसे और मुसलमानोंसे मेल-मिलाप करनेके लिये अपनी ज़बानपर संस्कृतका रंग चढ़ाना ज़रूरी है। जिसके अलावा, हमें तो यहाँ खालिस अर्द्धसे मतलब नहीं, बल्कि शुमाली हिन्दुस्तानकी बोलचालकी ज़बान और उसके मुहावरोंसे है। अगर यह ज़िन्दा बोलचालकी ज़बान हमारी क्रौमी ज़बानकी बुनियाद ठहराभी जाय, तो मुसलमानोंका जिस कोशिशमें शरीक होना कारआमद हो सकता है। संस्कृतकी तरफ़ वापस जानेसे यह मतलब निकलता है कि अन्होंने हिन्दी, गुजराती और बंगालीके लिये जो कुछ किया है, वह भुला दिया जायगा। ऐसी सूरतमें हमसे यह कहना कि जिस काममें तुम हमारे साथ शरीक हो, समझिये यह कहना है कि अपनी खुदकुशीमें शरीक हो।

“बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डनने ‘हिन्दी म्यूज़ियम’के पहले जलसेमें जो तक्ररि की थी उसे पढ़कर मुझे यह अँदेशा हुआ कि अर्द्ध-हिन्दीका सवाल हिन्दुओं और मुसलमानोंके दरमियान फ़साद पैदा करनेवाला है। अन्होंने फ़रमाया था कि “चीनीके बाद हिन्दी अेशियाकी वह ज़बान है, जिसके बोलनेवाले तादादमें सबसे ज़्यादा हैं।” दूसरे अल्फ़ाज़में जिसके मानी यह हैं कि क्रौमी ज़बानका मसला तय हो गया। यह ज़बान हिन्दी होगी, जिसलिअे कि हिन्दुस्तानमें हिन्दी बोलनेवाले ज़्यादा हैं। हिन्दुस्तानीके लिये जो लोग शोर मचा रहे हैं, वे अितने थोड़े हैं कि हम उनको दबा लेंगे। जिसलिअे उनका खयाल करनेकी ज़रूरत नहीं। लेकिन सरोंको गिनना वैसा ही ग़लत अिलाज है, जैसा सरोंको फोड़ना। टण्डन साहिबका मतलब कुछ भी हो, मुझे जान पड़ता है कि हम ऐसी ही कोअी बेअिज़्जतीके लिये ज़मीन तैयार कर रहे हैं, जैसे कि वह ‘कम्युनल अेवार्ड’ थी। जिस वक़्त बस आपकी शोहरत, और मुल्कमें आपका जो अेतबार है, वही हमको बचा सकता है। मैं नीचे चन्द बातें लिखता हूँ, जो मेरी नाचीज़ रायमें समझके ख़िलाफ़ नहीं हैं, और एक क्रौमी ज़बानकी मज़बूत बुनियाद बन सकती हैं। अगर आप उनपर ग़ौर करें, और अन्हें किसी लायक़ समझें, एक अपने ही खयालमें नहीं, बल्कि उस बड़े कामको देखते हुअे, जिसमें मदद करना उनका मक़सद है, तो आप अन्हें दूसरोंतक भी पहुँचा सकते हैं। जिस चीज़का जिस वक़्त मैं

सपना देख रहा हूँ, वह तो यह है कि आप अिन्हींकी बिनापर अेक अैलान अपनी तरफसे शायी करें । वे बातें ये हैं —

(१) हमारी क्रौमी ज़बान हिन्दी नहीं कहलायेगी, बल्कि हिन्दुस्तानी;

(२) हिन्दुस्तानीका किसी अेक मज़हबी समाजके विरसेसे सम्बन्ध न होगा;

(३) अिस ज़बानके लफ़्ज़ोंमें यह न देखा जायगा कि कौन देशी हैं, कौन विदेशी, बल्कि यह देखा जायगा कि किसका रिवाज है, किसका नहीं;

(४) अुरुदूके हिन्दू लिखनेवालों और हिन्दीके मुसलमान लिखनेवालोंने जो लफ़्ज़ अिस्तेमाल किये हैं, वे सब रायज माने जायेंगे । लेकिन अुरुदू और हिन्दीकी जो मज़हबी हैसियत है, अुसपर अिस क्रायदेका कोअी असर न पड़ेगा ।

(५) अिस्तिलाहें और ख़ास तौरपर सियासी अिस्तिलाहें तजवीज़ करते वक़्त संस्कृतके लफ़्ज़ अिसीलिअे पसन्द न किये जायेंगे कि वह संस्कृत है, बल्कि अुरुदू, हिन्दी और संस्कृतके लफ़्ज़ोंमेंसे लोगोंको चुनने और पसन्द करनेका पूरा मौक़ा दिया जायगा ।

(६) देवनागरी और अरबी ख़त दोनों रायज और सरकारी समझे जायेंगे, और अुन तमाम संस्थाओंमें, जिनका रवैया हिन्दुस्तावीके प्रचारकोंके असरमें है, दोनों ख़त सीखनेका अिन्तज़ाम होगा ।

बहुतसे दोस्त होंगे जिनको यह तजवीज़ें मुसलमानोंका मुतालबा मालूम होंगी । अैसा नहीं है । लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर आपकी और परिषद्की तरफसे अैसी-अैसी अितमीनान दिलानेवाली बातें न हुआँ, तो मुसलमानोंकी अदबी कोशिशें क्रौमी ज़बान बनानेके लिअे काम न आयेंगी । अिसी ख़यालसे मैंने यह तजवीज़ें आपकी ख़िदमतमें पेश की हैं । अगर ये बेजा हैं, तो मैं जानता हूँ कि आप मेरी ख़ता माफ़ कर देंगे, और अगर वे अैसी हैं कि मुझे अुन्हें पेश करनेका हक़ नहीं था, तो आप नाराज़ न होंगे । मेरी तो इ़वाहिश बस यह थी कि अपना फ़र्ज़ अदा करूँ और आपके सामने यह मसला पेश करके दिखाऊँ कि मुझे आपकी रायपर कितना भरोसा है, और आपकी अिन्साफ़-पसन्दी और रवादारी-पर कितना अेतबार है ।

(हरिजनसेवक, १६-५-'३६)

ग़लतफ़हमियोंकी गुत्थी

मेरे सामने कभी अर्दू अखबारोंकी कतारें पड़ी हैं, जिनमें हालमें बनी हुअी 'अखिल भारतीय साहित्य-परिषद्'की कार्रवाअी की, और साथ ही, बाबू राजेन्द्रप्रसाद, बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन, पं० जवाहरलाल नेहरू की और मेरी बहुत सख्त और कडुअी आलोचना की गअी है। हमपर यह अिलज़ाम लगाया गया है कि अिसमें हमारा कुछ छिपा हुआ मतलब है, अिसका जहाँतक मुझे मालूम है, हमें पतातक नहीं। लिखनेवालोंने यह समझनेकी तकलीफ़ गवारा नहीं की कि हमने परिषद्में क्या कहा और क्या किया था। अुनका यह खयाल है कि परिषद्की अन्दरुनी मंशा यह है कि अर्दूको हटाकर अुसकी गद्दी हिन्दीको दे दी जाय, और अुसे संस्कृतके शब्दोंसे अिस क्रदर लाद दिया जाय कि मुसलमानोंके लिअे अुसका समझना क़रीब-क़रीब असम्भव हो जाय। बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डनने अिलाहाबादमें हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनका संग्रहालय खोले जानेके मौक़े पर जो तक्ररीर की थी, अुससे ये लोग यह नतीजा निकालते हैं कि अुनके अिस दावेमें कि २३ करोड़ हिन्दुस्तानी हिन्दी बोलते हैं या कम-से-कम समझ तो लेते ही हैं, सच्चाअीका गला घोट दिया गया है। अिन लेखोंमें, अितना ही नहीं कहा गया, कुछ और भी ताने दिये गये हैं। पर अुनकी तरफ़ मुझे ध्यान देनेकी ज़रूरत नहीं। मेरा मतलब तो सिर्फ़ यह है कि अगर हो सके, तो अुन ग़लतफ़हमियोंको दूर कर दूँ, जिनकी वजहसे हम लोगोंपर ये कटाक्ष किये गये हैं।

पहले आखिरी बात ले लूँ। अिन लेखकोंके पास टण्डनजीकी पूरी तक्ररीर होती, तो अिन्हें यह पता चल जाता कि अिन २३ करोड़ हिन्दुस्तानियोंमें अुन्होंने जान-बूझकर अर्दू बोलनेवाले हिन्दू और मुसलमानोंको शामिल किया था। अिसीसे अुन्होंने हिन्दी शब्दके प्रयोगमें अर्दूको शामिल कर लिया था। सन् १९३५में अिन्दौरके साहित्य-सम्मेलनमें जो प्रस्ताव पास हुआ था, अुसके मुताबिक़ हिन्दीका मतलब अुस ज़बानसे था, जिसे अुत्तर

हिन्दुस्तानमें हिन्दू और मुसलमान दोनों ही बोलते हैं, और जो देवनागरी या फ़ारसी लिपिमें लिखी जाती है। अगर लेखकोंको यह व्याख्या मालूम होती, तो अन्हें किसी तरहकी शिकायत न होती — हाँ, अगर हिन्दी लफ़्ज़-पर ही अन्हें शिकायत हो, तो बात दूसरी है। अगर अन्हें 'हिन्दी' नामसे ही चिढ़ हो, तो वह दुःखकी बात है। अउत्तर हिन्दुस्तानमें बोली जानेवाली भाषाके लिये 'हिन्दी' ही मूल शब्द है। अुरू नाम तो — जैसा कि सब अच्छी तरह जानते हैं — खास तौरसे और खास मतलबसे रक्खा गया था। अरबी लिपि भी मुसलमान शासकोंके सुभीतेके लिये रक्खी गयी थी। अितिहासका अगर यही क्रम है, तो जबतक 'हिन्दी' शब्द दोनों ज़बानोंके लिये काममें आता है, असका प्रयोग करनेमें कोअी मुखालिफ़त नहीं होनी चाहिये। ख़ैर, जो कुछ भी हो, ज्यादा-से-ज्यादा जो मतभेद है, वह यही रह जाता है कि अेक ही चीज़के लिये दो शब्दोंमेंसे कौनसा शब्द काममें लाया जाय। हिन्दीको संस्कृत शब्दोंसे लाद देनेमें कुछ सचाअी तो है। हिन्दीके कुछ लेखक अपने लेखोंमें बेमतलब संस्कृत शब्द ठूसनेका हठ करते हैं। पर अिसी तरहकी शिकायत अउन अुरू लेखकोंके खिलफ़ भी की जा सकती है, जो फ़ारसी या अरबी लफ़्ज़ोंके अिस्तेमालपर व्यर्थका ज़ोर देते हैं। अिससे भी बुरी बात यह है कि वे भाषाका व्याकरण बदल देते हैं। ये दोनों ही तरहकी ज्यादतियाँ कुछ ही समयमें ग़ायब हो जायँगी, क्योंकि साधारण जनता अैसी भाषाको कभी अपना नहीं सकती। जिस ज़बानको आम जनता नहीं समझ सकती, असकी अुम्र लम्बी नहीं हो सकती।

रही भारतीय परिषद्, सो असकी मंशा तो भिन्न-भिन्न प्रान्तोंके अच्छे-अच्छे विचारोंको पुस्तक हिन्दी भाषाके द्वारा सारे भारतके लिये सुलभ बनाना है। अिसमें, जैसा कि कुछ लेखोंमें ताना दिया गया है, हमारी कोअी छिपी हुअी मंशा या साम्प्रदायिक बात नहीं है।

'हिन्दी-हिन्दुस्तानी' शब्द तो मेरे कहनेसे अपनाया गया था। यह शब्द तो हिन्दीकी परिभाषा अेक संयुक्त शब्दके द्वारा बतलानेके लिये रक्खा गया था। मौलवी अब्दुल हक़ साहबने 'हिन्दी-हिन्दुस्तानी' की जगह सिर्फ़ 'हिन्दुस्तानी' या 'हिन्दी-अुरू' के प्रयोगका प्रस्ताव रखा था। मुझे तो अिन दोनोंमें कोअी

अंतराज़ नहीं है, लेकिन भारतीय साहित्य-परिषद् अपने जन्मको भूल नहीं सकती थी। परिषद्का विचार तो अिन्दौरके साहित्य-सम्मेलनमें ठुठा था, और नागपुरमें सम्मेलनकी संरक्षता ही में उसने अेक निश्चित रूप धारण किया। अिसीलिअे हिन्दी शब्दका रखना ज़रूरी हो गया। अिसकी जगह अुर्दू शब्दके रखनेमें जो बुराअी होती, उसकी वजह तो मैं बतला ही चुका हूँ। लेकिन मैं यह दिखलानेकी कोशिश कर चुका हूँ कि 'हिन्दी', 'हिन्दुस्तानी', और 'अुर्दू', अेक ही अर्थ प्रकट करनेवाले मुश्तलिफ़ शब्द हैं। और अुनसे अेक ही भाषा या ज़बानका मतलब निकलता है।
(हरिजनसेवक, १-८-'३६)

२२

और भी ग़लतफ़हमियाँ

सत्य-शोधकको किसीको खुश करनेके लिअे ही लिखना या बोलना पुसा नहीं सकता। जिन-जिन बातोंसे मुझे वास्ता पड़ा है, अुन सभीमें सत्यकी शोध करते हुअे मुझे काफ़ी लम्बा अरसा हो गया है। मगर मैं जानता हूँ कि समय-समयपर अुपस्थित होनेवाले मामलोंमें मैं सबको यह समझा नहीं सका हूँ कि मैं जो कहता हूँ या करता हूँ, वह सही भी है। हिन्दी-प्रचारको ही लीजिये। अिस बारेमें जहाँ कुछ मुसलमान दोस्त मुझसे नाख़ुश हैं, वहाँ हिन्दू मित्र भी कम असन्तुष्ट नहीं। पर जबतक मेरे टीकाकार मुझे मेरी भूलका विद्वास न करा दें, तबतक अुन्हें यह आशा नहीं रखनी चाहिये कि सिर्फ़ अुनके चाहनेअरसे मैं अपनी राय बदल दूँगा। अेक सज्जनने तो मुझे सचमुच ही यह लिखा है कि अगरचे तर्क और अितिहासकी दृष्टिसे मेरी स्थिति सही है, फिर भी मुझे मुसलमान आलोचकोंको सन्तुष्ट करनेके लिअे अपनी राय बदल लेनी चाहिये। यह आलोचक चाहते हैं कि अेक ही भाषाका परिचय देनेके लिअे या तो मैं 'हिन्दी-अुर्दू' शब्दके प्रयोगका समर्थन करूँ, या सिर्फ़ अुर्दूका। अिनका अंतराज़ भाषापर नहीं है, बल्कि नामपर है, और नाम भी वह, जो अबतक चला आ रहा है।

मुझे अेक और पत्र मिला है। उसमें झगड़ा दूसरे दृष्टिकोणसे है, और वह है, उस भाषणके सम्बन्धमें, जो मैंने हालही बंगलौरमें हिन्दी-प्रचार-पदवीदान-समारम्भपर दिया था। पत्र लम्बा है। मैं यहाँ अुन्हीं अंशोंको देता हूँ, जिनका विषयसे अधिक-से-अधिक सम्बन्ध है।

“बंगलौरमें दिये हुअे पदवीदान-समारम्भके भाषणमें आपने कहा है कि भारतके २० करोड़ मनुष्योंसे सम्पर्क स्थापित करनेके लिये कर्नाटकके १ करोड़ १० लाख नर-नारियोंको अुनकी भाषा हिन्दी सीखनी चाहिये। यह बात आपने अुन्हींके लिये नहीं कही जो मातृभाषा पढ़ चुके हैं। अगर हम यह मान लें कि सब लोग मातृभाषा अच्छी तरह जानते हैं, तो भी, न तो यह संभव है, और संभव हो भी, तो वांछनीय नहीं है, और न स्वाभाविक ही है कि आम जनता मातृभाषाके सिवा दूसरी अेक भाषा और सीखे। राष्ट्रीय कार्यकर्त्ता, व्यापारी और दूसरे लोग, जो अुत्तर भारतवासियोंके सम्पर्कमें आते हैं, वे ही हिन्दी सीख सकते हैं, और अुन्हींको सीखनी चाहिये। वे तो बिना किसी प्रचारके भी, आवश्यकतावश ही, यह भाषा सीख लेंगे।

“आप कहते तो हैं कि हिन्दी प्रान्तीय भाषाओंके स्थानपर नहीं, बल्कि अुनके साथ-साथ सीखी जाय। पर अैसा हो नहीं रहा है। तामिलनाडुके अधिकांश शिक्षित लोग तामिलके बजाय अंग्रेज़ीमें सोचते हैं, और महसूस भी करते हैं। वे तामिलकी पूरी अुपेक्षा करते हैं। वे अंग्रेज़ी सभ्यताके किस हदतक गुलाम हो चले हैं, यह हम अिसीसे समझ सकते हैं कि सार्वजनिक सभाओं और दूसरी जगहोंमें भी वे गर्वके साथ अुच्च स्वरसे कहते हैं कि वे तामिलमें न तो बोल सकते हैं, और न लिख सकते हैं, पर अंग्रेज़ीमें वे ये दोनों काम धड़ल्लेसे कर सकते हैं। अुनमेंसे कुछ लोग हिन्दीका अध्ययन भी तामिलकी अपेक्षा अंग्रेज़ीकी मददसे अधिक करने लगे हैं। नतीजा अेक ही होगा। अंग्रेज़ीके बजाय वे हिन्दीमें सोचने लेंगे। अगर कोअी गुजराती भाअी आपसे कहे कि वह गुजरातीमें तो नहीं, पर हिन्दीमें सुन्दर निबन्ध लिख सकता है, तो आपको अुसपर अफ़सोस ही होगा। आपको लगेगा कि देश अमी पूर्ण स्वराज्यसे दूर है। तामिलनाडुमें बहुतेरे लोग कहने लगे हैं कि वे तामिलसे हिन्दी अच्छी जानते हैं।

“दूसरी भाषा देववाणी भी हो, तो भी अपनी मातृभाषाको हानि पहुँचाकर हमें खुसे नहीं सीखना चाहिये। हिन्दीके अन्ध समर्थकोंको जिस सम्बन्धमें मैं आपकी ही मिसाल दिया करता था। आप कहते तो हैं कि हिन्दी भारतकी राष्ट्रभाषा है, पर न तो अपनी ‘आत्म-कथा’ ही आपने हिन्दीमें लिखी है, और न दक्षिण अफ्रीकाका इतिहास ही। दोनों पुस्तकें गुजरातीमें लिखी हैं। अगर आप हिन्दीमें लिखते, तो बहुत अधिक लोगोंको आपकी बात आपके ही शब्दोंमें जाननेको मिलती। पर आपने दोनोंको ही गुजरातीमें लिखना पसन्द किया। हालाँकि जिस मामलेमें आपका उपदेश और उदाहरण भिन्न हैं, तो भी मैं आपके उदाहरणको ही ठीक समझता हूँ, और चाहता हूँ कि लोग आप जो कहते हैं खुसे न मानकर आप जो करते हैं उसका अनुसरण करें।

“स्वराज्यका अर्थ यह नहीं होना चाहिये कि भिन्न-भिन्न भाषाके बोलनेवालोंपर एक ही भाषा लाद दी जाय। प्रथम स्थान मातृभाषाको ही मिलना चाहिये। भारतकी राष्ट्रभाषा हिन्दीको गौण स्थान ही देना चाहिये। सच्ची प्रेरणा और प्रगति तो मातृभाषासे ही मिल सकती और हो सकती है।

“अब मैं लिपिका प्रश्न लेता हूँ। मजी, १९३५ के ‘हरिजन’में अिन्दौरके हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके प्रस्तावोंपर लिखते हुअे आपने अुर्दू लिपिका पक्ष लिया है, यह मेरी समझमें नहीं आया। बंगलौरके भाषणमें भी आपने अुर्दू लिपिके प्रति अपना वही पक्षपात प्रकट किया है। आप तो संस्कृतसे निकली हुअी यह अुससे काफ़ी प्रभावित हुअी समस्त भारतीय भाषाओंकी लिपियाँ नष्ट करके अुनकी जगह देवनागरीको समासीन कर देना चाहते हैं, ताकि जो लोग वे भाषायें सीखना चाहें, वे अिसी लिपि द्वारा सीखें। हिन्दू और मुसलमान दोनों जिस एक ही भाषाको बोलते हैं, अुसके लिअे आप देवनागरी और अुर्दू दोनों लिपियाँ क़ायम रखना चाहते हैं, और दूसरे करोड़ों लोग, जो दुर्भाग्यसे जुदी-जुदी भाषायें बोलते हैं, वे अपनी लिपियाँ नष्ट हो जाने दें, अुनकी जगह देवनागरीको दे दें, और हिन्दी-हिन्दुस्तानी भाषा और अुर्दू लिपि सीखकर १३ करोड़ हिन्दुओं और ७ करोड़ मुसलमानोंको समझने और अुनके सम्पर्कमें आनेकी

कोशिश करें। क्या यह हैसीकी-सी बात नहीं लगती, और क्या जिसमें घोर-से-घोर अत्याचार नहीं है ? जिस नीतिका साफ़ नतीजा यही हो सकता है कि और सारी भाषायें मिट जायँ, और केवल एक हिन्दी रह जाय — वह भी दोनों लिपियोंमें; क्योंकि सब भाषाओंकी लिपि तो देवनागरी हो ही जायगी, हिन्दी सब सीख ही लेंगे, और मातृभाषाओंके महत्त्वपूर्ण ग्रन्थोंका हिन्दीमें अनुवाद हो ही जायगा। मैं चाहता हूँ, आप ज़रा विचारकर देखिये कि क्या यह स्थिति हम सबकी जन्मभूमि भारतवर्षके लिअे वांछनीय होगी ? सब लिपियोंको नष्ट करनेका प्रयत्न करनेसे पहले देवनागरी और शुद्धमेंसे — जो एक ही भाषाकी दो लिपियाँ हैं — एकको मिटानेकी कोशिश आप क्यों नहीं करते ? एक ही भाषा बोलनेवाले हिन्दू और मुसलमान अपने लिअे दो अलग-अलग लिपियाँ क्यों रक्खें ? ”

मुझे मालूम नहीं कि मैंने कर्नाटकके सभी, अर्थात् १ करोड़ १० लाख स्त्री-पुरुषोंसे हिन्दी-हिन्दुस्तानी सीखनेकी बात कही थी। जिन्हें उत्तर भारतके लोगोंसे कभी भी सम्पर्कमें आना पड़ता है, वे सभी हिन्दी-हिन्दुस्तानी सीख लें, तो मुझे बहुत सन्तोष होगा। लेकिन जिसके विपरीत, हिन्दी न जाननेवाले सब प्रान्तोंके सब लोग भी हिन्दी सीख लें, तो मैं जिसका स्वागत ही करूँगा, और जैसा पत्र-लेखक सज्जन चाहते हैं, जिसपर अफ़सोस तो मैं निश्चय ही नहीं करूँगा। हरएक प्रान्त अपनी-अपनी भाषा जान लेनेके साथ-साथ एक अखिल भारतीय भाषा और सीख ले, तो जिसमें भारतवर्षके लिअे अवांछनीय या अस्वाभाविक बात क्या हो जायगी ? जिस तरहका ज्ञान थोड़े-से सुसंस्कृत लोगोंका ही विशेषाधिकार क्यों रहे, और जनसाधारण खुससे वंचित क्यों रहें ? ३० करोड़से अधिक मनुष्योंका एक समूचा राष्ट्र दो भाषायें जानता हो, तो अवश्य ही वह एक शुच्व कोटिकी संस्कृतिका सूचक होगा। बदकिस्मतीसे यह बिलकुल सही है कि ऐसा होना ग़ैरमुमकिन-सा है। मगर सबसे अधिक दुर्भाग्यकी बात यह होगी कि कोअी प्रान्त अपनी भाषाकी उपेक्षा करके दूसरी भाषाको अधिक पसन्द करने लग जाय। पत्र-लेखककी शिकायत है कि तामिलनाडुमें ऐसा ही हो रहा है। खुनकी रायका समर्थन मेरी तामिलनाडुकी बार-बारकी यात्राओंसे भी होता है। परन्तु अिधर मैंने देखा है कि खुस प्रान्तमें

शुभ परिवर्तन भी हो रहा है। और, जैसे-जैसे प्रत्येक प्रान्तके शिक्षित लोग सर्वसाधारणके साथ सम्पर्क बढ़ानेकी अधिकाधिक आवश्यकता महसूस करेंगे, वैसे-वैसे जहाँ सम्भव होगा, अन्य भाषाओंपर प्रान्तीय भाषाको तरजीह देनेकी वृत्ति और गति भी बढ़ती जायगी।

अिन्हीं पत्र-लेखकने प्रसंगवश राष्ट्रभाषा होनेके विषयमें अंग्रेज़ी और हिन्दी-हिन्दुस्तानीकी चिरकालीन हमसरीका जिक्र किया है। मैंने तो जबसे सार्वजनिक जीवनमें प्रवेश किया है, सदा यही निश्चित राय रखी और जाहिर की है कि अंग्रेज़ी न कभी सारे हिन्दुस्तानकी भाषा हो सकती है, और न होनी चाहिये। ऐसी भाषा तो हिन्दी यानी हिन्दुस्तानी ही हो सकती है, क्योंकि अुत्तर भारतके करोड़ों हिन्दू और मुसलमान अिसे बोलते हैं। अंग्रेज़ीके बारेमें ऐसा समझना जनसाधारण और अंग्रेज़ी पढ़े-लिखे लोगोंके बीचमें स्थायी दीवार खड़ी करना और अपने ध्येयतक पहुँचनेमें देशकी प्रगतिको पीछे ढकेलना है। मैंने बार-बार यह समझाया है कि हमारी अुन्नतिमें अंग्रेज़ीका अेक निश्चित स्थान है। हमारे शासकोंकी और सारी पश्चिमी दुनियाकी बात समझनेके लिये, और पश्चिमकी अच्छी-से-अच्छी बातें* हिन्दुस्तानको सिखानेके लिये, हमारे कुछ आंदमियोंको ज़रूर अंग्रेज़ी सीखनी चाहिये। क्योंकि पश्चिमी भाषाओंमें अिसीका सबसे अधिक प्रचार है। पर अगर शिक्षितवर्गको निरक्षर जनताके साथ अेक होना है, तो अंग्रेज़ी सीखनेवालोंसे हज़ार गुने हिन्दुस्तानियोंको हिन्दी-हिन्दुस्तानी जाननी पड़ेगी।

पत्र-लेखक जब यह सोचते हैं कि मैंने प्रान्तीय भाषाओंपर हिन्दीको तरजीह देनेकी सलाह देनेका अपराध किया है, तो मालूम होता है कि वे मेरी रायसे बिलकुल अपरिचित हैं। अिस बारेमें मेरी कथनी और करनीमें कोअी अन्तर नहीं। मैं अिस प्रस्तावका दिलसे समर्थन करता हूँ कि मातृभाषाको प्रथम स्थान दिया जाना चाहिये।

हाँ, लिपिके मामलेमें पत्र-लेखककी आशंका सही है। मुझे अपनी रायपर पछतावा भी नहीं है। जो अलग-अलग भाषायें संस्कृतसे निकली हैं या जिनका अुसके साथ गहरा सम्बन्ध रहा है, पर जो जुदी-जुदी लिपियोंमें लिखी जाती हैं, अुनकी अेक ही लिपि होनी चाहिये, और वह

लिपि निःसन्देह देवनागरी ही है । अलग-अलग लिपियाँ अेक प्रान्तके लोगके लिअे दूसरे प्रान्तोंकी भाषायें सीखनेमें अनावश्यक बाधा हैं ।

युरोप कोअी अेक राष्ट्र नहीं है, फिर भी अुसने अेक सामान्य लिपि स्वीकार कर ली है । पर हिन्दुस्तान अेक राष्ट्र होनेका दावा करता है, और है, तो फिर अुसकी लिपि अेक क्यों न हो ? मैं जानता हूँ कि अेक ही भाषाके लिअे देवनागरी और अुर्दू दोनों लिपियोंको सहन कर लेनेकी मेरी बात असंगत है । किन्तु मेरी यह असंगति मेरी मूर्खता ही नहीं है । अिस समय हिन्दू-मुसलमानोंमें संघर्ष है । पढ़े-लिखे हिन्दुओं और मुसलमानोंके लिअे अेक-दूसरेकी तरफ़ अधिक-से-अधिक आदर और सहिष्णुता दिखाना जरूरी और बुद्धिमानीका काम है, अिसीलिअे मेरी यह राय है कि लिपि चाहे देवनागरी रहे, चाहे अुर्दू । खुशकिस्मती यह है कि प्रान्त-प्रान्तके बीच अैसा कोअी संघर्ष नहीं है । अिसलिअे जिस सुधारसे अनेक दिशाओंमें प्रान्तोंका गहरा मेल हो सकता है, अुसकी हिमायत करना वांछनीय है । और, यह भी नहीं भूल जाना चाहिये कि राष्ट्रका बहुजन समाज बिलकुल निरक्षर है । अुसपर भिन्न-भिन्न लिपियोंका बोझ लादना, और वह भी महज़ झूठे मोह और दिमागी आलस्यके कारण, अपने हाथों अपने पैरोंपर कुल्हाड़ी मारना होगा ।

(हरिजनसेवक, १५-८-'३६)

राजनीतिक संस्था नहीं

हिन्दी प्रेमियोंको यह तो मालूम ही है कि हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनका अगला अधिवेशन शिमलेमें होगा। शिमलेसे अेक संवाददाताने लिखा है कि वहाँ कुछ ऐसा शक है कि सम्मेलन अेक राजनीतिक संस्था है, और उसकी प्रवृत्तियोंमें मुस्लिम-विरोधकी बू आती है। मैं दो बार सम्मेलनका सभापति हो चुका हूँ, और बगैर किसी हिचकिचाहटके मैं कह सकता हूँ कि वह शुद्ध अ-राजनीतिक संस्था है। राजे-महाराजे उसके संरक्षक हैं। कितने ही आदमी, जिनका कांग्रेससे कोअी वास्ता नहीं, सम्मेलनके सदस्य हैं। राजे-महाराजे अक्सर उसके अधिवेशनोंमें आते हैं। बड़ौदाके महाराज गायकवाड़ उसके सभापति रह चुके हैं। मुझे यह अच्छी तरह मालूम है कि उसकी अेक भी प्रवृत्ति मुस्लिम-विरोधिनी नहीं है। अगर मुझे कोअी ऐसा सन्देह होता, तो मैं उसका सभापति बनना स्वीकार न करता। मैं आशा करता हूँ कि मुस्लिम-विरोधका अर्थ यहाँ अुर्दू-विरोध नहीं लिया गया है। अुर्दू-विरोध और मुस्लिम-विरोध, अिन शब्दोंका अुपयोग बहुतेसे लोग समानार्थक रूपमें करते हैं। पर यह तो अेक वहम है। पंजाब, दिल्ली और काश्मीरमें अुर्दू हज़ारहों हिन्दुओं और मुसलमानोंकी आम ज़बान है। यह चीज़ भी ध्यानमें रखनेके क़ाबिल है कि अिन्दौरके पिछले अधिवेशनमें सम्मेलनने हिन्दीकी व्याख्या यह की थी कि हिन्दी वह भाषा है, जिसे अुत्तर हिन्दुस्तानके हिन्दू और मुसलमान बोलते हैं, और जो देवनागरी या फ़ारसी लिपिमें लिखी जाती है। अिसलिअे मुझे आशा है कि अुर्दू-विरोधके अर्थमें भी अगर मुस्लिम-विरोध शब्द लिया गया है, तो भी संवाददाताने जिस सन्देहका ज़िक्र किया है, वह दूर हो जायगा, और शिमलेमें होनेवाले हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके अधिवेशनकी तैयारियोंका काम, उसके अुद्देश्य या रुखके बारेमें बगैर किसी तरहकी शंका अुठाये, वैसा ही जारी रहेगा।

हिन्दी बनाम अर्दू

हिन्दी-अर्दूका यह सवाल बारहमासी बन गया है। हालाँकि जिसके बारेमें मैं अक्सर अपने विचार ज़ाहिर कर चुका हूँ, और अर्दूने फिरसे प्रकट करना पुनरावृत्ति ही होगा, फिर भी जिस बारेमें मैं जो कुछ मानता हूँ, उसे बिना किसी दलीलके सीधे-सादे रूपमें रख देना ठीक होगा।

मेरा विश्वास है कि —

१. हिन्दी, हिन्दुस्तानी और अर्दू शब्द उस अेक ही ज़बानके सूचक हैं, जिसे उत्तर भारतमें हिन्दू-मुसलमान दोनों बोलते हैं, और जो देवनागरी या फ़ारसी लिपिमें लिखी जाती है।

२. जिस भाषाके लिअे अर्दू शब्द शुरू होनेसे पहले हिन्दू-मुसलमान दोनों जिसे हिन्दी ही कहते थे।

३. हिन्दुस्तानी शब्द भी बादमें (यह मैं नहीं जानता कि कबसे) इसी भाषाके लिअे अिस्तेमाल होने लगा है।

४. हिन्दू-मुसलमान दोनोंको यह भाषा उसी रूपमें बोलनेकी कोशिश करनी चाहिये, जिसमें उत्तर भारतके ज़्यादातर लोग जिसे समझते हैं।

५. अनेक हिन्दू और बहुतसे मुसलमान संस्कृत और फ़ारसी या अरबीके ही शब्दोंका व्यवहार करनेका आग्रह करेंगे। यह स्थिति हमें तबतक बरदाश्त करनी पड़ेगी, जबतक हमारे बीच अेक-दूसरेके तर्बि अविश्वास और अंलहदगीका भाव बना हुआ है। पर जो हिन्दू किसी खास तरहके मुस्लिम खयालातको जानना चाहेंगे, वे फ़ारसी लिपिमें लिखी हुअी अर्दूका अध्ययन करेंगे, और इसी तरह जो मुसलमान हिन्दुओंकी किसी खास बातका ज्ञान हासिल करना चाहेंगे, अर्दूने देवनागरी लिपिमें लिखी हुअी हिन्दीका अध्ययन करना होगा।

६. अन्तमें जाकर जब हमारे दिल घुल-मिल जायँगे, और हम सब अपने-अपने प्रान्तके बजाय हिन्दुस्तानपर गर्वका अनुभव करने लगेंगे, और मुस्तलिफ़्र धर्मोंको अेक ही वृक्षके विभिन्न फलोंके रूपमें जानने और तदनुसार अुनपर अमल करने लगेंगे, तब हम प्रान्तीय भाषाओंको प्रान्तीय काम-काजके लिअे क्रायम रखते हुअे अेक ही सामान्य लिपिवाली सामान्य भाषापर पहुँच जायँगे ।

७. किसी प्रान्त या ज़िले अथवा जनतापर अेक भाषा या हिन्दीके अेक रूपको लादनेका जतन करना देशके सर्वोत्तम हितकी दृष्टिसे घातक है ।

८. आम भाषाके सवालपर विचार करते समय धार्मिक भेद-भावोंका खयाल नहीं करना चाहिये ।

९. रोमन लिपि न तो हिन्दुस्तानकी सामान्य लिपि हो सकती है, और न होनी चाहिये । यह हमसरी तो फ़ारसी और देवनागरीके बीच ही हो सकती है । और अिसके अपने मौलिक गुणोंको अलग रख दें, तो भी देवनागरी ही सारे हिन्दुस्तानकी सामान्य लिपि होनी चाहिये, क्योंकि विविध प्रान्तोंमें प्रचलित ज़्यादातर लिपियाँ मूलतः देवनागरीसे ही निकली हैं, और अिसलिअे अुनके लिअे अुसे सीखना ही सबसे ज़्यादा आसान है । लेकिन अिसके साथ ही, मुसलमानोंपर या दूसरे अैसे लोगोंपर, जो अिससे अनजान हैं, अिसे ज़बरदस्ती लादनेका हमें किसी तरहका कोअी प्रयत्न न करना चाहिये ।

१०. अगर अर्दूको हम हिन्दीसे अलग मानें, तो मैं कहूँगा कि अिन्दौरमें जब मेरे कहनेपर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनने धारा नं० १में दी हुअी व्याख्याको स्वीकार कर लिया, और नागपुरमें मेरे कहनेपर भारतीय साहित्य-परिषद्ने भी अुस व्याख्याको स्वीकार करके अन्तर्प्रान्तीय व्यवहारकी सामान्य भाषाको हिन्दी था हिन्दुस्तानी कहा, तो अिस प्रकार मैंने अर्दूकी सेवा ही की है, क्योंकि अिससे हिन्दू-मुसलमान दोनोंको सामान्य भाषाको समृद्ध बनानेके यत्नमें शामिल होने और प्रान्तीय भाषाओंके सर्वोत्तम विचारोंको अुस भाषामें लानेका पूरा-पूरा मौक़ा मिल गया है ।

(हरिजनसेवक, ३-७-'३७)

२

[पं० जवाहरलाल नेहरूने जिस विषयपर अंग्रेजीमें एक पुस्तिका लिखी है । उसमें उन्होंने जो बातें सुझायी हैं, उन्हें पाठकोंकी जानकारीके लिये मैं नीचे देता हूँ । —मो० क० गांधी]

१. सरकारी काम और सार्वजनिक शिक्षाके लिये विभिन्न प्रान्तोंमें उन भाषाओंका प्रयोग होना चाहिये, जो वहाँकी प्रमुख प्रचलित भाषायें हों । जिसके लिये भाषाओंको सरकारी तौरपर स्वीकृत किया जाना चाहिये — हिन्दुस्तानी, (जिसमें हिन्दी और उर्दू दोनों ही शामिल हैं), बँगला, गुजराती, मराठी, तामिल, तेलगू, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, आसामी, सिन्धी और किसी हदतक पस्तो तथा पंजाबी भी ।

२. हिन्दुस्तानी भाषा-भाषी प्रान्तोंमें हिन्दी और उर्दू दोनों ही अपनी-अपनी लिपिके साथ सरकार द्वारा स्वीकृत की जानी चाहियें । सरकारी सूचनायें दोनों ही लिपियोंमें प्रकाशित होनी चाहियें । अदालतों या अन्य सरकारी दफ्तरोंमें अरज़ी पेश करनेवाला व्यक्ति किसी भी लिपि (हिन्दी या उर्दू) का प्रयोग कर सकता है, उससे दूसरी लिपिमें उस दरख्वास्तकी नक़ल न माँगी जाय ।

३. हिन्दुस्तानी प्रान्तोंकी भाषा सार्वजनिक शिक्षाके माध्यमके लिये हिन्दुस्तानी होगी, जिसलिये दोनों लिपियोंका प्रयोग होगा । लिपिका चुनाव खुद विद्यार्थी या उसके संरक्षक द्वारा होगा । विद्यार्थीको दोनों लिपियाँ सीखनेके लिये मज़बूर न किया जाय । लेकिन माध्यमिक शिक्षामें उसे उसके लिये प्रोत्साहन दिया जा सकता है ।

४. राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी हो, और देवनागरी व फ़ारसी दोनों लिपियोंको स्वीकार किया जाय । जिसलिये हिन्दुस्तानभरकी किसी भी अदालत या सरकारी दफ्तरोंमें अरज़ियाँ हिन्दुस्तानीमें (दोनों लिपियोंमेंसे चाहे जिस लिपिमें) पेश की जा सकेंगी, और किसी दूसरी भाषा या लिपिमें उनकी नक़ल या अनुवाद देनेकी कोअी ज़रूरत न होगी ।

५. देवनागरी, बँगला, गुजराती और मराठी लिपियोंमें अेकरूपता लाने और उनके मेलसे अेक अैसी संयुक्त लिपि बनानेका प्रयत्न किया जाय, जो छापाखानों, टाइपराइट्रों और दूसरी तरहके यंत्रोंके लिये अुपयुक्त सिद्ध हो ।

६. सिन्धी लिपिको शुद्ध लिपिमें मिला दिया जाय, और उसे जहाँतक सम्भव हो सके, सरल और छापाखानों, टाइपरायिटरों और दूसरी तरहके यंत्रोंमें काम आने लायक बनाया जाय ।

७. दक्षिण भारतीय भाषाओंकी लिपियोंको देवनागरी लिपिके समान बनानेका प्रयत्न किया जाना चाहिये । अगर यह काम सम्भव न जान पड़े, तो दक्षिण भारतकी विभिन्न भाषाओं (तामिल, तेलगू, कन्नड़, और मलयालम)के लिअे अेक लिपि बनानेकी कोशिश की जाय ।

८. रोमन लिपिमें अनेक लाभ होते हुअे भी, कम-से-कम फ़िलहाल तो, अपनी देशी भाषाओंके लिअे असुका प्रयोग हमारे लिअे सम्भव नहीं है । अिन लिपियोंकी व्यवस्था अिस तरह होनी चाहिये — देवनागरी, बँगला, गुजराती और मराठीके योगसे बनी अेक लिपि; शुद्ध और सिन्धीके लिअे अेक लिपि; और अगर दक्षिण भारतीय भाषाओंकी विभिन्न लिपियोंको देवनागरीके समीप नहीं लाया जा सकता हो, तो सब दक्षिणी भाषाओंके लिअे अेक लिपि ।

९. अिन प्रान्तोंमें हिन्दुस्तानी बोली जाती है, वहाँ अगर हिन्दी और शुद्धमें अेद बढ़ता भी जा रहा है, और अगर अुनका विकास भी अुदा-अुदा दिशाओंमें हो रहा है, तो भी किसी प्रकारकी आशंकाकी कोअी वजह नहीं है । अुनके विकासमें किसी प्रकारकी बाधायें भी अुपस्थित न की जानी चाहियें । अव भाषामें नये और गूढ़ विचारोंका समावेश हो रहा है, तो किसी हदतक यह स्वाभाविक ही है । दोनों भाषाओंके विकाससे हिन्दुस्तानी भाषाकी अुन्नति ही होगी । वादको अव संसारकी अन्य शक्तियोंका प्रभाव बढ़ेगा, या राष्ट्रीयताका अुस दिशामें दबाव पड़ेगा, तो दोनों भाषाओंका सामञ्जस्य अनिवार्य हो जायगा । सार्वजनिक शिक्षा बढ़नेके साथ भाषामें समानता और सामञ्जस्यका प्रादुर्भाव होगा ।

१०. हमें अिस बातपर अोर देना चाहिये कि हमारी भाषायें साधारण जनताकी भाषायें बनें । लेखकोंको चाहिये कि वे जनताकी समस्याओं पर लिखें, और जो कुछ वे लिखें, वह सरल भाषामें हो, ताकि जनताकी समझमें आ सके । दरबारी और कृत्रिम शैली तथा लच्छेदार भाषाके प्रयोगको प्रोत्साहन न मिलना चाहिये, और सरल तथा ओजपूर्ण शैलीके विकाससे दूसरे फ़ायदोंके अलावा अेक फ़ायदा यह भी होगा कि हिन्दी और शुद्धमें समानता बढ़ जायगी ।

११. जैसे अंग्रेज़ीके प्रारम्भिक और मुख्य शब्दोंको चुनकर 'बेसिक अंग्लिश' (आधार-भाषा) तैयार की गयी है, वैसे ही हिन्दुस्तानीके लिये भी अेक आधार-भाषा तैयार की जानी चाहिये। यह भाषा सरल होनी चाहिये, जिसमें व्याकरणके बन्धन कम-से-कम हों, और लगभग १,००० शब्द हों। वह सम्पूर्ण भाषा हो, जो साधारण बोलचाल और लिखनेके कामोंके लिये पर्याप्त हो; साथ ही वह हिन्दुस्तानीके ही अन्तर्गत हो, और हिन्दुस्तानीके अध्ययनके लिये प्रारम्भिक भाषाके रूपमें रहे।

१२. जिस आधार-भाषाको तैयार करनेके अलावा हिन्दुस्तानी (हिन्दी और उर्दू)में, और अगर सम्भव हो तो दूसरी भाषाओंमें भी, वैज्ञानिक, राजनीतिक और अर्थशास्त्र या दूसरे विषयोंके सम्बन्धमें प्रयुक्त होनेवाले विशेष शब्दोंको निश्चित कर लेना चाहिये। जहाँ आवश्यक समझा जाय, ऐसे शब्दोंको विदेशी भाषाओंसे ले लिया जाय, और उन्हें तत्समरूपमें ही भारतीय भाषाओंमें रख लिया जाय। बाक़ी और विशेष शब्दोंके लिये देशी भाषाओंसे ही लेकर शब्द-सूची तैयार कर लेनी चाहिये, ताकि वैसे शब्दोंके लिये अेक निश्चित और समान शब्द-कोशका निर्माण किया जा सके।

१३. सार्वजनिक शिक्षाके विषयमें सरकारकी नीति यह हो कि विद्यार्थीकी मातृभाषा ही शिक्षाका माध्यम होगी। प्रत्येक प्रान्तमें प्रारम्भिक शिक्षासे अुच्च शिक्षातक शिक्षाका माध्यम प्रान्तकी भाषाको ही रक्खा जाय। अगर किसी प्रान्तमें दूसरी भाषावाले विद्यार्थियोंका बहुत बड़ा वर्ग हो तो, अुन्हींकी मातृभाषामें प्रारम्भिक शिक्षा देनेका प्रबन्ध किया जाय, बशर्त कि अुनकी शिक्षाका प्रबन्ध सुविधापूर्वक किसी शिक्षा-केन्द्रसे हो सके। अगर दूसरी मातृभाषावाले विद्यार्थियोंका वर्ग काफ़ी बड़ा हो, तो माध्यमिक शिक्षा भी अुन्हें अपनी मातृभाषामें मिल सके। जिस प्रान्तमें वे रहते हैं, अुस प्रान्तकी भाषाका अध्ययन अेक पाठ्यविषयके रूपमें अनिवार्य किया जा सकता है।

१४. जिन प्रान्तोंमें बोलचालकी भाषा हिन्दुस्तानी न हो, वहाँ माध्यमिक शिक्षामें हिन्दुस्तानीकी शिक्षा आधार-भाषाकी तरह दी जानी चाहिये। लिपिका चुनाव विद्यार्थियोंके अूपर ही छोड़ा जा सकता है।

१५. शुच्य शिक्षाका माध्यम प्रान्तकी भाषाको ही रखना चाहिये । लेकिन साथ ही, हिन्दुस्तानीका (लिपि कोअी भी हो) और अेक वैदेशिक भाषाका अध्ययन अनिवार्य हो । कला-कौशलकी शुच्य शिक्षाके पाठयक्रममें अिन भाषाओंके अनिवार्य अध्ययनकी आवश्यकता नहीं है, हालाँ-कि अिनका ज्ञान हो तो अच्छा ही है ।

१६. विदेशी भाषाओं और प्राचीन भारतीय भाषाओंके अध्ययनका प्रबन्ध माध्यमिक शिक्षाके साथ-साथ हो, लेकिन कुछ विशेष पाठयक्रमोंको छोड़कर अुनकी शिक्षा अनिवार्य न हो ।

१७. प्राचीन साहित्य और आधुनिक विदेशी भाषाओंकी साहित्यिक पुस्तकोंका भारतीय भाषाओंमें अनुवाद कराया जाय, ताकि हमारी देशी भाषाओंका अन्य देशोंके सांस्कृतिक और सामाजिक आन्दोलनोंसे सम्पर्क स्थापित हो सके, और अुससे हमारी देशी भाषाओंको शक्ति मिले ।

(हरिजनसेवक, ४-९-'३७)

२५

अभिनन्दनीय

मौलवी अब्दुल हक साहब और श्री राजेन्द्रबाबूने हिन्दी-अुर्दू-विवादके बारेमें जो संयुक्त वक्तव्य निकाला है, अुससे यह आशा की जा सकती है कि यह विवाद अब खत्म हो जायगा, और जो अन्तर्प्रान्तीय भाषामें दिलचस्पी रखते हैं, वे अिस सवालपर अिसके गुण-दोषकी ही दृष्टिसे विचार कर सकेंगे, और सब मिलकर किसी अच्छी व्यावहारिक योजना-पर भी पहुँच सकेंगे । वक्तव्य यह है—

“पटनामें ता० २८ अगस्तको बिहार-अुर्दू-कमेटीकी जो बैठक हुआी थी, अुस अवसरपर हमें हिन्दुस्तानी भाषाके सवालके बारेमें अेक-दूसरेके साथ, और दूसरे भी कुछ दोस्तोंके साथ बहस करनेका मौका मिला । अुर्दू-हिन्दी-हिन्दुस्तानीके विवादके बारेमें जो शलतफ्रहमियाँ दुर्भाग्यसे पैदा हो गयी हैं, अुनको दूर करनेकी फ़िक्र हमें थी । हमें यह कहते हुआे खुशी होती

है कि जिस प्रश्नके अनेक अंगोंपर हमने बहस की, और हमने देखा कि जिस चर्चामें आये हुअे अनेक प्रश्नोंमें हम लोगोंकी अेक राय है । हम जिस बातमें सहमत हैं कि हिन्दुस्तानीको हिन्दुस्तानकी राष्ट्रभाषा होना चाहिये, और वह अुर्दू व नागरी दोनों लिपियोंमें लिखी जानी चाहिये, और सरकारी आफिसों और शिक्षामें दोनों लिपियोंको क्रबूल कर लेना चाहिये । ' हिन्दुस्तानी ' हम अुस ज़बानको कहते हैं, जिसे अुत्तर हिन्दुस्तानमें बहुत बड़ा जनसमुदाय बोलता है, और हम मानते हैं कि जो शब्द आम व्यवहारमें अिस्तेमाल होते हों, अुन्हें चुनकर हिन्दुस्तानी शब्द-भण्डारमें दाखिल कर लेना चाहिये । और, हम यह भी मानते हैं कि अुर्दू और हिन्दी दोनोंको, और साहित्यमें अिस्तेमाल होनेवाली भाषाओंको, अुनके विकासके लिये पूरा मौक़ा मिलना चाहिये । हमारी तजवीज़ यह है कि अुर्दू और हिन्दीके विद्वात्तोंके सहयोगसे हिन्दुस्तानी लफ़्ज़ोंका अेक मूलकोश तैयार करनेका प्रयत्न होना चाहिये ।

“ अैसा कोश बनानेके लिये व्यावहारिक तदबीरों और पारिभाषिक शब्दोंके चुनाव-जैसे अनेक सवालोंका हल निकालनेके लिये हिन्दी व अुर्दूके प्रतिनिधियोंकी अेक छोटीसी कमेटी नियुक्त करनी चाहिये । अुर्दू व हिन्दीके अैसे वज़नदार समर्थकोंकी यह कमेटी बननी चाहिये, जो यह मानते हों कि अिन दोनों ज़बानोंको अेक-दूसरेके अधिक नज़दीक लाया जाय, और हिन्दुस्तानी भाषाके विकासको प्रोत्साहन दिया जाय, और अिस तरह अिन दोनों भाषाओंके बोलनेवालोंके बीच सद्भाव पैदा किया जाय, और जितनी जल्दी हो सके अुतनी जल्दी यह कमेटी बुलायी जाय । ”

हमें आशा है कि अिस वक्तव्यके प्रकाशक अैसे हिन्दुस्तानी शब्दोंका मूलकोश, जिन्हें सब पक्षोंके लोग मंज़ूर कर सकें, तैयार करनेके लिये जल्दी ही काम शुरू करेंगे, और अिस कामके लिये तथा ' अनेक बड़े-बड़े सवालोंको हल करनेके लिये ' जिस कमेटीका बनाना अुन्होंने तय किया है, अुसे फ़ौरन ही नियुक्त करेंगे । अगर कामको शीघ्रतासे सुलझाना है, तो मैं अिस बातपर ज़ोर दूँगा कि कमेटी जहाँतक हो, छोटी होनी चाहिये ।

(हरिजनसेवक, १८-९-'३७)

मद्रासमें हिन्दुस्तानीकी शिक्षा

१

[जब मद्रासकी कांग्रेस-सरकारने खूबेके स्कूलोंमें हिन्दुस्तानीको पढ़ाओ अेक विषयकी तरह दाखिल की, तो कुछ लोगोंने उसके विरोधमें तरह-तरहकी और अनुचित कार्रवायियाँ भी कीं । उसके बारेमें गांधीजीके पास भी शिकायत पहुँची । उसपर राजाजीकी सरकारका खुलासा और बादमें उस सिलसिलेमें गांधीजीने 'कांग्रेसजन, सावधान !' के नामसे जो लेख लिखा, उसका आवश्यक अंश नीचे दिया है —]

मद्रास सरकारने पिछली ९ तारीखको नीचे लिखा बयान छपाया है—

उस प्रान्तके विद्यालयोंमें हिन्दुस्तानीकी जो पढ़ाओ दाखिल की गयी है, उसके बारेमें बहुत गलतफ़हमी फैलानेवाला प्रचार किया जा रहा है । उस बारेमें सरकार अपनी नीति स्पष्ट कर देना चाहती है, जिससे उस सिलसिलेमें कोओ गलतफ़हमी पैदा होनेका अँदेशा हो, तो वह दूर हो जाय ।

यदि हमारे प्रान्तको हिन्दुस्तानके राष्ट्रीय जीवनमें अपना योग्य स्थान प्राप्त करना हो, तो उसके लिये यह ज़रूरी है कि जिस भाषाके बोलनेवाले हिन्दुस्तानमें सबसे ज्यादा हों, उसका व्यावहारिक ज्ञान हमारे नौजवानोंको हो । उसलिये सरकारने उस प्रान्तके हाओीस्कूलोंकी पढ़ाओमें हिन्दुस्तानीको बतौर अेक विषयके दाखिल करनेका निश्चय किया है । सरकार यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि प्रान्तके किसी प्राओिमरी स्कूलमें हिन्दुस्तानी दाखिल नहीं की जायगी, और उनमें तो सिर्फ़ मातृभाषा सिखाओी जायगी । हिन्दुस्तानी सिर्फ़ हाओीस्कूलोंमें दाखिल की जायगी, और वहाँ भी वह पहले, दूसरे और तीसरे दरजोंमें ही, यानी स्कूली जीवनके छठे, सातवें और आठवें सालमें ही पढ़ाओी जायगी । उसलिये हाओीस्कूलोंमें वह किसी भी तरह मातृभाषाकी शिक्षामें बाधक नहीं होगी । मातृभाषाकी पढ़ाओी पहलेकी ही तरह जारी रहेगी, और अेक क्लाससे दूसरे क्लासमें चढ़ते समय हिन्दुस्तानी न जाननेके कारण कोओी रुकावट न आयेगी;

लेकिन उसका आधार, पहलेकी तरह, सामान्य ज्ञानपर और मातृभाषा सहित दूसरे विषयोंमें प्राप्त अंकोंपर रहेगा। हिन्दुस्तानीकी अनिवार्यता जिसी अर्थमें रहेगी कि विद्यार्थियोंके लिये हिन्दुस्तानीके क्लासमें हाज़िर रहना लाज़िमी होगा, और वे तामिल, तेलगू, मलयालम या कन्नड़के बदलेमें हिन्दुस्तानी नहीं ले सकेंगे, बल्कि जिनमेंसे किसी अेक भाषाके अलावा उन्हें हिन्दुस्तानी सीखनी होगी।

साथ ही, सरकारने यह हुक्म भी जारी कर दिया है कि जिस साल हाजीस्कूलोंमें चौथे दरजेसे — और अगले दो सालोंमें हाजीस्कूलके सबसे ऊँचे दरजेतक — सारी पढ़ाई मातृभाषा द्वारा ही करवायी जाय। जिन प्रदेशोंमें दो भाषाओंके प्रचारके कारण प्रश्न अटपटा नहीं बनता, वहाँ सब जगह जिसी नीतिसे काम होगा। पाठ्यक्रममें मातृभाषाका स्थान शुरूसे आखिरतक महत्त्वका होगा। मिडिल स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षाके नियमोंमें सरकार यह सुधार करना चाहती है कि जिस परीक्षामें बैठने-वालोंके लिये मातृभाषामें अपने विचारोंको भलीभाँति प्रकट करनेकी योग्यता आवश्यक मानी जानी चाहिये। जिस तरह सरकारने जिस प्रान्तकी शिक्षा-योजनामें मातृभाषाके महत्त्वका ध्यान रक्खा है, और वास्तवमें सरकार यह प्रयत्न कर रही है कि अबतक शिक्षामें मातृभाषाका जो स्थान रहा है, उसकी अपेक्षा उसे अधिक महत्त्वका और ऊँचा स्थान दिया जाय।

(ह०ब०, १९-६-१९३८)

२

मेरे पास ढेर-के-ढेर ऐंसे पत्र और तार आये हैं, जिनमें मद्रासके प्रधानमंत्रीके कामोंकी, जिन्हें जिन पत्रों और तारोंमें उनके कुकृत्य कहा गया है, शिकायत की गयी है। मैं उनमेंसे ऐंसी दो बातोंको लेता हूँ, जिनके खिलाफ देशके अनेक भागोंमें टीका-टिप्पणी हुई है। उनमेंसे अेक तो वह नीति है, जो उन्होंने हिन्दुस्तानी भाषाके बारेमें अख्तियार की है, और दूसरी पिकेटिंगके वाहियातपनको रोकनेके लिये उनके द्वारा 'क्रिमिनल लॉ अेमेण्डमेण्ट अेक्ट'का अपनाया जाना है।

राजाजीके खिलाफ़ जो खास शिकायतें हैं, उनके बारेमें भी अब मैं एक शब्द कह दूँ ।

हिन्दुस्तानी हमारी राष्ट्रभाषा है या होगी, अगर ऐसी घोषणायें हमने सचाओके साथ की हैं, तो फिर हिन्दुस्तानीका ज्ञान प्राप्त करनेमें कोओी बुराओी नहीं है । अंग्लैण्डके स्कूलोंमें लेटिन सीखना लाज़िमी था, और शायद अब भी है । उसके अध्ययनसे अंग्रेज़ीके अध्ययनमें कोओी बाधा नहीं पड़ी । अिसके विपरीत, उसके ज्ञानसे अंग्रेज़ी भाषा और समृद्ध ही हुआी है । अिसलिअे 'मातृभाषा खतरेमें है', का जो शोर मचाया जाता है, वह या तो अज्ञानवश मचाया जाता है, या अुसमें पाखण्ड है । जो अीमानदारीके साथ ऐसा सोचते हैं, अुनकी अिस देशभक्तिपर तरस आता है कि हमारे बच्चे हिन्दुस्तानी सीखनेके लिअे अपना एक घण्टा भी न दें ! अगर हमें अखिल भारतीय राष्ट्रीयता प्राप्त करनी है, तो प्रान्तीय आवरणको भेदना ही पड़ेगा । सवाल यह है कि हिन्दुस्तान अेक देश और राष्ट्र है, या अनेक देशों और राष्ट्रोंका समूह है ? जो लोग यह मानते हैं कि यह अेक देश है, अुन्हें तो राजाजीका पूरा समर्थन करना ही चाहिये । अगर जनता अुनके साथ न होगी, तो वे अपने पदको खो देंगे । लेकिन ताज्जुबकी बात यह है कि अगर जनता अुनके साथ नहीं है, तो अुनको अितना भारी बहुमत कैसे प्राप्त है ? और, अगर अुन्हें बहुमत प्राप्त न भी हो, तो क्या हुआ ? वे अपना पद छोड़ सकते हैं, मगर अपने आन्तरिक विश्वासको नहीं छोड़ सकते । अुनको जो बहुमत प्राप्त है, अगर वह कांग्रेसकी अिच्छाका द्योतक न हो, तो अुसका कोओी मूल्य नहीं; बल्कि अुन सब बातोंपर अुसका दार-मदार है, जिनसे राष्ट्र यथासम्भव कम-से-कम समयमें महान् और स्वाधीन बनेगा ।

(हरिजनसेवक, १०-९-१९३८)

हिन्दुस्तानी, हिन्दी और अर्दू

हिन्दी-अर्दूके प्रश्नपर कड़ु वाद-विवाद चल पड़ा है, और अभी भी चल रहा है, यह बड़े अफ़सोसकी बात है। जहाँतक कांग्रेसका सम्बन्ध है, हिन्दुस्तानी ही वह भाषा है, जिसे उसने अन्तर्प्रान्तीय सम्पर्कके लिये बाज़ान्ता अखिल भारतीय भाषा स्वीकार किया है। वर्किंग कमेटीके हालके प्रस्तावसे इस सम्बन्धके सारे सन्देह दूर हो जाने चाहियें। जिन कांग्रेस-जनोंको सारे हिन्दुस्तानमें काम करना पड़ता है, वे अगर दोनों लिपियोंमें हिन्दुस्तानी सीखनेका कष्ट सुठायें, तो अपने सामान्य भाषाके लक्ष्यकी ओर हम बहुत-कुछ आगे बढ़ जायें। क्योंकि असली प्रतिस्पर्द्धा तो हिन्दी और अर्दूमें नहीं, बल्कि हिन्दुस्तानी और अंग्रेज़ीमें है। वही करारा मुक़ाबला है। मैं तो उसके लिये निश्चय ही बहुत चिन्तित हूँ।

हिन्दी-अर्दू-विवादका कोअी आधार नहीं है। हिन्दुस्तानीके बारेमें कांग्रेसकी जो धारणा है, उसको अभी मूर्त्तरूप प्राप्त होना है। और ऐसा तबतक न होगा, जबतक कांग्रेसकी कार्रवाअी अेकमात्र हिन्दुस्तानीमें न होने लगेगी। कांग्रेसजनोंके अुपयोगके लिये कांग्रेसको हिन्दुस्तानीके कोश बनाने पड़ेंगे, और अेक अैसा विभाग खोलना पड़ेगा, जो अिन कोशोंके अलावा प्रयुक्त होनेवाले नये-नये शब्द मुहैया करेगा। यह काम बहुत बड़ा है। लेकिन अगर हमें दर हक़ीक़त सारे हिन्दुस्तानमें प्रचलित अेक ज़िन्दा और बढ़ती हुअी भाषाको अस्तित्वमें लाना है, तो अैसा करना ही चाहिये। यह विभाग इस बातका निर्णय करेगा कि अर्दू या देवनागरी लिपियोंमें लिखे हुअे प्रस्तुत साहित्यके ग्रन्थों और मासिक, साप्ताहिक, तथा दैनिक पत्रोंमें से किन-किनको हिन्दुस्तानीका समझा जाय। यह अेक गम्भीर काम है, जिसमें सफलता पानेके लिये बड़े परिश्रमकी ज़रूरत है।

हिन्दुस्तानीको मूर्त्तरूप देनेके लिये हिन्दी और अर्दूको उसकी पोषक भाषायें समझना चाहियें। इसलिये कांग्रेसजनोंको अिन दोनोंके प्रति अच्छे भाव रखने चाहियें, और जहाँतक बन सके, अिन दोनोंके ही सम्पर्कमें रहना चाहिये।

प्रान्तीय भाषाओंसे समृद्ध, अेक अुन्नतिशील राष्ट्रकी विविध आवश्यकताओंको पूरा करनेके लिये जिस हिन्दुस्तानीको अनेक पर्यायवाची शब्द सुहैया करने पड़ेंगे । बंगाल या दक्षिणके श्रोताओंके सामने जो हिन्दुस्तानी बोली जायगी, उसमें स्वभावतः संस्कृतसे अुत्पन्न शब्दोंका प्राचुर्य होगा । वही भाषण जब पंजाबमें किया जायगा, तो उसमें अरबी-फ़ारसीसे पैदा हुअे शब्दोंकी काफ़ी मिलावट होगी । यही हाल अुन श्रोताओंके सामने होगा, जिनमें मुसलमानोंकी तादाद ज़्यादा होगी, जो संस्कृतसे बने हुअे अनेक शब्दोंको नहीं समझ सकते । जिसलिये जिन्हें सारे हिन्दुस्तानमें भाषण करने पड़ते हैं, अुनका हिन्दुस्तानीका शब्द-भण्डार अैसा होना चाहिये, जिसकी मददसे भारतके सभी भागोंके श्रोताओंके सामने वे बिना किसी हिचकिचाहटके बोल सकें । पं० मालवीयजी जिस दिशामें सर्वोपरि हैं । मैं जानता हूँ कि श्रोता चाहे हिन्दी-भाषी हों या अर्दू बोलनेवाले, अुनको अपनी तरफ़ मुखातिब करनेमें अुन्हें कभी मुश्किल नहीं पड़ती । किसी ठीक शब्दके लिये मैंने अुन्हें कभी भटकते न पाया । यही बात बाबू भगवानदासकी है, जो अपने भाषणोंमें विविध पर्यायवाची शब्दोंका अिस्तेमाल करते हैं, और जिस बातका ध्यान रखते हैं कि अुनमेंसे कोअी बेमौजू तो नहीं हो रहा है । यह लिखते समय मुसलमानोंमें सुझे मौलाना मुहम्मद अलीका खयाल आता है, जिनके पास दोनों ही तरहके श्रोताओंके लिये काफ़ी विविधतापूर्ण शब्द-भण्डार था । बड़ौदामें नौकरी करते समय अुन्होंने गुजरातीकी जो जानकारी हासिल की थी, उससे अुन्हें काफ़ी लाभ हुआ ।

कांग्रेससे स्वतंत्र रहकर हिन्दी और अर्दू बराबर तरक्की करती रहेंगी । हिन्दी ज़यादातर हिन्दुओंमें और अर्दू मुसलमानोंमें महदूद रहेगी । तुलनात्मक रूपमें कहें, तो दर हक़ीक़त हिन्दी जाननेवाले अैसे मुसलमान बहुत कम हैं, जिन्हें उसका पण्डित कहा जा सके, हालाँकि मैं अुम्मीद यह करता हूँ कि हिन्दी-भाषी भागोंमें पैदा होनेवाले मुसलमानोंकी मादरी ज़बान हिन्दी ही है । हाँ, अैसे हज़ारों हिन्दू हैं, जिनकी मातृभाषा अर्दू है, और अुनमेंसे सैकड़ों अैसे भी हैं, जिन्हें अर्दूका पण्डित कहा जा सकता है । पण्डित मोतीलाल नेहरू अैसे थे । डॉ० तेजबहादुर सप्रूको भी हम ले सकते

हैं। जैसे अुदाहरण और भी बहुतसे मिल सकते हैं। जिसलिअे कोअी वजह नहीं कि अिन दो बहनोंमें कोअी झगड़ा या कट्ट प्रतिस्पर्दा हो। हाँ, प्रेमभरी प्रतिस्पर्दा तो हमेशा होनी ही चाहिये।

मेरे पास जो कुछ विवरण आया है, उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि मौलवी अब्दुल हक साहबके योग्यतापूर्ण नेतृत्वमें अुस्मानिया युनिवर्सिटी अुर्दूकी बड़ी सेवा कर रही है। युनिवर्सिटीमें उर्दूका अेक बहुत बड़ा कोश है। सायन्सकी भी किताबें अुर्दूमें तैयार की जा रही हैं। और, चूँकि अुस युनिवर्सिटीमें अीमानदारीके साथ अुर्दूकी शिक्षा दी जा रही है, जिसलिअे अुसकी तरक्की होनी ही चाहिये। अकारण किसी तास्सुबकी वजहसे अगर आज हिन्दी-भाषी हिन्दू वहाँके बढ़ते हुअे साहित्यसे लाभ न अुठायेँ, तो यह अुनका क्रसूर है। लेकिन जिस तास्सुबका अन्त तो निश्चित है, क्योंकि दोनों जातियोंके बीचकी मौजूदा नाअित्तफाक्की तमाम बीमारियोंकी तरह अस्थायी ही है। अच्छा हो या बुरा, पर ये दोनों जातियाँ तो हिन्दुस्तानकी हो चुकी हैं; वे अेक-दूसरेकी पड़ोसी हैं, और जिसी देशकी सन्तान हैं। यहाँ वे पैदा हुअे हैं और यहाँ मरेंगे। जिस लिअे अगर वे खुद-ब-खुद ही शान्तिसे न रहने लगे, तो कुदरत जिसके लिअे अुन्हें मजबूर करेगी।

और, जो हाल हिन्दुओंका है, वही मुसलमानोंका है। अगर मुसलमान हिन्दी साहित्य-सम्मेलन और नागरी प्रचारिणी-सभाके विनम्र परिश्रमके फलोंका अुपयोग न करें, तो यह अुनका क्रसूर है। यह बड़े दुःखकी बात है कि सम्मेलनने हिन्दीकी यह व्याख्या करके कि वह भाषा जो अुत्तर भारतमें हिन्दू-मुसलमानों द्वारा बोली जाती है, और जो अुर्दू या देवनागरी लिपिमें लिखी जा सकती है, (अपनी ओरसे) जो बड़ा क्रदम अुठाया है, मुसलमानोंने फ़ख़ और ख़शीके साथ अुसकी दाद नहीं दी है। जिस तरह, जहाँतक जिस व्याख्याका सम्बन्ध है, काँग्रेसने हिन्दुस्तानीकी जो व्याख्याकी है, अुसके साथ जिसका मेल बैठ जाता है। मैं यह जानता हूँ कि जैसे भी कुछ लोग हैं, जो जिस बातका सपना देखते हैं कि यहाँ खाली अुर्दू या खाली हिन्दी ही रहेगी। लेकिन मेरा खयाल है कि यह अपवित्र सपना है, और सदा सपना ही रहेगा। अिस्लामकी अपनी खास

संस्कृत है। जैसी तरह हिन्दू धर्मकी भी अपनी संस्कृति है। भावी भारतमें जिन दोनों संस्कृतियोंका पूर्ण और सुखद सम्मिश्रण रहेगा। जब वह शुभ दिन आयेगा, तब हिन्दू-मुसलमानोंकी सामान्य भाषा हिन्दुस्तानी होगी। लेकिन बुर्दू फिर भी अरबी-फ़ारसी शब्दोंकी बहुलताके साथ फूलती-फलती रहेगी, और हिन्दी अपने संस्कृत शब्दोंके भारी भण्डारके साथ फूले-फलेगी। शिबलीने जिस भाषामें लिखा है वह मर नहीं सकती, जैसी तरह तुलसीदास और सूरदासकी भाषा भी मर नहीं सकती। लेकिन जिन दोनोंकी अच्छाइयाँ हिन्दुस्तानी ज़बानमें बिलकुल घुल-मिल जायँगी।

(हरिजनसेवक, २९-१०-'३८)

२८

राष्ट्रभाषाका नाम

अपनेको पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता कहनेवाले एक मुसलमान मित्र यों लिखते हैं—

“... हिन्दुस्तानकी ‘राष्ट्रभाषा’की चर्चाके दरमियान ध्यान न रहनेसे जो एक विरोधाभास रह गया है, उसकी तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। जहाँतक मुझे याद है, जिस बारेमें कांग्रेस द्वारा पाठ किये गये प्रस्तावमें ‘हिन्दी’ नहीं, बल्कि ‘हिन्दुस्तानी’ शब्द रक्खा गया है। आप खुद भी अपनी तमाम तक्रारोंमें और लेखोंमें हमेशा ‘हिन्दुस्तानी’ शब्दका ही बिस्तेमाल करते रहे हैं। जैसी हालतमें यह एक अफ़सोसकी बात है कि बहुतसे कांग्रेसी कांग्रेसके प्रस्तावकी भिन्नता न करते हुये ‘हिन्दी’ शब्दका ही उपयोग करते रहते हैं। जिस गलत शब्दके बिस्तेमालसे कांग्रेसके मातहत काम करनेवाले मुसललिफ़ दलों या मण्डलोंमें बहुत गलतफ़हमी फैल गयी है। मेरे खयालमें हरभेक कांग्रेसीको चाहिये कि राष्ट्रभाषाका जिक्र करते समय वह ‘हिन्दी’ या ‘बुर्दू’मेंसे किसीका कहीं बिस्तेमाल न करके ‘हिन्दुस्तानी’ शब्दका बिस्तेमाल करे।”

मैं जिस सुझावको सच्चे दिलसे मंजूर करता हूँ। राष्ट्रभाषाका एक ही नाम है, और वह है, ‘हिन्दुस्तानी’।

(सेगाँव, २५-१२-'३८)

हिन्दुस्तानीका शब्दकोश

सवाल — आप हिन्दुस्तानीका क्या अर्थ करते हैं ? क्या आप हिन्दी-
अर्द्ध दोनोंका एक सामान्य शब्दकोश पसन्द करते हैं ?

जवाब — मैं तो आपसे आगे बढ़ गया हूँ । मैं जानता हूँ कि मौलवी
अब्दुल हक़ साहबने एक शब्दकोश तैयार किया है, जिसमें काशीवाले
हिन्दी शब्द-सागरमें दिये गये तमाम अर्द्ध शब्द और अस्मानिया शब्दकोशमें
दिये गये तमाम हिन्दी शब्द लिये हैं । मैंने कांग्रेससे खास तौरपर
सिफ़ारिश की है कि वह मौलवी साहबके अिस शब्दकोशको मंज़ूर कर ले,
और नये शब्दोंके लिये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और श्री राजेन्द्रबाबूकी
एक कमेटी बना दे ।

(ह० ब०, २९-१-३९)

हमारी जिम्मेदारी

(राष्ट्रभाषाके प्रचारकोसे)

[ता० २४-९-१९३९के दिन राष्ट्रभाषा-प्रचारकी वर्षा-समितिकी तरफ़से
चलनेवाले अध्यापन-मन्दिरके विद्यार्थियोंको दिया गया भाषण — 'सबकी बोली'
मासिक, अंक १, पु० १, पृष्ठ २से लेकर नीचे दिया है ।]

राष्ट्रभाषा अभी बनी नहीं है, अभी तो उसका जन्म ही हुआ है ।
हिन्दीमें अभीतक जैसे काफ़ी ग्रन्थ नहीं मिलते, जिनके ज़रिये विज्ञान
आदिके समान विषयोंको पढ़ाया जाता हो । हाँ, बँगला और अर्द्धमें
कुछ जैसे ग्रन्थ तैयार हुआ हैं । परन्तु बँगलासे भी ज़्यादा तरक्की अर्द्ध
भाषाने की है । अस्मानिया युनिवर्सिटीने सबसे ज़्यादा काम किया है ।
अन लोगोंने अिस काममें लाखों रुपया भी खर्च किया है । उनके यहाँ
अँचे-से-अँचे दरजोंमें विज्ञान (सायन्स) जैसे मुश्किल विषयोंकी तालीम
अर्द्धकी मारफ़त दी जाती है । हिन्दीमें अभी ऐसा नहीं हुआ है ।

महामना मालवीयजीने हिन्दू-विश्वविद्यालय कायम करके बहुत बड़ा काम किया है। वैसा काम मेरे देखनेमें कहीं नहीं आया। दूसरे मुल्कोंमें भी ऐसा काम नहीं हुआ है। जिसमें कोभी सन्देह नहीं कि मालवीयजी सचमुच भारत-भूषण हैं। लेकिन खेद है कि अभीतक उनके हिन्दू-विश्वविद्यालयमें भी विज्ञान-जैसे कठिन विषयको हिन्दी भाषाके जरिये न पढ़ाकर अंग्रेज़ीकी मारफ़त ही पढ़ाया जाता है। जिस कमीको दूर करना होगा — यही आप लोगोंका मिशन है, ज़िम्मेदारी है।

राष्ट्रभाषा-प्रचारकोंका हिन्दी और अर्दू, दोनोंपर पूरा अधिकार होना चाहिये। जबतक ऐसा न होगा, तबतक आप लोग सच्चे राष्ट्र-भाषा-प्रचारक न बन सकेंगे। मालवीयजी महाराजको और डॉक्टर भगवानदासजीको देखिये। वे जब मुसलमान भाषियोंकी सभामें जाते हैं, तो बिलकुल अर्दू ज़बानमें बात करते हैं। मुसलमान कभी अर्दूमें पराया नहीं समझते, अक तरहसे, अपनी भाषाके कारण वे मुसलमान ही जान पड़ते हैं। मालवीयजी बंगालियोंके साथ बँगलामें ही बातचीत करते हैं, और हिन्दी-भाषियोंके साथ सुन्दर हिन्दीमें। [बीचमें अक महाशय प्रश्न कर बैठे — “बापूजी, वे लोग (मालवीयजी और डॉक्टर भगवानदासजी) तो अपवादस्वरूप है ? ”] बापूने कहा — आप लोगोंका यह खयाल ग़लत है। आप लोगोंको भी अर्दूकी तरह अपवादरूप बनना है। जबतक आप लोग जैसे अपवादरूप न बनेंगे, तबतक आप सच्चे राष्ट्रभाषा-प्रचारक न बन सकेंगे। हाँ, पैसा कमानेके हेतुसे आप २५), ३०) रूपये तो कमाते रह सकेंगे, मगर जिससे आपके मुल्कको कोभी लाभ नहीं हो सकता। फिर आप लोगोंसे फ़ायदा ही क्या रहा ? पशु भी सुखसे चारा चरकर अपना निर्वाह कर लेते हैं।

जबतक आप लोग अर्दू-हिन्दी दोनोंके खासे विद्वान् नहीं बन जाते, तबतक राष्ट्रभाषाकी सच्ची सेवा नहीं कर सकते। राष्ट्रभाषा-प्रचारकोंको तो ठीक-ठीक अिनके विद्वान् बनना है — जिस कलाको हासिल किये बिना वे किसी तरह सच्चे प्रचारक नहीं हो सकते। आप लोग पूछ सकते हैं कि ‘जब अर्दू और बँगलामें अच्छा साहित्य मौजूद है, तब असीको राष्ट्रभाषा क्यों न मानें ?’ हाँ, यह कहना ठीक है, परन्तु मैं देखता हूँ कि ऐसी कोभी

भाषा नहीं — हिन्दी-अर्दूके मिश्रणको छोड़कर — जो राष्ट्रभाषा बन सके । हिन्दी-अर्दूका मिश्रण बहुत आसान है । धीरे-धीरे, आप लोगोंकी मेहनतसे, इस मिश्रणसे ऊँचा साहित्य भी तैयार हो सकता है । यही आशा है, और इसीलिये मैंने हिन्दी-अर्दूके आसान मिश्रणको राष्ट्रभाषा बनानेपर जोर दिया है । मुझे शुम्मीद है कि आगे चलकर हिन्दुस्तानके सब भाषी-बहन हिन्दी-अर्दूके मिश्रणको राष्ट्रभाषा स्वीकार कर लेंगे । यही आम जनताकी भाषा हो सकती है । इसीलिये इसको चुना गया है । इसके बोलनेवालोंकी संख्या सबसे अधिक है ।

काका साहब इस अुम्रमें भी राष्ट्रभाषाके लिये कितना परिश्रम कर रहे हैं ? किन्तु अब अुनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता — मैं अुनको बार-बार समझा रहा हूँ कि वे अब अेक जगह बैठकर आरामसे राष्ट्रभाषाकी जो कुछ सेवा कर सकें, करें । परन्तु वे अभीतक नहीं मान रहे हैं । आप लोगोंको, जो यहाँ अध्यापन-मन्दिरमें आये हैं, कठिन मेहनत करके दोनों भाषाओंको सीख लेना चाहिये, और काका साहबको कुछ आराम लेनेकी सुविधा कर देनी चाहिये ।

('सबकी बोली', अक्टूबर, १९३९)

३१

रोमन बनाम देवनागरी लिपि

मुझे मालूम हुआ है कि आसाममें कुछेक जातियोंको देवनागरीकी जगह रोमन लिपिमें लिखना-पढ़ना सिखाया जा रहा है । मैं अपनी यह राय तो जाहिर कर ही चुका हूँ कि अगर हिन्दुस्तानमें सर्वमान्य हो सकनेवाली कोअी लिपि है, तो वह देवनागरी ही है, फिर भले ही अुसमें सुधारकी गुंजाअिश हो या न हो । शुद्ध वैज्ञानिक और राष्ट्रीय दृष्टिसे जबतक मुसलमान भाषी अपनी राजीसे देवनागरीकी श्रेष्ठता स्वीकार नहीं करते, तबतक अुर्दू या फ़ारसी लिपि भी ज़रूर जारी रहेगी । मगर अुपयुक्त प्रश्नके लिये यह बात अप्रस्तुत है । अिन दो लिपियोंके साथ रोमन लिपिका

भेल नहीं बैठता । रोमन लिपिके समर्थक तो अिन दोनों ही लिपियोंको रद्द कर देनेकी राय देंगे, किन्तु विज्ञान तथा भावना दोनों ही दृष्टियोंसे रोमन लिपि बल नहीं सकती । रोमन लिपिका मुख्य लाभ यह है कि छापने और टाइपि करनेमें वह आसान पड़ती है । किन्तु अुसे सीखनेमें करोड़ों मनुष्योंको जो मेहनत पड़ती है, अुसे देखते हुअे अिस लाभका हमारे लिये कोअी मूल्य नहीं । लाखों-करोड़ोंको तो देवनागरीमें या अपने-अपने प्रान्तकी लिपिमें ही लिखा हुआ अपने यहाँका साहित्य पढ़ना है, अिसलिये अुन्हें रोमन लिपि ज़रा भी सहायता नहीं पहुँचा सकती । करोड़ों हिन्दुओं और मुसलमानोंके लिये भी देवनागरीका सीखना आसान है, क्योंकि अधिकांश प्रान्तीय लिपियाँ देवनागरीसे ही निकली हैं । मैने अिसमें मुसलमानोंका समावेश जान-बूझकर किया है । मसलन्, बंगालके मुसलमानोंकी मादरी ज़बान बँगला है, और तामिलनाडुके मुसलमानोंकी तामिल । अुर्दू-प्रचारके वर्तमान आन्दोलनका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि हिन्दुस्तानभरके मुसलमान अपनी-अपनी प्रान्तीय मातृभाषाके अलावा अुर्दू भी सीखेंगे । किन्हीं भी परिस्थितियोंमें कुरान शरीफ़ पढ़नेके लिये अुन्हें अरबी तो सीखनी ही पड़ेगी । मगर करोड़ों हिन्दू-मुसलमानोंके लिये रोमन लिपिका प्रयोजन तो अंग्रेज़ी सीखनेके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं । अिसी तरह हिन्दुओंको अपने धर्मग्रन्थ मूल भाषामें पढ़नेके लिये देवनागरी सीखनेकी ज़रूरत पड़ती है, और वे अुसे सीखते ही हैं । अिस तरह देवनागरी लिपिको सर्वमान्य बनानेके पीछे दृढ़ कारण है । अगर हम रोमन लिपिको दाखिल करें, तो वह निरी भाररूप ही साबित होगी, और कभी लोकप्रिय न बनेगी । जब सच्ची लोक-जागृति हो जायगी, तब अिस प्रकारके भाररूप दबाव रह ही न सकेंगे । और जन-जागृति तो बहुत जल्दी आनेवाली है । फिर भी लाखों-करोड़ोंको जगानेमें वक्रत लगेगा । जागृति कोअी अैसी चीज़ तो है नहीं, जो साँचेमें ढालकर बनाअी जा सकती हो । यह तो अगम रीतिसे आती या आती हुअी प्रतीत होती है । देशके कार्यकर्त्ता तो केवल लोगोंकी मनोवृत्तिकी पेशबीनी करके अुसके आनेमें जल्दी कर सकते हैं ।

(हरिजनसेवक, १८-२-१९३९)

स० — रोमन लिपिके लिजे आपके दिलमें पूर्वग्रह है, क्योंकि वही चीज़ अंग्रेज़ीके लिजे भी आपके दिलमें है । अगर ऐसा न होता, तो आप बिना किसी हिचकिचाहटके देवनागरी और फ़ारसीके बदले रोमन लिपिकी हिमायत करते ।

ज० — आप ग़लतीपर हैं । मेरे दिलमें किसीके विरुद्ध कोअी पूर्वग्रह नहीं है । लेकिन मैं हर उस चीज़ या व्यक्तिके विरुद्ध हूँ, जो दूसरेके अधिकार या पदको हड़पना चाहता है । रोमन लिपिने हिन्दुस्तानमें अपने पैर जमा लिये हैं । लेकिन वह हिन्दुस्तानी लिपियोंकी जगह नहीं ले सकती । अगर मेरी चले, तो सब प्रान्तीय भाषाओंके लिजे देवनागरी लिपिका ही अिस्तेमाल हो, और राष्ट्रभाषाके लिजे देवनागरी और फ़ारसी दोनोंका । अरबी लिपि, जिसमेंसे फ़ारसी लिपि निकली है, मुसलमानोंके लिजे अतनी ही आवश्यक है, जितनी संस्कृत हिन्दुओंके लिजे । रोमन लिपिका सुझाव उसकी अपनी किसी ख़ूबीके लिजे नहीं, बल्कि बतौर समझौतेके किया गया है । उसके पक्षमें सिवा अिसके कि वह सारी पछाँही दुनियामें फैली हुअी है, और कोअी दलील नहीं । मगर अिसका यह मतलब नहीं कि वह देवनागरी लिपि की — जो हमारी ज़्यादातर प्रान्तीय भाषाओंकी जननी है, और हमारी जानी हुअी सब लिपियोंसे ज़्यादा सम्पूर्ण है — जगह ले ले, या फ़ारसी लिपिको हटा दे, जो अुत्तरी हिन्दुस्तानके करोड़ों हिन्दुओं और मुसलमानों द्वारा लिखी जाती है । जहाँ हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच लिपिके कारण कोअी अन्तर है, वहाँ किसी तीसरी और अपूर्ण लिपिको अपनासे अुनमें मेल नहीं हो जायगा । लेकिन अगर वे दोनों अेक-दूसरेकी मुहब्बतके खयालसे दोनों लिपियोंको सीखनेकी मेहनत अुठायेंगे, तो ज़रूर अेक हो सकेंगे । रोमन लिपिका अपना अेक महान् और अद्वितीय स्थान है । अुसे अिससे ज़्यादा अँचे स्थानकी आकांक्षा न रखनी चाहिये ।

(हरिजनसेवक, १२-४-'४२)

संस्कृतकी पुत्रियोंके लिअे अेक लिपि

यह सवाल अनेक वर्षोंसे लोगोंके सामने है कि संस्कृतसे निकलनेवाली या जिन्होंने स्वेच्छासे संस्कृतको ग्रहण कर लिया है, उन सब भारतीय भाषाओंकी अेक लिपि होनी चाहिये । अितनेपर भी तीव्र प्रान्तीयताके अिन दिनोंमें अेक लिपिके पक्षमें कुछ कहना भी शायद अप्रासंगिक समझा जाय । लेकिन सारे देशमें साक्षरताका जो आन्दोलन हो रहा है, उसके कारण अेक लिपिका प्रतिपादन करनेवालोंकी बात सुननी ही चाहिये । मैं भी बरसोंसे अेक लिपिका ही प्रतिपादन कर रहा हूँ । मुझे याद है कि दक्षिण अफ्रीकामें गुजरातियोंके साथ भारत-सम्बन्धी पत्रव्यवहारमें अेक हदतक मैंने देवनागरी लिपिका व्यवहार भी शुरू कर दिया था । अिसमें शक नहीं कि अैसा करनेसे विभिन्न प्रान्तोंके पारस्परिक सम्बन्धोंमें बहुत सुविधा हो जायगी और विविध भाषाओंके सीखनेमें आजकी बनिस्बत कहीं ज़्यादा आसानी होगी । अगर देशके शिक्षित लोग आपसमें मिलकर विचार करें और अेक लिपिका निश्चय कर लें, तो सबके द्वारा उसका ग्रहण किया जाना आसान बात हो जायगी । क्योंकि जो लोग लाखोंकी तादादमें निरक्षर हैं, उन्हें अिस बातमें कोअी दिलचस्पी ही नहीं होती कि पढ़ाअीके लिअे कौनसी लिपि रक्खी गअी है । अगर यह सुखद सम्मिलन हो जाय, तो भारतमें देवनागरी और अुरुदू, ये दो लिपियाँ ही रह जायँगी, और हरअेक राष्ट्रवादी दोनों लिपियोंको सीखना अपना फ़र्ज़ समझेगा । मैं सभी भारतीय भाषाओंका प्रेमी हूँ । यथासम्भव अधिक-से-अधिक लिपियोंको सीखनेकी मैंने कोशिश भी की है । ७० वर्षकी अुअमें भी मुझमें अितनी शक्ति मौजूद है कि अगर वक़्त मिले, तो मैं और भी भारतीय भाषायें सीख सकता हूँ । अैसी पढ़ाअी मेरे लिअे मनोरंजनकी ही चीज़ होगी । लेकिन भाषाओंके प्रति अपने अितने प्रेमके बावजूद, मुझे यह क़बूल करना ही होगा कि मैं सब लिपियाँ नहीं सीख पाया हूँ । अलबत्ता, अगर अेक ही अेतसे निकली हुअी भाषायें अेक ही लिपिमें

लिखी जायँ, तो बहुत थोड़े समयमें विविध प्रान्तोंकी खास-खास भाषाओंका कामचलाश्रु ज्ञान में प्राप्त कर लूँगा । और जहाँतक, देवनागरीका सवाल है, सौन्दर्य या सजावटकी दृष्टिसे लज्जित होने जैसी कोअी बात अुसमें नहीं है । असलिअे मैं आशा करता हूँ कि जो लोग साक्षरताका आन्दोलन करनेमें लगे हुअे हैं, वे मेरे अिस सुझावपर भी कुछ विचार करेंगे । अगर वे देवनागरी लिपिको ग्रहण कर लें, तो निश्चय ही वे भावी सन्ततिके परिश्रम और समयकी बचत करके अुनकी दुआयें पायेंगे ।

(हरिजनसेवक, ५-८-'३९)

३३

राष्ट्रभाषा-प्रचार

['रचनात्मक कार्यक्रम' नामकी पुस्तिकामें राष्ट्रभाषा-प्रचार और आतृभाषा-प्रेमपर लिखा गया भाग नोचे दिया है ।]

एक रचनात्मक कार्य

समूचे हिन्दुस्तानके साथ व्यवहार करनेके लिए हमको भारतीय भाषाओंमें से अेक अैसी भाषा या ज़बान की ज़रूरत है, जिसे आज ज़्यादा-से-ज़्यादा तादादमें लोग जानते और समझते हों और बाक़ीके लोग जिसे झट सीख सकें । अिसमें शक नहीं कि हिन्दी अैसी ही भाषा है । अुत्तरके हिन्दू और मुसलमान दोनों अिस भाषाको बोलते और समझते हैं । यही बोली जब अुर्दू लिपिमें लिखी जाती है, तो अुर्दू कहलाती है । राष्ट्रीय महासभाने सन् १९२५ के अपने कानपुरवाले जलसेमें मंजूर किये मशहूर ठहरावमें सारे हिन्दुस्तानकी अिसी बोलीको 'हिन्दुस्तानी' कहा है । और तबसे, अुसूलन् ही क्योँ न हो, हिन्दुस्तानी राष्ट्रभाषा या क़ौमी ज़बान मानी गअी है । 'अुसूलन्' या 'सिद्धान्ततः' मैंने जान-बूझकर कहा है, क्योँकि खुद कांग्रेसवालोंने भी अिसका जितना सुहावरा रखना-चाहिये, नहीं रक्खा । हिन्दुस्तानकी आम जनताकी राजनीतिक

शिक्षाके लिये हिन्दुस्तानकी भाषाओंके महत्त्वको पहचानने और माननेकी अेक खास कोशिश सन् १९२०में शुरू की गयी थी । जिसी हेतुसे इस बातका खास प्रयत्न किया गया था कि सारे हिन्दुस्तानके लिये अेक अैसी भाषाको जान और मान लिया जाय, जिसे राजनीतिक दृष्टिसे जागा हुआ हिन्दुस्तान आसानीसे बोल सके, और अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासभाके आम जलसोंमें अिकट्ठा होनेवाले हिन्दुस्तानके जुदा-जुदा सूबोंसे आये हुअे कांग्रेसी जिसे समझ सकें । यह राष्ट्रभाषा हमें इस तरह सीखनी चाहिये कि जिससे हम सब इसकी दोनों शैलियोंको समझ और बोल सकें और इसे दोनों लिखावटोंमें लिख सकें ।

मुझे अफसोसके साथ कहना पड़ता है कि बहुतेरे कांग्रेसजनोंने इस ठहरावपर अमल नहीं किया । मेरी समझमें इसका अेक शर्मनाक नतीजा यह हुआ है कि आज भी अंग्रेज़ी बोलनेका आग्रह रखनेवाले और अपने समझनेके लिये दूसरोंको अंग्रेज़ीमें ही बोलनेके लिये मजबूर करनेवाले कांग्रेसजनोंका बेहूदा दय्य हमें देखना पड़ता है । अंग्रेज़ी ज़बानने हमपर जो मोहिनी डाली है, उसके असरसे हम अभीतक छूटे नहीं हैं । इस मोहिनीके वश होकर हम लोग हिन्दुस्तानको अपने ध्येय या मक़सदकी ओर आगे बढ़नेसे रोक रहे हैं । जितने साल हम अंग्रेज़ी सीखनेमें बरबाद करते हैं, अगर श्रुतने महीने भी हम हिन्दुस्तानी सीखनेकी तकलीफ़ न श्रुठायें, तो सचमुच ही कहना होगा कि जनसाधारणके प्रति अपने प्रेमकी जो डींगें हम हाँका करते हैं, वे निरी डींगें ही हैं ।

परदेशी भाषाकी .गुलामी

[हिन्दू विश्वविद्यालय, काशीके दीक्षान्त भाषणसे]

... मैंने सर राधाकृष्णन्से पहले ही कह दिया था कि मुझे क्यों बुलाते हैं ? मैं यहाँ पहुँचकर क्या कहूँगा ? जब बड़े-बड़े विद्वान् मेरे सामने आ जाते हैं, तो मैं हार जाता हूँ । जबसे हिन्दुस्तान आया हूँ, मेरा सारा समय कांग्रेसमें और शरीबों, किसानों और मजदूरों वगैरामें बीता है । मैंने अुन्हींका काम किया है । अुनके बीच मेरी ज़बान अपने-आप खुल जाती है । मगर विद्वानोंके सामने कुछ कहते हुअे मुझे बड़ी शिक्षक भालूम होती है । श्री राधाकृष्णन्ने मुझे लिखा कि मैं अपना लिखा हुआ भाषण अुन्हें भेज दूँ । पर मेरे पास अुतना समय कहाँ था ? मैंने अुन्हें जवाब दिया कि वक्रतपर जैसी प्रेरणा मुझे मिल जायगी, अुसीके अनुसार मैं कुछ कह दूँगा । मुझे प्रेरणा मिल गयी है । मैं जो कुछ कहूँगा, मुमकिन है, वह आपको अच्छा न लगे । अुसके लिअे आप मुझे माफ़ कीजियेगा । यहाँ आकर जो कुछ मैंने देखा, और देखकर मेरे मनमें जो चीज़ पैदा हुअी, वह शायद आपको चुभेगी । मेरा खयाल था कि कम-से-कम यहाँ तो सारी कार्रवाअी अंग्रेज़ीमें नहीं, बल्कि राष्ट्रभाषामें ही होगी । मैं यहाँ बैठा यही अिन्तज़ार कर रहा था कि कोअी न कोअी तो आखिर हिन्दी या अुर्दूमें कुछ कहेगा । हिन्दी-अुर्दू न सही, कम-से-कम मराठी या संस्कृतमें ही कोअी कुछ कहता । लेकिन मेरी सब आशायें निष्फल हुअी ।

अंग्रेज़ोंको हम गालियाँ देते हैं कि अुन्होंने हिन्दुस्तानको .गुलाम बना रक्खा है; लेकिन अंग्रेज़ीके तो हम .खुद ही .गुलाम बन गये हैं । अंग्रेज़ोंने हिन्दुस्तानको काफ़ी पामाल किया है । अिसके लिअे मैंने अुनकी कड़ी-से-कड़ी टीका भी की है । परन्तु अंग्रेज़ीकी अपनी अिस .गुलामीके लिअे मैं अुन्हें ज़िम्मेदार नहीं समझता । .खुद अंग्रेज़ी सीखने और अपने बच्चोंको अंग्रेज़ी सिखानेके लिअे हम कितनी-कितनी मेहनत करते हैं ?

अगर कोअी हमें यह कहता है कि हम अंग्रेज़ोंकी तरह अंग्रेज़ी बोल लेते हैं, तो हम मारे .खुशीके फूले नहीं समाते ! जिससे बढ़कर दयनीय .गुलामी और क्या हो सकती है ? जिसकी वजहसे हमारे बच्चोंपर कितना .जुल्म होता है ? अंग्रेज़ीके प्रति हमारे इस मोहके कारण देशकी कितनी शक्ति और कितना श्रम बरबाद होता है ? जिसका पूरा हिसाब तो हमें तभी मिल सकता है, जब गणितका कोअी विद्वान् जिसमें दिलचस्पी ले । कोअी दूसरी जगह होती, तो शायद यह सब बरदास्त कर लिया जाता, मगर यह तो हिन्दू विश्वविद्यालय है । जो बातें जिसकी तारीफ़में अभी कही गयी हैं, उनमें सहज ही अेक आशा यह भी प्रकट की गयी है कि यहाँके अध्यापक और विद्यार्थी जिस देशकी प्राचीन संस्कृति और सभ्यताके जीते-जागते नमूने होंगे । मालवीयजीने तो मुँह-माँगी तनख्वाहें देकर अच्छे-से-अच्छे अध्यापक यहाँ आप लोगोंके लिअे जुटा रखे हैं, अब उनका दोष तो कोअी कैसे निकाल सकता है ? दोष ज़मानेका है । आज हवा ही कुछ ऐसी बन गयी है, कि हमारे लिअे उसके असरसे बच निकलना मुश्किल हो गया है । लेकिन अब वह ज़माना भी नहीं रहा, जब विद्यार्थी जो कुछ मिलता था, उसीमें सन्तुष्ट रह लिया करते थे । अब तो वे बड़े-बड़े तूफ़ान भी खड़े कर लिया करते हैं । छोटी-छोटी बातोंके लिअे भूख-हड़तालतक कर देते हैं । अगर अीश्वर उन्हें बुद्धि दे, तो वे कह सकते हैं — “ हमें अपनी मातृभाषामें पढ़ाओ ! ” मुझे यह जानकर .खुशी हुआ कि यहाँ आन्ध्रके २५० विद्यार्थी हैं । क्यों न वे सर राधाकृष्णन्के पास जायें और उनसे कहें कि यहाँ हमारे लिअे अेक आन्ध्र-विभाग खोल दीजिये, और तेलगूमें हमारी सारी पढ़ाअीका श्रबन्ध करा दीजिये ? और, अगर वे मेरी अत्रलसे काम लें, तब तो उन्हें कहना चाहिये कि हम हिन्दुस्तानी हैं, चुनोंचे हमें ऐसी ज़बानमें पढ़ाअिये, जो सारे हिन्दुस्तानमें समझी जा सके । और, ऐसी ज़बान तो हिन्दुस्तानी ही हो सकती है ।

कहाँ जापान, कहाँ हम ?

जापान आज अमेरिका और अंग्लैण्डसे लोहा ले रहा है । लोग जिसके लिअे उसकी तारीफ़ करते हैं । मैं नहीं करता । फिर भी जापानकी

कुछ बातें सचमुच हमारे लिये अनुकरणीय हैं । जापानके लड़कों और लड़कियोंने यूरोपवालोंसे जो कुछ पाया है, सो अपनी मातृभाषा जापानीके जरिये ही पाया है, अंग्रेज़ीके जरिये नहीं । जापानी लिपि बहुत कठिन है, फिर भी जापानियोंने रोमन लिपिको कभी नहीं अपनाया । उनकी सारी तालीम जापानी लिपि और जापानी ज़बानके जरिये ही होती है । जो चुने हुअे जापानी पश्चिमी देशोंमें खास क्रिस्मकी तालीमके लिये भेजे जाते हैं, वे भी जब आवश्यक ज्ञान पाकर लौटते हैं, तो अपना सारा ज्ञान अपने देशवासियोंको जापानी भाषाके जरिये ही देते हैं । अगर वे अँसान न करते, और देशमें आकर दूसरे देशोंके जैसे स्कूल और कॉलेज अपने यहाँ भी बना लेते, और अपनी भाषाको तिलांजलि देकर अंग्रेज़ीमें सब कुछ पढ़ाने लगते, तो शुरुसे बढ़कर बेवकूफी और क्या होती ? जिस तरीक़ेसे जापानवाले नई भाषा तो सीखते, लेकिन नया ज्ञान न सीख पाते । हिन्दुस्तानमें तो आज हमारी महत्त्वाकांक्षा ही यह रहती है कि हमें किसी तरह कोअी सरकारी नौकरी मिल जाय, या हम वकील, बैरिस्टर, जज, वगैरा बन जायँ । अंग्रेज़ी सीखनेमें हम बरसों बिता देते हैं, तो भी सर राधाकृष्णन् या मालवीयजी महाराजके समान अंग्रेज़ी जाननेवाले हमने कितने पैदा किये हैं ? आखिर वह अेक पराअी भाषा ही न है ? अितनी कोशिश करनेपर भी हम अुसे अच्छी तरह सीख नहीं पाते । मेरे पास सैकड़ों खत आते रहते हैं, जिनमें कअी अेम० अे० पास लोगोंके भी होते हैं । परन्तु चूँकि वे अपनी ज़बानमें नहीं लिखते, जिसलिये अंग्रेज़ीमें अपने खयाल अच्छी तरह ज़ाहिर नहीं कर पाते ।

चुनँचे यहाँ बैठे-बैठे मैंने जो कुछ देखा, अुसे देखकर मैं तो हैरान रह गया ! जो कार्रवाअी अभी यहाँ हुअी, जो कुछ कहा या पढ़ा गया, अुसे आम जनता तो कुछ समझ ही न सकी । फिर भी हमारी जनतामें अितनी अुदारता और धीरज है कि वह चुपचाप सभामें बैठी रहती है, और खाक समझमें न आनेपर भी यह सोचकर सन्तोष कर लेती है कि आखिर ये हमारे नेता ही न हैं ? कुछ अच्छी ही बात कहते होंगे । लेकिन जिससे अुसे लाभ क्या ? वह तो जैसी आअी थी, वैसी ही

खाली लौट जाती है। अगर आपको शक हो, तो मैं अभी हाथ उठवाकर लोगोंसे पूछूँ कि यहाँकी कार्रवाहीमें वे कितना कुछ समझे हैं? आप देखियेगा कि वे सब 'कुछ नहीं', 'कुछ नहीं,' कहेंगे। यह तो हुआ आम जनताकी बात। अब अगर आप यह सोचते हों कि विद्यार्थियोंमें से हरएकने हर बातको समझा है, तो वह दूसरी बड़ी गलती है।

आजसे पच्चीस साल पहले जब मैं यहाँ आया था, तब भी मैंने यही सब बातें कही थीं। आज यहाँ आनेपर जो हालत मैंने देखी, उसने मुझमें चिन्तकोंको दोहरानेके लिये मुझे मजबूर कर दिया।

शारीरिक हास

दूसरी बात जो मेरे देखनेमें आयी, उसकी तो मुझे ज़रा भी सुन्मीद न थी। आज सुबह मैं मालवीयजी महाराजके दर्शनको गया था। वसंत-पंचमीका अवसर था, जिसलिये सब विद्यार्थी भी वहाँ उनके दर्शनको आये थे। मैंने उस वक़्त भी देखा कि विद्यार्थियोंको जो तालीम मिलनी चाहिये, वह मुझमें नहीं मिलती। जिस सभ्यता, खामोशी और तरतीबके साथ मुझमें चलते आना चाहिये, उस तरह चलना मुझमें सीखा ही न था। यह कोई मुश्किल काम नहीं; कुछ ही समय में सीखा जा सकता है। सिपाही जब चलते हैं, तो सिर झुकाये, सीना ताने, तीरकी तरह सीधे चलते हैं। लेकिन विद्यार्थी तो उस वक़्त आड़े-टेढ़े, आगे-पीछे, जैसा जिसका दिल चाहता था, चलते थे। उनके उस 'चलने'को चलना कहना भी शायद मुनासिब न हो। मेरी समझमें तो जिसका कारण भी यही है कि हमारे विद्यार्थियोंपर अंग्रेज़ी ज़बानका बोझ अतना पड़ जाता है, कि मुझमें दूसरी तरफ़ सर झुकाकर देखनेकी फुरसत नहीं मिलती। यही वजह है कि मुझमें दरअसल जो सीखना चाहिये, उसे वे सीख नहीं पाते।

बौद्धिक थकान

एक और बात मैंने देखी। आज सुबह हम श्री शिवप्रसाद गुप्तके घरसे लौट रहे थे। रास्तेमें विश्वविद्यालयका विशाल प्रवेशद्वार पड़ा। उसपर नज़र गयी तो देखा, नागरी लिपिमें 'हिन्दू विश्वविद्यालय' अितने छोटे हल्फ़ों लिखा है कि अैनक लगानेपर भी वे नहीं पढ़े जाते।

पर अंग्रेज़ीमें Benares Hindu University ने तीन चौथाअसीसे भी ज़्यादा जगह घेर रक्खी थी ! मैं हैरान हुआ कि यह क्या मामला है ? अिसमें मालवीयजी महाराजका कोअी क्रसूर नहीं, यह तो किसी अिंजीनियरका काम होगा । लेकिन सवाल तो यह है कि अंग्रेज़ीकी वहाँ ज़रूरत ही क्या थी ? क्या हिन्दी या फ़ारसीमें कुछ नहीं लिखा जा सकता था ? क्या मालवीयजी, और क्या सर राधाकृष्णन्, सभी हिन्दू-मुस्लिम अेकता चाहते हैं । फ़ारसी मुसलमानोंकी अपनी खास लिपि मानी जाने लगी है । अुर्दूका देशमें अपना खास स्थान है । अिसलिअे अगर दरवाज़ेपर फ़ारसीमें, नागरीमें या हिन्दुस्तानकी दूसरी किसी लिपिमें कुछ लिखा जाता, तो मैं अुसे समझ सकता था । लेकिन अंग्रेज़ीमें अुसका वहाँ लिखा जाना भी हमपर जमे अुअे अंग्रेज़ी ज़बानके साम्राज्यका अेक सबूत है । किसी नअी लिपि या ज़बानको सीखनेसे हम घबराते हैं; जब कि सच तो यह है कि हिन्दुस्तानकी किसी ज़बान या लिपिको सीखना हमारे लिअे बायें हाथका खेल होना चाहिये । जिसे हिन्दी या हिन्दुस्तानी आती है, अुसे मराठी, गुजराती, बँगला वग़ैरा सीखनेमें तकलीफ़ ही क्या हो सकती है ? कन्नड़, तामिल, तेलगू और मलयालमका भी मेरा तो यही तजरबा है । अिनमें भी संस्कृतके और संस्कृतसे निकले अुअे काफ़ी शब्द भरे पड़े हैं । जब हममें अपनी मादरी ज़बान या मातृभाषाके लिअे सच्ची मुहब्बत पैदा हो जयगी, तो हम अिन तमाम भाषाओंको बड़ी आसानीसे सीख सकेंगे । रही बात अुर्दूकी, सो वह भी आसानीके साथ सीखी जा सकती है । लेकिन बदक्रिस्मतीसे अुर्दूके आलिम यानी विद्वान् अिधर अुसमें अरबी और फ़ारसीके शब्द ढूँस-ढूँसकर भरने लगे हैं — अुसी तरह, जिस तरह हिन्दीके विद्वान् हिन्दीमें संस्कृत शब्द भर रहे हैं । नतीजा अिसका यह होता है कि जब मुझ-जैसे आदमीके सामने कोअी लखनवी तर्ज़की अुर्दू बोलने लगता है, तो सिवा बोलनेवालेका मुँह ताकनेके और कोअी चारा नहीं रह जाता ।

अपनी विशेषता चाहिये

अेक बात और । पश्चिमके हरअेक विश्वविद्यालयकी अपनी अेक-न-अेक विशेषता होती है । कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्डको ही लीजिये ।

अिन विश्वविद्यालयोंको अिस बातका नाज़ है कि अिनके हरअेक विद्यार्थीपर अिनकी अपनी विशेषताकी छाप अिस तरह लगी रहती है कि वे फ़ौरन पहचाने जा सकते हैं । हमारे देशके विश्वविद्यालयोंकी अपनी अैसी कोअी विशेषता होती ही नहीं । वे तो पश्चिमी विश्वविद्यालयोंकी अेक निस्तेज और निष्प्राण नक़ल-भर हैं । अगर हम अुन्हें पश्चिमी सभ्यताका महज़ सोख़ता या स्याही-सोख़ कहें, तो शायद बेजा न होगा । आपके अिस विश्वविद्यालयके बारेमें अक्सर यह कहा जाता है कि यहाँ शिल्प-शिक्षा और यंत्र-शिक्षाका यानी अिजीनियरिंग और टेक्नॉलॉजीका देशभरमें सबसे ज्यादा विकास हुआ है, और अिनकी शिक्षाका अच्छा प्रबन्ध है । लेकिन अिसे मैं यहाँकी विशेषता माननेको तैयार नहीं । तो फिर अिसकी विशेषता क्या हो ? मैं अिसकी अेक मिसाल आपके सामने रक्खा चाहता हूँ । यहाँ जो अितने हिन्दू विद्यार्थी हैं, अुनमेंसे कितनोने मुसलमान विद्यार्थियोंको अपनाया है ? अलीगढ़के कितने छात्रोंको आप अपनी ओर खींच सके हैं ? दरअसल आपके दिलमें चाह तो यह पैदा होनी चाहिये कि आप तमाम मुसलमान विद्यार्थियोंको यहाँ बुलायेंगे, और अुन्हें अपनायेंगे ।

हिन्दुस्तानकी पुरानी संस्कृतिका सन्देश

अिसमें शक नहीं कि आपके विश्वविद्यालयको काफ़ी धन मिल गया है, और जबतक मालवीयजी महाराज हैं, आगे भी मिलता रहेगा । लेकिन मैंने जो कुछ कहा है, वह रुपयेका खेल नहीं । अकेला रुपया सब काम नहीं कर सकता । हिन्दू विश्वविद्यालयसे मैं विशेष आशा तो अिस बातकी रक्खूंगा कि यहाँवाले अिस देशमें बसे हुअे सभी लोगोंको हिन्दुस्तानी समझें, और अपने मुसलमान भाअियोंको अपनांनेमें किसीसे पीछे न रहें । अगर वे आपके पास न आयें, तो आप अुनके पास जाकर अुन्हें अपनाअिये । अगर अिसमें हम नाकामयाब भी हुअे तो क्या हुआ ? लोकमान्य तिलकके हिसाबसे हमारी सभ्यता दस हज़ार बरस पुरानी है । बादके कअी पुरातत्त्व-शास्त्रियोंने अुसे अिससे भी पुरानी बताया है । अिस सभ्यतामें अहिंसाको परम धर्म माना गया है । चुनाँचे अिसका कम-से-कम अेक नतीजा तो यह होना चाहिये कि हम किसीको अपना

दुश्मन न समझें । वेदोंके समयसे हमारी यह सभ्यता चली आ रही है । जिस तरह गंगाजीमें अनेक नदियाँ आकर मिली हैं, उसी तरह जिस देशकी संस्कृति-गंगामें भी अनेक संस्कृतिरूपी सहायक नदियाँ आकर मिली हैं । यदि जिन सबका कोअी सन्देश या पैगाम हमारे लिये हो सकता है, तो यही कि हम सारी दुनियाको अपनायें और किसीको अपना दुश्मन न समझें । मैं भीश्वरसे प्रार्थना करता हूँ कि वह हिन्दू विश्वविद्यालयको यह सब करनेकी शक्ति दे ! यही जिसकी विशेषता हो सकती है । सिर्फ अंग्रेज़ी सीखनेसे यह काम नहीं हो पायेगा । जिसके लिये तो हमें अपने प्राचीन ग्रन्थों और धर्मशास्त्रोंका श्रद्धापूर्वक यथार्थ अध्ययन करना होगा, और यह अध्ययन हम मूल ग्रन्थोंके सहारे ही कर सकते हैं ।

(हरिजनसेवक, १-२-१९४२)

३५

अंग्रेज़ीका स्थान

स० — अखबारी खबर है कि अपने काशीवाले भाषणमें आपने हिन्दुस्तानियोंके लिये अंग्रेज़ी पढ़ना और अंग्रेज़ीमें बातचीत करना गुनाह करार दे दिया है । जिस सम्बन्धमें लोग आपकी आलोचना करते हुये कहते हैं कि जो खुद अपने मतलबके लिये जिस तिरस्कृत अंग्रेज़ीका जितना उपयोग कर लेता है, उसे ऐसा फ़तवा देनेका क्या हक है ?

ज० — बात बिलकुल ग़लत है । लेकिन जब अेक बार कोअी झूठी बात चल पड़ती है, तो उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है । मेरे बारेमें ऐसी कअी झूठी बातें फैलती रही हैं । उनके कारण क्षणिक सनसनी भी फैली है, लेकिन फिर अपनी मौत वे खुद मर गयी हैं, और मुझे उनके लिये कुछ करना नहीं पड़ा । मैं जानता हूँ कि जिसकी भी यही गति होगी । जिस झूठका कोअी सिर-पैर ही नहीं, उससे कभी किसीका नुक़सान नहीं होता । मैं अपनी लाज बचानेके लिये यह सब

नहीं लिख रहा । हाँ, अपनी बात ज़रूर समझाना चाहता हूँ । मुझपर 'पर-अुपदेश-कुशलता'का जो आरोप लगाया जाता है, वही अिस झूठका सच्चा जवाब है । क्योंकि मैं आज नये सिरेसे अंग्रेज़ीका यह अुपयोग नहीं कर रहा । असलमें तो किसी भले आदमीको अिस टीकापर कोअी ध्यान ही न देना चाहिये । लोग समझ लें कि मैं अंग्रेज़ी भाषाका और अंग्रेज़ोंका प्रेमी हूँ । लेकिन मेरा यह प्रेम चतुराअी और समझदारीसे खाली नहीं । अिसलिअे मैं दोनोंको अुनके अुनरूप ही महत्त्व देता हूँ । मसलन्, मैं अंग्रेज़ीको मातृभाषाका या हमारी अपनी राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानीका निरादर कभी नहीं करने देता, और न अंग्रेज़ोंकी मुहब्बतके कारण मैं अपने अुन देशवासियोंका निरादर होने देता हूँ, जिनके हितोंको मैं किसी भी हालतमें हानि नहीं पहुँचने दे सकता । हाँ, अन्तर्राष्ट्रीय कामकाजके लिअे मैं अंग्रेज़ीके महत्त्वको मानता हूँ । जिन चुने हुअे हिन्दुस्तानियोंको अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रमें अपने देशके हितोंका प्रतिनिधित्व करना है, अुनके लिअे दूसरी भाषाके तौरपर मैं अंग्रेज़ीको अनिवार्य समझता हूँ । मेरी रायमें अंग्रेज़ी अेक खुली खिड़की है, जिसकी राह हम पश्चिमवालोंके विचारों और वैज्ञानिक कार्योंसे परिचित रह सकते हैं । यह काम भी मैं कुछ चुनिन्दा लोगोंको ही सौंपना चाहता हूँ, और अुनके ज़रिये यूरोपके ज्ञानका प्रचार देशमें देशी भाषाओं द्वारा कराना चाहता हूँ । मैं अपने देशके बच्चोंके लिअे यह ज़रूरी नहीं समझता कि वे अपनी बुद्धिके विकासके लिअे अेक विदेशी भाषाका बोझ अपने सिर ढोयें और अपनी अुगती हुअी शक्तियोंका हास होने दें । आज जिस अस्वाभाविक परिस्थितिमें रहकर हमें अपनी शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, अुस परिस्थितिका निर्माण करनेवालोंको मैं ज़रूर गुनाहगार मानता हूँ । दुनियामें और कहीं अैसा नहीं होता । अिसके कारण देशका जो नुकसान हुआ है, अुसकी तो हम कल्पनातक नहीं कर सकते; क्योंकि हम खुद अुस सर्वनाशसे घिरे हुअे हैं । मैं अुसकी भयङ्करताका अन्दाज़ा लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं निरन्तर देशके करोड़ों मूक, दलित, और पीड़ित लोगोंके सम्पर्कमें आता रहता हूँ ।

(हरिजनसेवक १-२-१९४२)

हिन्दुस्तानी

“(क) मामूली तौरपर कांग्रेसकी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी, और कार्यकारिणीकी कार्रवाही हिन्दुस्तानीमें हुआ करेगी । अगर कोअी हिन्दुस्तानीमें न बोल सके, तो सभापतिकी आज्ञासे, या जब-जब सभापति कहें, अंग्रेज़ी या किसी प्रान्तीय भाषाका अिस्तेमाल किया जा सकेगा ।

(ख) साधारणतया प्रान्तीय समितिकी कार्रवाही अुस-अुस प्रान्तकी भाषामें हुआ करेगी । हिन्दुस्तानीका अुपयोग भी किया जा सकेगा ।”

कांग्रेस-विधान, धारा २५

दुःख है कि कांग्रेसने जिस प्रस्तावपर जितना और जैसा चाहिये, अमल नहीं किया । जिसमें क्रसूर कांग्रेसजनोंका ही है । वे हिन्दुस्तानी सीखनेकी तकलीफ़ गवारा नहीं करते । मालूम होता है कि अंग्रेज़ विद्वानोंके टक्करकी अंग्रेज़ी सीखनेके असफल प्रयत्नमें दूसरी भाषायें सीखनेकी अुनकी सारी शक्ति चुक जाती है । नतीजा जिसका बहुत ही दर्दनाक हुआ है । हमारी प्रान्तीय भाषायें कंगाल और निस्तेज बन गयी हैं, और राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी पदभ्रष्ट हो गयी है । यही वजह है कि आज देशके लाखों-करोड़ों लोगोंके साथ मुट्टीभर अंग्रेज़ी पढ़े-लिखे लोग ही कुदरती तौरपर आम रियायाके रहनुमा हैं । सरकारी स्कूलोंको छोड़कर देशमें आम जनताकी शिक्षाका और कोअी खास बन्दोबस्त नहीं है । चुनाँचे अंग्रेज़ीकी जगह हिन्दुस्तानीको प्रतिष्ठित करनेका भगीरथ काम कांग्रेसके सामने है । दरअसल तो जिस प्रस्तावको पास करनेके साथ ही अुसे जिसपर अमल करनेके लिये अेक खास विभाग खोलना चाहिये था । वह चाहे, तो अब भी खोल सकती है । लेकिन अगर वह नहीं खोलती, तो अुन कांग्रेसजनोंको और दूसरे लोगोंको, जिन्हें निजी तौरपर राष्ट्रभाषाके निर्माणमें दिलचस्पी है, आगे आकर जिस कामको अुठा लेना चाहिये ।

लेकिन यह हिन्दुस्तानी है क्या चीज़ ? अुर्दू या हिन्दीसे अलग जिस नामकी स्वतन्त्र कोअी भाषा नहीं । कभी-कभी लोग अुर्दूको ही

हिन्दुस्तानी भी कहते हैं। तो क्या कांग्रेसने अपने विधानकी श्रुक्त धारामें शुर्दूको ही हिन्दुस्तानी माना है? क्या उसमें हिन्दीका, जो सबसे ज्यादा बोली जाती है, कोभी स्थान नहीं? यह तो अर्थका अनर्थ करना होगा। स्पष्ट ही यहाँ उसका मतलब सिर्फ हिन्दी भी नहीं हो सकता। उसलिअे उसका सही-सही मतलब तो हिन्दी और शुर्दू ही हो सकता है। अिन दोनोंके मेलसे हमें अेक अैसी ज़बान तैयार करनी है, जो सबके काम आ सके। अैसी कोअी ज़बान, जो लिखी भी जाती हो, आज प्रचलित नहीं है। लेकिन श्रुत्तर भारतमें आज भी करोड़ों अनपढ़ हिन्दुओं और मुसलमानोंकी यही अेक बोली है। चूँकि यह लिखी नहीं जाती, उसलिअे अपूर्ण है। और जो लिखी जाती है, उसकी दो अलग-अलग धारायें बन गयी हैं, जो दिन-ब-दिन अेक-दूसरीसे दूर हट रही हैं। उसलिअे 'हिन्दुस्तानी'का मतलब हिन्दी और शुर्दू हो गया है; यानी हिन्दी और शुर्दू दोनों अपनेको हिन्दुस्तानी कह सकती हैं, बशर्त्ते कि वे अेक-दूसरीका वहिष्कार न करें, और अपनी-अपनी खासियत और मिठासको क्रायम रखते हुअे बाक्रायदा आपसमें घुल-मिल जानेकी कोशिश करें। आज हिन्दुस्तानीका अपना अैसा कोअी संगठन नहीं, जो अिन अेक-दूसरीसे दूर भागती हुअी दो धाराओंको नज़दीक लाने और मिलानेकी कोशिशमें लगा हो।

हिन्दी साहित्य-सम्मेलन और अंजुमन-अे-तरक्रकी-अे-शुर्दूको यह काम करना चाहिये। यह अेक करने लायक पुण्य कार्य है। सम्मेलनके साथ तो मेरा सम्बन्ध सन् १९१८से है, जब मैं पहली बार उसका सभापति चुना गया था। उस समय मैंने राष्ट्रभाषा-सम्बन्धी अपने विचार जनताके सामने रखे थे। सन् १९३५ में जब मैं दुबारा उसका सभापति चुना गया, तो मेरे समझानेपर सम्मेलनने हिन्दीकी मेरी उस व्याख्याको स्वीकार कर लिया कि हिन्दीसे मतलब उस ज़बान या बोलीसे है, जिसे श्रुत्तरी हिन्दुस्तानके हिन्दू और मुसलमान आमतौरपर बोलते हैं, और जो फ़ारसी या देवनागरीमें लिखी जाती है। कुदरती तौरपर उसका नतीजा यह होना चाहिये था कि सम्मेलनके सदस्य उस नअी परिभाषाके अनुसार हिन्दीका अपना ज्ञान बढ़ाते और उस तरहका साहित्य तैयार

करते, जिसे हिन्दू और मुसलमान दोनों पढ़ सकते। जिसके लिये सम्मेलनके सदस्योंको सहज ही फ़ारसी लिपि सीखनी पड़ती। मगर मालूम होता है, अन्होंने अपनेको जिस गौरवपूर्ण अधिकारसे वंचित रखना पसन्द किया है। खैर, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं — देर आयद, दुफ़स्त आयद। काश, वे अब भी जागें ! अन्हें अंजुमनकी राह नहीं देखनी चाहिये। अगर अंजुमन भी जागे और कुछ करे, तो बड़ी बात हो। क्या ही अच्छा हो, कि दोनों संस्थायें आपसमें मिलकर और एक दिल होकर काम करें। लेकिन मैंने तो दोनोंको अपने-अपने ढंगसे अलग-अलग काम करनेकी बात भी सुझायी है। मैं मानता हूँ कि जिस तरह जो भी संस्था मेरे बताये हुअे ढंगपर काम करेगी, वह न सिर्फ़ अपनी भाषाको समृद्ध बनायेगी, बल्कि आखिरमें एक ऐसी संयुक्त भाषाका निर्माण भी करेगी, जो सारे देशके काम आयेगी।

कमनसीबी तो यह है कि आज हिन्दी-अुर्दूका सवाल एक क़ौमी झगड़ेका सवाल बन गया है। झगड़ेकी यह जड़ कट सकती है, बशर्तें कि दोनों दलोंमें से कोअी भी एक दल दूसरे दलकी भाषाको अपनाने और अुसमें जितना कुछ लेने लायक है, अुसे अुदारतापूर्वक लेनेको तैयार हो जाय। याद रहे कि जो भाषा अपनी विशेषताकी रक्षा करते हुअे दूसरी भाषाओंसे खलकर मदद लेती है, वह अपनी जिस अुदार नीतिके कारण अंग्रेज़ीकी तरह समृद्ध बन सकती है।

(हरिजनसेवक, २३-१-४२)

हिन्दी + अर्दू = हिन्दुस्तानी

नीचे लिखा खत अेक भाअीने पिछली २९ जनवरीको लिखकर मेरे नाम रजिस्ट्रीसे भेजा था, जो मुझे सेवाग्राममें ३१ जनवरीको मिला —

“काशी विश्वविद्यालयवाले आपके भाषणका मुझपर गहरा असर पड़ा है । खास तौरपर हमारी शिक्षा-संस्थाओंमें हिन्दुस्तानीको पढ़ाअीका माध्यम बनानेकी बात अुस मौक़ेपर बहुत मौजूँ रही । लेकिन क्या सचमुच ही आप यह मानते हैं कि हिन्दुस्तानी नामकी कोअी ज़बान आज हमारे देशमें मौजूद है ? दरअसल तो अैसी कोअी ज़बान है ही नहीं । मुझे डर है कि काशीमें आपने हिन्दुस्तानीकी अुतनी हिमायत नहीं की, जितनी हिन्दीकी; और यही हाल सब कांग्रेसियोंका है । मुझे ताज्जुब होता है कि आप अपने मनकी बात खुले तौरपर क्यों नहीं कहते ? कहिये कि आप हिन्दी चाहते हैं; अिस हिन्दीको आप हिन्दुस्तानी और अुससे भी बदतर हिन्दी-हिन्दुस्तानी क्यों कहते हैं ? कुछ साल पहले आपने अुसे यह नाम देना चाहा था, लेकिन किसीने अिसे अपनाया नहीं ।

“महात्माजी, आप कहते हैं, आपको अुर्दूसे कोअी द्वेष नहीं । मगर आप तो अुसे खुल्लमखुल्ला फ़ारसी लिपिमें लिखी जानेवाली मुसलमानोंकी भाषा कह चुके हैं । आपने यह भी फ़रमाया है कि अगर मुसलमान चाहें, तो भले ही अुसकी हिफ़ाज़त करें । दूसरी तरफ़, आप कभी बार हिन्दी साहित्य-सम्मेलनके सभापति रह चुके हैं, और हिन्दीकी हिमायत करते हुअे अुसके लिअे लाखोंका चन्दा जुटा चुके हैं । क्या कभी आपने अुर्दूका प्रचार करनेवाली किसी सभाकी सदारत की है ? अब भी आप अिस तरहकी सदारत मंज़ूर करेंगे ? और क्या कभी अुर्दूकी तरज़कीके लिअे आपने अेक पाअीका भी चन्दा अिकढ़ा किया है ?

“मैं तो कांग्रेसवालोंके मुँहसे यह सुनते-सुनते दिक्क आ गया हूँ कि मुस्लिम लेखकोंको संस्कृत शब्दोंका अिस्तेमाल करनेसे वचना चाहिये । वे कहते हैं, अिस तरह जो ज़बान बनेगी, वह हिन्दुस्तानी होगी ।

“महात्माजी, आप खुद एक बहुत अच्छे लेखक हैं। आपको तो पता होना चाहिये कि मैंने हुअे लेखक, जिनकी अपनी एक शैली बन चुकी है, कभी फ़ारसी और संस्कृतके अ़ुन शब्दोंको छोड़ न सकेंगे, ज़ा अ़ुनकी अपनी भाषाके अंग बन चुके हैं। अिसलिअे आपकी यह सलाह बिलकुल अव्यावहारिक है।

“मगर एक रास्ता है। वह यह कि यू० पी० जैसे किसी अेक सूबेमें हाअीस्कूलतक की पढ़ाअीके लिअे अ़ुर्दू और हिन्दी दोनोंको लाज़िमी बना दीजिये। अिस तरह जिस सूबेमें दोनों ज़बानें लाज़िमी तौरपर पढ़ाअी जायँगी, वहाँ करीब पचास सालके अन्दर अेक आमफ़हम भाषा तैयार हो जायगी। जो हमारी अपनी भाषा है, वह हमारे साथ रहेगी, और जिसे हम अपने अ़ुपर ज़बरदस्ती लाद रहे हैं, वह हमारे जीवनसे हट जायेगी। स्पष्ट ही जब हम दोनों भाषायें सीखेंगे, तो अपने-आप हम अ़ुसीमें अपने विचार प्रकट करना पसन्द करेंगे, जो ज़्यादा विकसित, ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा ल़ुभावनी, ज़्यादा मुश्तसर और ज़्यादा अर्थ-सूचक यानी थोड़ेमें बहुत कहनेवाली होगी। अिससे न सिर्फ़ देशी-भाषाओंके प्रचारका मार्ग सरल और सुगम बनेगा, बल्कि हिन्दू-मुसलमानोंके सामाजिक जीवनके बीच पड़ी हुअी चौड़ी खाअीको पाटनेमें भी बड़ी मदद मिलेगी। अेक-दूसरेके साहित्यको पढ़कर हम अेक-दूसरेके आदर्शों और विचारोंको समझ सकेंगे, और अ़ुनके लिअे मनमें हमदर्दी रख सकेंगे। हो सकता है कि अिस तरह हिन्दी और अ़ुर्दूके मेलसे अेक नअी ज़बान सामने आ जाय, और वह हिन्दुस्तानी कहलाये। चूँकि यह ज़बान दोनों ज़बानोंकी जानकारीका नतीजा होगी, अिसलिअे वह दोनों क्रौमोंकी अेक कुदरती ज़बान बन रहेगी।

“महात्माजी, अगर आप सचमुच अपने अिस मुल्कके लिअे अेक आमफ़हम क्रौमी ज़बान चाहते हैं, तो मुझे यक़ीन है कि आप मेरे अिस सुझावको मंज़ूर कर लेंगे, और अपनी सिफ़ारिशके साथ अिसे देशके सामने पेश करेंगे। मगर मैं मानता हूँ कि आप अैसा नहीं करेंगे। क्य़ोंकि आप बराबर हिन्दीकी हिमायत करते आये हैं, और अ़ुसीको मुल्कपर लादनेकी भरसक कोशिश करते रहे हैं। और आप यह

भी जानते होंगे कि अगर हिन्दी व अर्दू दोनों अनिवार्य बना दी गयीं, तो अर्दू हिन्दीको मैदानसे खदेड़ देगी, क्योंकि हिन्दीके मुक्ताबले अर्दू ज्यादा सही, ज्यादा मँजी हुयी, ज्यादा अर्थसूचक और ज्यादा खूबसूरत है। मगर मेरी यह तजवीज़ दोनों ज़बानोंको एकसा मौक़ा देती है। अगर आपका खयाल है कि हिन्दी मुल्ककी अपनी कुदरती भाषा है, तो आपको यह विश्वास होना चाहिये कि वह अर्दूको खदेड़ देगी, जैसा कि आपने पिछले साल भी मुझे लिखा था। आपका यह कहना कि दोनों ज़बानोंको लाज़िमी बनानेकी कोअी ताक़त आपके हाथमें नहीं है, बेमतलब-सा है। अगर आप अिस तजवीज़को अपनी सिफ़ारिशके साथ मुल्कके सामने रखना पसन्द करेंगे, तो ज़रूर ही अुसका असर भी होगा।”

अिन्होंने खतके नीचे अपनी सही तो दी है, लेकिन साथ ही अुस-पर निज़ी भी लिखा है। अिसलिअे यहाँ में अिनका नाम नहीं दे रहा। नामका कोअी खास महत्त्व भी नहीं। मैं जानता हूँ कि जो खयाल अिन भाअीके हैं, वही और भी बहुतेरे मुसलमानोंके हैं। मेरे हज़ार अिनकार करनेपर भी यह बुराअी दूर नहीं हो पायी है।

लेकिन जहाँतक मुझसे ताल्लुक है, अिन भाअीको मेरे अुस लेखसे तसल्ली हो जानी चाहिये, जो अिसी विषय पर २३ जनवरीको लिखा गया था, और १ फरवरीके ‘हरिजनसेवक’में छप चुका है।

मैं पत्र-लेखककी अिस बातसे पूरी तरह सहमत हूँ कि जो लोग अेक राष्ट्रभाषाके हिमायती हैं, अुन्हें अुसके हिन्दी और अर्दू दोनों रूप सीखने चाहियें। अिन्हीं लोगोंकी कोशिशसे हमें वह भाषा मिलेगी, जो सबकी भाषा या लोकभाषा कहलायेगी। भाषाका जो रूप लोगोंको, फिर वे हिन्दू हों या मुसलमान, ज्यादा अँचेगा और जिसे लोग ज्यादा समझ सकेंगे, बिलाशक वही देशकी लोकभाषा बनेगी। अगर लोग मेरी अिस तजवीज़को आमतौर पर अपना लें, तो फिर भाषाका सवाल न तो राजनीतिक सवाल रह जायगा, और न वह किसी झगड़ेकी जड़ ही बन सकेगा।

मैं पत्र-लेखककी अिस बातको माननेको तैयार नहीं कि ‘अर्दू ज्यादा विकसित, ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा लुभावनी, ज्यादा मुख्तसर,

और ज़्यादा अर्थसूचक यानी थोड़ेमें बहुत कहनेवाली ज़बान है' । ये सब चीज़ें किसी अेक भाषाकी अपनी बपौती नहीं होतीं । भाषा तो जैसी हम बनाना चाहें, बन जाती है । अंग्रेज़ीकी जो खूबियाँ आज हमें मालूम होती हैं, वे अंग्रेज़ोंकी कोशिशसे ही अुसमें आभी हैं । दूसरे शब्दोंमें, भाषा हमारी ही कृति है, और वह अपने सरजनहारके रंगमें रँगी रहती है । हरअेक भाषामें अपना अनन्त विस्तार करनेकी शक्ति रहती है । आधुनिक बँगलाको बनानेवाले बंकिम और रवीन्द्र ही न थे ? अिसलिअे अगर अुर्दू आज हिन्दीसे हर बातमें बड़ी-चढ़ी है, तो अुसकी यही वजह हो सकती है कि अुसके विधाता हिन्दीके विधाताओंसे ज़्यादा लायक रहे हों । मगर अिसपर मैं अपनी कोअी राय नहीं दे सकता, क्योंकि भाषा-शास्त्रीकी दृष्टिसे मैंने दोनोंमेंसे किसी अेकका भी अध्ययन नहीं किया । अपने सार्वजनिक कामके लिअे जितना ज़रूरी है, अुतना ही मैं अिन्हें जानता हूँ ।

लेकिन क्या अुर्दू हिन्दीसे अुतनी ही भिन्न है, जितनी बँगला मराठीसे ? क्या अुर्दू अुसी हिन्दीका नाम नहीं, जो फ़ारसी लिपिमें लिखी जाती है और संस्कृतसे नये शब्द लेनेके बजाय फ़ारसी या अरबीसे नये शब्द लेनेकी तबीयत रखती है ? अगर हिन्दू और मुसलमानोंके बीच किसी तरहकी अनबन न होती, तो लोग अिस चीज़का खुशीसे स्वागत करते । जब आपसकी यह अदावत मिट जायगी, जैसा कि अेक दिन अिसे मिटना ही है, तो हमारी सन्तान हमारे अिन झगड़ोंपर हँसेगी और अपनी अुस सर्वमान्य भाषा हिन्दुस्तानीपर गर्व करेगी, जो असंख्य लेखकों और लोगों द्वारा अुनकी अपनी आवश्यकता, रुचि और योग्यताके अनुसार कअी भाषाओंसे खुले दिलके साथ लिये गये शब्दोंके सुमेलसे बनायी जायगी ।

यहाँ मैं अपने पत्र-लेखककी अेक भूलको दुरुस्त कर देना चाहता हूँ । अुनका कुछ अैसा खयाल मालूम होता है कि आखिरकार हिन्दुस्तानी तमाम प्रान्तीय भाषाओंकी जगह ले बैठेगी । यह न तो कमी मेरा सपना रहा, और न ही अुन लोगोंका, जो देशके लिअे अेक राष्ट्रभाषाकी चिन्ता कर रहे हैं । हम सब सपना तो यह देख रहे हैं कि मुल्कमें हिन्दुस्तानी

अस अंग्रेज़ीकी जगह ले ले, जो आज पढ़े-लिखे लोगोंके बीच व्यवहारका एक माध्यम बन गयी है। जिसका नतीजा यह हुआ है कि पढ़े-लिखोंके और आम रिआयाके बीच आज एक खासी-सी खुद गयी है। जिस दुर्भाग्यका प्रतीकार तभी हो सकता है, जब अन्तर्प्रान्तीय व्यवहारके लिखे हम अस भाषाको अपनायें, जो देशकी लोकभाषा हो, यानी जिसे देशके ज़्यादासे ज़्यादा लोग बोलते हों। जिसलिखे दरअसल झगड़ा हिन्दी-अर्दूका नहीं, बल्कि हिन्दी और अर्दूका अंग्रेज़ीसे है। नतीजा जिसका एक ही हो सकता है—दोनोंकी फ़तह; हालाँ-कि आज ये दोनों बहनें बड़ी भारी अड़चनोंके बीच जी रही हैं, और फ़िलहाल अिनमें आपसी अनबन भी है।

पत्र-लेखकको हिन्दी साहित्य-सम्मेलनके साथके मेरे सम्बन्धसे शिकायत है। मुझे उसके साथके अपने जिस सम्बन्धका अभिमान है। अबतकका असका अितिहास अुज्ज्वल रहा है। 'हिन्दी' शब्दसे हिन्दू-मुसलमान, दोनोंका, समान रूपसे बोध होता था। दोनोंने हिन्दीमें लिखकर असके भण्डारको समृद्ध बनाया है। स्पष्ट ही पत्र-लेखकको यह पता नहीं है कि सम्मेलनके साथ मेरे सम्बन्धका क्या असर हुआ है। सम्मेलनने मेरी प्रेरणासे, न सिर्फ़ अपनी बुद्धिमानीका, बल्कि देशभक्ति और अुदारताका परिचय देते हुअे, हिन्दीकी अस परिभाषाको अपनाया, जिसमें अर्दू भी शामिल है। वह पूछते हैं कि क्या मैं किसी अर्दू अंजुमनमें कभी शामिल हुआ हूँ? मुझसे किसीने कभी असके लिखे गम्भीरतापूर्वक कहा ही नहीं। अगर कोअी कहता, तो मैं उसके साथ भी वही शर्त करता, जो मैंने, मुझे सम्मेलनका सभापति बननेके लिखे कहनेवालोंके साथ की। मैं अपने अर्दू-भाषी मित्रोंसे, जो मुझे न्योतने आते, कहता कि वे मुझको जनतासे यह कहने दें कि वह अर्दूकी अैसी व्याख्या करे, जिसमें देवनागरी लिपिमें लिखी हिन्दी भी अुमार हो। लेकिन मुझे अैसा कोअी मौक़ा ही न मिला।

मगर अब, जैसा कि मैं अपने पहली फरवरीवाले लेखमें अिशारा कर चुका हूँ, मैं चाहता हूँ कि किसी अैसी संस्था या समितिका संगठन हो, जो अपने सदस्योंके लिखे हिन्दी और अर्दूका, अुनके दोनों रूपों

और दोनों लिपियोंके साथ, अध्ययन करनेकी हिमायत करे, और जिस अुम्मीदके साथ जिस चीज़का प्रचार करे कि आखिरकार किसी दिन ये दोनों कुदरती तौरपर मिलकर अेक सर्वसाधारण अन्तर्प्रान्तीय भाषाका चोला पहन लेंगी, और हिन्दुस्तानी कहलाने लग जायेंगी । अस समय अिनका समीकरण हिन्दी + अुर्दू = हिन्दुस्तानी, न होकर हिन्दुस्तानी = हिन्दी = अुर्दू होगा ।

(हरिजनसेवक, ८-२-'४२)

३८

हिन्दुस्तानी सीखो

१

‘अच्छे कामका आरम्भ घर ही से होना चाहिये ।’ जब मैंने अस दिन स्व० जमनालालजीके मित्रोंकी सभामें यह कहा कि जो कांग्रेसकी सिफ़ारिशके मुताबिक़ हिन्दुस्तानीको राष्ट्रभाषा मानते हों, अुनके लिअे अुर्दू सीख लेना जरूरी है, तब मुझे अुपरकी अंग्रेज़ी कहावत याद हो आयी थी । असलिअे सेवाग्रामसे, ही मैंने अुर्दूके प्रचारका सत्कार्य शुरू कर दिया है, और मुझे असका बहुत अुत्साहपूर्ण और जोशीला जवाब मिला है । पिछले बुधवारको, यानी २५ फरवरीके दिन, आश्रममें अुर्दूकी पढ़ाअी शुरू हुअी । छोटे-बड़े, स्त्री-पुरुष, क़रीब-क़रीब सभी अुर्दू सीखने लगे हैं । आध-आध घण्टेकी दो बैठक़ोंमें वे अुर्दूकी वर्णमाला सीख चुके हैं । अस टिप्पणीके छपनेतक़ वे अुर्दूकी बारहखड़ी और असके हिज्जे वग़ैरा भी जान चुके होंगे । यानी सिर्फ़ तीन घण्टोंमें वे लगभग सारी बारहखड़ी और संयुक्ताक्षर सीख चुकेंगे । अेक ही दिनमें, चार घण्टेके अन्दर, यह सब सीख लेनेवाले अेक सज्जन भी निकल आये हैं । हाँ, अुर्दू पढ़नेका सवाल ज़रा टेढ़ा है, लेकिन मुहावरेसे यह मुदिकल भी हल हो जायगी । जहाँ चाह होती है, वहाँ सब आसान मालूम होता है । हमारा स्वदंश-प्रेम अितना प्रबल होना चाहिये कि वह हममें यह चाह पैदा कर सके ।

(हरिजनसेवक, ८-३-'४२)

हिन्दुस्तानी

प्र० — कृपाकर कहिये, मैं क्या करूँ? मैं वर्धावाले प्रस्तावको माननेवालोंमें हूँ ।

अ० — यानी अगर कांग्रेसकी माँग मंजूर कर ली जाय, तो आप युद्ध-प्रयत्नमें पूरी तरह हाथ बँटायेगे । सो कुछ भी क्यों न हो, मगर रचनात्मक कार्यक्रमके बारेमें वर्धामें जो प्रस्ताव पास हुआ है, वह आपको चौदह प्रकारके रचनात्मक कार्यमें पूरी तरह हाथ बँटानेके लिअे निमंत्रित करता है । अिसलिअे, और वैसे स्वतंत्र रूपसे भी, आपको हिन्दुस्तानी सीख लेनी चाहिये, ताकि आप देशकी आम जनताके सीधे सम्पर्कमें आ सकें । और, जैसा कि मैं कह चुका हूँ, जबतक हिन्दी और अुर्दू मिलकर अेकरूप नहीं हो जाती हैं, तबतक हिन्दुस्तानीका मतलब अुर्दू + हिन्दी रहेगा । अिस हिन्दुस्तानीको मुहब्बत और मेहनतके साथ सीख लेनेमें आपको संकोच या आनाकानी नहीं करनी चाहिये । आपका हड़ निश्चय सब मुश्किलोंको आसान बना देगा । आप थोड़ी-बहुत हिन्दी तो जानते ही हैं । अब आपको अुसमें अच्छी तरक्की कर लेनी चाहिये । फ़ारसी लिपि सीखना बहुत आसान है । अुसके ३७ अक्षरोंके लिअे बहुत थोड़ी मूल संज्ञायें हैं । हाँ, अक्षरोंको जोड़कर लिखनेमें कुछ कठिनायी ज़रूर होती है, लेकिन अगर रोज़ अेक घण्टा खर्च करें, तो आप ज़्यादा-से-ज्यादा अेक हफ़्तेमें पूरी वर्णमाला और बारहखड़ी सीख लेंगे । फिर तो अभ्यासके लिअे रोज़का आध घण्टा देना काफ़ी होगा । अिस तरह छह महीनोंमें आप अुर्दूकी कामचलाअु जानकारी हासिल कर सकेंगे । दो भिन्न लिपियोंकी और अेक ही भाषाकी दो धाराओंकी परस्पर तुलना करना बहुत दिलचस्प हो सकता है । लेकिन यह सब हो तभी सकता है, जब आपको देशसे और देशकी जनतासे प्रेम हो । अंग्रेज़ी-जैसी कठिन भाषा-पर अधिकार करनेकी कोशिशमें हमारे मन थक न गये हों, तो प्रान्तीय भाषाओंको सीखनेमें हमें ज़्यादा मेहनत न अुठानी पड़े, बल्कि अुन्हें सीखना हमारे मनोरंजनका अेक विषय बन जाय । लेकिन आज तो हिन्दुस्तानीको अुसके दोनों रूपोंमें सीखना रचनात्मक कार्यक्रमकी पहली

सीढ़ी है। अगर आप देशके गरीब-से-गरीब लोगोंके साथ अपना सम्बन्ध बढ़ाना चाहते हैं, उनसे अकरस होना चाहते हैं, तो आपको नियमित रूपसे कातना भी चाहिये; और अिसके सिवा रचनात्मक कार्यक्रमके अन्य अंगोंमें भी दिलचस्पी लेनी चाहिये। सच्चे अर्थमें पूर्ण स्वराज्यकी स्थापना तभी हो सकेगी, जब हम अिस कार्यक्रमपर पूरी तरह अमल करके दिखायेंगे।
(हरिजनसेवक, १५-३-'४२)

३९

हिन्दुस्तानी बोलीका अितिहास

१

डॉक्टर ताराचन्द, जिन्होंने राष्ट्रभाषाके प्रश्नका अच्छा अभ्यास किया है, श्री काकासाहबको उनके अेक प्रश्नके अुत्तरमें, अपने दो फरवरीवाले खतमें लिखते हैं—

“हिन्दुस्तानी और ब्रज दोनों बोलचालकी ज़बानें थीं। पहले जब ये केवल बोलचालके काम आती थीं, अिनकी क्या हालत थी, कहना कठिन है। तवारीखसे अितना मालूम होता है कि बारहवीं सदीमें सआद सलमानने अेक ‘दीवान’ हिन्दीमें लिखा था। पर अुस ‘दीवान’का अेक भी शेर अब नहीं मिलता। तेरहवीं सदीसे हिन्दी या हिन्दुस्तानीका पता लगने लगता है। चौदहवीं और पन्द्रहवीं सदीमें हिन्दुस्तानीका अच्छा साहित्य दक्खिनमें तैयार हो गया था। अिस साहित्यकी भाषा वही खड़ी बोली है, जो आधुनिक हिन्दीका आधार है। ब्रजभाषाका कोअी लेख सोलहवीं सदीसे पहलेका अभीतक देखनेमें नहीं आया। पृथ्वीराजरासोमें कुछ पद ब्रजमें हैं, लेकिन अिसके रचनाकालके बारेमें, और खासकर अिसके ब्रजके हिस्सोंके बारेमें, कुछ भी निश्चय नहीं है। ज्यादातर लोग अिन्हें सोलहवीं सदीका मानते हैं।

“ब्रजसे पहले राजस्थानीका, डिंगलका, रिवाज था । रासो अधिक मात्रामें डिंगलमें ही लिखा हुआ है । ब्रजका सबसे पहला कवि सूरदास है, जो सोलहवीं सदीका है ।

“हिन्दुस्तानीका सबसे पहला साहित्य मुसलमानोंका लिखा ही मिलता है । मुसलमान साधु-सन्तोंने जिसमें धर्मकी व्याख्या की है और सूफ़ीमतके सिद्धान्त बयान किये हैं । फिर कवियोंने कवितायें लिखीं । मुसलमानोंका लिखा होनेकी वजहसे इस साहित्यमें हिन्दी और फ़ारसीके शब्दोंका मेल है । इसकी ध्वनियोंमें फ़ारसी-अरबीकी ध्वनियाँ, मसलन् क्र, ग, ज़, मिल गयी हैं । ये ध्वनियाँ ब्रजमें नहीं हैं, लेकिन आधुनिक हिन्दीमें हैं ।

“मुसलमानोंने जिस बोलचालकी ज़बानको अपने काममें लिया, वह मेरठ व दिल्लीके आस-पासकी बोली है । वह आज भी दिल्लीसे सहेलखण्डके बीचके अलाक़ेमें बोली जाती है । इस बोलीको खड़ीबोली (हिन्दुस्तानी) कहते हैं ।

“हिन्दुस्तानी, आधुनिक हिन्दी और उर्दू, अिसी बोलीके तीन रूप हैं । आधुनिक हिन्दी हिन्दुस्तानीका साहित्यिक रूप है, जिसमें संस्कृतके तद्भव और तत्सम शब्द आज्ञादीके साथ और बहुतायतके साथ अस्तेमाल होते हैं । उर्दूमें फ़ारसी और अरबीके तत्सम बहुत मिले हुअे हैं । हिन्दुस्तानीसे मेरा मतलब उस साहित्यकी भाषासे है, जिसका आधार खड़ीबोली है, पर जो न तो केवल संस्कृतके तत्समोंको अपनाती है, न केवल अरबी-फ़ारसीके, बल्कि दोनोंको । किसीके लिखनेकी शैली ऐसी है कि जो संस्कृतकी तरफ़ झुकती है, किसीकी फ़ारसीकी तरफ़ । लेकिन हिन्दुस्तानी लिखनेवाले, जहाँतक बन पड़ता है, संस्कृत और अरबी-फ़ारसी दोनोंके लफ़्ज़ोंकी भरमारसे परहेज़ करते हैं ।

“मेरा कहना यह है कि हमें न हिन्दीको, जिसमें अरबी-फ़ारसीसे परहेज़ और संस्कृतसे अधिक मेल है, और न उर्दूको, जिसमें संस्कृतसे परहेज़ और फ़ारसी-अरबीसे मेल है, देशकी आम भाषा मानना चाहिये । या तो हिन्दुओंकी हिन्दी और मुसलमानोंकी उर्दू मानकर दोनोंको अेक-सा दरजा दे देना चाहिये, या कोशिश यह करनी चाहिये

कि हिन्दुस्तानी, जो दोनोंके बीचकी भाषा है, आम भाषा, कुल हिन्दकी भाषा मान ली जाय । जबतक हम यह कहते रहेंगे कि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है, तबतक झगड़ेमें कमी नहीं हो सकती । या तो अर्दूको भी राष्ट्रभाषा मान लीजिये या ऐसी भाषाको स्वीकार कीजिये, जो दोनोंके मूल खजानोंसे लफ़्ज़ अुधार ले सके ।

“मुझे तो विश्वास है कि मेरा निवेदन सचपर निर्भर है । पर मैं जानता हूँ कि भावके झकड़के सामने सचकी लौ मिलमिलाने लगती है, और अुसका प्रकाश मध्यम पड़ जाता है । मैं यह चाहता हूँ कि आप अिस झकड़की आँधीसे देशको बचानेमें मदद करें । ज़बानका सवाल समाजका और समाजका सवाल स्वराजका सवाल है । ज़बानके सवालके हलपर थोड़ा-बहुत स्वराजका दारोमदार ज़रूर है । अिसीसे मैं अिसमें दिलचस्पी लेता हूँ, और चाहता हूँ कि आपकी सहायताका सौभाग्य हासिल करूँ ।”

(हरिजनसेवक, १५-३-'४२)

२

डॉक्टर ताराचंद और हिन्दुस्तानी

श्री मुरलीधर श्रीवास्तव अेम० अे० ने डाकके थैलेके अिअे नीचे लिखा पत्र अेजा था—

“जब मनमें किसी चीज़के अिअे पक्षपात पैदा हो जाता है, तो मनुष्य अितिहासको भी विकृत बनाने बैठ जाता है । आपकी तरह डॉक्टर भी हिन्दुस्तानीके अुस्त हिमायती हैं । अुन्हें अपने विचार रखनेका अुतना ही अधिकार है, जितना आपको या मुझे अपने विचार रखनेका है । अुन्होंने यह सिद्ध करनेकी कोशिश की है कि हिन्दुस्तानी (खड़ीबोली)का साहित्य ब्रजभाषाके साहित्यसे पुराना है, और अुसके अुत्साहमें अुन्होंने यह कहकर कि १६ वीं सदीसे पहले ब्रजमें कोअी चीज़ लिखी ही नहीं गअी, ब्रजभाषाके अितिहासको बहुत गलत तरीक़ेसे पेश किया है । अुनके कथनानुसार १६वीं सदीमें सूरदास ही पहले कवि थे, जिन्होंने ब्रजमें अपनी रचनायें कीं । चूँकि गत २९ मार्चके ‘हरिजन’में आपने अिन विद्वान् डॉक्टर साहबके अेक पत्रका अवतरण दिया है, और चूँकि

‘हरिजन’की प्रतिष्ठा और उसका प्रचार व्यापक है, जिसलिये यह आवश्यक हो जाता है कि जिस भूलकी ओर ध्यान दिलाया जाय। सूरदाससे पहलेके ब्रज-साहित्यके लिये केवल कबीरकी रचनायें ही पढ़ लेनी काफ़ी होंगी — अमीर खुसरोकी तो बात ही क्या, जिनकी कुछ कवितायें ब्रजभाषामें भी मिलती हैं। सूरदाससे पहलेके कभी सन्तों और भक्तोंकी अनेक छोटी-छोटी रचनायें ब्रजमें पायी जाती हैं, और वे हिन्दी साहित्यके किसी भी प्रामाणिक इतिहासमें देखी जा सकती हैं।”

पत्र-लेखकके जिस पत्रका जो अंश प्रस्तुत पत्रसे सम्बन्ध नहीं रखता था, उसे मैंने निकाल दिया है। यह पत्र मैंने काका साहब कालेलकरके पास भेज दिया था। उन्होंने जिसे डॉक्टर ताराचन्दके पास भेजा था। डॉक्टर ताराचन्दने जिसका नीचे लिखा जवाब भेजा है, जो अपनी कथा आप कहता है —

“मैंने अपनी जो राय दी थी कि ब्रजभाषाका साहित्य सोलहवीं सदीसे ज़्यादा पुराना नहीं है, उसके कारण जिस प्रकार हैं —

१. ब्रजभाषा एक आधुनिक भाषा है, जो तृतीय प्राकृत या ‘न्यु अिण्डो-आर्यन’ वर्गकी मानी जाती है। जिस वर्गका जन्म मध्यम प्राकृत या ‘मिडिल अिण्डो-आर्यन’से हुआ है। दुर्भाग्यसे मध्यम और तृतीयके बीचकी अवस्थाओंका निश्चितरूपसे कोई पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ज़्यादातर विद्वान् जिस बातमें एक राय हैं कि ‘मध्यम प्राकृत’का समय आर्यवी सन् पूर्व ६०० से आर्यवी सन् १००० तक रहा।

२. मध्यम प्राकृतोंको, जो एक ज़मानेमें सिर्फ़ बोलीभर जाती थीं, महावीर और बुद्ध द्वारा चलाये गये धार्मिक आन्दोलनोंके कारण साहित्यिक विकास करनेका उत्तेजन मिला। जिन प्राकृत भाषाओंमें पाली सबसे महत्त्वकी भाषा बन गयी, क्योंकि वह बौद्धोंके पवित्र धर्मग्रन्थोंको लिखनेके लिये माध्यमस्वरूप अपनायी गयी थी। महत्त्वकी दृष्टिसे दूसरा स्थान अर्धमागधीका रहा, जिसमें जैनियोंके धर्मग्रंथ लिखे गये। इनके सिवा भी कुछ और प्राकृत भाषायें अनेक दिनों प्रचलित थीं; मसलन्, महाराष्ट्री, जिसमें गीत और कविता लिखी जाती थी, और शौरसेनी, जिसका उपयोग नाटकोंमें स्त्री-पात्रोंकी भाषाके रूपमें किया जाता था, वगैरा।

३. अस्वी सन्की छठी सदीमें आते-आते प्राकृत भाषायें स्थिर और मृत भाषायें बन गयीं थीं । साहित्य तो तब भी अजुनमें लिखा जाता था, लेकिन अजुनका विकास बन्द हो चुका था । अिसी सदीमें सामान्य बोलचालकी भाषाओंका, जिनमेंसे साहित्यिक प्राकृतका जन्म हुआ था, साहित्यकी दृष्टिसे अुपयोग होने लगा । प्राकृत भाषाओंके अिसका साहित्यिक विकासके प्रचारको अपभ्रंशके नामसे पहचाना जाता है । अिसका समय अस्वी सन् ६०० से १००० तक रहा । अिन अपभ्रंश भाषाओंमें अेक नागर भाषाने महत्त्वका स्थान प्राप्त किया । अुत्तर हिन्दुस्तानके ज्यादातर हिस्सोंमें अिसी नागरके विविध रूप साहित्यिक अभिव्यक्तिके वाहन बनकर काममें आने लगे थे, लेकिन नागर और अुसके विविध रूपोंके सिवा शौरसेनी-जैसी कुछ दूसरी प्राकृत भाषाओंके भी अपभ्रंशोंका विकास हुआ था ।

४. हिन्दुस्तानकी आधुनिक भाषाओंका या तृतीय प्राकृतोंका विकास अिन्हीं अपभ्रंश भाषाओंसे हुआ है । नागर अपने अेक प्रकार द्वारा राजस्थानी और गुजराती भाषाओंकी जननी बनी, जिसे टेस्सीटोरीने प्राचीन पश्चिमी राजस्थानीका नाम दिया है ।

शौरसेनी अपभ्रंशका रूप हेमचंद्रके (सन् ११७२) प्राकृत व्याकरणमें प्रकट हुआ है । लेकिन शौरसेनी अपभ्रंशका नागरके साथ कोअी सम्बन्ध निश्चित करना कठिन है । मालूम होता है कि शौरसेनी अपभ्रंशके रूपमें और भी परिवर्तन हुआ, और वे प्राचीन पश्चिमी हिन्दी, अवहल्य, काव्य-भाषा आदि विविध नामोंसे पुकारे गये ।

५. अिस भाषाके सामने आनेपर मध्यम प्राकृत भाषायें मञ्चसे हट जाती हैं, और तृतीय प्राकृत या 'न्यू अिण्डो-आर्यन' भाषाओंका समय शुरू होता है । पुरानी पश्चिमी हिन्दी, जो नवीन मध्यदेशीय भाषाका बहुत पहला रूप है, ११वीं सदीमें निश्चित रूप धारण करती मालूम होती है । अिसी पुरानी पश्चिमी हिन्दीसे अुत्तरी मध्यदेशकी हिन्दुस्तानी (खड़ी) निकली, मध्यदेशकी ब्रज निकली और दक्षिणकी बुन्देली निकली । १२वीं सदीमें ये सब बोलियाँ थीं । आगेकी कुछ सदियोंमें अिन्होंने साहित्यिक रूप धारण किया ।

६. जिन भाषाओंके विकासका जो अध्ययन मैने किया है, उससे मैं जिस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि हिन्दुस्तानी (खड़ी) ही वह भाषा थी, जिसका साहित्यिक भाषाके रूपमें सबसे पहला विकास हुआ। १४वीं सदीके आखिरी पचीस सालोंसे लेकर अबतक हमें हिन्दुस्तानी (दक्खिनी अर्द्ध)का सिलसिलेवार इतिहास मिलता है। दूसरी तरफ़ १६वीं सदीसे पहलेकी ब्रजभाषाका इतिहास बहुत ही शंकास्पद है।

७. आजिये, १६वीं सदीसे पहलेके तथाकथित ब्रजभाषा-साहित्यका कुछ विचार किया जाय।

(अ) पृथ्वीराज रासोका रचयिता चन्द बरदासी वह पहला कवि है, जिसने, कहा जाता है, कि ब्रज (पिंगल)का उपयोग किया था। यह चन्द बरदासी पृथ्वीराज (१२वीं सदी) का समकालीन माना जाता है। रासोके सम्बन्धमें अेक प्रबल मत यह है कि यह अेक नक़्की काव्य है। बुहलर, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ग्रियर्सन और दूसरे विद्वान् उसकी प्रामाणिकतामें सन्देह रखते हैं। उसकी भाषामें आधुनिक और अप्रचलित भाषाका अजीब मिश्रण है। उसकी कथा-वस्तु इतिहासके विपरीत पड़ती है, और उसके रचयिताके बारेमें भी शक है। जिन प्रमाणोंके आधारपर पंडित रामचन्द्र शुक्ल जिस नतीजे पर पहुँचे थे कि 'यह ग्रंथ साहित्यके या इतिहासके विद्यार्थीके किसी कामका नहीं है।'

(आ) अमीर खुसरो दूसरा ग्रंथकार है, जिसके लिये दावा किया जाता है कि वह ब्रजका लेखक था। सन्, १३२५में उसकी मृत्यु हुई। हिन्दीमें उसकी कविताओं, पहेलियों और दो सखुनोंका कोभी प्रामाणिक हस्तलिखित ग्रंथ अभीतक मिला नहीं है। लाहौरके प्रोफेसर महमूद शेरानिने जिस बातको अच्छी तरह साबित कर दिया है कि खालिज़बारी (हिन्दी और फ़ारसी शब्दोंका पद्यबद्ध कोश), जो खुसरोकी रचना कही जाती है, उसकी रचना नहीं हो सकती। उसकी हिन्दी कविताकी भाषा इतनी आधुनिक है कि भाषाशास्त्रका अेक साधारण जानकार भी यह ताड़े बिना नहीं रह सकता कि यह १३ वीं या १४ वीं सदीकी नहीं हो सकती। उसकी अधिकांश रचनायें बिलकुल आधुनिक हिन्दुस्तानी या खड़ी बोलीमें हैं, और कुछपर ब्रजकी छाप है। डाक्टर हिदायत हुसैनने

खुसरोकी रचनाओंकी एक प्रामाणिक सूची तैयार की है, जिसमें वे उसकी हिन्दी कविताओंको कोअी स्थान नहीं दे सके हैं। कुछ हिन्दी लेखकोंने खुसरोके खिज़्रखॉँ और देवलरानी नामक काव्यका वह अंश पढ़ा है, जिसमें हिन्दीकी तारीफ़ की गयी है। जिस परसे अुन्होंने यह नतीजा निकाला कि खुसरो हिन्दीका प्रशंसक और कवि था। लेकिन उस अंशको ध्यानसे पढ़नेसे यह बिलकुल साफ़ हो जाता है कि वहाँ खुसरोका मतलब ब्रज या हिन्दुस्तानीसे नहीं था। जिस नगण्य-से प्रमाणके आधारपर ब्रजके अतिहासका ठेठ खुसरोसे सम्बन्ध जोड़ना विज्ञान-सम्मत तो नहीं कहा जा सकता।

(इ) आगे चलकर यह कहा गया है कि नामदेव, रैदास, धना, पीपा, सेन, कबीर आदि सन्त और भक्त ब्रजके कवि थे। जिनकी बानी और पद गुरुग्रंथमें दिये गये हैं। वे कहाँतक प्रामाणिक माने जा सकते हैं, सो एक अनसुलझी समस्या ही है। नामदेव एक मराठा सन्त थे, जो १३वीं सदीमें हो गये; अुन्होंने हिन्दीमें कुछ लिखा था या नहीं, सो निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता। क्योंकि गुरुग्रंथका संकलन १७वीं सदीके शुरूमें हुआ था। दूसरे सन्तों और भक्तोंकी रचनाओंके कोअी प्रामाणिक हस्तलिखित भी नहीं मिल रहे हैं।

जिन सन्तों और भक्तोंमें १५वीं सदीके कबीर ही सबसे ज्यादा मशहूर हैं। गुरुग्रंथमें अुनकी बहुतसी रचनायें पायी जाती हैं। अुनकी भाषापर पंजाबीका ज़बर्दस्त असर है। काशीकी नागरी-प्रचारिणी-सभाने रायबहादुर श्यामसुन्दरदासजी द्वारा सम्पादित कबीरकी ग्रंथावली प्रकाशित की है, जो सन् १५०४के एक हस्तलिखितके आधारपर तैयार की गयी कही जाती है। लेकिन जिस तिथिकी प्रामाणिकताके सम्बन्धमें भी गंभीर शंकायें अुठायी गयी हैं (देखिये, डॉ० पीताम्बरदत्त बड़थवाल-कृत 'हिन्दी काव्यमें निर्गुणवाद')। बहरहाल, जिस संस्करणकी भाषा भी गुरुग्रंथमें पाये जानेवाले पदोंकी भाषासे मिलती-जुलती है, और बहुत ज्यादा पंजाबीपन लिये है। कबीरने खुद कहा है कि अुन्होंने पूरबी बोलीका अुपयोग किया है, और अुनकी कअी अैसी रचनायें हैं, जिनकी आश्रयपर राजस्थानीका बहुत प्रभाव मालूम होता है। अैसी हालतमें कबीरके

ग्रंथोंकी भाषाके बारेमें निश्चित रूपसे कुछ कहना कठिन है । पंडित रामचन्द्र शुक्लने जिस सवालको यह कहकर हल करनेकी कोशिश की है कि कबीरने अपनी साखियोंमें साधुकरीका और रमैनी व शब्दोंमें काव्यभाषा या ब्रजका अुपयोग किया है ।

लेकिन उनका यह हल शायद ही सन्तोषजनक हो; क्योंकि जिससे कबीरकी अपनी बातका खण्डन होता है । दूसरे, प्रामाणिक दस्तावेज़ोंके अभावमें जिसको सिद्ध करना भी सम्भव नहीं है ।

८. जिस प्रकार जितनी ही आप अिन साहित्यिक रचनाओंकी जाँच-पड़ताल करते हैं, अुतनी ही मज़बूतीके साथ आपको जिस नतीजेपर पहुँचना पड़ता है कि अिन रचनाओंकी भाषाओंके बारेमें आम तौरपर लोगोंकी जो राय बनी हुअी है, दरअसल अुसके लिये बहुत कम आधार है । कुछ दूसरी बातें भी जिस परिणामको पुष्ट करती हैं । यह तो अेक जानी हुअी बात है कि कोअी भी बोली या ज़बान तबतक साहित्यिक पद और प्रतिष्ठाको प्राप्त नहीं होती, जबतक अुसकी पीठपर कोअी मज़बूत सामाजिक बल न हो । यह बल या तो धार्मिक हो सकता है या राजनीतिक । पाली और अर्धमागधीकी जो प्रतिष्ठा बढ़ी, सो जिसलिये कि ये दोनों बौद्ध और जैन सुधारोंकी वाहन बनी थीं । हिन्दुस्तानीने जो साहित्यिक दरजा हासिल किया, सो जिसलिये कि अुसे मुस्लिम अुपदेशकों और बादशाहोंका सहारा मिल गया था । राजस्थानी, जो १४वीं, १५वीं और १६वीं सदियोंमें अुत्तरी हिन्दुस्तानके अेक बड़े हिस्सेकी साहित्यिक ज़बान थी, जिसलिये बढ़ी और लोकप्रिय हुअी कि अुसके पिछे मेवाड़के महान् सिसोदियाओंका बल था । जब मुगलोंने मेवाड़के राणाओंको हरा दिया, तो राजस्थानी भी अेक प्रादेशिक भाषा बनकर रह गअी ।

जिसी तरह जब हम ब्रजभाषाका विचार करते हैं, तो हमें १६वीं सदीतक अुसका समर्थन करनेवाली किसी राजनीतिक या धार्मिक हलचलका पता नहीं चलता । ब्रज कभी किसी सत्ताका राजनीतिक केन्द्र नहीं रहा । श्री वल्लभाचार्यके ब्रजमें आकर बसने और वहाँ कृष्णभक्तिके अपने सम्प्रदायका प्रचार शुरू करनेसे पहले अेक धार्मिक केन्द्रके नाते भी ब्रजका कोअी महत्त्व न था । स्पष्ट ही वल्लभाचार्यके जिस आन्दोलनने ब्रजकी

बोलीको वह बढ़ावा दिया, जिससे वह एक साहित्यिक भाषाका रूप धर सकी। उत्तरी हिन्दुस्तानमें सूरदासने और वल्लभाचार्यके दूसरे शिष्योंने (अष्टछाप) ब्रजभाषाके प्रभुत्वको जिस क्रमसे बढ़ाया कि उसका एक रूप सुदूर बंगालमें भी कृष्णभक्तिको व्यक्त करनेके माध्यमके रूपमें अपनाया गया।

९. कबीरकी और दूसरे भक्तोंकी रचनायें, फिर उनकी असल भाषा कुछ ही क्यों न रही हो, खास तौरपर बरज़बान याद कर ली जाती थीं, और जिस तरह उनका मौखिक प्रचार ही अधिक होता था। जब ब्रजकी बाढ़ जोरदार बनी, तो बड़ी आसानीसे उनकी रचनाओंपर भी ब्रजका असर पड़ा और उनमें ब्रजपना आ गया।

१०. जिन कारणोंसे मैं यह मानता हूँ कि ब्रजभाषामें ऐसा कोई असली साहित्य नहीं है, जो १६वीं सदीसे पहलेका कहा जा सके, वे कारण ऊपर में संक्षेपमें दे चुका हूँ। लेकिन जिस तरहके विचार सिर्फ मेरे ही नहीं हैं। प्रयाग विश्वविद्यालयके हिन्दी विभागके अध्यक्ष डॉ० धीरेन्द्र वर्माने भी, जो सचमुच ही हिन्दुस्तानीके खास पक्षपाती नहीं हैं, हिन्दी साहित्यके अपने इतिहासमें और ब्रजभाषाके व्याकरणमें अिन्हीं विचारोंको व्यक्त किया है, जो उनकी अिन पुस्तकोंमें देखे जा सकते हैं।”

(हरिजनसेवक २८-६-'४२)

राष्ट्रभाषा-सम्बन्धी दस प्रश्न

प्रश्न १. फ़ारसी लिपिका जन्म हिन्दुस्तानमें नहीं हुआ। मुगलोंके राज्यमें यह हिन्दुस्तानमें आयी, जैसे अंग्रेज़ोंके राज्यमें रोमन लिपि। पर राष्ट्रभाषाके लिखे हम रोमन लिपिका प्रचार नहीं करते, तो फिर फ़ारसी लिपिका प्रचार क्यों करना चाहिये ?

उत्तर — अगर रोमन लिपिने फ़ारसी लिपिके समान ही घर किया होता, तो जो आप कहते हैं, वही होता। मगर रोमन लिपि तो सिर्फ़ मुद्गीभर अंग्रेज़ी पढ़े-लिखे लोगोंतक सीमित रही है, जब कि फ़ारसी तो करोड़ों हिन्दू-मुसलमान लिखते हैं। आपको फ़ारसी और रोमन लिपि लिखनेवालोंकी संख्या ढूँढ़ निकालनी चाहिये।

प्रश्न २. अगर आप हिन्दू-मुस्लिम अकताके लिखे अर्द्ध सीखनेको कहते हों, तो हिन्दुस्तानके बहुतसे मुसलमान अर्द्ध नहीं जानते। बंगालके मुसलमान बँगला बोलते हैं और महाराष्ट्रके मराठी। गुजरातमें भी देहातमें तो वे गुजराती ही बोलते हैं। दक्षिण भारतमें तामिल वगैरा बोलते होंगे। ये सब मुसलमान अपनी प्रान्तीय भाषाओंसे मिलते-जुलते शब्दोंको ज्यादा आसानीसे समझ सकते हैं। उत्तर भारतकी तमाम भाषायें संस्कृतसे निकली हैं, अिसलिखे उनमें परस्पर बहुत ही समानता है। दक्षिण भारतकी भाषाओंमें भी संस्कृतके बहुत शब्द आ गये हैं। तो फिर अिन सब भाषाओंके बोलनेवालोंमें अरबी-फ़ारसी-जैसी अपरिचित भाषाओंके शब्दोंका प्रचार क्यों किया जाय ?

उत्तर — आपके प्रश्नमें तथ्य अवश्य है; मगर मैं आपसे कुछ ज्यादा विचार करवाना चाहता हूँ। मुझे क्रबूल करना चाहिये कि फ़ारसी लिपि सीखनेके लिखे जो आग्रह मैं करता हूँ, उसमें हिन्दू-मुस्लिम अकताकी दृष्टि रही है। देवनागरी और फ़ारसी लिपिकी तरह हिन्दी और अर्द्धके बीच भी बरसोंसे झगड़ा चला आ रहा है। अिस झगड़ेने अब ज़हरीला रूप पकड़ लिया है। सन् १९३५ में हिन्दी साहित्य-सम्मेलनने अिन्दौरमें

हिन्दीकी व्याख्यामें फ़ारसी लिपिको स्थान दिया । १९२५में कांग्रेसने कानपुरमें राष्ट्रभाषाको हिन्दुस्तानी नाम दिया । दोनों लिपियोंकी छूट दी गयी थी, जिसलिअे हिन्दी और अर्दूको राष्ट्रभाषा माना गया । जिस सबमें हिन्दू-मुस्लिम अेकताका हेतु तो रहा ही था । यह सवाल मैंने आज नया नहीं अुठाय़ा । मैंने अिसे मूर्त स्वरूप दिया, जो प्रसंगानुकूल ही था । जिसलिअे अगर हम राष्ट्रभाषाका सम्पूर्ण विकास करना चाहें, तो हमें हिन्दी व अर्दूको और देवनागरी व फ़ारसी लिपिको अेकसा स्थान देना होगा । अन्तमें तो जिसे लोग ज़्यादा पचायेंगे, वही ज़्यादा फैलेगी ।

बहुतेरी प्रान्तीय भाषायें संस्कृतसे निकट सम्बन्ध रखती हैं, और यह भी सच है कि भिन्न-भिन्न प्रान्तोंके मुसलमान अपने-अपने प्रान्तकी ही भाषायें बोलते हैं । जिसलिअे यह ठीक ही है कि अुनके लिअे देवनागरी लिपि और हिन्दी आसान रहेगी । यह क़ुदरती लाभ मेरी योजनासे चला नहीं जाता । बल्कि मैं यह कहूँगा कि अिसके साथ मेरी योजनामें फ़ारसी लिपि सीखनेका लाभ और मिलता है । आप अिसको बोझ मानते हैं । लाभ मानना कि बोझ, यह तो सीखनेवालेकी वृत्तिपर अवलम्बित है । अगर अुसमें अुमडता हुआ देशप्रेम होगा, तो वह फ़ारसी लिपि और अर्दू भाषाको बोझरूप कभी न मानेगा । और ज़बरदस्तीको तो मेरी योजनामें स्थान ही नहीं है । जो अिसमें लाभ समझेगा, वही दोनों लिपि और दोनों भाषा सीखेगा ।

प्र० ३. हिन्दुस्तानका बहुत बड़ा हिस्सा नागरी लिपि जानता है, क्योंकि बहुतसी प्रान्तीय भाषाओंकी लिपि नागरी अथवा नागरीसे मिलती-जुलती है । पंजाब, सिन्ध और सरहदी सूबोंमें नागरीका प्रचार कम है । क्या ये लोग आसानीसे नागरी सीख नहीं सकते ?

अु० अिसका जवाब अूपर दिया जा चुका है । सरहदी सूबेवालोंको और दूसरोंको देवनागरी तो सीखनी ही होगी ।

प्र० ४. भाषा ज़्यादातर तो बोलनेके लिअे है । बोलने और बातचीत करनेके लिअे लिपिकी ज़रूरत नहीं । लिपि बहुत गौण वस्तु है । अगर राष्ट्रभाषा मातृभाषाकी लिपि द्वारा सिखायी जाय, तो क्या वह

ज्यादा आसानीसे नहीं सीखी जा सकती ? अगर ऐसा किया जाय, तो राष्ट्रीय दृष्टिसे जिसमें क्या नुकसान है ?

अ० आपका कहना सच है । मैं मानता हूँ कि अगर हिन्दी और अर्द्ध प्रान्तीय भाषाओंके द्वारा ही सिखायी जायँ, तो वे आसानीसे सीखी जा सकती हैं । मैं जानता हूँ कि जिस क्रिस्मकी कोशिश दक्षिणके प्रान्तोंमें हो रही है, पर वह पद्धतिपूर्वक नहीं हो रही । मैं देखता हूँ कि आपका सारा विरोध जिस मान्यताके आधारपर है कि लिपिकी शिक्षा बोझरूप है । मैं लिपिकी शिक्षाको अितना कठिन नहीं मानता । परन्तु प्रान्तीय लिपिके द्वारा राष्ट्रभाषाका प्रचार किया जाय, तो जिसमें मेरा कोई विरोध हो ही नहीं सकता । जहाँ लोगोंमें उत्साह होगा, वहाँ अनेक पद्धतियाँ साथ-साथ चलेंगी ।

प्र० ५. अगर हम मान भी लें कि जबतक पंजाब, सिन्ध और सरहद्दी सूबेके लोग नागरी नहीं सीख लेते, तबतक उनके साथ मिलने-जुलनेके लिये अर्द्ध जाननेकी आवश्यकता है, तो इसके लिये कुछ लोग अर्द्ध सीख लें — मसलन्, प्रचारक लोग । सारे हिन्दुस्तानको अर्द्ध सीखनेकी क्या जरूरत है ?

अ० सारे हिन्दुस्तानके सीखनेका यहाँ सवाल ही नहीं । मैं मानता ही नहीं कि सारा हिन्दुस्तान राष्ट्रभाषा सीखेगा । हाँ, जिन्हें राष्ट्रमें भ्रमण करना है, और सेवा करनी है, उनके लिये यह सवाल है जरूर । अगर आप यह स्वीकार कर लें कि दो भाषा और दो लिपि सीखनेसे सेवा-क्षमता बढ़ती है, तो आपका विरोध और आपकी शंका शान्त हो जायगी ।

प्र० ६. आजकल राष्ट्रभाषा नागरी व फ़ारसी दोनों लिपियोंमें लिखी जाती है । जिसे जिस लिपिमें सीखना हो, सीखे । हरअेक शाहसको लाज़िमी तौरपर दोनों लिपियाँ सीखनी ही चाहियें, यह आग्रह क्यों किया जाता है ?

अ० जिसका भी अेक ही जवाब है । मेरे आग्रहके रहते भी सिर्फ़ वे ही लोग जिसे स्वीकार करेंगे, जो जिसमें लाभ देखेंगे । जिन्हें

एक ही लिपि और एक ही भाषासे सन्तोष होगा, वे मेरी दृष्टिमें आधी-राष्ट्रभाषा जाननेवाले कहलायेंगे। जिन्हें पूरा प्रमाणपत्र चाहिये, वे दोनों लिपियाँ और दोनों भाषायें सीखेंगे। अिससे तो आप भी अिनकार न करेंगे, कि देशमें जैसे लोगोंकी भी काफ़ी संख्यामें ज़रूरत है। अगर अिनकी संख्या बढ़नी न रही, तो हिन्दी और अुर्दूका सम्मिलन न हो पायेगा, और न काँग्रेसकी व्याख्यावाली एक हिन्दुस्तानी भाषा कभी तैयार हो सकेगी। एक अैसी भाषाकी अुत्पत्ति तो हमेशा अिष्ट है ही, जिसकी मददसे हिन्दू और मुसलमान दोनों एक-दूसरेकी बात आसानीसे समझ सकें। अैसे स्वप्रका सेवन हममेंसे बहुतेरे कर रहे हैं। किसी दिन वह सच्चा भी साबित होगा।

प्र० ७. अहिन्दी-भाषी प्रान्तोंके लोगोंके लिये, जो राष्ट्रभाषा नहीं जानते, एक साथ दो लिपियोंमें राष्ट्रभाषा सीखना क्या ज़रूरतसे ज़्यादा बोझिल न होगा? पहले एक लिपि द्वारा वह अच्छी तरह सीख ली जाय, तो फिर दूसरी लिपि तो बड़ी आसानीसे सीख ली जा सकेगी।

अु० अिसका पता तो अनुभवसे लगेगा। मैं मानता हूँ कि जो अिनमेंसे एक भी लिपि नहीं जानता, वह दोनों लिपियाँ एक साथ नहीं सीखेगा। वह स्वेच्छासे पहली अथवा दूसरी लिपि पहले सीखेगा, और बादमें दूसरी। शुरुकी पाठ्यपुस्तकोंमें शब्द दोनोंमें लगभग एक ही होंगे। मेरी दृष्टिमें मेरी योजना एक महान् और आवश्यक प्रयोग है। यह राष्ट्रको पुष्टि देनेवाला सिद्ध होगा, और काँग्रेसके प्रस्तावको अमली जामा पहनानेमें अिसका बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा। अिसलिये मुझे आशा है कि लाखों सेवक और सेविकायें अिस योजनाका स्वागत करेंगी।

प्र० ८. भाषाके स्वरूपमें देश-कालकी परिस्थितिके अनुसार परिवर्तन होते ही रहेंगे। अिसे कोअी रोक नहीं सकता। अिससे राष्ट्रभाषामें विदेशी भाषाके जो बहुतसे शब्द आ गये हैं, और रूढ़ हो गये हैं, वे अब निकाले नहीं जा सकते। परन्तु परम्परासे राष्ट्रभाषाकी लिपि तो नागरी ही चली आती है। बीचमें मुग़ल राज्यके वक्रत फ़ारसी लिपि आ गयी। अब मुग़लोंका राज्य नहीं है, अिसलिये जिस तरह गुजराती और मराठीमें बहुतसे अरबी और अंग्रेज़ी शब्द होते हुअे भी अिन भाषाओंने अपनी लिपि

नहीं छोड़ी, उसी तरह राष्ट्रभाषा भी विदेशी शब्दोंको क्रायम रखते हुआ अपनी परम्परागत नागरी लिपिको ही क्यों न अपनाये रहे ?

अ० यहाँ परम्परागत वस्तुको छोड़नेकी नहीं, बल्कि उसमें कुछ अिजाफ़ा करनेकी बात है । अगर मैं संस्कृत जानता हूँ और साथ ही फ़ारसी-अरबी भी सीख लेता हूँ, तो इसमें बुराभी क्या है ? मुमकिन है कि इससे न संस्कृतको पुष्टि मिले, न अरबीको । फिर भी अरबीसे मेरा परिचय तो बढ़ेगा न ? क्या सद्ज्ञानकी वृद्धिका भी कभी द्वेष किया जा सकता है ?

प्र० ९. भारतीय भाषाओंके शुचचारणको व्यक्त करनेकी सबसे ज़्यादा योग्यता नागरी लिपिमें है, और आजकलकी फ़ारसी लिपि इस कामके लिये बहुत ही दोषपूर्ण है । क्या यह सच नहीं ?

अ० आप ठीक कहते हैं, परन्तु आपके विरोधमें इस प्रश्नके लिये स्थान नहीं है । क्योंकि जो चीज़ यहाँ है, उसका तो विरोध है ही नहीं । परस्पर वृद्धि करनेकी बात है ।

प्र० १०. राष्ट्रभाषाकी आवश्यकता क्या है ? क्या अेक मातृभाषा और दूसरी विश्वभाषा काफ़ी न होगी ? अिन दोनों भाषाओंके लिये अेक रोमन लिपि हो, तो क्या बुरा है ?

अ० आपका यह प्रश्न आश्चर्यमें डालनेवाला है । अंग्रेज़ी तो विश्वभाषा है ही, मगर क्या वह हिन्दुस्तानकी राष्ट्रभाषा बन सकती है ? राष्ट्रभाषा तो लाखों लोगोंको जाननी ही चाहिये । वे अंग्रेज़ी भाषाका बोझ कैसे अुठा सकेंगे ? हिन्दुस्तानी स्वभावसे राष्ट्रभाषा है, क्योंकि वह लगभग २१ करोड़की मातृभाषा है । सम्भव है कि २१ करोड़की इस भाषाको बाक़ीके अधिकतर लोग आसानीसे समझ सकें । लेकिन अंग्रेज़ी तो अेक लाखकी भी मातृभाषा शायद ही कही जा सके । अगर हिन्दुस्तानको अेक राष्ट्र बनना है, अथवा वह अेक राष्ट्र है, तो हमें अेक राष्ट्रभाषा तो चाहिये ही । इसलिये मेरी दृष्टिसे अंग्रेज़ी विश्वभाषाके रूपमें ही रहे, और शोभा पाये; इसी तरह रोमन लिपि भी विश्वलिपिके रूपमें रहे और शोभा पाये — रहेगी और शोभेगी — हिन्दुस्तानकी राष्ट्रभाषाकी लिपिके रूपमें कभी नहीं ।

(हरिजनसेवक, २६-४-'४२)

चतुराभी भरी युक्ति

स० — जिसे आप हिन्दुस्तानी कहते हैं, उस राष्ट्रभाषाके अंगके रूपमें अर्द्ध सीख लेनेकी आपकी सलाह तो जानो अच्छी ही है। लेकिन निज़ाम राज्यमें अर्द्धका जो प्रचार किया जा रहा है, उसके बारेमें आप क्या कहते हैं? तेलगू भाषाकी अेक परीक्षाके प्रश्न-पत्रका पहला प्रश्न जिस प्रकार है —

“ यदि संघ-शासनके सुयोगके लिये हिन्दुस्तानको अेक सर्वसामान्य भाषाकी अनिवार्य आवश्यकता हो, और हिन्दुस्तानीका पक्ष काफ़ी मज़बूत हो, तो मुझे यह लगता है कि जिस युनिवर्सिटीको चाहिये कि वह अर्द्धको तुरन्त ही शिक्षाका माध्यम बना दे — खासकर जिसलिये कि वह जिस प्रान्तकी मातृभाषा है। जो लोग जिस भाषाके अधिक समृद्ध बननेतक राह देखना चाहते हैं, वे बड़ी गलती करते हैं। और मुनबी दलीलें भूल-भुलैया-जैसी हैं। जबतक युनिवर्सिटीयों ज्ञानके सभी अंग-श्रुपांशोंको सिखानेमें जिस भाषाका अुपयोग नहीं करतीं, तबतक यह दरिद्र ही बनी रहेगी। ”

यहाँ यह याद रखना चाहिये कि जिस प्रदेशके अधिकांश लोगोंकी मातृभाषा अर्द्ध नहीं, तेलगू है। परीक्षाके प्रश्न-पत्रों द्वारा अर्द्धके पक्षमें प्रचार करनेकी जिस चतुर युक्तिके विषयमें आप क्या कहियेगा?

ज० — मैं मानता हूँ कि यह चतुर और अनोखी युक्ति है। जो प्रश्न तीव्र मतभेदका विषय बना हुआ है, उसके बारेमें प्रचार करनेके लिये परीक्षाके प्रश्न-पत्रोंका अुपयोग करना शायद ही अुचित कहा जा सके। मैं यह भी मानता हूँ कि निज़ाम राज्यकी प्रजाकी मातृभाषा अर्द्ध नहीं है। मैं नहीं जानता कि राज्यकी कुल आबादीमें कितने फ़ीसदी लोग तेलगू जाननेवाले हैं। राष्ट्रभाषाकी मेरी कल्पनामें महान् प्रान्तीय भाषाओंको उनके स्थानसे अ्रष्ट करनेका समावेश नहीं होता, बल्कि उसके अनुसार तो राष्ट्रभाषाका ज्ञान प्रान्तीय भाषाके ज्ञानके अुपरान्त प्राप्त करनेकी बात है। और, न मैं यह आशा और अपेक्षा ही रखता हूँ कि देशके करोड़ों लोग कभी अखिल भारतीय राष्ट्रभाषाको

सीखेंगे । जिन लोगोंको राजनीतिक क्षेत्रमें काम करना है, और जिन्हें अन्तर्प्रान्तीय व्यवहार चलाना है, वे ही जिसे सीखेंगे । अेक पत्र-लेखक तो यह सुझाते हैं कि मुझे जनताको राष्ट्रभाषाके बदले पढ़ोसी प्रान्तोंकी भाषायें सीखनेकी सलाह देनी चाहिये । और वह कहते हैं — “आसाम-वालोंको हिन्दी अथवा अुर्दू, और अब जैसा कि आप कहते हैं, हिन्दी और अुर्दू सीखनेकी अपेक्षा बँगला सीखनेमें अधिक लाभ है ।” अगर अंग्रेज़ीको केवल अन्य भाषाके रूपमें ही नहीं, बल्कि समूची शुच्च शिक्षाके माध्यमके रूपमें सीखनेका असह्य बोझ हमारे सिर न होता, तो हमारे बालकोंके लिअे अपने पढ़ोसियोंकी भाषाको और अखिल भारतीय व्यवहारके लिअे राष्ट्रभाषाको भी सीखना बायें हाथका खेल बन जाता । मेरी अपनी राय तो यह है कि जो भी कोअी लड़का या लड़की हिन्दुस्तानकी ६ भाषायें न जाने, मानना चाहिये कि अुसके संस्कार और शिक्षणमें कमी रही है । जब अंग्रेज़ी जाननेवाले भारतीय अंग्रेज़ीको छोड़कर दूसरी किसी भाषाको — अपनी मातृभाषाको भी — सीखनेके विचारसे कांपते हैं, तो समझना चाहिये कि यह अुनके थके हुअे दिमागका अेक अचूक प्रमाण है, क्योंकि अिसके विरोधमें अधिकतर अंग्रेज़ी जाननेवाले हिन्दुस्तानी ही हैं । मैंने कभी यह अनुभव नहीं किया कि हिन्दीके साथ अुर्दू सीखनेमें आश्रमवालोंको कोअी कठिनाअी मालूम हुअी है । और मैं यह जानता हूँ कि दक्षिण अफ्रीकामें तामिल और तेलगू मज़दूर अेक-दूसरेकी भाषा बोल सकते थे, और वे कामचलाअु हिन्दी भी जानते थे । किसीने अुन्हें कहा नहीं था कि अुन्हें हिन्दी सीख लेनी चाहिये । किसी तरह, अपने-आप ही, अुन्हें यह पता चल गया था कि अुन्हें हिन्दी जाननी चाहिये । निस्सन्देह वे हिन्दीके विद्वान् नहीं थे, लेकिन आपसी व्यवहारके लिअे जितनी ज़रूरी थी, अुतनी हिन्दी वे सीख चुके थे । और वे अपने पढ़ोसी ज़ुलुओंकी भाषा भी सीख गये थे । न सीखते तो वे अपना काम-धन्धा न चला पाते । अिस प्रकार वहाँ बहुतेरे हिन्दुस्तानी अपनी मातृभाषाके सिवा हिन्दुस्तानकी दूसरी दो भाषायें जानते थे और ज़ुलुके साथ ट्टी-फूटी अंग्रेज़ी भी बोल लेते थे । यह कहनेकी ज़रूरत नहीं कि अुनमेंसे बहुतेरे अेक भी भाषाको लिखना नहीं

जानते थे, और अधिकतर तो अपनी मातृभाषाओंको भी व्याकरणकी दृष्टिसे अशुद्ध ही लिख सकते थे । जिसका बोधपाठ स्पष्ट ही है ।

अगर लिपिके सवालको छोड़ दें तो आप अपने पढ़ोसीकी भाषाको बिना किसी कोशिश और कठिनाईके सीख सकते हैं, और अगर आप ताज़ा हैं, और आपका दिमाग थक नहीं गया है, तो आप जितनी चाहें, उतनी लिपियाँ भी बिना किसी कठिनाईके सीख सकते हैं । इस तरहका अभ्यास हमेशा रसप्रद और स्फूर्तिदायक होता है । भाषाओंका अभ्यास, अेक कला है, और सो भी अेक बहुमूल्य कला !

(हरिजनसेवक, १७-५-'४२)

४२

हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा

१

जिस हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभाका जिक्र मैंने 'हरिजनसेवक' में किया था, वह अब बनने जा रही है । उसका कच्चा ढाँचा बन गया है । वह कुछ मित्रोंके पास भेजा गया है । थोड़े ही दिनोंमें सभाकी योजना वगैरा जनताके सामने रखी जायगी । बाज़ लोगोंका यह खयाल बन गया है कि यह सभा हिन्दी साहित्य-सम्मेलनकी विरोधिनी होगी । जिस सम्मेलनके साथ सन् १९१८से मेरा सम्बन्ध बना हुआ है, उसका विरोध मैं जान-बूझकर कैसे कर सकता हूँ ? विरोध करनेका कोअी मज़बूत सबब भी तो होना चाहिये न ? लेकिन, वैसा कुछ है नहीं । हाँ, यह सही है कि अुर्दूके बारेमें मैं सम्मेलनके चन्द सदस्योंसे आगे जाता हूँ । वे मानते हैं, मैं पीछे जा रहा हूँ । जिसका फ़ैसला तो वक़्त ही करेगा ।

यह स्पष्ट करनेके लिये कि सम्मेलनके प्रति मेरे मनमें कोअी विरोधी भाव नहीं है, मैंने श्री पुरुषोत्तमदास टण्डनसे पत्र-व्यवहार किया था, जिसके फलस्वरूप सम्मेलनकी स्थायी समितिने नीचे लिखा निर्णय किया है —

“ हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन अपने प्रारम्भसे ही हिन्दीको राष्ट्रभाषा मानता आया और मानता है । शुद्ध हिन्दीसे अल्पन् बरबी-फारसी-मिश्रित अेक विशेष साहित्यिक शैली है । सम्मेलन हिन्दीका प्रचार करता है, अुसका शुद्धसे विरोध नहीं है ।

अिस समितिके विचारमें महात्मा गांधीकी प्रस्तावित हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभाके सदस्य हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन और अुसकी अुपसमितियोंके सदस्य रह सकते हैं, किन्तु व्यावहारिक दृष्टिसे अुचित यह होगा कि राष्ट्रभाषा-प्रचार-समितिके पदाधिकारी नीचे प्रस्तावित हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभाके पदाधिकारी न हों । ”

मैं अिससे अधिक अुदारताकी आशा नहीं कर सकता था । मेरी यह राय रही है और अब भी है कि अगर पदाधिकारी अेक ही रह सकते, तो संघर्षका सवाल ही न अुठ पाता । अिसमें कुछ अुठ सकता है, लेकिन दोनों ओरसे सज्जनताका व्यवहार होनेपर संघर्ष हो ही नहीं सकता । हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभाकी सफलतासे राष्ट्रभाषाका सवाल राजनीतिके क्षेत्रसे बाहर निकल आयेगा । राजनीतिसे तो अुसका कभी सम्बन्ध होना ही न चाहिये था ।

सेवाग्राम, २२-४-’४२

मो० क० गांधी

२

[गांधीजी और श्री राजेन्द्रबाबू, वगैराकी सहीसे ता० २-५-१९४२के दिन लिखा बयान छया था —]

“ लोगोंमें राष्ट्रभाषाको फैलानेका काम करनेसे यह पता चला है कि जिस भाषाको कांग्रेसने ‘ हिन्दुस्तानी ’का नाम दिया है, वह मिली-जुली अुर्दू-हिन्दीका आसान रूप है । यही ज़बान है, जो अुत्तर हिन्दुस्तानमें बोली और समझी जाती है, और हिन्दुस्तानके दूसरे हिस्सोंमें भी लोग अिसे बहुत-कुछ समझते और बरतते हैं । अिसीके साहित्यिक (अदबी) रूप हिन्दी और अुर्दू अेक-दूसरेसे दूर होते चले जा रहे हैं । ज़रूरत अिस बातकी है कि अिन दोनों रूपोंको भी अेक-दूसरेके नज़दीक लाया जाय, और देशके अुन हिस्सोंमें, जहाँ दूसरी ज़बानें बोली जाती हैं, हिन्दुस्तानीको राष्ट्रभाषाके तौरपर फैलाया जाय । अिसलिअे हम अेक अैसी सभा बनाना चाहते हैं, जो आसान हिन्दी और आसान अुर्दू दोनोंका साथ-साथ प्रचार करे, और जिसका हर मेम्बर हिन्दुस्तानीकी अिन दोनों शकलों और लिपियोंको जाने और ज़रूरतके वक़्त बरत सके । अिससे अेक तो यह

होगा कि सारे देशमें एक आसान और साफ़ ज़बान चल जायगी और दूसरे, होते-होते इसी आसान ज़बानमें ऐसा अदब या साहित्य पैदा होने लगेगा, जिसमें ऊँचे खयालों और भावोंको भी जाहिर किया जा सकेगा। इस कामको पूरा करनेके लिये हम लोग 'हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा' के नामसे आज ता. ३-५-१९४२को एक सभा बनाते हैं।”

३

[अस सभाके हेतु और कामके बारेमें इसके विधानमें नीचे लिखी धारयें हैं—]

३. हेतु (मक़सद) — राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानीका प्रचार करना, जो सारे हिन्दुस्तानकी सामाजिक (समाजी), राजनीतिक (सयासी), कारबारी, और ऐसी दूसरी ज़रूरतोंके लिये देशभरमें काम आ सके, और अलग-अलग भाषायें (ज़बानें) बोलनेवाले सूबोंमें मेलजोल और बातचीतकी भाषा बन सके।

नोट : — हिन्दुस्तानी वह भाषा है, जिसे अ़त्तर हिन्दुस्तानके शहरों और गाँवोंके हिन्दू, मुसलमान आदि सब लोग बोलते हैं, समझते हैं, और आपसके कार-बारमें बरतते हैं, और जिसे नागरी और फ़ारसी दोनों लिखावटोंमें लिखा-पढ़ा जाता है, और जिसके साहित्यिक (अदबी) रूप आज हिन्दी और अ़र्दूके नामसे पहचाने जाते हैं।

४. सभाके काम — हेतु सफल करनेके लिये सभाके काम अस तरह किये जायँगे—

(१) हिन्दुस्तानीका एक कोश (लुग़त) तैयार करना, जिसपर सब भरोसा कर सकें। हिन्दुस्तानीका व्याकरण (क़वायद) तैयार करना, और अलग-अलग सूबोंके लिये ऐसे ही दूसरे सन्दर्भ-ग्रंथ (हवालेकी किताबें) बनाना।

(२) स्कूलोंमें पढ़ानेके लिये हिन्दुस्तानीकी किताबें तैयार करना।

(३) हिन्दुस्तानीमें आसान किताबें छापना।

(४) हिन्दुस्तानीका प्रचार करनेके लिये जगह-जगह परीक्षायें (अिम्तहान) लेना और ऐसी ही परीक्षायें लेनेवाली सभाओंको मंज़ूर करना और मदद देना।

(५) हिन्दुस्तानीमें पारिभाषिक शब्दोंका (अिस्तलाही लफ़्ज़ोंका) कोश तैयार करना।

(६) सूबेकी सरकारों, शहरों और ज़िलोंके बोर्डों और राष्ट्रीय शिक्षा (क्रौमी तालीम)की संस्थाओंसे हिन्दुस्तानीको लाज़िमी विषय मनवानेकी कोशिश करना ।

(७) अ़्पर लिखे हुअे और अैसे ही और कामोंके लिअे सभाकी शाखायें खोलना, समितियाँ यानी कमेटियाँ बनाना, चन्दा अिकट्टा करना, हिन्दुस्तानीमें किताबें निकालनेवालोंको मदद देना, मदरसे, पुस्तकालय (किताबघर), वाचनालय (पढ़ाअीघर), अुस्तादोंके स्कूल, रात्रिशालायें और अिसी तरहकी और भी संस्थायें चलाना ।

(८) जो संस्थायें अिन कामोंमें हाथ बँटा सकें, अुन्हें अपने साथ लेना या अपनी सभासे जोड़ लेना ।

(९) अैसे और सब जतन करना जिससे सभाके काम पूरे हो सकें ।

नोट — अिस सभाकी माल-मिलकियतसे सभाका कोअी सभासद सभासदकी हैसियतसे निजी फ़ायदा न अुठा सकेगा ।

४३

गुजरातमें हिन्दुस्तानी-प्रचार

अबतक गुजरातमें हिन्दुस्तानीके प्रचारका काम काका साहब द्वारा मेरी सलाह लेकर तैयार की हुअी योजनाके अनुसार, भाई अमृतलाल नाणावटी चला रहे हैं, और हिन्दी-प्रचारका दूसरा काम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनकी ओरसे बनीहुई वर्धाकी राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति करती है। ये दोनों काम राष्ट्रभाषाके प्रचारके लिअे माने जाते हैं। हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभाका तो मैं प्रणेता भी कहा जाअूँगा। सन् १९२५ में कानपुरकी कांग्रेसने हिन्दुस्तानीके बारेमें प्रस्ताव पास किया, लेकिन अुसपर अमल करनेके लिअे ज़रूरी अुपाय नहीं किये गये। इसलिअे सन् १९४२ की दूसरी मईको हिन्दुस्तानीके प्रचारके लिअे वर्धामें हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा कायम हुई। सभाने हिन्दुस्तानीकी व्याख्या इस तरह की है —

“हिन्दुस्तानी वह भाषा है, जिसे अुत्तर हिन्दुस्तानके शहरों और गाँवोंके हिन्दू, मुसलमान आदि सब लोग बोलते हैं, समझते हैं, और

आपसके कारबारमें बरतते हैं, और जिसे नागरी और फ़ारसी दोनों लिखावटोंमें लिखा-पढ़ा जाता है और जिसके साहित्यिक (अदबी) रूप आज हिन्दी और अर्दूके नामसे पहचाने जाते हैं । ”

लेकिन अिससे पहले कि सभाका काम जमाया जा सके, कांग्रेसके अगस्त-प्रस्तावके सिलसिलेमें सरकारने बहुतांको जेलके अन्दर बन्द कर दिया । अुनमें सभाके मुख्य संस्थापक भी थे । श्री नाणावटी बाहर थे । अुन्होंने महसूस किया कि हिन्दुस्तानी-प्रचारका काम अुन्हें शुरू कर देना चाहिये । मैं मानता हूँ कि इस कामको हाथमें लेकर अुन्होंने देशकी सेवा की है ।

हिन्दी और अर्दू अेक ही राष्ट्रभाषाकी दो साहित्यिक शैलियाँ हैं । ये दोनों शैलियाँ आज तो अेक-दूसरीसे दूर होती जा रही हैं । राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानीकी दृष्टिसे इन दोनों शैलियोंको अेक-दूसरीके नज़दीक लाना ज़रूरी है । दोनों लिपियों और शैलियोंकी जानकारीके बिना यह मुमकिन नहीं ।

हिन्दू-मुस्लिम कलह भाषामें भी आ घुसा है । मुझे बचपन ही से हिन्दू-मुस्लिम अेकताकी अुन रही है । भाषामें घुसे हुअे कलहको मिटानेके लिअे भी दोनों लिपियों और शैलियोंका ज्ञान ज़रूरी है ।

अगर कांग्रेसका काम अंग्रेज़ीके बिना चलाना हो, और चलाना ही चाहिये, तो भी हरअेक कांग्रेसीका धर्म है कि वह दोनों शैलियों और लिपियोंकी जानकारी हासिल कर ले । इससे हिन्दी-अर्दू अेक-दूसरीमें शामिल हो जायँगी, और अिस तरह जो भाषा फैलेगी, वह स्वाभाविक हिन्दुस्तानी होगी ।

यह पूछा गया है कि दोनों शैली और दोनों लिपि सीखनेकी लगन हिन्दू-मुसलमान दोनोंको होनी चाहिये या अेक ही को । मैं देखता हूँ कि इस सवालकी जड़में ग़लतफ़हमी है । जो भाई-बहन भाषाके ज्ञानको बढ़ायेंगे वे अुससे कुछ पायेंगे, जो नहीं बढ़ायेंगे वे खोयेंगे । फिर, जिन्हें अेकता प्यारी है; वे तो ज़्यादा मेहनत करके भी दोनोंको सीखेंगे ।

यह भी याद रहे कि पंजाब वग़ैरा प्रान्तों या प्रदेशोंमें हिन्दू-मुसलमान वग़ैरा सब कोई अर्दू ही जानते हैं । हरअेक देशप्रेमीका धर्म है कि वह अिन सब तक पहुँचे ।

हिन्दुस्तानके समान लम्बे-चौड़े देशमें तो हम जितनी ही भाषायें सीखते हैं, अतने ही देशसेवाके लिये ज्यादा लायक बनते हैं। ये दोनों शैलियाँ सिर्फ़ सेवक या कांग्रेसी ही सीखें या सब कोअी? मेरा जवाब है कि तमाम हिन्दुस्तानियोंको कांग्रेसी होना चाहिये; यानी सबको दोनों लिपि और शैली सीखनी चाहिये। दरअसल तो यह सवाल ही ग़ैरमौजू है, क्योंकि राष्ट्रभाषा सीखनेका शौक बहुत ही कम भाभी-बहनोंमें पाया गया है। कोअी वजह नहीं कि हजार दो हजार या लाख दो लाख लोगोंके अिम्तहानोंमें शामिल होनेसे हम फूल जायँ। सिर्फ़ हिन्दी या सिर्फ़ अुर्दू सीखनेवाले भी जितने हम चाहते हैं, अतने अ-हिन्दी या अ-अुर्दू प्रदेशोंमें नहीं मिलते।

क्या यह काफ़ी न होगा कि जिसे अुर्दू सीखना हो, वह अंजुमनोंसे सीखे, और हिन्दी सीखना हो, वह हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनसे सीखे? हाँ, यह काफ़ी नहीं है। अिसीलिये तो कांग्रेसको प्रस्ताव करना पड़ा और हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभाकी ज़रूरत पैदा हुआ। दोनोंके क्षेत्र निर्दिष्ट हैं। और मेरे खयालसे तंग या संकुचित हैं। मैं यह ज़रूर चाहूँगा कि दोनों बहनें अेक-दूसरीको अपना लें। जब वह शुभ दिन आयेगा, तब हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभाका काम खतम माना जायगा। जबतक यह हालत पैदा नहीं होती, हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभाको अपने धर्मका पालन करना ही है। मैं यह आशा अवश्य रखूँगा कि दोनों बहनें अिस मेल करानेवाली बहनको न सिर्फ़ निबाह लें, बल्कि अिसका स्वागत भी करें।

गुजरातमें हिन्दी-प्रचार और हिन्दुस्तानी-प्रचारका काम करनेवालोंमें बहुत-से तो मेरे साथी हैं। अुनमेंसे कुछने मुझसे रहनुमाअी चाही है। अिस बयानमें रास्ता सुझाया गया है। जो हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनकी बनाअी वर्धा-समितिका काम करते हैं, अुन्हें मेरे हिन्दुस्तानी-प्रचार-सम्बन्धी विचार रुचें, तो वे अिस कामको भी हाथमें ले लें। और, जिन विद्यार्थियोंको हिन्दी शैली और देवनागरी लिपि ही सीखनी हो, अुन्हें वे खुशी-खुशी सिखायें, और सम्मेलनकी ही परीक्षाके लिये तैयार करें। लेकिन वे खुद प्रचार तो दोनों शैली और दोनों लिपियोंका करें और जितनोंको अिसके लिये तैयार कर सकें, करें। जहाँतक भाषाका

सम्बन्ध देशके कल्याणके साथ है, वहाँतक हिन्दुस्तानीके प्रचारको मैं बहुत ज़रूरी मानता हूँ । अिन दोनोंके बीच कभी द्वेषभाव न रहे ।

अब सवाल यह खुटेगा कि आजतक जिन्होंने सिर्फ़ हिन्दी या सिर्फ़ उर्दू सीखी है या आगे जो सिर्फ़ हिन्दी या उर्दू सीखकर आये, वे क्या करें ? ऐसे लोगोंको चाहिये कि वे बाक़ीकी उर्दू या नागरी लिपि और शैली सीख लें, और दोनों लिपियोंमें ली जानेवाली हिन्दुस्तानीकी परीक्षामें शामिल हों । जिन्हें दोमेंसे एक लिपि और शैली आती है, उनके लिभे तो प्रश्नपत्र छुड़ाना बहुत आसान हो जायगा ।

सेवाग्राम, २७-११-'४४

४४

कुछ सवाल-जवाब

(वर्षा-समितिके मंत्री श्रीभदन्त आनन्द कौस्तुभायनने ता० ८-११-'४४के दिन लिखकर पूछे सवाल और गांधीजीने उनके लिखकर दिये जवाब :)

स०— १. सन् १९४२में जिस समय हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभाकी स्थापना हुअी थी, अैसा लगता है कि उस समय आपकी अिच्छा और प्रयत्न था कि जो लोग हिन्दुस्तानी-सभाके मेम्बर हों, वे राष्ट्रभाषाकी दोनों शैलियाँ तथा लिपियाँ अनिवार्य तौरपर सीखें । क्या आज भी आप केवल मेम्बरोंसे ही अुक्त ज्ञानकी अपेक्षा रखते हैं, अथवा चाहते हैं कि देशके सभी आबालवृद्ध दोनों शैलियाँ तथा दोनों लिपियाँ अनिवार्य तौरपर सीखें ?

ज०— १. ज़ाहिर है कि सभाके सभ्यके लिभे कम-से-कम वही क्रैद हो, जो आपने बताया है । सभाका अुद्देश्य तो विधानसे स्पष्ट है । मेरी चाह अवश्य है कि सब हिन्दवासी दोनों लिपि सीखें, और दोनों, हिन्दू-मुस्लिम समझ सकें, अैसी भाषा बोलें ।

स०— २. हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभाके कार्यक्रमके बारेमें कुछ लोग समझते हैं कि अिसका अुद्देश्य दोनों शैलियोंका प्रचार करना मात्र है । किन्तु कोअी-कोअी कहते हैं, नहीं, दोनों शैलियोंके प्रचारके अतिरिक्त अेक तीसरी शैली—जो न उर्दू कहलायेगी, न हिन्दी, बल्कि हिन्दुस्तानी—

का प्रचार करना भी है। सन् १९४२ में आपका कहना था कि हिन्दुस्तानी रूपी सरस्वती तो प्रकट ही नहीं हुई। क्या आज उस समयसे कुछ भिन्न स्थिति है? यदि आज भी अप्रकट है, तो हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा प्रचार किस चीज़का करेगी?

ज०—२. हिन्दी और उर्दू शैली गंगा-यमुना हैं। हिन्दुस्तानी सरस्वती है। वह अप्रकट है और प्रकट भी। सभाका प्रयत्न उसे पूर्ण प्रकट करनेका रहना चाहिये।

स०—३. हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके अन्तर्गत अनेक संस्थायें देवनागरी लिपि और हिन्दीका प्रचार कर रही हैं। अंजुमन-तरक्की-अ-उर्दू फ़ारसी लिपि तथा उर्दूका। क्या हिन्दुस्तानी-सभा इन दोनों संस्थाओंके कार्यको एक साथ मिलाकर करनेवाली तीसरी सभा-मात्र होगी? अथवा उनुके कार्यके अतिरिक्त कोई तीसरा कार्य करनेवाली दोनों संस्थाओंके कार्यकी पूरक संस्था होगी? अथवा दोनोंके कार्यको व्यर्थ कर अपना ही तीसरा कार्य चलानेवाली संस्था बनेगी?

ज०—३. हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा दोनोंकी पूरक होगी, दोनोंसे मदद माँगेगी। लेकिन इस सभाका कार्य दोनोंसे भिन्न होगा, और समझे तो अभिन्न भी। दोनोंके कार्यको व्यर्थ करे, तो खुद व्यर्थ हो जायगी। संगमके सिवा सरस्वती कैसी?

स०—४. क्या दक्षिणभारत तथा अन्य अ-हिन्दी प्रान्तोंके लिभे हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभाकी नीति तथा कार्यक्रम वही रहेगा, जो अन्य प्रान्तोंके लिभे? अर्थात् दोनों लिपियों तथा शैलियोंका अनिवार्य प्रचार?

ज०—४. इस सभाका कार्य तो सारे देशके लिभे होगा—होना चाहिये। प्रान्त-प्रान्तकी भिन्नताके लिभे प्रणालीमें भिन्नता आ सकती है।

स०—५. क्या दक्षिणभारत तथा अन्य अ-हिन्दी प्रान्तोंमें पिछले अनेक वर्षोंसे राष्ट्रभाषा-प्रचारका जो कार्य चालू है, हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभाकी इस नई प्रवृत्तिसे उस कार्यको वैसे ही चालू रखनेमें कोई बाधा तो उपस्थित न होगी?

ज०—५. बाधा होनी नहीं चाहिये, अगर दोनों मिलकर काम करें।
ता० ९-११-४४

अखिल भारतीय हिन्दुस्तानी-प्रचार-सम्मेलन

[अखिल भारतीय हिन्दुस्तानी-प्रचार-सम्मेलन, वर्षा (ता० २६।२७-२-'४५) के सभापति-पदसे दिये गये गांधीजीके तीन भाषण।]

१

सोमवार ता० २६-२-'४५ को मौनवार होनेकी वजहसे गांधीजीने सम्मेलनके लिये जो प्रास्ताविक निवेदन लिखा था, उसमेंसे नीचेका भाग लिया गया है—

“ भाजियो और बहनो,

मुख्य अध्यापक श्री श्रीमन्नारायणके निमंत्रणसे आप लोग यहाँ जमा हुअे हैं, जिससे मैं खुश होता हूँ। डॉक्टर अब्दुलहक़ साहब आज ही आनेवाले थे; शुम्मीद है कि कल ज़रूर आ जायेंगे। उनकी मदद यह हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा और मैं लेना चाहता हूँ। जिसी तरह श्री टण्डनजी आनेवाले थे, और मैं खुश हो रहा था कि वे आयेंगे। भाभी श्रीमन्नारायणने उनको तार भी दिया था। दुःख है कि वे बीमार पड़ गये हैं, और जिस कारण नहीं आ सकते हैं। हम शुम्मीद करें कि वे जल्दी अच्छे हो जायेंगे।

आपके सामने काम अक़ तरहसे छोटा है, और दूसरी तरह श्रुतना ही बड़ा है जैसे छोटा। हमें जो करना है, वह छोटा है, लेकिन नतीजेके हिसाबसे बहुत बड़ा है। डॉक्टर ताराचन्द हमें कहते हैं कि असलमें जिसे हम बहुत नामोंसे आज पुकारते हैं, वह अक़ ही भाषा थी, जो अन्तरमें हिन्दू-मुसलमान बोलते थे। दुःख है कि जो अक़ थे, वे दो हो गये हैं; और उनकी भाषा भी दो-जैसी हो गयी है या हो रही है—हिन्दी और अर्दू! टण्डनजीकी मेहनतसे कांग्रेसने कानपुरमें दोनों बोल सकें ऐसी भाषाको हिन्दुस्तानी नाम दिया, और लिपियाँ दो रक्खीं—नागरी और अर्दू। लेकिन कांग्रेस अपने ठहरावके मुताबिक़ काम

न कर सकी। उस कामको स्वर्गीय जमनालालजीके प्रयाससे जिस सभाने सन् १९४२ अस्वीमें जुठा तो लिया, पर जमनालालजी चल दिये। १९४२ में कांग्रेसके नेता लोग और दूसरे गिरफ्तार हो गये। उनमें मैं भी था। बीमारीके कारण मैं छूटा। बीमारीमें भी मैंने भाभी नाणावटीजीका हिन्दुस्तानीके बारेमें काम देखा। मुझे ख़ुशी हुअी और मैंने पाया कि उस काममें कामयाबी हासिल हो सकती है। जो अेक भाषा पहले दोनों बोलते थे, वह आज क्यों अेक बन नहीं सकती, मैं नहीं जानता हूँ। अुत्तरमें अुन्हीं हिन्दू-मुसलमानोंकी हम औलाद हैं, जो अेक बोली बोलते थे और लिखते थे। हिन्दी-अुर्दू अलग बनानेमें जो मेहनत पड़ती है, उससे आधी भी पुरानी बोलीको ज़िन्दा करनेमें नहीं पड़नी चाहिये। अुत्तरके देहातोंमें रहनेवाले हिन्दू-मुसलमान अेक ही बोली बोलते हैं, कोअी लिखते भी हैं। अपनी यह मेहनत हम कैसे सफल कर सकते हैं, जिसका विचार करना आपका काम है। और उस विचारके मुताबिक़ काम करना हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभाका काम है।

मुझे खेद है कि मैं कमज़ोरीके कारण दिनभर बन पड़े जहाँतक ख़ामोश रहता हूँ। अिन तीन मासमें शायद तीन बार दिनमें बोलना पड़ा था। आज तो सोमवारका ही मौन है। लेकिन मुझे अुम्मीद है कि मेरी ख़ामोशीसे हमारे काममें कुछ असुविधा न होगी।

अब यह सम्मेलन मैं आप ही के हाथोंमें छोड़ता हूँ। भाअी श्रीमुन्नारायण बाक़ीकी कार्रवाअी करेंगे और करवायेंगे।

आजका सम्मेलन मेरी हाज़िरीमें तो ठीक साढ़े पाँच बजेतक बैठेगा। कल हमारा काम तीन बजेसे शुरू होगा; उस वक़्त मैं अपने और विचार आपके सामने रक्खूँगा।

आप लोगोंको रहनेमें और खाने-पीनेमें कुछ असुविधा है, तो आप माफ़ करेंगे। श्रीमती जानकीदेवीने जितना हो सका, अुतना बन्दोबस्त बजाजवाड़ीमें किया है।”

हिन्दुस्तानी कान्फ्रेंसमें गांधीजी

(ता० २७की बैठकके शुरूमें दिया गया भाषण।)

मुझे जिसका दुःख है कि आप लोगोंको मैं जितना वक्त देना चाहता हूँ, नहीं दे सकता। जिसके लिये मुझे माफ़ करें। मेरी खामोशी सारे दिन चलती है। वह ऐसी नहीं है कि दूट ही न सके, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितने दिन रह सकूँ, रहूँ, और मेरा काम ठीकसे चले; जिसलिये खामोशी रखता हूँ। अगर मैं अपनी ताकत अकेल खर्च कर डालूँ, तो अकेल महीनेमें दूट जाऊँ। पर मेरा सत्याग्रह और मेरी अहिंसा यह नहीं सिखाती। अगर ज़रूरत हो, तो जिस ताकतको दोनों हाथोंसे लुटा दूँ, नहीं तो कंजूस भी हो सकता हूँ। आजकल तो कंजूसी ही से काम लेता हूँ।

हिन्दुस्तानी-प्रचार क्या है, यह मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभाका मकसद यह है कि ज़्यादा-से-ज्यादा लोग हिन्दी और शुर्दू शैलियाँ और नागरी व शुर्दू लिपियाँ सीखें। अकेल दिन था, जब उत्तरमें रहनेवाले अकेल ही ज़बान बोलते थे। उनका औलाद हम हैं। आज हम यह महसूस कर रहे हैं कि हिन्दी और शुर्दू अकेल दूसरीसे दूर-दूर होती जा रही हैं। हिन्दीवाले कठिन संस्कृतके और शुर्दूवाले कठिन अरबी-फ़ारसीके लफ़्ज़ चुन-चुनकर ज़िस्तेमाल कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि यह चीज़ चलनेवाली नहीं है। देहातके लोगोंको तो रोटीकी पड़ी है। वे जो ज़बान आजतक बोलते आये हैं, वही आगे भी बोलते रहेंगे। -

हिन्दी और शुर्दूके जो अलग-अलग फ़िरक़े पैदा हो गये हैं, उन्हें रोकनेका काम मेरे-जैसे लोगोंका है। मैं दोनोंसे कहूँगा कि आपका यह तरीक़ा ठीक नहीं है। आपके ज़िन बड़े-बड़े लफ़्ज़ोंको देहाती लोग समझेंगे भी नहीं। अगर हम दोनों लिखावटोंको सीख जायँ, तो आख़िरमें दोनों भाषायें अकेल हो जायँगी। लिखावटोंका सवाल अतना

टेढ़ा नहीं है। भले ही हमेशाके लिये दो लिपियाँ रहें, या दोनोंको छोड़कर हरएक प्रान्त अपनी-अपनी लिपिमें राष्ट्रभाषा लिखने लगे, तों भी कोअी हर्ज़े नहीं। मगर ज़बान तो अेक ही हो जानी चाहिये। आज हम आलसी बन गये हैं। अंग्रेज़ीका बोझ आज हमारे सिरपर है, लेकिन अंग्रेज़ी भी अितनी मुश्किल नहीं है। हम छह महीनोंमें अंग्रेज़ी सीख सकते हैं, मगर हम तो अंग्रेज़ीमें सोचना और शाख (अिल्म) सीखना चाहते हैं, अिसलिये वक्रत लगता है। अंग्रेज़ीके पीछे ज़िन्दगीके चौदह शुम्दा साल हम बरबाद करते हैं, और अितना करनेपर भी हम अुसे पूरी तरह सीख नहीं पाते। अगर आज किसी अंग्रेज़ीदाँसे यह कहो कि वह हिन्दुस्तानीमें अपनी बातें समझाये, तो वह कहता है कि कैसे समझाऊँ? क्योंकि अंग्रेज़ीमें पढ़ाअी होनेके कारण वह हिन्दुस्तानीमें अपने खयाल ज़ाहिर नहीं कर सकता। फिर वह हिन्दुस्तानी लड़कोंको कैसे सिखावेगा? यह है हमारी दुर्दशा! अिससे आलस भी पैदा होता है।

दो लिपियाँ सीखनेसे डरना न चाहिये। कोअी कहे कि आठ-दस दूसरी अच्छी लिपियाँ हैं, तो क्यों न सीखें? मैं तो कहता हूँ कि दक्षिणकी भी अेक लिपि तो सीख ही लो। ज़बानें भी वहाँ चार हैं। अिससे आप भड़कें नहीं।

आप हिन्दुस्तानमें रहते हैं। हिन्दुस्तानियोंकी सेवा-खिदमत-करना चाहते हैं, तो अुसके लिये दो लिपियाँ सीखनेकी मेहनतसे डरना क्या? ज़बान तो अेक ही सीखनी है। हमारी बदनसीबी है कि हमें दो लिपियाँ लेनी पड़ती हैं। मगर मैं तो हिन्दकी सब ज़बानें खुशीसे सीख लूँ। दिलमें शौक्र हो तो मेहनत कम पड़ती है। आपकी तादाद आज बहुत ही कम है, भले ही हो। लेकिन आप सब तो दो लिपियाँ सीख ही लें। अुसका नतीजा कितना बड़ा होगा, अिसमें मैं नहीं जाना चाहता।

कुछ अुर्दू बोलनेवाले बड़ी-बड़ी बातें कहते वक्रत जिन लफ़्ज़ोंका अिस्तेमाल करते हैं, अुन्हें सुनकर मैं घबरा अुठता हूँ; हालाँकि-

अनुके साथमें काफ़ी बैठता हूँ । ऐसा क्यों ? मैंने जिसका अिलाज पाया है, और उसको आपके सामने रक्खा है । ”

वर्धा, २७-२-१९४५

(तीन बजे दिनको)

३

अपसंहार

(सम्मेलनके अपसंहार-रूपमें किया गया तीसरा भाषण ।)

ताराचन्दजीसे मैं जल्दी खत्म करनेको नहीं कह सकता था, क्योंकि मैं खुद अनुकी बातमें गिरफ़्तार हो गया था । उन्होंने ऐसी बातें कहीं, जो वे पंडितोंके मज़मेमें भी कह सकते हैं । हम तो पंडित नहीं हैं, फिर भी सब लोगोंके साथ मैं भी रससे सुन रहा था । उन्होंने कोअी बात दुहराअी भी नहीं, जिसलिअे मैंने अनुहें नहीं रोका ।

श्री आनन्द कौसल्यायनने जो कहा वह मैं समझा । वे दब-दबकर बोले हैं । हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनकी तरफ़से अनुहोंने यह कहा कि दो लिपियोंका बोझ हो सके तो निकाल दिया जाय । मैं आज भी हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनमें हूँ । उसमें मैं अपने-आप नहीं गया था । जमनालालजी जिस काममें जाते, उसमें अपने साथ मुझे भी घसीट ले जाते थे । वे मुझे अिन्दौर ले गये । वहाँ मैंने सम्मेलनको अेक नअी चीज़ दी । उसे सब हज़म कर गये । मैंने कहा था — “ हिन्दी वह ज़बान है, जिसे हिन्दू-मुसलमान दोनों बोलते हैं, और जिसे लोग दोनों लिपियोंमें लिखते हैं । ” मेरा वह ठहराव मंज़ूर हो गया । मैंने उसे सम्मेलनके नियमों (क़ायदों)में शामिल करा दिया । बादमें फिर वह नियम बदल दिया गया, सो दूसरी बात है; जिसलिअे अब अगर मैं सम्मेलनमें से निकल जाऊँ, तो मुझे दुःख न होगा ।

हममें कअी ऐसे हैं, जो हिन्दी और अुर्दूको मिलानेकी कोशिश करते हैं । कोअी कहते हैं — “ जिसकी क्या आवश्यकता है ? ” मैं तो सच्ची डेमोक्रेसी (जनतन्त्र या जमहूरियत) चाहता हूँ । सिर्फ़ हाँ-भै-हाँ

मिलानेसे 'डेमोक्रेसीसे' 'हिपोक्रेसी' (कपट) बन जाती है। जिसलिये मैंने कहा कि सिर्फ़ हॉ-में-हॉ न मिलाजिये; अपनी सच्ची राय बताजिये।

मैं नहीं चाहता कि हिन्दी मिट जाय या अर्द्ध नष्ट हो जाय। मैं सिर्फ़ यह चाहता हूँ कि दोनों हमारे कामकी हो जायँ। सत्याग्रहका कानून है कि एक हाथकी ताली भी हो सकती है। वह बजती नहीं, पर उससे क्या? आप एक हाथ बढ़ावेंगे, तो दूसरा अपने-आप बढ़ जावेगा। हज़र साहबने नागपुरमें जो बात कही थी उससे उस वक़्त मैं न समझ सका। 'हिन्दी यानी अर्द्ध,' जिसे मैंने माना नहीं था। उस वक़्त उनकी बात मान लेता, तो अच्छा होता। दोस्त बनने आये थे, मगर विरोध हुआ और दुश्मन-से बन गये। पर मेरा दुश्मन तो कोअी है ही नहीं। फिर हज़र साहब ही मेरे दुश्मन कैसे बन सकते हैं? जिसलिये आज फिर हम एक मंचपर खड़े हो गये हैं। नागपुरमें भारतीय साहित्य-सम्मेलन किया था, लेकिन वह वहीं आरम्भ और वहीं ख़तम हुआ। हम लोग मिलने आये थे, और हो गये अलग-अलग। जैसे सम्मेलनसे क्या फ़ायदा हो सकता था? वह हिन्दुस्तानी नहीं, बल्कि भारतीय साहित्य-सम्मेलन था, जिसलिये उस वक़्तके भाषणमें मैंने संस्कृतके शब्द भर दिये थे। अगर उनके सामने बोलना पड़े, तो आज भी वही कहेंगे।

आनन्दजी कहते हैं कि सबको दो लिपियाँ सीखनेमें बड़ी मुसीबत अठानी पड़ेगी। मैं कहता हूँ कि उसमें कुछ भी मुसीबत नहीं है। और अगर हो भी, तो उससे पार करना ही होगा। क्योंकि अगर उससे पार न किया, तो उससे भी बड़ी मुसीबतोंका मुक़ाबला हम कैसे कर सकेंगे?

मैं हिन्दू-मुस्लिम अकताके लिये जीता हूँ। मैं जानता हूँ कि हिन्दुस्तानीके प्रचारसे हिन्दू-मुस्लिम अकता होगी, मगर जिस वक़्त मैं आपको यह लालच नहीं दे रहा हूँ।

मैं कहता हूँ कि हिन्दी और अर्द्ध दोनोंका भला हो। जिन दोनोंसे मुझे काम लेना है। हिन्दुस्तानी आज भी मौजूद है। मगर हम उससे काममें नहीं लाते। यह ज़माना हिन्दीका और अर्द्धका है। वे दो नदियाँ

हैं। उनमेंसे हिन्दुस्तानीकी तीसरी नदी प्रकट होनेवाली है। जिसलिसे वे दोनों सूख जायँगी, तो हमारा काम नहीं चल सकता।

देहाती लोग मेरी ज़बान समझ लेंगे। ठूँस-ठूँस कर संस्कृत या अरबी-फ़ारसीके शब्द जिसमें भरे हुअे हैं, ऐसी भाषा वे नहीं समझ सकेंगे। अगर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनवाले कहें कि हम तो संस्कृतभरी हिन्दी ही चलायेंगे, तो मेरे लिसे सम्मेलन मर जाता है। देहाती ज़बान तो अेक ही है, वह दो नहीं हो सकती। हिन्दीवाले चाहते हैं कि मैं हिन्दीकी ही नौबत बजाता रहूँ, अुर्दूका नाम न लूँ। मगर मैं तो अहिँसाको माननेवाला सत्याप्रही हूँ। मैं यह कैसे कर सकता हूँ? मैं अकेला यह काम नहीं कर सकता। जिसमें सबकी मदद चाहिये। मैं महात्मा हूँ, तो असका सबब यही है कि मैं अपनी मर्यादाओं (हदों) को समझकर उनसे बाहर नहीं जाता। जिसलिसे मौलवी अब्दुलहक़ साहब आये हैं। मेरे पास पंख नहीं हैं। बड़े-बड़े बुजुर्गोंको जिसलिसे बुलाया है कि वे मुझे पंख दें। देंगे, तो मैं अडूँगा, और कडूँगा — 'देखो, काम तो अच्छा हो गया न?' नहीं तो मैं खाकमें पड़ा हूँ, खाकसार ही रह जाँगा।

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनमें भी मैं अेक बड़ा आदमी समझा जाता हूँ। अस हैसियतसे नहीं, बल्कि आम तौरपर मैं यह कहना चाहता हूँ कि हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके खिलाफ़ कोअी काम न होगा। पर दोनों लिपियाँ सीखनेकी तकलीफ़ तो गवारा करनी ही होगी। मैं तो आनन्दजीसे भी काम लेना चाहता हूँ।

मुझसे कहा गया है कि 'मुस्लिम लड़के तो नागरी लिपि नहीं सीखते'। मैं कहता हूँ — 'अगर अैसा है, तो तुमने कुल नहीं खोया, अुन्होंने खोया। अेक और लिपि सीख ली, तो अससे नुक्रसान क्या हुआ? अितनी-सी बातसे अितना बड़ा हित जो होता है!' यही बात मैंने हसरत मोहानी साहबसे भी कही थी। लेकिन अस वक़्त वह काम न चला; क्योंकि सत्याग्रह शुरू हो गया। मैं यह नहीं कहता कि आप सब लोग जेल जायँ, मगर मैं जेल गया। दूसरे जो जेलोंमें पड़े हैं, सो भी कोअी मूर्खताकी बात नहीं है। जवाहर, वल्लभभाभी, मौलाना साहब जेलमें बैठे हैं, वे कोअी पागल

नहीं हैं। अगर वे खुशामद करके बाहर आ जायँ, तो मेरी नज़रमें वे मर जायँ। अगर वे अन्दर ही मर जायँगे, तो मैं अेक भी आँसू नहीं बहाऊँगा। कहुँगा — 'अच्छे मरे!' क्योंकि वहाँ बैठे-बैठे भी वे हिन्दकी खिदमत कर रहे हैं।

अगर हिन्दी और शुर्दू मिल जायँ, तो गंगा-जमनासे बड़ी सरस्वती हुगलीकी तरह बन जायगी। हुगली तो गन्दी है। मैं उसका पानी नहीं पीता। पर अगर यह हुगली बन गयी, तो यह बड़ी खूबसूरत होगी।

अब रही पैसेकी बात। आपमेंसे जो लोग पैसा देना चाहेंगे, वे मेरे पास या श्रीमन्नारायणके पास दे दें। हरअेकको अपनी हैसियतके मुताबिक पैसा देना चाहिये। जो लोग पैसा दें, कामके लिये दें, नामके लिये कोअी पैसा न दें।

वर्धा, २७-२-४५

कान्फ्रेन्सके ठहराव

१. अिस कान्फ्रेन्सकी रायमें हिन्दुस्तानी ज़बानको फैलाने और तरक्की देनेके लिये अिस बातकी ज़रूरत है कि हिन्दी जाननेवाले शुर्दू लिखावटको और शुर्दू जाननेवाले नागरी लिखावटको जल्दी-से-जल्दी सीख लें। और जो लोग अिन दोनोंमेंसे किसीको भी नहीं जानते, वे भी दोनोंही को सीखें, ताकि सब लोग हिन्दुस्तानीके रूपों — हिन्दी और शुर्दू — को पढ़ और समझ सकें, और अिस तरीकेसे हिन्दुस्तानीका विकास और प्रचार हो सके।

२. देशके सब लोग अिस बातको मानते और समझते हैं कि हमारे क़ौमी जीवनको मज़बूत करने और अलग-अलग सूबोंके लोगोमें मेल-जोल और ब्यौहारकी अेक भाषा बनानेके लिये ज़रूरी यह है कि हिन्दुस्तानी ज़बानको तरक्की दी जाय, और उसकी रूपरेखा ठीक की जाय, क्योंकि अिस बातके लिये यही भाषा सबसे ज़्यादा कामकी है।

यह कान्फ्रेन्स फ़ैसला करती है कि पन्द्रह तक मेम्बरोकी अेक कमेटी बनायी जाय, जो हिन्दुस्तानी भाषाकी डिव्शनरियाँ तैयार करे,

भाषाके क्रायदे तैयार करे, उसके लफ्जोंका भण्डार बढ़ाने, उनके रूप बाँधे, और अच्छी-अच्छी और कामकी किताबें लिखवाये । किसी मेम्बरकी जगह खाली होगी, तो उसे बाकरी मेम्बर भर सकेंगे । कमेटीका एक 'कन्वीनर' होगा, जो मुनासिब वक़्त और जगहपर कमेटीकी मीटिंग बुलाया करेगा ।

यह कमेटी अपने कामका एक ढाँचा तैयार करेगी, खर्चका व्यौरा बनायेगी, उसे महात्मा गांधीके पास मंजूरीके लिये भेजेगी, और महात्माजीको समय-समयपर अपने कामकी रिपोर्ट देती रहेगी ।

अिस कमेटीके मेम्बरोंके नाम महात्मा गांधी, डॉक्टर ताराचंद और सैयद सुलेमान नदवी शायी करेंगे ।

पूर्ति

[पाँचवें पृष्ठपर १२वीं सतरमें 'कामकी सिद्धिके अुपाय'का अिक्र करके कहा गया है कि मातृभाषाके बारेमें जो अुपाय सुझाये हैं, वैसे ही अुपाय अरूरी हेरफेरके साथ, राष्ट्र-भाषाके लिभे भी अुपयोगी हो सकते हैं । अुस भाषणमें मातृभाषाके सिलसिलेमें जो अुपाय सुझाये गये थे, वे यों थे—]

अगर मातृभाषाको शिक्षाका माध्यम बनाना अिष्ट हो, तो यह सोचना चाहिये कि अुसका अमल करनेके लिभे हमें किन अुपायोंसे काम लेना चाहिये । मुझे जो अुपाय सूझ रहे हैं, वे ज्यों-के-त्यों, बिना दलीलके, नीचे दिये देता हूँ—

१. अंग्रेजी जाननेवाले गुजरातीको जाने-अनजाने भी आपसके व्यवहारमें अंग्रेजीका अिस्तेमाल न करना चाहिये ।

२. जिसे अंग्रेजी व गुजराती दोनोंको अच्छी जानकारी है, अुसे चाहिये कि वह अंग्रेजीकी अच्छी किताबों या विचारोंको गुजरातीमें जनताके सामने पेश करे ।

३. शिक्षण-संस्थाओंको पाठ्य-पुस्तकें तैयार करानी चाहियें ।

४. धनवानोंको चाहिये कि वे गुजरातीकी मारफत तालीम देनेवाले मदरसे जगह-जगह क्रायम करें ।

५. अिन कामोंके साथ ही परिषदों और शिक्षण-समितियोंको सरकारसे यह निवेदन करना चाहिये कि सारी शिक्षा मातृ-भाषाके जरिये ही दी जाय । अदालतों और धारासभाओंका काम गुजरातीके जरिये होना चाहिये, और जनताका सब काम भी अुसी भाषामें होना चाहिये । अंग्रेजीके जानकारोंको ही अच्छी नौकरी मिल सकती है, अिस रिवाजको बदलकर नौकरोंको अुनकी लियाकतके मुताबिक, भाषाका भेद न रखते हुभे, पसन्द किया जाना चाहिये । सरकारके पास अिस मतलबकी अर्जियाँ जानी चाहियें कि वह अैसे मदरसे क्रायम करे, जिनमें नौकरी करनेवाले लोगोंको गुजराती भाषाके जरिये अरूरी जानकारी मिल सके ।

अूपरकी अिस योजनामें अेक आपत्ति नज़र आयेगी, और वह यह है कि धारासभामें तो मराठी, सिन्धी, और गुजराती सदस्य हैं, और शायद कानड़ी भी हों । यह अेक बड़ी आपत्ति है, किन्तु अनिवार्य नहीं । तेलगूवालोंने अिस सवालकी चर्चा शुरू की है, और अिसमें शक नहीं कि किसी-न-किसी दिन भाषाके अनुसार नये विभाग करने होंगे; लेकिन जबतक यह नहीं होता, तबतक सदस्यको यह अधिकार मिलना चाहिये कि वह हिन्दीमें अथवा अपनी मातृ-भाषामें भाषण कर सके । अगर यह सुझाव अिस वक़्त हँसीके लायक़ मालूम पड़े, तो माफ़ी माँगते हुअे मैं यही कहूँगा कि बहुतेरे सुझाव पहली नज़रमें और शुरू-शुरूमें हँसीके लायक़ मालूम पड़ते हैं । मेरी यह राय है कि शिक्षाके माध्यमके शुद्ध निर्णयपर देशकी अुन्नतिका आधार है । अिसलिअे मुझे अपने सुझावमें भारी रहस्य मालूम होता है । जब मातृ-भाषाकी क़ीमत बढ़ेगी, अुसे राज्य-पद प्राप्त होगा, तब अुसमें अैसी शक्तियाँ पायी जायँगी कि जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी ।

खण्ड २

१

राष्ट्रभाषाका प्रश्न

गांधीजी और टण्डनजीका पत्र-व्यवहार

२, महाबलेश्वर

२८-५-१४५

भाभी टण्डनजी,

मेरे पास अर्द्ध खत आते हैं, हिन्दी आते हैं और गुजराती । सब पूछते हैं, मैं कैसे हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनमें रह सकता हूँ और हिन्दुस्तानी सभामें भी ? वे कहते हैं, सम्मेलनकी दृष्टिसे हिन्दी ही राष्ट्रभाषा हो सकती है, जिसमें नागरी लिपि ही को राष्ट्रीय स्थान दिया जाता है, जब कि मेरी दृष्टिमें नागरी और अर्द्ध लिपिको यह स्थान दिया जाता है, और उस भाषाको जो न प्रारसीमयी है, न संस्कृतमयी । जब मैं सम्मेलनकी भाषा और नागरी लिपिको पूरा राष्ट्रीय स्थान नहीं देता हूँ, तब मुझे सम्मेलनमेंसे हट जाना चाहिये । ऐसी दलील मुझे योग्य लगती है । अिस हालतमें क्या सम्मेलनसे हटना मेरा फर्ज नहीं होता है ? ऐसा करनेसे लोगोंको दुबिधा न रहेगी, और मुझे पता चलेगा कि मैं कहाँ हूँ ।

कृपया शीघ्र उत्तर दें । मौनके कारण मैंने ही लिखा है, लेकिन मेरे अक्षर पढ़नेमें सबको सुसीबत होती है, अिसलिअे अिसे लिखवाकर भेजता हूँ । आप अच्छे होंगे ?

आपका,

मो० क० गांधी

पूज्य बापूजी, प्रणाम ।

आपका २८ मञ्जीका पत्र मुझे मिला । हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन और हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभाके कामोंमें कोअी मौलिक विरोध मेरे विचारमें नहीं है । आपको स्वयं हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनका सदस्य रहते हुअे लगभग २७ वर्ष हो गये । अिस बीच आपने हिन्दी-प्रचारका काम राष्ट्रीयताकी दृष्टिसे किया । वह सब काम शलत था, अैसा तो आप नहीं मानते होंगे । राष्ट्रीय दृष्टिसे हिन्दीका प्रचार वांछनीय है, यह तो आपका सिद्धान्त है ही । आपके नये दृष्टिकोणके अनुसार अुर्दू-शिक्षणका भी प्रचार होना चाहिये । यह पहले कामसे भिन्न अेक नया काम है, जिसका पिछले कामसे कोअी विरोध नहीं है ।

सम्मेलन हिन्दीको राष्ट्रभाषा मानता है । अुर्दूको वह हिन्दीकी अेक शैली मानता है, जो विशिष्ट जनोंमें प्रचलित है ।

वह स्वयं हिन्दीकी साधारण शैलीका काम करता है, अुर्दू शैलीका नहीं । आप हिन्दीके साथ अुर्दूको भी चलाते हैं । सम्मेलन अुसका तनिक भी विरोध नहीं करता । किन्तु राष्ट्रीय कामोंमें अंग्रेज़ीको हटानेमें वह अुसकी सहायताका स्वागत करता है । मेद केवल अितना है कि आप दोनों चलाना चाहते हैं । सम्मेलन आरम्भसे केवल हिन्दी चलाता आया है । हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके सदस्योंको हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभाके सदस्य होनेमें रोक नहीं है । हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनकी ओरसे निर्वाचित प्रतिनिधि हिन्दुस्तानी अेकेडेमीके सदस्य हैं, और हिन्दुस्तानी अेकेडेमी हिन्दी और अुर्दू दोनों शैलियाँ और लिपियाँ चलाती है । अिस दृष्टिसे मेरा निवेदन है कि मुझे अिस बातका कोअी अवसर नहीं लगता कि आप सम्मेलन छोड़ें ।

अेक बात अिस सम्बन्धमें और भी है । यदि आप हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके अबतक सदस्य न होते, तो सम्भवतः आपके लिअे यह ठीक होता कि आप हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभाका काम करते हुअे हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनमें आनेकी आवश्यकता न देखते । परन्तु जब आप अितने

समयसे सम्मेलनमें हैं, तब उसे छोड़ना उसी दशामें शुचित हो सकता है, जब निश्चित रीतिसे उसका काम आपके नये कामके प्रतिकूल हो। यदि आपने अपने पहले कामको रखते हुअे उसमें अेक शाखा बढ़ाअी है, तो विरोधकी कोअी बात नहीं है।

मुझे जो बात शुचित लगी, अूपर निवेदन किया। किन्तु यदि आप मेरे दृष्टिकोणसे सहमत नहीं हैं, और आपका आत्मा यही कहता है कि सम्मेलनसे अलग हो जाअूं, तो आपके अलग होनेकी बातपर बहुत खेद होते भी नतमस्तक हो आपके निर्णयको स्वीकार करूँगा।

हालमें हिन्दी और अुर्दूके विषयमें अेक वक्तव्य मैने दिया था। उसकी अेक प्रतिलिपि सेवामें भेजता हूँ। निवेदन है कि उसे पढ़ लीजियेगा।

विनीत,

पुरुषोत्तमदास टण्डन

पुनः—अिस समय न केवल आप किन्तु हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभाके मंत्री श्रीमन्नारायणजी तथा कअी अन्य सदस्य सम्मेलनकी राष्ट्रभाषा-प्रचार-समितिके सदस्य हैं। अेक स्पष्ट लाभ अिससे यह है कि राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति और हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभाके कामोंमें विरोध न हो सकेगा। कुछ मतभेद होते हुअे भी साथ काम करना हमारे नियंत्रणका अंश होना शुचित है।

पु० दा० टण्डन

पंचगनी,

१३-६-'४५

भाअी पुरुषोत्तमदास टण्डनजी,

आपका पत्र कल मिला। आप जो लिखते हैं, उसे मैं बराबर समझा हूँ, तो नतीजा यह होना चाहिये कि आप और सब हिन्दी-प्रेमी मेरे नये दृष्टिकोणका स्वागत करें और मुझे मदद दें। अैसा होता नहीं है। और गुजरातमें लोगोंके मनमें दुबिधा पैदा हो गअी है। और मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या करना? मेरे ही भतीजेका लड़का और अैसे दूसरे, हिन्दीका

काम कर रहे हैं, और हिन्दुस्तानीका भी। जिससे मुसीबत पैदा होती है। पेरीन बहनको आप जानते हैं। वे दोनों काम करना चाहती हैं। लेकिन अब मौक़ा आ गया है कि अेक या दूसरेको छोड़ें। आप जो कहते हैं, वह सही है, तो ऐसा मौक़ा आना ही न चाहिये। मेरी दृष्टिसे अेक ही आदमी हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा और हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनका मंत्री या प्रमुख बन सकता है। बहुत काम होनेके कारण न हो सके वह दूसरी बात है। और जो मैं कहता हूँ वही अर्थ आपके पत्रका है, और होना चाहिये। तब तो कोअी मतभेदका कारण ही नहीं रहता, और मुझको बड़ा आनन्द होगा। आपका जो वक्तव्य आपने भेजा है, मैं पढ़ गया हूँ। मेरी दृष्टिसे हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा बिलकुल आप ही का काम कर रही है, जिसलिअे वह आपके धन्यवादकी पात्र है। और कम-से-कम अुसमें आपको सदस्य होना चाहिये। मैंने तो आपसे विनय भी किया कि आप अुसके सदस्य बनें, लेकिन आपने अिनकार किया है, ऐसा कहकर कि जबतक डॉक्टर अब्दुल हक़ न बनें, तबतक आप भी बाहर रहेंगे। अब मेरी दरख्वास्त यह है कि अगर मैं ठीक लिखता हूँ, और हम दोनों अेक ही विचारके हैं, तो हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनकी ओरसे यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिये। अगर जिसकी आवश्यकता नहीं है, तो मेरा कुछ आग्रह नहीं है। कम-से-कम हम दोनोंमें तो जिस बारेमें मतभेद नहीं है, अितना स्पष्ट होना चाहिये। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनमेंसे निकलना मेरे लिअे कोअी मज़ाक़की बात नहीं है। लेकिन जैसे मैं कांग्रेसमेंसे निकला, तो कांग्रेसकी ज़्यादा सेवा करनेके लिअे, अुसी तरह अगर मैं सम्मेलनमेंसे निकला, तो भी सम्मेलनकी अर्थात् हिन्दीकी ज़्यादा सेवा करनेके लिअे निकलूँगा।

जिसको आप मेरे नये विचार कहते हैं, वे सचमुच तो नये नहीं हैं। लेकिन जब मैं सम्मेलनका प्रथम सभापति हुआ, तब जो कहा था और दोबारा सभापति हुआ तब अंधिक स्पष्ट किया, अुसी विचार-प्रवाहका मैं अभी स्पष्ट रूपसे अमल कर रहा हूँ, ऐसा कहा जाय। आपका अुत्तर आनेपर मैं आखिरका निर्णय कर लूँगा।

आपका,

मो० क० गांधी

१०, क्रास्थवेट रोड, अिलाहाबाद

११-७-१४

पूज्य बापूजी, प्रणाम ।

आपका पंचगनीसे लिखा हुआ १३ जूनका पत्र मिला था । उसके तुरन्त बाद ही राजनीतिक परिवर्तनों और पंचगनीसे हटनेकी बात सामने आयी । मेरे मनमें यह आया था कि राजनीतिक कामोंकी भीड़से थोड़ी सुविधा जब आपके पास देखूँ तब मैं लिखूँ । आज ही सबेरे मेरे मनमें आया कि अिस समय आपको कुछ सुविधा होगी । उसके बाद श्री प्यारेलालजीका ९ तारीखका पत्र आज ही मिला, जिसमें अुन्होंने सूचना दी है कि आप मेरे अुत्तरकी राह देख रहे हैं ।

आपने अपने २८ मअीके पत्रमें मुझसे पूछा था कि मैं कैसे हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनमें रह सकता हूँ, और हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभामें भी ? अिस प्रश्नका अुत्तर मैंने अपने ८ जूनके पत्रमें आपको दिया । मेरी बुद्धिमें जो काम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन कर रहा है, अुससे आपके अगले कामका कोअी विरोध नहीं होता । अिस १३ जूनके पत्रमें आपने अेक दूसरे विषयकी चर्चा की है । आपने लिखा है कि ' आप और सब हिन्दीप्रेमी मेरे नये दृष्टिकोणका स्वागत करें और मुझे मदद दें । ' मैंने मौखिक रीतिसे आपको स्पष्ट करनेका यत्न किया था, और जिस वक्तव्यकी नक़ल मैंने आपको भेजी थी, अुसमें भी मैंने स्पष्ट किया है, कि मैं आपके अिस विचारसे कि प्रत्येक देशवासी हिन्दी और अुर्दू दोनों सीखें, सहमत नहीं हो पाता । मेरी बुद्धि स्वीकार नहीं करती कि आपका यह नया कार्यक्रम व्यावहारिक है । मुझे तो दिखाअी देता है कि बंगाली, गुजराती, मराठी, अुड़िया आदि बोलनेवाले अिस कार्यक्रमको स्वीकार नहीं करेंगे ।

हिन्दी और अुर्दूका समन्वय हो, अिस सिद्धान्तमें पूरी तरहसे मैं आपके साथ हूँ । किन्तु यह समन्वय, जैसा मैंने आपसे बम्बअीमें निवेदन किया था और जैसा मैंने वक्तव्यमें भी लिखा है, तब ही सम्भव है, जब हिन्दी और अुर्दूके लेखक और अुनकी संस्थायें अिस प्रश्नमें श्रद्धा दिखायें । मैंने अिस प्रश्नको प्रयागमें प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके सामने थोड़े दिन हुआ, रक्खा था । मेरे अनुरोधसे वहाँ यह निश्चय हुआ है कि अिस प्रकारके

समन्वयका हिन्दीवाले स्वागत करेंगे। आवश्यकता जिस बातकी है कि अर्दूकी संस्थायें भी जिस समन्वयके सिद्धान्तको स्वीकार करें। अर्दूके लेखक न चाहें और आप और हम समन्वय कर लें—यह असंभव है। जिस कामके करनेका क्रम यही हो सकता है कि हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, नागरी-प्रचारिणी-सभा, काशी-विद्यापीठ, अंजुमन-तरक्की-अ-अर्दू, जामिया-मिलिया तथा जिस प्रकारकी दो अेक अन्य संस्थाओंके प्रतिनिधियोंसे निजी बात की जाय, और यदि अुनके संचालकोंका रुझान समन्वयकी ओर हो, तो अुनके प्रतिनिधियोंकी अेक बैठक की जाय, और जिस प्रश्नके पहलुओंपर विचार हो। भाषा और लिपि दोनों ही के समन्वयका प्रश्न है, क्योंकि अनुभवसे दिखायी पड़ रहा है कि साधारण कामोंमें तो हम अेक भाषा चलाकर दो लिपिमें अुसे लिख लें, किन्तु गहरे और साहित्यिक कामोंमें अेक भाषा और दो लिपिका सिद्धान्त चलेगा नहीं। भाषाका स्थायी समन्वय तभी होगा, जब हम देशके लिये अेक साधारण लिपिका विकास कर सकें। काम बहुत बड़ा अवश्य है, किन्तु राष्ट्रीयताकी दृष्टिसे स्पष्ट ही बहुत महत्त्वका है।

मेरे सामने यह प्रश्न १९२० से रहा है, किन्तु यह देखकर कि अुसके अुठानेके लिये जो राजनीतिक वायुमण्डल होना चाहिये, वह नहीं है, मैं अुसमें नहीं पड़ा, और केवल राष्ट्रभाषाके हिन्दी रूपकी ओर मैंने ध्यान दिया—यह समझकर कि जिसके द्वारा प्रान्तीय भाषाओंको हम अेक राष्ट्रभाषाकी ओर लगा सकेंगे। मैं स्वीकार करता हूँ कि पूर्ण काम तभी कहा जा सकता है कि जब हम अुर्दूवालोंको भी अपने साथ ले सकें। किन्तु अुस कामको व्यावहारिक न देखकर देशकी अन्य भाषा-भाषी बड़ी जनताको हिन्दीके पक्षमें करना, अेक बहुत बड़ा काम राष्ट्रीयताके अुत्थानमें कर लेना है। अस्तु, जिस दृष्टिसे मैंने काम किया है। अुर्दूके विरोधका तो मेरे सामने प्रश्न हो ही नहीं सकता। मैं तो अुर्दूवालोंको भी अुसी भाषाकी ओर खींचना चाहूँगा, जिसे मैं राष्ट्रभाषा कहूँ। और अुस खींचनेकी प्रतिक्रियामें स्वभावतः अुर्दूवालोंका मत लेकर भाषाके स्वरूप परिवर्तनमें भी बहुत दूरतक कुछ निश्चित सिद्धान्तोंके आधारपर जानेको तैयार हूँ। किन्तु जबतक वह काम नहीं होता तबतक किसीसे संतोष करता हूँ कि हिन्दी द्वारा राष्ट्रके बहुत बड़े अंशोंमें अेकता स्थापित हो।

आपने जिस प्रकारसे काम अुठाय़ा है, वह अुपर मेरे निवेदन किये हुअे क्रमसे बिलकुल अलग है । मैं अुसका विरोध नहीं करता, किन्तु अुसे अपना काम नहीं बना सकता ।

आपने गुजरातके लोगोंके मनमें दुबिधा पैदा होनेकी बात लिखी है । यदि अैसा है, तो आप कृपया विचार करें कि अिसका कारण क्या है ? मुझे तो यह दिखाअी देता है कि गुजरातके लोगों (तथा अन्य प्रान्तोंके लोगों) के हृदयोंमें दोनों लिपियोंके सीखनेका सिद्धान्त घुस नहीं रहा है । किन्तु आपका व्यक्तित्व अिस प्रकारका है कि जब आप कोअी बात कहते हैं, तो स्वभावतः अिच्छा होती है कि अुसकी पूर्ति की जाय । मेरी भी तो अैसी ही अिच्छा होती है, किन्तु बुद्धि आपके बताये मार्गका निरीक्षण करती है, और अुसे स्वीकार नहीं करती ।

आपने पेरीन बहनके बारेमें लिखा है । यह सच है कि वे दोनों काम करना चाहती हैं । अुसमें तो कोअी बाधा नहीं है । राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति और हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभाके कार्यकर्ताओंमें विरोध न हो, और वे अेक-दूसरेके कामोंको अुदारतासे देखें, अिसमें यह बात सहायक होगी कि हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा और राष्ट्रभाषा-प्रचार-समितिका काम अलग-अलग संस्थाओं द्वारा हो, अेक ही संस्था द्वारा न चले । अेकके सदस्य दूसरेके सदस्य हों, किन्तु अेक ही पदाधिकारी दोनों संस्थाओंके होनेसे व्यावहारिक कठिनाअियाँ और बुद्धिमेद होगा । अिसलिअे पदाधिकारी अलग-अलग हों । आपको याद दिलाता हूँ कि अिस सिद्धान्तपर आपसे सन् '४२में बातें हुअी थीं । जब हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा बनने लगी, अुसी समय मैंने निवेदन किया था कि राष्ट्रभाषा-प्रचार-समितिका मंत्री और हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभाका मंत्री अेक होना अुचित नहीं । आपने अिसे स्वीकार भी किया था । और जब आपने श्रीमन्नारायणजीके लिअे हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभाका मंत्री बनना आवश्यक बताया, तब ही आपकी सम्मतिसे यह निश्चय हुआ था कि कोअी दूसरा व्यक्ति राष्ट्रभाषा-प्रचार-समितिके मंत्रि-पदके लिअे मेजा जाय । और अुसके कुछ दिन बाद आनन्द कौसल्यायनजी भेजे गये थे । यही सिद्धान्त पेरीन बहनके सम्बन्धमें लागू है । जिस प्रकार श्रीमन्नारायणजी हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभाके मंत्री होते हुअे राष्ट्रभाषा-प्रचार-समितिके स्तम्भ रहे हैं, अुसी प्रकार पेरीन बहन दोनों

संस्थाओंमेंसे एककी मंत्रिणी हों, और दूसरीमें खुलकर काम करें। जिसमें तो कोअी कठिनता नहीं है। यही सिद्धान्त सब प्रान्तोंके सम्बन्धमें लगेगा। सम्भवतः श्रीमन्नारायणजी अुन सब स्थानोंमें, जहाँ राष्ट्रभाषा-प्रचार-समितिका काम हो रहा है, हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभाकी शाखायें खोलनेका प्रयत्न करेंगे। अुन्होंने राष्ट्रभाषा-प्रचार-समितिके कुछ पदाधिकारियोंसे हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभाका काम करनेके लिये पत्र-व्यवहार भी किया है। आपसमें विरोध न हो, जिसके लिये यह मार्ग अुचित है कि दोनों संस्थाओंकी शाखायें अलग-अलग हों, और अुनके मुख्य पदाधिकारी अलग हों। साथ ही, मेल और समझौता रखनेके लिये दोनोंकी सदस्यता सबके लिये खुली रहे। यह तो मेरी बुद्धिमें ऐसा काम है जिसका स्वागत होना चाहिये।

आपने मेरे वक्तव्यको पढ़नेकी कृपा की, और अुससे आपने यह परिणाम निकाला कि हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा बिलकुल मेरा ही काम करेगी, और मुझे अुसका सदस्य होना चाहिये। आपने यह भी लिखा कि आपने मुझे सदस्य होनेके लिये कहा था। किन्तु मैंने यह कहकर अिनकार किया कि जबतक अब्दुल हक साहब अुसके सदस्य न बनेंगे, मैं भी बाहर रहूँगा। यह सच है कि मैं हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभाका सदस्य नहीं बना हूँ। अिस सम्बन्धमें सन '४२ में काका कालेकरजीने मुझसे कहा था और हालमें डॉ० ताराचन्दने। आपने बम्बयीमें पंचगनी जानेसे पहले अेक लिफाफेमें दो पत्र मुझे भेजे थे। अुनमेंसे अेकमें आपने अिस विषयमें लिखा था। किन्तु मुझे बिलकुल स्मरण नहीं है कि कभी आपने मौखिक रीतिसे मुझसे हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभाका सदस्य बननेके लिये कहा हो, और मैंने अब्दुल हक साहबका हवाला देकर अिनकार किया हो। मुझे लगता है कि आपने अेक सुनी हुआी बातको अपने सामने हुआी बातमें, स्मृतिभ्रमसे, परिणत कर दिया है। सन् '४२ में काकाजीने जब चर्चा की, अुस समय मैंने अुनसे मौलवी अब्दुल हक तथा अुर्दूवालोंको लानेकी बात अवश्य कही थी। तात्पर्य वही था जो आज भी है, अर्थात् यह कि जबतक अुर्दू और हिन्दीके लेखक हिन्दी और अुर्दूके समन्वयमें शरीक नहीं होते, तबतक यह प्रयत्न सफल नहीं हो सकता। हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा यदि अुस काममें कुछ भी सफलता प्राप्त करेगी, तो वह अवश्य मेरे धन्यवादकी पात्री

होगी । आज तो हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभामें शामिल होनेमें मेरी कठिनाता जिसलिसे बढ़ गयी है कि वह हिन्दी और अर्द्ध दोनोंको मिलानेके अतिरिक्त हिन्दी और अर्द्ध दोनों शैलियों और लिपियोंको अलग-अलग-प्रत्येक देशवासीको सिखानेकी बात करती है ।

यह तो मैंने आपके पत्रकी बातोंका उत्तर दिया । मेरा निवेदन है कि अिन बातोंसे यह परिणाम नहीं निकलता कि आप अथवा हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभाके अन्य सदस्य सम्मेलनसे अलग हों । सम्मेलन हृदयसे आप सबोंको अपने भीतर रखना चाहता है । आपके रहनेसे वह अपना गौरव समझता है । आप आज जो काम करना चाहते हैं, वह सम्मेलनका अपना काम नहीं है । किन्तु सम्मेलन जितना करता है, वह आपका काम है । आप उसे अलग जो करना चाहते हैं, उसे सम्मेलनमें रहते हुअे भी स्वतंत्रतापूर्वक कर सकते हैं ।

विनीत,

पुरुषोत्तमदास टण्डन

सेवाग्राम,

१५-७-१४५

भाभी टण्डनजी,

आपका ता० ११-७-१४५ का पत्र मिला । मैंने दो बार पढ़ा । बादमें भाभी किशोरलाल भाभीको दिया । वे स्वतंत्र विचारक हैं, आप जानते होंगे । अन्होंने लिखा है, सो भी मेजता हूँ । मैं तो अितना ही कहूँगा कि जहाँतक हो सका, मैं आपके प्रेमके अधीन रहा हूँ । अब समय आया है कि वही प्रेम मुझे आपसे वियोग करायेगा । मैं मेरी बात नहीं समझा सका हूँ । यही पत्र आप सम्मेलनकी स्थायी समितिके सामने रखें । मेरा खयाल है कि सम्मेलनने हिन्दीकी मेरी व्याख्या अपनायी नहीं है । अब तो मेरे विचार अिसी दिशामें आगे बढ़े हैं । राष्ट्रभाषाकी मेरी व्याख्यामें हिन्दी और अर्द्ध लिपि और दोनों शैलीका ज्ञान आता है । अैसे होनेसे ही दोनोंका समन्वय होनेका है, तो हो जायगा । मुझे डर है कि मेरी यह बात सम्मेलनको चुमेगी । जिसलिसे मेरा अिस्तीफ़ा

क्रबूल किया जाय । हिन्दुस्तानी-प्रचारका कठिन काम करते हुअे में हिन्दीकी सेवा करूँगा और अुर्दूकी भी ।

आपका,
मो० क० गांधी

१०, क्रास्थवेट रोड, अिलाहावाद,
२-८-१४५

पूज्य बापूजी, प्रणाम ।

आपका १५ जुलाअीका पत्र मिला । मैं आपकी आज्ञाके अनुसार खेदके साथ आपका पत्र स्थायी समितिके सामने रख दूँगा । मुझे तो जो निवेदन करना था, अपने पिछले दो पत्रोंमें कर चुका ।

आपके पत्रके साथ भाभी किशोरलाल मशरूवालाजीका पत्र मिला है । अुनको मैं अलग अुत्तर लिख रहा हूँ । वह अिसके साथ है । कृपया अुन्हें दे दीजियेगा ।

विनीत,
पुरुषोत्तमदास टण्डन

हिन्दुस्तानी क्यों ?

[ता० २५-१-१४६को मद्रासमें दक्षिण भारत-हिन्दी-प्रचार-सभाकी रजत-जयन्तीके मौक़ेपर गांधीजीने नीचे लिखा भाषण किया था —]

भाषियो और बहनो,

मुझे आज जो दो ग्रन्थ दिये गये हैं, उनमें अभी मुझको जो बताया गया है, वह सब दिया गया है। दोनों अँची ज़बानमें लिखे गये हैं, लेकिन, एक ही लिपिमें। हमारा कार-बार दोनों लिपियोंमें होना चाहिये और हम करेंगे, क्योंकि हिन्दुस्तानीकी दो लिपियाँ हैं। अितना तो हमें करना ही चाहिये।

अवतक जो कुछ हमारा कार्य हुआ है, वह अच्छा ही हुआ है। आपसे मुझे यह कहना है कि यदि हमारे प्रचार-कार्यमें हमें यश प्राप्त हुआ है, तो उसमें जो लोग लगे हुअे हैं, उनका परिश्रम भी लगा हुआ है। दूसरे, आपसे यह भी कहना है कि हम सभाकी सब कारवाही क्रानूनन् करें, तो उसमें हमारा समय तो बहुत जानेवाला है। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगोंका समय बचा लूँ और अपना भी बचा लूँ। अिसलिअे मैंने सत्यनारायणजीसे कहा है कि सबको खड़ा करके बोलनेकी विधि छोड़ दें। अिस विधिसे हमारा कुछ बनता-बिगड़ता नहीं है।

आप सब लोगोंने अभी हँस दिया जब कि हमारे कृष्णस्वामीने अंग्रेज़ी शब्दोंको मिलाकर जान-बूझकर बातें की थीं। वे हिन्दुस्तानी जानते नहीं, अैसी बात नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस, हेबिट, आदि शब्दोंका प्रयोगकर अुन्होंने हमें यह बताया कि हमारी कैसी कंगाली है। अंग्रेज़ी शब्दोंको मिलाकर अपनी भाषामें बोलना, यह तो मैं नहीं कह सकूँगा कि अुसको बढ़ाना है। अंग्रेज़ी ज़बानका हम लोगोंपर कितना प्रभाव पड़ा है, और ज़्यादातर दक्षिणके लोगोंपर,—अैसा कह सकता हूँ—मैं अिसकी तुलना करनेके लिअे नहीं आया हूँ, तो भी मुझे कुछ अैसा डर है कि दक्षिणमें और मद्रासमें, लोग अंग्रेज़ीमें बोलनेका नियम रखते हैं। अैसा नियम लेनेवाले, या जिन्होंने लिया है, अैसे बहुताँके नाम मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ। ये सब अपने-आपको मजबूर

कर लेते हैं। अगर मुझको किसीने मजबूरीसे गुलाम बनाया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उस गुलामीसे मैं अपनेको किसी तरह छुड़ा लूँ। गुलामी, चाहे वह सोनेकी जंजीरसे भी क्यों न बँधी हो, मेरे लिये ठीक हो सकती है, तो वह मेरा पागलपन ही हो सकता है।

आप सब लोग हिन्दुस्तानी सीख लें। कोअी आदमी यहाँ, उत्तरसे, उत्तरसे ही क्यों, आन्ध्र देशसे, तमिल देशमें चला आया, तो उससे कहना कि यहाँ की चारों ज़बानें सीखो — चार ही क्यों, दस, बारह ज़बान सीख लो — यह कोअी नअी बात नहीं है — लेकिन जितनी शक्ति आपको उसमें खर्च करनी पड़ती है, उसमेंसे कुछ तो आप हिन्दुस्तानीके लिये खर्च करते, तो आसानीसे आप हिन्दुस्तानी सीख सकते।

हिन्दुस्तानी, हिन्दुस्तानकी भाषा है। वह सब प्रान्तोंकी भाषा होनी चाहिये। जिसके यह माने नहीं हैं कि तमिलनाडुमें तामिलका, आन्ध्र-देशमें तेलगूका, मलाबारमें मलयालमका, और कर्नाटकमें कन्नड़ीका कोअी स्थान नहीं है। प्रान्तोंकी अपनी-अपनी भाषायें हैं, और होनी चाहियें। लेकिन, जब हम अेक दूसरे प्रान्तमें चले जाते हैं, तो हमारी अेक अैसी सामान्य भाषा होनी चाहिये, जो सब लोग समझ सकें। हो सकता है कि सब-के-सब न समझें। लेकिन, अितना तो हो सकता है कि ज़्यादा-से-ज्यादा समझें। यह तभी हो सकता है, जब लोग जान-बूझकर और ध्यानसे हिन्दुस्तानी समझ लें और सीख लें। आज जो मैं बताना चाहता हूँ, वह हिन्दुस्तानीमें बताना चाहता हूँ। तब लोगोंमें अेक तरहका हिन्दुस्तानी वातावरण बन जाता है। जिसमें ज़रूर थोड़ा-सा परिश्रम होगा, लेकिन, जब अेक बार वायुमंडल बन जायगा, तो अिसे सिखानेके लिये किसीको ज़्यादा परिश्रम न करना पड़ेगा। अिस वायुमेंसे वह अपनी ज़रूरतकी चीज़ खींच लेगा। वह किस तरहसे खींच लेगा, वह शास्त्र क्या है, यह तो शास्त्रको समझनेवाले ही कह सकेंगे। यह आपको मैं समझा नहीं सकूँगा। लेकिन अिसमें मैं अपने अनुभवका पाठ दे सकता हूँ। हिन्दुस्तानीका जब वातावरण फैल जाता है, तब हम उसमेंसे अपनी ज़रूरतकी चीज़को ले लेंगे। जैसे, कहीं संगीत चलता है — वह भी मधुर संगीत — तो आप उसको समझ लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं। वह मुझको सिखानेकी ज़रूरत ही

क्या ? जैसे ही, यदि हिन्दुस्तानीको करोड़ों आदमी समझने लग जायँ, तो देशमें एक हिन्दुस्तानी वातावरण बन जायगा, और उससे हिन्दुस्तानी सरल होगी और आसान होगी ।

मुझको दुःख है कि आप लोग सब, मैं जो कुछ कह रहा हूँ, वह बराबर समझते नहीं हैं । आप मुझसे बड़ी मुहब्बत करते हैं । क्योंकि आप जानते हैं कि मैं कंगालोंके लिखे, दरिद्र लोगोंकी सेवाके लिखे, रहता हूँ । अगर मैं हिन्दुस्तानीमें बोळूँ तो भी आप उससे शान्तिसे सुन लेते हैं । कारण मेरी आवाज़ आप लोगोंको मधुर लगती है । मैं आज तो यहाँ सीधी कामकी बात कह रहा हूँ । कामकी बात कहूँ तो, मुझे भैसा लगा था कि आप समझ सकें, जैसे लफ़्ज़ोंमें, जैसे शब्दोंमें, बातें कहूँ । तब आप उसका अर्थ उसमेंसे निकाल लेंगे, और फिर उसके अनुसार काम करने लग जायँगे ।

रजत-जयन्तीकी रिपोर्ट अभी आपने सुनी । आप समझते हैं कि यहाँ २५ बरसोंमें काम कैसे हुआ । २५ बरस क्या, अब तो २७ बरस हो गये हैं । २७ बरसोंमें हमने काफ़ी अच्छा काम किया है । उससे मैं अच्छा मानता हूँ । लेकिन मैं कहूँगा कि यह क्या है, जब मैं उसका मुक्ताबला करोड़ोंकी जनतासे करता हूँ । यह समुद्रमें बूँदके जैसा है । जितना ही हमारा काम हो गया । हमारा प्रयत्न यह होना चाहिये कि लोग हिन्दुस्तानी ज़बान सीखें, लिखें और बोला करें । शक्ति लगाकर आपको यह कार्य करना चाहिये ।

मैं आपको एक और गुर, मेद, रहस्य बताता हूँ । हिन्दुस्तानीमें प्रेम भी है । वह यह है कि जब एक आदमीके हृदयमें हिन्दुस्तानीका प्रेम जाग्रत हो जायगा, तब वह अपनी लड़कीसे, पत्नीसे, जिसी ज़बानमें बोलने लगेगा । अगर वह नौकर रखता है, तो उससे और अपने मित्रोंसे भी जिसीमें बोलेगा ।

लेकिन आज तो घर-घरमें अंग्रेज़ी ज़बानका प्रचार है ! अंग्रेज़ी ज़बानकी मदिरा लोगोंने पी ली, और आज क्लबोंमें, घरोंमें, सब जगह वे अंग्रेज़ी ज़बान ही बोलते हैं । हिन्दुस्तानी सभ्यता उनमें नहीं रहती । ऐसी हालत और कहीं नहीं है । सिर्फ़ हमारे .गुलाम मुल्कमें — हिन्दुस्तानमें —

यह हालत है। हमने अपनेको गुलामीकी जंजीरमें बाँध लिया है। आपको मेहनत करके, परिश्रम करके, अपने घरोंमें भी यही भाषा बोलनी चाहिये। बाहर तो आप बोलेंगे ही। मैं चाहता हूँ कि आप सब-के-सब हिन्दुस्तानी सीख लें।

२७ बरसके परिश्रमके बाद आज अितना काम हुआ है कि हिन्दुस्तानीमें जब मैं बोलता हूँ, तो मेरी ज़बान, सामनेवाले जो यहाँ हैं, कुछ तो समझते हैं। हिन्दुस्तानी कोभी मुश्किल ज़बान नहीं है। आप दक्षिणके लोगोंमें बुद्धि है, और विवेक भी। दक्षिणके लोग सारे हिन्दुस्तानमें पड़े हुये हैं। वे वहाँ क्यों जाते हैं? वहाँके लोगोंको अुनकी दरकार है। हिन्दुस्तानको अुनकी दरकार है—अुनकी चतुराजी की और बुद्धिकी।

विदेशी भाषा सीखनेके लिये आपने बरसोंका समय गँवाया है। हमारी शक्तिका ठीक-ठीक अुपयोग होना चाहिये। मैं अपनी दूटी-फूटी बुद्धिसे कहूँगा कि वह कोभी आवश्यक चीज़ नहीं है। तो अेक-दो बरसमें अुसे सीखनेके बदले अुसके लिये १६ बरस क्यों लगायँ ? मैट्रिकयुलेट होनेके लिये मैंने ७ बरस गँवाये थे, लेकिन अपनी भाषामें तो मैं अेक बरसमें मैट्रिक बन सकता हूँ। अेक बरसके कामके लिये मैं ७-८ बरस गँवायँ, अिससे ज़्यादा बदनसीबी हमारी क्या हो सकती है ? आपने अंग्रेज़ी सीखनेके लिये जितना परिश्रम अुठाय़ा है, अुसका अेक आना परिश्रम हिन्दुस्तानीके लिये करेंगे, तो आप हिन्दुस्तानी बोल लेंगे, अिसमें कोभी सन्देह नहीं है।

अमी-अमी आपने सुना है कि नयी हिन्दुस्तानीके सबक ६ हफ़्तेमें सिखानेकी व्यवस्था की गयी है। अिसमें ज़्यादा कोभी परिश्रम नहीं है। जहाँ प्रेम है, वहाँ परिश्रमकी कोभी जगह नहीं रहेगी।

हिन्दुस्तानकी सेवा करनेके लिये मैं १२५ बरस तक ज़िन्दा रहना चाहता हूँ। मैं प्रार्थनामें जैसा चाहता हूँ, वैसा बननेकी कोशिश करता हूँ, आपको भी साथ ले जाना चाहता हूँ। आज शामको आप प्रार्थनामें सुन लेंगे, गीतामेंसे, और दूसरेमेंसे, भारतकी सेवा करनेके लिये मैं १२५ बरस तक जीना चाहता हूँ। मेरी अिच्छा तो है, और रोज़ मेरी प्रार्थना भी है। अिस तरह मैं ज़िन्दा न रहा, तो आप समझिये कि मैं स्थित-प्रज्ञ नहीं हूँ।

दूसरा काम भी करनेके लिये मैं यहाँ आया हूँ । हमारी सभाका नाम हिन्दी-प्रचार-सभा है । अब जिसका नाम हिन्दी-प्रचार-सभा नहीं रहेगा । हिन्दी शब्दके बदले अब हमें हिन्दुस्तानी शब्द लेना है । हिन्दुस्तानी सब लोगोंको समझना चाहिये । यहाँ मैं बुद्धिसे काम करनेके लिये आ गया हूँ । श्रद्धाका यहाँ स्थान नहीं । जहाँ बुद्धिसे काम लेना है उस वक्रत श्रद्धाका नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ । अन्यथा वह पागलपन होगा । यहाँ मैं केवल बुद्धिका प्रयोग करना चाहता हूँ ।

हिन्दुस्तानकी ४० करोड़की आबादी है । जब मैं अर्दूकी बात करता हूँ, तो ऐसा समझा जाता है कि यह मुसलमानोंकी भाषा है । वैसे ही हिन्दीकी बात करता हूँ, तो वह हिन्दुओंकी भाषा है । अब यहाँ तो आपको अक क़ौमकी भाषा सिखानेकी बात नहीं है, अक धर्मकी भाषा सिखानेकी बात नहीं है । आपमें से कुछ जानते होंगे कि पंजाबमें सब पढ़े-लिखे हिन्दू और मुस्लिम अर्दू जानते हैं । वे हिन्दी बोल नहीं सकते । काश्मीरमें भी जिस तरह अच्छी तरह अर्दू लिखनेवाले हिन्दू हैं । संस्कृतमयी हिन्दी वे नहीं समझते, अर्दू वे समझते हैं । जिसलिये मैं आपसे कहूँगा कि आपका यह धर्म है कि आप अर्दू लिपि भी सीखें । यह कोअी नअी बात मैं आपको नहीं कह रहा हूँ । जब मैं पहले अिन्दौरके हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनमें गया, तब जमनालालजीकी मददसे दक्षिणमें हिन्दी-प्रचारका कार्य शुरू हुआ । जिसकी जड़ वह है । उसी वक्रत यह कहा गया था कि हिन्दी वह भाषा है, जो अुत्तरके मुसलमान और हिन्दू दोनों बोलते हैं और जिसे दोनों लिपियोंमें लिखते हैं— अर्दू और देवनागरी लिपिके बारेमें उस वक्रत मैंने जो कहा था, वही अब मैं दुहरा रहा हूँ । राष्ट्रभाषाका प्रचार करते हुअे हम जिस ओर चले जायँ और हमारा काम बराबर होता रहे, तो हम कह सकते हैं,— तभी हमें यह कहनेका अधिकार होगा कि यह हिन्दुस्तान हमारा है ।

हिन्दुस्तानी राष्ट्रभाषाके बारेमें जब मैंने अितनी बातें कहीं, तो प्रान्तीय भाषाओंके बारेमें भी अक बात कहना चाहता, हूँ । प्रान्तोंमें प्रान्तीय भाषा चलेगी और प्रान्तके लोगोंको अपने प्रान्तकी भाषा भी सीख लेनी चाहिये ।

हम अपनेको हिन्दुस्तानी कहते हैं, हिन्दुस्तानी बनना और रहना चाहते हैं, तो आपका और मेरा कर्तव्य हो जाता है कि हम दोनों लिपियोंमें हिन्दुस्तानी भाषा सीखें ।

सत्यनारायणजीने आप सबसे कहा है कि वे हिन्दुस्तानीके कामके लिये ५ लाख रुपया अिकद्दा करना चाहते हैं । मैं कहता हूँ जिसके लिये मुझे खुशी तब होगी, जब ये ५ लाख रुपये यहाँके चार प्रान्तोंमेंसे निकल आर्येंगे । यह कोअी बड़ी बात नहीं है । आप सबके प्रेमसे यह कार्य हो सकता है । अण्णा आ गया, सत्यनारायण आ गया, कहो, कमलनयन आ गया, पूछनेपर पैसा दे दिया, और पीछे जिस काममें आपका दिल नहीं है, तो यह काम नहीं होगा । पैसा आपको देना है, तो सोच-समझकर देना है, और देनेके बाद उसका हिसाब पूछना है ।

३

हिन्दुस्तानी करोड़ों स्वाधीन मनुष्योंकी राष्ट्रभाषा

[ता० २७-१-१४६ को मद्रासमें दक्षिणभारत-हिन्दी-प्रचार-सभाकी रजत-जयन्तीके मौक़ेपर गांधीजीने नीचे लिखा भाषण दिया था —]

आजका कार्य अेक पुण्यकार्य है । कअी बरसोंके बाद मैं यहाँ खास जिस समारम्भमें भाग लेनेके लिये आया हूँ । हमारे सामने काम तो काफ़ी पड़ा है । थोड़ा-थोड़ा करके हम पूरा कर लेंगे । जब हम यहाँ अेक पुण्यकार्यके लिये अिकद्दा हुअे हैं, कुछ आदमी आपसमें बातें कर रहे हैं । यह तो शिष्टताका मंग हो गया । यह पुण्यकार्य है । आप सब शान्ति रक्खें । शान्तचित्त बनें, जिससे यहाँ जिन-जिन स्नातक-स्नातिकाओंको पदवी-दान करनेके लिये मैं आया हूँ, उन्हें सावधान कर समझा सकूँ कि हमारा जो कार्य है, वह उन्हें विवेक रखकर करना है; विवेकहीन मनुष्य और पशु तो अेक-से हैं । आज जिन्हें पदवियाँ मिलेंगी वे बादमें तो हमारा ही कार्य करेंगे । हिन्दुस्तानीका

प्रचार करेंगे । जिसलिअे आप सबके पास यह विवेक-रूपी सम्पत्ति तो ज़रूर होनी चाहिये । यह सम्पत्ति अगर आपके पास न हो, तो आप यह काम कैसे कर सकेंगे ?

दूसरी बात जो आज मैं कहनेवाला हूँ, उसके बारेमें आपको सूचित करनेके लिअे मैंने सत्यनारायणजीसे कहा था । वह बात यह है कि आज आप लोग जो प्रतिज्ञा लेंगे, उसमें हमारा राष्ट्रभाषाका नाम अब हिन्दी न रहकर हिन्दुस्तानी रहेगा । हमारी राष्ट्रभाषा अेक लिपिमें नहीं, किन्तु दो लिपियोंमें लिखी जायगी । राष्ट्रभाषा-प्रचार-कार्यके लिअे द्रव्य देनेवालोंको भी यह बात पहले समझा देनी चाहिये । हमारा काम अुन्हें पसन्द है या नहीं, यह देखकर मदद दें । काम जो चलता है, वह कौड़ीसे भी चलता है । लेकिन कौड़ी भी कामके पीछे-पीछे चलती है । अगर हम अुस चीज़को ठीक नहीं समझते, जिसका कि हम प्रचार करते हैं, तब तो वह सब व्यर्थ होनेवाला है । यह अेक सिद्धान्त नहीं, बल्कि अविचल अनुभव है । हमारी राष्ट्रभाषा अंग्रेज़ी नहीं हो सकती है । हमारे दिलसे हिन्दी शब्दके बदलेमें हिन्दुस्तानी शब्द निकलना चाहता है । और अैसे ही भारतके चालीस करोड़के दिल हो जायँ, वह भी स्वाधीन भारतके, तो हमारी राष्ट्रभाषा सिवा हिन्दुस्तानीके दूसरी कैसे रह सकती है ?

अिस हिन्दुस्तानीको आप अच्छी तरह समझ लें । हिन्दुस्तानी तो हिन्दू और मुसलमान दोनों बोलते हैं । लेकिन अुसमें आजकल दो प्रकार हो गये हैं । संस्कृतमयी हिन्दी और फ़ारसी-मिली मुद्रिकल अुर्दू । संस्कृतमयी हिन्दीमें संस्कृत शब्दोंकी बाढ़ आभी है, और फ़ारसी-मिली अुर्दूमें फ़ारसी और अरबी शब्दोंकी बाढ़ आ गयी है । अिससे हिन्दुस्तानीकी सुसम्पन्नता तो बढ़ती ही है । हिन्दी और अुर्दू नदियाँ हैं, और हिन्दुस्तानी सागर है । अिन दोनोंमेंसे हमें किसीसे घृणा नहीं होनी चाहिये, हमें तो दोनोंको अपना लेना है । हिन्दुस्तानीका पेट अितना बड़ा है कि वह दोनोंको अपना लेगी । अिसके फलस्वरूप वह अेक भारतीय और प्रौढ़ भाषा बन जायगी, जिसे हमारे और दुनियाके लोग सीखेंगे । हिन्दुस्तानमें करोड़ों लोगोंकी आवादी है । हिन्दुस्तानी अुन करोड़ों आदमियोंकी, और वह भी

स्वाधीन मनुष्योंकी, भाषा बन जायगी, तो सचमुच वह एक बड़ी बात होगी । आज जो पदविथीं लेने आये हैं, वे भिस बातको किसी भाँति समझ लें और उसके मुताबिक़ कार्य करें ।

(रजत-जयन्ती-रिपोर्टसे)

४

हिन्दुस्तानी बनाम अंग्रेज़ी

हिन्दुस्तानीसे किसी हिन्दवासीको नफ़रत कैसे हो सकती है ? संस्कृतमयी भाषा चाहनेवाले डरते हैं कि हिन्दीको नुक़सान पहुँचेगा । अर्द्ध बोलनेवाले डरते हैं कि फ़ारसी-अरबीमयी अर्द्धको । दोनोंका डर निकम्मा है । प्रचारसे भाषा नहीं फैलती । असा होता तो 'वोलापुक' या 'अस्पेराण्टो'को जनतामें स्थान मिलता । लेकिन असा नहीं हुआ । चन्द लोगोंके आग्रहसे भी किसी भाषाको स्थान नहीं मिलता । लेकिन जो लोग शक्तिशाली, मेहनती, कलाशील, साहसिक, व्यापारी हैं, उनकी भाषा चलती है और पराक्रमी बनती है । प्रयत्न करना हमारा काम है । लोग जिसे अपनावेंगे, वही उनकी भाषा बन सकती है । गोकि अंग्रेज़ी तेजस्वी भाषा है, तो भी वह राष्ट्रभाषा तो बन ही नहीं सकती । अगर अंग्रेज़ोंका राज्य जबतक सूरज और चाँद हैं, तबतक रहनेवाला है, तो वह उनके अमलोंकी भाषा ज़रूर होगी, लेकिन आम जनताकी कमी नहीं । और चूँकि अमलदार लोग राज्यकर्त्ता होंगे और तालीमका काम अंग्रेज़ोंके हाथमें रहेगा, भिसलिअे प्रान्तोंकी भाषा कंगाल बनती जायगी । स्वर्गीय लोकमान्यने एक दफ़ा कहा था कि अंग्रेज़ोंने प्रान्तीय भाषाकी सेवा की है । यह बात सच्ची थी । एक हदतक उनको यह करना था । लेकिन प्रान्तीय भाषाओंकी तरक्क़ी करना उनका काम नहीं था, न वे कर सकते थे । यह काम तो लोकनायकोंका और लोगोंका ही है । अगर वे अपनी मातृभाषाको भूलें, — जैसे कि भूल रहे थे और आज भी कुछ भूल रहे हैं — तो लोग कंगाल रहेंगे ।

अब तो हम जानते हैं कि अंग्रेज़ी राज्य अखण्डित नहीं। शायद अिसी बरसमें वह खतम हो जायगा। वे खुद यह कहते हैं, हम भी मानते हैं। ऐसी हालतमें हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानीके सिवा और कोअी हो ही नहीं सकती।

आजकी हिन्दुस्तानीके दो रूप हैं—हिन्दी और अुर्दू। हिन्दी नागरी लिपिमें लिखी जाती है; अुर्दू, अुर्दू लिपिमें। अेकका सिंचन होता है संस्कृतसे, दूसरीका अरबी-फ़ारसीसे। अिसलिअे आज तो दोनोंको रहना है। दोनों मिलकर ही हिन्दुस्तानी बनेगी। आअिन्दा अुसकी क्या शकल होगी, हम नहीं जानते, न कोअी कह सकता है। जाननेकी ज़रूरत ही नहीं। तेअीस करोड़से अधिक लोग आज हिन्दुस्तानी बोलते हैं। जब आबादी तीस करोड़की थी, तब हिन्दुस्तानी भाषा बोलनेवालोंकी संख्या २३ करोड़ थी। अगर हम चालीस करोड़ हुअे हैं, तो दोनों रूपोंमें बोलनेवाले अधिक होने चाहियें। सो कुछ भी हो, राष्ट्रभाषा अिसीमें है। दोनों बहनोंको आपसमें झगड़ा नहीं करना है। मुक्काबला तो अंग्रेज़ीसे है। अुसमें मेहनत कम नहीं। हिन्दुस्तानीकी चढ़तीसे प्रान्तोंकी भाषाको बढ़ना ही है, क्योंकि हिन्दुस्तानी लोगोंकी भाषा है, मुद्गीभर राज्यकर्ताओंकी नहीं। अिस राष्ट्र-भाषाके प्रचारके लिअे मैं दक्षिण गया था। वहाँ कलतक हिन्दी ही अिसका नाम रखा था। अब नाम हिन्दुस्तानी हुआ है। थोड़े ही महीनोंमें बहुतसे लड़के-लड़कियोंने दोनों लिपियाँ सीख ली हैं। अुनको मैंने प्रमाणपत्र भी दिये। वहाँ भी खटका तो लिपिका नहीं, लेकिन अंग्रेज़ीका है। अिसमें राज्यकर्ताओंका दोष भी नहीं। हम ही अंग्रेज़ीका मोह नहीं छोड़ते। यह मोह हिन्दुस्तानी-नगरमें भी था। अब आशा रखी जाती है कि यह मिटेगा। कैसा भी हो, दक्षिणके प्रान्तोंमें काम ज़रूर हुआ है, लेकिन जिस जगह हमें पहुँचना है, अुसे देखते हुअे तो अभी और बहुत-कुछ करना होगा।

१०-२-४६

(‘हरिजनसेवक’से)

पाठकोंसे

‘हरिजन’ फिर निकल रहा है। अितने सालोंसे कभी विषयोंपर मैं अपने विचार ‘हरिजन’की मारफ़्त प्रकट करता था। सन् १९४२में यह सोता सूख गया था, अब फिर बहने लगेगा। सच पूछा जाय तो सभी ‘हरिजन’—हिन्दुस्तानी, गुजराती और अंग्रेज़ी—मेरे साप्ताहिक पत्र ही हैं। लेकिन अगर कहूँ कि गुजराती खास तौरपर ऐसा है, तो वह शक न होगा। चूँकि वह मेरी मातृभाषा है, जिसलिअे अुसमें मुझे खत लिखनेवालोंकी संख्या बहुत ज़्यादा है, और मैं जवाब ज़्यादा आसानीसे और छूटसे दे सकता हूँ। जिसलिअे मैं गुजरातीमें ही लिखूँ और बाक़ी सब तरजुमा होकर ही छपे, तो मुझको कम मेहनत पड़े और मैं गुजराती ‘हरिजन’को ज़्यादा सजा सकूँ।

लेकिन पकड़ा हुआ रास्ता झट छूट नहीं पाता, और मोह भी जाने-अनजाने अपना काम करता है। मुझे अंग्रेज़ी आती है। मेरी अंग्रेज़ी भाषामें कुछ आकर्षण है, यह मैं समझ गया हूँ, लेकिन वह क्या है, सो मैं नहीं जानता। यही बात हिन्दुस्तानीके बारेमें भी है, मगर कुछ कम अंशोंमें। बरसों पहले ब्रजकिशोरबाबूने मुझको जिसका अनुभव कराया था। अुस वक़्त मैं प्रान्तीय हिन्दी-सम्मेलनका सभापति बनाया गया था। तब मेरी हिन्दी आजके मुक़ाबले ज़्यादा कच्ची थी। मैंने अुनको अपना भाषण सुधारनेके लिअे दिया, लेकिन अुन्होंने सुधारनेसे अिनकार किया, जिसलिअे जैसा था, अुसीसे काम चला। पाठक मेरी व्याकरणरहित और टूटी-फूटी हिन्दीको निबाह लेते हैं। जिस तरह बाबाजीके दोनों नहीं, तीनों बिगड़ते हैं; फिर भी फ़िलहाल तो जैसा चल रहा था, वैसा ही चलने देना चाहता हूँ। आख़िर जहाज़ कहाँ पहुँचकर लंगर डालेगा, सो आज कहा नहीं जा सकता। जिसलिअे अगर गुजरातीमें मेरे अंग्रेज़ी लेखोंका तरजुमा ही ज़्यादा आवे, तो गुजराती पाठक अुसे दर-गुज़र करें। अितना आश्वासन दे सकता हूँ कि जो तरजुमा छपेगा, वह मेरी नज़रोंसे गुज़रा होगा, जिसलिअे

ज्यादातर अनर्थ नहीं होगा। 'ज्यादातर' कहना पड़ता है, क्योंकि जल्दीकी वजहसे मुमकिन है, मैं तरजुमा देख न सकूँ, और अगर अहमदाबाद ही में हुआ, तब तो देख ही न सकूँगा। जो भी हो, मैं माने लेता हूँ कि पाठक पहलेकी तरह अिस बार भी निवाह लेंगे।

१०-२-४६

('हरिजनसेवक' से)

६

अफ़ ! यह हमारी अंग्रेज़ी !!!

कितना अच्छा होता, अगर हमारे अखबार हमारी अपनी ज़बानोंमें ही निकलते होते ! उस हालतमें हमारी हालत अुन अन्धोंकी-सी न होती, जिनमेंसे अेक हाथीकी पूँछको हाथी समझता था, दूसरा अुसके दाँतोंको, तीसरा सूँडको और चौथा पैरको ! सबको अपनी अक़लमन्दीका ग़रूर था, मगर असलमें सभी ग़लतीपर थे। अिसी तरह, मैंने भी अपने ग़रूरमें कहा था और फिर कहता हूँ कि राजाजीका विरोध अेक गुट्ट तक ही सीमित था और है। मेरे अेक बुजुर्ग दोस्तका और दूसरोंका कहना है कि विरोधको गुट्टका नाम देकर मैंने बड़ी ग़लती की है। मैंने जिस विशेषणका प्रयोग किया है, वह कांग्रेस-संस्थाके लिअे नहीं था, न हो सकता है; फिर वह संस्था प्रान्तकी हो या अखिल भारतीय हो या और कोअी हो, क्योंकि कांग्रेस तो राजाकी तरह कोअी ग़लती कर ही नहीं सकती। ग़लती तो कोअी गुट्ट ही आम तौरपर करता है। लेकिन अिसमें शक नहीं कि मैं और मेरे टीकाकार दोनों सही हैं; अलबत्ता, अपने-अपने ढंगसे, और दोनों ग़लत भी हैं। पराअी ज़बानके अेक शब्दका अिस्तेमाल करनेपर यह अितना बड़ा झमेला खड़ा हो गया है ! अगर मैंने राष्ट्रभाषामें या मेरी अपनी गुजरातीमें लिखा होता, तो हम अेक शब्दके प्रयोगपर अुलझे न होते। राजाजीके अिस क्रिस्तेको मैं यह कहकर खतम किया चाहता हूँ कि अगर मैंने गुट्ट या 'क्लीक' शब्दका ग़लत अिस्तेमाल किया है या

राजाजीको गलत समझा है, तो जिसमें किसीको मेरा अनुसरण करनेकी ज़रूरत नहीं। मेरे हाथमें कोई कानूनी हुकूमत नहीं। अगर मैंने गलत समझा या कहा है, तो जिसमें नुक़सान मेरा अपना ही है, क्योंकि उससे मेरा जो नैतिक बल है, उसे मैं बहुत हदतक या कुछ हदतक खो बैटूँगा।

लेकिन अभी, जिस वक़्त तो, मुझे उन रिपोर्टरसे झगड़ना है, जिन्होंने गो-सेवा-संघकी सभामें दी गयी मेरी तक्ररीर (भाषण)का अंग्रेज़ीमें तरजुमा करनेकी कोशिश करते हुअे मुझसे, जो कुछ मैंने कहा और कहना चाहा था, उससे बिल्कुल अलटी बात कहलवा दी है। जो बात सरस, कोमल, सराहनाके रूपमें कही गयी थी, उसे अक कठोर कटाक्षका रूप दे दिया गया है। मैंने कहा था कि स्वर्गीय जमनालालजीकी विधवा धर्मपत्नी श्री जानकीबायी अपने स्वर्गीय पतिकी उसी तरह पहली और सच्ची उत्तराधिकारिणी हैं, जिस तरह स्वर्गीय रमाबायी अपने स्व० पति न्यायमूर्ति रानडेकी थीं। जिसमें 'अगर-मगर'का कोई सवाल ही न था। श्री जानकीबायीके बाद उनके बच्चोंका नम्बर आता है। ये अपने कर्त्तव्यमें चूक सकते हैं, हम नहीं। क्योंकि मृतात्माकी स्मृतिका सम्मान करनेके लिये हममेंसे जो वहाँ अिकड़ा हुअे थे, वे भी स्व० जमनालालजीके वारिस ही थे, बशर्त्ते कि हम सच्चे हों। हम अपनी अिच्छासे उनके वारिस हैं, किसी रिश्तेदारीकी वजहसे नहीं। मुझे विश्वास है कि अपनी दूटी-फूटी हिन्दुस्तानीमें मैंने जो प्रशंसा कोमल भावसे की थी उसको समझनेमें श्री जानकीबहनने, उनके बच्चोंने, जिस काममें लगे हुअे भाषियोंने और उन सब मित्रोंने जो उस दिन वहाँ बने पण्डालमें मौजूद थे, कोई भूल न की होगी। अँची और समान हेतुवाली सेवाके काममें सभी कोई वारिस हैं, क्योंकि सेवाकी बपौतीका तो पार नहीं। मुझे अपने जिस सन्देशपर गर्व था। मगर पराभी भाषामें मेजे जानेके कारण जिसका सारा मतलब ही खब्त हो गया। अगर जिसकी रिपोर्ट-हिन्दुस्तानीमें ली और मेजी जाती, तो यह सीधा पाठकोंके दिलतक पहुँचा होता।

मैं उस रिपोर्टको पढ़ नहीं पाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि उस सभामें दूसरी जो दो बातें मैंने कही थीं, उन्हें यहाँ थोड़ेमें कहकर उस रिपोर्टको पूरा कर दूँ। मवेशियोंकी हिफ़ाज़तका सवाल हिन्दुस्तानका अक बड़ा

सवाल है । महज़ भाषण करनेसे या पैसेसे यह हल नहीं हो सकता । यह तो तभी हल हो सकता है कि जब गो-सेवा-संघके पास बहुतसे जैसे पशु-विशारद हों, जो जिस मसलेको समझते हों और जिसे हल करनेमें लगे हों, और व्यापारी-समाज हो कि जो जिस कामको नाम कमाने या धन कमानेका जरिया न बनाकर शुद्ध सेवाभावसे करे । अगर ये लोग अपनी सिद्ध बुद्धिका उपयोग पशुओंकी रक्षा करनेमें करें, तो ये हिन्दुस्तानकी बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं । जिस प्रश्नकी विशालतासे उन्हें घबराना न चाहिये । हरएक आदमी सोचे कि वह क्या कर सकता है, और जो कुछ करे, पूरी तरह करे, और जिसका खयाल न रखे कि उसके पड़ोसी या दूसरे लोग कुछ करते हैं या नहीं । जिसलिये गो-सेवा-संघके केन्द्रीय दफ्तरका यह काम है कि वह अपनी ताकत ज़्यादा दूध पैदा करनेमें और वधाके हर बाशिन्देको सस्ता दूध पहुँचानेमें लगा दे । आखिर वे देखेंगे कि अन्होंने हिन्दुस्तानके मवेशियोंके सवालको हल कर लिया है ।

अन्तमें मैंने उनसे कहा कि श्री अरुणा आसफ़अलीने जो अलाहना उनको नेक खयालके साथ दिया है उसे वे ध्यानमें रखें । उनका कहना था कि कहीं अपने उपकारी अिन चौपायोंका विचार करनेमें हम अिनके बड़े भाभी, हिन्दुस्तानके दो पैरवालोंका, यानी चालीस करोड़ हिन्दुस्तानियोंका खयाल न भूल जायँ, जिनके बिना ये चौपाये अेक दिन भी जी नहीं सकते । जिसलिये हरअेक भले आदमीका अपने तअिँ और देशके तअिँ यह फ़र्ज़ है कि वह सिर्फ़ अुतना ही खाये, जितना तन्दुरुस्तीके साथ जीनेके लिये ज़रूरी है । मौज-शौकके लिये कोअी अेक कौर भी ज़्यादा न खाये । हर समझदार औरत, मर्द और बच्चेको चाहिये कि वह देशके लिये कुछ-न-कुछ अुगाये, जहाँ पहले अेक दाना अुगता हो, वहाँ दो अुगानेकी कोशिश करे । अगर सब लोगोंने सोच-समझकर, अीमानदारीसे और मिल-जुलकर हिम्मतके साथ काम किया, तो वे देखेंगे कि वे आनेवाली मुसीबतका बिना किसी हाय-हायके, बेफ़िकरीके साथ और वाअिफ़ज़त सामना कर सकते हैं ।

२४-२-४६

(' हरिजनसेवक ' से)

हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा, वर्धा

जिस सभाकी बैठक १५ और १६ फरवरीको हुई थी । सभाकी कार्रवाहीका आवश्यक हिस्सा नीचे दिया है —

श्री काका कालेलकर, श्री सत्यनारायण, डॉक्टर ताराचन्द, श्री मगनभाभी देसाभी और श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल (मंत्री) की अेक समिति मुक़रर की जाय जो सभाके विधानमें ज़रूरी सुधार सुझाये ।

नीचे लिखे सहायक सभासदोंको परिपत्र-चुनावके ज़रिये नियम ५ के मुताबिक़ सभाका सभासद बनाया जा सकता है —

डॉ० जाफ़र हसन, डॉ० सैयद महमूद, श्री अे० अेम० ख़्वाजा, श्री जुगताराम दवे, श्री श्रीनाथसिंह, श्री हरिभाषू अुपाध्याय, श्री प्यारेलाल, डॉ० सुशीला नय्यर, श्री यशोधरा दासप्पा, श्री प्रेमा कण्ठक, श्री देवप्रकाश नय्यर, श्री श्रीपाद जोशी ।

हिन्दुस्तानीकी पहली तीन परीक्षायें, जहाँतक सम्भव हो, वर्धासे न चलाकर अुनकी ज़िम्मेवारी प्रान्तोंपर डाली जाय । चौथी या आखिरी परीक्षा वर्धासे चलायी जाय ।

जिस आखिरी परीक्षाको चलानेकी और बाक़ीकी परीक्षाओंकी देखरेख करनेकी ज़िम्मेवारी नीचे लिखे सदस्योंकी समितिपर रहेगी —

श्री काका कालेलकर, श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल और श्री अमृतलाल ठा० नाणावटी (मंत्री) ।

चौथी परीक्षाका पाठ्यक्रम कुछ जिस ढंगका रहेगा —

- परचा १. हिन्दुस्तानी गद्य
- „ २. हिन्दुस्तानी पद्य
- „ ३. भाषा और व्याकरण
- „ ४. निबन्ध और अनुवाद
- „ ५. ज़बानी अिम्तहान

जिस परीक्षाके लिये किताबोंका चुनाव करनेका काम श्री काका कालेलकर और श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल करेंगे, जिसमें वे नीचे लिखे सदस्योंसे मदद लेंगे —

डॉ० ताराचन्द्र, श्री सुदर्शन, श्री सत्यनारायण, और श्री रैहाना तैयबजी ।
किताबोंका आखिरी फ़ैसला कार्य-समिति करेगी ।

‘हिन्दुस्तानी-प्रचारक-मदरसा’ नामकी अेक संस्था वर्धामें खोली जाय ।

यह मदरसा जुलाहीसे अप्रैल तक चलेगा ।

अिसमें सारे हिन्दुस्तानके विद्यार्थियोंमेंसे चुनिन्दा विद्यार्थियोंको भरती
किया जायगा ।

अिस मदरसेको चलानेके लिअे नीचे लिखी समिति मुकर्रर की
जाती है —

श्री काका कालेलकर (अध्यक्ष), श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल (मंत्री),
श्री अमृतलाल ठा० नाणावटी (सदस्य), श्री श्री० ना० वनहट्टी (सदस्य),
श्री रैहाना तैयबजी (सदस्य) ।

अिस मदरसेमें नीचे लिखे मज़मून पढ़ाये जायेंगे —

परचा, १. हिन्दुस्तानी अदब — हिन्दुस्तानीकी तारीख और हिन्दुस्तानीका
अँचा ज्ञान ।

„ २. हिन्दुस्तानी भाषा — भाषाका जनम और विकास, हिन्दुस्तानीकी
बनावट और क़ायदे ।

„ ३. हिन्दी और अुर्दूका ज्ञान — ज़बान और अदब

„ ४. पढ़ानेका तरीक़ा

„ ५. हिन्दुस्तानकी सभ्यताकी तारीख ।

„ ६. हिन्दुस्तानके क़ौमी सवाल ।

„ ७. अनुवाद-कला ।

„ ८. हिन्दुस्तानकी भाषायें और अुनके साहित्यकी सामूली जानकारी ।

अिन मज़मूनोंकी पढ़ाअीके लिअे किताबोंका चुनाव करनेका काम
श्री काका कालेलकर और श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल करेंगे । अिस काममें
वे नीचे लिखे मेम्बरोंसे मदद लेंगे —

श्री सत्यनारायण, डॉ० ताराचन्द्र, श्री सुदर्शन, और श्री रैहाना तैयबजी ।
किताबोंका आखिरी फ़ैसला कार्य-समिति करेगी ।

अिस मदरसेकी पढ़ाअी पूरी करके अिम्तहानमें कामयाब होनेवालोंको
‘हिन्दुस्तानी-प्रचारक’की सनद (अुपाधि) दी जायगी ।

श्री पेरीन बहन कैप्टन, मंत्री, हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा, बम्बयीने यह दरख्वास्त पेश की कि हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा बम्बयीके कार्यका क्षेत्र सिर्फ बम्बयी शहरतक ही सीमित न रखा जाय और बम्बयीके उपनगरों और जी० आशी० पी० लाञ्जिनपर कल्याण तक तथा बी० बी० अेण्ड सी० आशी० लाञ्जिनपर विरार तकके लोकल ट्रेनोंके प्रदेशोंमें अुसे कार्य करनेकी अिजाज़त दी जाय ।

तय हुआ कि श्री पेरीन बहनकी दरख्वास्तको फ़िलहाल मंज़ूर किया जाय ।

३-३-'४६

('हरिजनसेवक 'से)

८

हिन्दुस्तानी

मुझे अिसमें शक नहीं कि हिन्दुस्तानी यानी हिन्दी-अुर्दूका सही मिलाप ही राष्ट्रभाषा है । लेकिन मैंने अपनी बोलीमें अुसे अब तक साबित नहीं किया । अिसलिज़े 'हरिजनसेवक 'की भाषापर कोअी गुस्सा न करें । शायद यह अच्छा ही हुआ कि राष्ट्रभाषाके कामको अेक कच्चा आदमी हाथमें ले बैठा है । आखिर लाखों आदमी तो कच्चे ही होंगे । अुनके जतनसे ही दोनों भाषाके जाननेवाले हिन्दी और अुर्दूका अच्छा और आसान मेल पैदा करेंगे ।

'हरिजनसेवक 'के पढ़नेवाले अगर भाषाकी भूलें बताते रहेंगे, तो अुसकी भाषाको ठीक करने और ठीक रखनेमें मदद मिलेगी । यह कोशिश ज़रूर रहेगी कि 'हरिजनसेवक 'की भाषा कानोंको मीठी लगे और सब हिन्दुस्तानी अुसे आसानीसे समझ सकें । जिस ज़बानको सब लोग न समझ सकें, वह निकम्मी मानी जाय । जो भाषा काम नहीं दे सकती वह बनावटी है । अैसी ज़बान बनानेकी सब कोशिशें बेकार साबित हुअी हैं ।

७-४-'४६

('हरिजनसेवक 'से)

गुजरात हिन्दुस्तानी-प्रचार-समिति

जब सब जेलमें थे तब भी गुजरातमें हिन्दुस्तानीके प्रचारका काम काकासाहब कालेलकरके पट्टशिष्य श्री अमृतलाल नाणावटी चलाते रहे, यह उनके और गुजरातके लिये शोभास्पद है । हिन्दुस्तानी भाषाके प्रचारका काम हिन्दी प्रचारका विरोधी नहीं, बल्कि उसकी पूर्ति करनेवाला है । निरी हिन्दी, यानी नागरी लिपिमें लिखी जानेवाली संस्कृतमयी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं, न अर्द्ध लिपिमें लिखी जानेवाली फ़ारसीमयी भाषा राष्ट्रभाषा है । जिसके बारेमें काफ़ी लिख चुका हूँ, जिसलिये यहाँ दलीलें नहीं दूँगा । यहाँ तो सिर्फ़ यही कहूँगा कि हिन्दी जाननेवालेको अर्द्ध सीखनी चाहिये और अर्द्ध जाननेवालेको हिन्दी । तभी हम सच्ची राष्ट्रभाषा पैदा कर सकेंगे । जिसलिये गुजरातने जो अेक क्रदम आगे बढ़ाया है, उसका ज़िक्र भर करनेको यह लिखा है । यहाँ जिस क्रदमका मैंने ज़िक्र किया है, उसकी ज़्यादा जानकारी नीचेके दो मज़मूनोंसे होगी ।

मो० क० गांधी

१

वर्धा, ता० १८-२-'४६

श्री० महामात्र,

गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद ।

भाअीश्री,

पूज्य महात्माजीकी प्रेरणासे हम दो जने पिछले छह सालोंसे गुजरातमें 'गुजरात-राष्ट्रभाषा-प्रचार'के नामसे राष्ट्रभाषाका प्रचार करते रहे हैं । साथ ही, जिस प्रचारके सिलसिलेमें विद्यार्थियोंकी योग्यताकी परीक्षा लेनेके अद्देश्यसे हमने वर्धाकी राष्ट्रभाषा-प्रचार-समितिकी परीक्षाओंकी अेजन्सी भी चलायी थी । महात्माजीकी प्रेरणाके अनुसार अिन परीक्षाओंको चलानेमें भी हमारा हाथ था ही । आगे चलकर जब यह महसूस किया गया कि अिन परीक्षाओंकी नीति प्रयागके हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनकी नीतिके साथ संकुचित बनती जा रही है, तो हमने अिन संस्थाओंसे 'गुजरात-राष्ट्रभाषा-प्रचार'का

सम्बन्ध तोड़ लिया । जेलसे बाहर आनेके बाद पूज्य गांधीजीको भी सम्मेलनके कर्ता-धर्ता श्री टण्डनजीके साथके लम्बे पत्र-व्यवहारके बाद उस संस्थासे और उसकी परीक्षाओंसे अपना सम्बन्ध तोड़ लेना पड़ा ।

पूज्य गांधीजीने राष्ट्रभाषाको जो नयी व्यापक दृष्टि दी है, उसके अनुसार हिन्दुस्तानीके नामसे राष्ट्रभाषाका प्रचार करने और लाजिमी तौरसे नागरी और शुद्ध लिपिमें उसे चलानेके लिये पिछले ढाजी सालसे हम जिस तरहकी परीक्षाएँ भी लेते हैं । परिस्थितिके अनुकूल होते ही 'गुजरात-राष्ट्रभाषा-प्रचार' संस्थाको गांधीजीकी नयी संस्था हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभाके साथ जोड़ दिया गया है ।

जिस सब कामको चलानेमें गुजरात विद्यापीठ और नवजीवन संस्थाका सहयोग शुरूसे ही रहा है । यहाँ हम जिसका कृतज्ञतापूर्वक अल्लेख करते हैं ।

गुजरातकी जनताको राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानीके प्रचारका महत्त्व अधिकाधिक ध्यानमें आता जाता है और जिस कामका विस्तार बढ़ रहा है । ऐसी हालतमें हमें यह ज़रूरी मालूम होता है कि गुजरात विद्यापीठके समान राष्ट्र-निर्माणके रचनात्मक कामका बीड़ा उठानेवाली प्रौढ़ संस्था जिस कामको अपने ही हाथोंमें ले ले । जिसलिसे हमारी प्रार्थना है कि हिन्दुस्तानी प्रचार-सभाके साथ सम्बद्ध रहकर चलनेवाले जिस सारे कामको गुजरात विद्यापीठ अपने हाथमें ले और जिसे विधिवत् अपनाये ।

गुजरात और कच्छ-काठियावाड़में यह जो काम चल रहा है, उसमें हमारी दिलचस्पी कम नहीं हुयी है । हम अपनी शक्तिके अनुसार समूचे हिन्दुस्तानमें राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानीके प्रचारका काम करते ही हैं । जिसलिसे गुजरातकी अपनी जिस संस्थाको विद्यापीठके सिपुर्द कर देनेके बाद भी जिस कामके सिलसिलेमें विद्यापीठ हमारी सेवाको जहाँ-जहाँ ज़रूरी समझेगा, वहाँ-वहाँ हम अपनी सेवा कर्तव्यभावसे उसे देते रहेंगे ।

कृपाकर हमारे जिस पत्रको गुजरात-विद्यापीठ-मण्डलके सामने पेश कीजियेगा और हमें मण्डलके निर्णयकी सूचना भेजियेगा ।

सेवक,

काका कालेलकर
अमृतलाल नाणावटी

श्री महामात्रका पत्र

(विद्यापीठ-मण्डल-परिपत्र ४/४५-४६)

अिसके साथ श्री काकासाहब कालेलकर और श्री अमृतलाल नाणावटीका पत्र भेजा जा रहा है । आपको मालूम है कि मण्डलकी पिछली बैठकमें हिन्दुस्तानी-प्रचारके कामको विद्यापीठकी देखरेखमें चलानेका ठहराव मुलतवी किया गया था । अुसके बाद जब वर्धामें हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभाकी बैठक हुआ, तो वहाँ पूज्य गांधीजीकी सम्मतिसे यह विचार किया गया कि गुजरात-राष्ट्रभाषा-प्रचार संस्था जो काम कर रही है, अुसे वह विद्यापीठको सौंप दे । साथमें नत्थी किया गया पत्र अुसी सिलसिलेमें और अुसीके अनुसार है ।

अिस कामको अपने हाथमें लेनेकी बात हमने सोची ही है । अुसके मुताबिक्र मेरी यह सिफ़ारिश है कि अूपरके पत्रके सिलसिलेमें हमें अिसके साथ नत्थी किया गया प्रस्ताव पास कर लेना चाहिये । आप अिस बारेमें अपनी राय कोअी आठ दिनके अन्दर मुझे भेज दीजियेगा ।

ता० १४-३-१९४६

विद्यापीठका ठहराव

१. श्री महामात्र द्वारा भेजा गया, विद्यापीठ-मण्डल-परिपत्र नं० ४/४५-४६, और अुसके साथ नत्थी किया गया श्री गुजरात-राष्ट्रभाषा-प्रचार संस्थाके अध्यक्ष और संचालक (क्रमशः) श्री काकासाहब कालेलकर और श्री अमृतलाल नाणावटी द्वारा महामात्रको लिखा गया पत्र, दोनों, देखे । अिस सम्बन्धमें यह तय किया जाता है कि महामात्रने अपने परिपत्रमें जो सिफ़ारिश की है, वह मंजूर की जाय और विद्यापीठ अुक्त संस्थाके काम-काजको नये सालसे (यानी जून, १९४६से) सँभाल ले ।

२. श्री महामात्रको यह अधिकार दिया जाता है कि वे अिस कामसे सम्बन्ध रखनेवाले दफ़्तरी कागज़ात और हिसाब-किताब वगैराको श्री अमृतलाल नाणावटीसे समझ लें और अुन्हें विद्यापीठ-कार्यालयकी देख-रेखमें ले लें ।

३. पिछले छह वर्षोंसे श्री काकासाहब और श्री नाणावटीने राष्ट्रभाषाका काम करके गुजरातमें राष्ट्रीय शिक्षाकी जो सेवा की है, अुसकी ' नोंध '

ली जाती है, और उसके लिये यह मण्डल शुद्ध मुबारकबाद देता है । साथ ही, हर्ष और आभारके साथ यह बात नोट की जाती है कि आगे भी वे जिस कामके सिलसिलेमें विद्यापीठको अपनी मदद देते रहेंगे ।

४. जिस कामके लिये नीचे लिखी समिति नियुक्त की जाती है । यह समिति श्री गुजरात हिन्दुस्तानी-प्रचार-समिति कही जायगी ।

१. कुलनायक सरदार श्री वल्लभभाभी पटेल, अध्यक्ष
२. श्री मोरारजी देसाभी
३. ,, जुगताराम दवे
४. ,, बबलभाभी महेता
५. ,, विठ्ठलदास कोठारी
६. ,, अमृतलाल नाणावटी
७. ,, गिरिराजजी
८. ,, नानाभाभी भट्ट
९. ,, करीमभाभी बोरा
१०. ,, जीवणजी देसाभी
११. महामात्र श्री मगनभाभी देसाभी, मंत्री

५. विद्यापीठकी दूसरी समितियोंकी तरह जिस समितिकी नियुक्ति भी वार्षिक मानी जाय ।

६. जिस समितिको अधिकार होगा कि यह अपना काम चलानेके लिये परीक्षा-समिति-जैसी अल्प-समितियोंको नियुक्त करे ।

७. गुजरात-काठियावाड़के जिलों और शहरोंमें मुकामी प्रचारके कामका प्रबन्ध किस तरह करना मुनासिब और माफिक होगा, सो भी यह समिति खुद सोच ले ।

८. मण्डल यह बिनती करता है कि जो भाभी-बहन आज गुजरातमें राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानीका काम कर रहे हैं, वे सब जिस कामके विकास और विस्तारमें विद्यापीठकी मदद करें । साथ ही, यह आशा की जाती है कि गुजरातके राष्ट्रप्रेमी भाभी-बहन और स्कूलों व कॉलेजोंके शिक्षक-शिक्षिका और विद्यार्थी-मण्डल भी जिस कामको अपना लेंगे ।

आभार

पूज्य गांधीजीकी सूचनाके अनुसार और नवजीवन-संस्थाकी मददसे सन् १९३९ के अक्टूबर महीनेमें हमने 'गुजरात-राष्ट्रभाषा-प्रचार'का काम शुरू किया, और जिस संस्थाके जरिये हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनकी वर्धा-समितिकी परीक्षायें गुजरातमें चलायीं। सन् १९४२ में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके साथ मतभेद होनेपर गांधीजीने हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा, वर्धाकी स्थापना की। जिस सभाकी राष्ट्रभाषा-सम्बन्धी नीति पूरी तरह राष्ट्रीय है और जिसलिसे गुजरातमें भी उसीके अनुसार काम चलाना चाहिये, ऐसा निर्णय करके गुजरात-राष्ट्रभाषा-प्रचार-संस्थाने अपनी दो लिपिवाली तीन परीक्षायें शुरू कीं। जिसके परिणाम-स्वरूप हमें सम्मेलनवाली वर्धा-समितिकी परीक्षाओंको छोड़ देना पड़ा। पूज्य गांधीजीके जेलसे छूटने पर हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा, वर्धाका काम बाकायदा शुरू हुआ और सभाने गुजरातकी परीक्षाओंको और परीक्षा लेनेवाली हमारी संस्थाको अपनी मंजूरी दी। आजतकके जिस सारे इतिहासको गुजरातके राष्ट्रभाषा-प्रेमी जानते ही हैं।

शुरूसे ही हमारा आग्रह था कि राष्ट्रभाषा-सम्बन्धी सभी काम गुजरात विद्यापीठके जैसी प्रौढ़ राष्ट्रीय संस्था चलावे; लेकिन किसी-न-किसी कारण परिस्थिति अनुकूल न होनेसे ऐसा हो नहीं पाया।

अब जब परिस्थितियाँ अनुकूल हुआँ, तो हमने अपना आग्रह श्री गुजरात विद्यापीठपर प्रकट किया। हमें यह लिखते हुये सन्तोष होता है कि गुजरात विद्यापीठने हमारी बातको मंजूर करके राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानीके प्रचारकी सारी व्यवस्थाको अपने हाथमें ले लेनेका निश्चय किया है।

जिन साढ़े छह बरसोंमें गुजरातमें हमने जो काम किया, उसे चलानेके लिसे ज़रूरी पैसोंकी मदद श्री नवजीवन-संस्थाने की। जिसके सिवा, तीन सालतक वर्धा-समितिकी परीक्षा चलानेके लिसे उसे समितिने नियमानुसार सहायता दी थी, और जिस वक़्त देश नाज़ुक हालतमेंसे गुज़र रहा था, उस वक़्त गुजरातकी दो बहनोंने क्रीमती मदद पहुँचायी थी।

गुजरात-राष्ट्रभाषा-प्रचार-सम्बन्धी अपनी जिम्मेदारीको सन्तोषजनक रीतिसे छोड़ते समय हम हृदयपूर्वक अुन सब संस्थाओंका, गुजरातके राष्ट्रभाषा-प्रेमी नर-नारियोंका और प्रचारक भाभी-बहनोका आभार मानते हैं, जिन्होंने हमें पैसेकी और दूसरी मदद की और जब गांधीजीने राष्ट्रभाषाकी नीतिके सिलसिलेमें अेक क्रदम आगे बढ़ाया, तो अुस नीतिके प्रति श्रद्धा रखकर निष्ठाके साथ हमारी सहायता करते हुअे हमारे साथ खंडे रहे ।

आजकी और आगेकी परिस्थितिका खयाल रखकर स्वराज्यका वातावरण पैदा करनेकी कोशिशमें लगे हुअे गुजरातके तमाम भाभी-बहन अबसे आगे गुजरात विद्यापीठकी ओरसे चलनेवाले हिन्दुस्तानी-प्रचारके काममें दिन-दिन ज़्यादा दिलचस्पी लें, यही प्रार्थना है । विद्यापीठको जब ज़रूरत होगी तब हमारी तत्पर सेवा अुसके हाथमें ही रहेगी ।

१४-४-'४६

काका कालेलकर

('हरिजनसेवक'से)

१०

'रोमन अुर्दू'


अगर रोमन अुर्दू है, तो रोमन हिन्दी क्यों नहीं? दूसरा क्रदम हिन्दुस्तानकी सारी भाषाओंकी वर्णमालाओंको रोमन बना देना होगा । अुल्लके लिअे, जिसकी अपनी कोअी वर्णमाला नहीं थी, अैसा किया गया है । हिन्दुस्तानमें यह कोशिश करना दुनियाभरकी ज़बानोंको बनावटी बना देनेकी कोशिशके बराबर होगा । अिसमें जल्दी सफलता नहीं मिल सकती । हिन्दुस्तानकी तमाम मशहूर लिपियोंकी जगह रोमन लिपिके हामियोंका अेक दल ज़रूर बन जायगा, लेकिन जनतामें यह आन्दोलन नहीं फैल सकता, न फैलना ही चाहिये । करोड़ों आदमियोंको अितना आलसी बननेकी ज़रूरत नहीं है कि वे अपनी-अपनी लिपि भी न सीखें । हिन्दुस्तानमें चलनेवाली वर्णमालाओंको बदल देनेके लिअे नहीं,

बल्कि जिस आशासे कि किसी समय करोड़ों आदमी नागरी अक्षरोंमें हिन्दुस्तानी ज़बानोंको सीख सकें, साथ ही साथ नागरी पढ़ानेकी भी सराहनीय कोशिश की जा रही है। और, जैसा कि ज़ाहिर है, अर्द्ध अक्षरोंकी जगह नागरी अक्षर नहीं रखे जा सकते, जिसलिभे उन देशभक्तोंको, जो अपने देश-प्रेमके सामने अर्द्ध वर्णमालाको सीखना बोझ नहीं समझते, उसे सीख लेना चाहिये। ये सब कोशिशें मुझे अच्छी लगती हैं।

नये विचारोंको समझनेकी मेरी पूरी तैयारीके रहते भी नागरी और अर्द्ध लिपियोंके बजाय रोमन वर्णमालाको फैलानेके लिभे लोगोंको अुकसानेका क्या खास कारण हो सकता है, सो मैं नहीं समझ पाया हूँ। यह सही है कि हिन्दुस्तानी फ़ौजमें रोमन वर्णमाला बहुत ज़्यादा अिस्तेमाल की जाती है। मुझे ऐसी आशा करनी चाहिये कि अगर हिन्दुस्तानी सिपाहीमें देश-प्रेमकी भावना भरी है, तो वह नागरी और अर्द्ध दोनों वर्णमालाओंको सीखनेमें अेतराज़ न करेगा। आखिरकार हिन्दुस्तानकी जनताके अितने बड़े समुद्रमें हिन्दुस्तानी सिपाही सिर्फ़ अेक वूँद ही तो है। उसे अंग्रेज़ी तरीक़ेको ख़त्म कर देना चाहिये। नागरी या अर्द्ध अक्षरोंको सीखनेमें अंग्रेज़ी अफ़सरोंकी सुस्ती ही शायद अर्द्धको रोमनमें लिखनेका कारण हो।

२१-४-४६

(‘ हरिजनसेवक ’ से)



अंग्रेजी भाषाका प्रभाव

“आप हिन्दुस्तानीके प्रचारके लिखे अनथक प्रयत्न कर रहे हैं। आपको यह भी अच्छा नहीं लगता कि कोभी भारतवासी अपने प्रान्तकी भाषामें या हिन्दुस्तानी भाषाके अतिरिक्त विदेशी भाषामें बोलें या लिखें। लेकिन हमारे कहे जानेवाले क्रौमी अखबारोंका, जो अंग्रेजीमें निकलते हैं, और साथ ही हिन्दुस्तानी या प्रान्तीय भाषाका अखबार निकालते हैं, क्रौमी भाषाके प्रचारकी ओर जो बरताव है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि किस तरह क्रौमी भाषाको कैसे प्रोत्साहन मिल सकता है? आप किसी अंग्रेजी भाषाके क्रौमी अखबारके खर्चका और उसी जगहसे निकलनेवाले देशी भाषाके अखबारके खर्चका मुकाबला करें। आप देखेंगे कि जो वेतन अंग्रेजी अखबारके महकमेकी दिया जाता है, उसका १०वाँ हिस्सा भी देशी भाषाके महकमेवालोंको नहीं दिया जाता। अंग्रेजी अखबारका सम्पादक २,०००) माहवार पाता है, और हिन्दी अखबारका सम्पादक २००)माहवार भी नहीं पाता। अंग्रेजी भाषावालोंको सब सहूलियतें मौजूद हैं। खबरें सीधी टेलिप्रिण्टपर आती हैं, और शुद्ध कम्पोज कर दिया जाता है। हिन्दीवालोंको तरजुमा करना पड़ता है। दुगुनी मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी न उनको क्रदर है, न उनको कोभी प्रोत्साहन है। फिर वे क्यों अपनी भाषाके लिखे सरमारी करें, जब कि वे देखते हैं कि अंग्रेजीवालोंकी ही सब जगह क्रदर है, और उनको कम मेहनत करनेपर भी खूब पैसे दिये जाते हैं? यह भी देखनेकी बात है कि देशी भाषाके अखबारोंकी बिक्री अंग्रेजी अखबारोंसे कुछ कम नहीं है, बल्कि ज़्यादा ही होगी। मगर जैसे रेलवेवाले तीसरे दरजेके मुसाफ़िरोसे सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, और उनके आरामकी तरफ ध्यान न देकर दूसरे और पहले दरजेके मुसाफ़िरोकी तरफ ही ध्यान रखते हैं, वैसा ही बरताव ये अंग्रेजी अखबारवाले हिन्दुस्तानी या प्रान्तीय भाषाके जानकारोंके साथ कर रहे हैं। अपनी बहुत दिनोंकी यह शिकायत ‘हरिजन’क जरिये जवाब पानेके लिखे मैंने आपके सामने रखी है।”

यह खत अक मेहनती सेवकने लिखा है। उसने जो लिखा है, उसे वह जानता है। लेखककी यह शिकायत सारे हिन्दुस्तानको ज़ाहिर है। बात तो यह है कि अंग्रेजीका प्रभाव और मोह कैसे मिटे? उसे मिटाना स्वराज्यकी लड़ाईका बड़ा हिस्सा है। नहीं है, तो स्वराज्यके मानी

बदलने होंगे । गुलामीमें गुलामको अपने सरदारकी रहन-सहनकी नक़ल करनी पड़ती है । उसे सरदारका लिबास, सरदारकी भाषा वगैराकी नक़ल करनी होगी, यहाँ तक कि रफ़ता-रफ़ता वह और कुछ पसन्द ही नहीं करेगा । जब स्वराज्य आयेगा, जब अंग्रेज़ी हुकूमत झुठ जायगी, तब अंग्रेज़ीका प्रभाव भी झुठ जायगा । जिस बीच जिनके दिलमें अंग्रेज़ीका प्रभाव मुल्कके लिये हानिकर सिद्ध हुआ है, वे सिर्फ़ राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानीका या अपनी मातृभाषाका ही प्रयोग करेंगे ।

अंग्रेज़ी जाननेवाले राष्ट्रभाषा जाननेवालोंसे १० गुना ज़्यादा कमाते हैं, सो सही है । जिसका अुपाय भी हमारे हाथोंमें है । और, जैसे लोगोंका दाम तो अंग्रेज़ी सलतनतके जानेसे अेकदम गिरना चाहिये । असलमें तो ऐसा कभी होना ही न चाहिये था, क्योंकि आज अंग्रेज़ी जाननेवाले जितना लेते हैं अुतना देने लायक़ यह मुल्क हरगिज़ नहीं है । हम ग़रीब मुल्कके हैं और जबतक ग़रीब-से-ग़रीब भी आगे नहीं बढ़ते हैं, तबतक बढ़ी तनख़्वाह लेनेका हमें कोअी हक़ नहीं है । सही बात तो यह है कि राष्ट्रभाषामें या मातृभाषामें जो अख़बार निकलते हैं अुन्हें पढ़नेवाले अुनकी क्रीमत घटा या बढ़ा सकते हैं । अगर हम अंग्रेज़ी अख़बारोंको धर्मपुस्तक समझना छोड़ दें और जो अख़बार हमारे प्रान्त या राष्ट्रकी भाषामें निकलते हैं, अुन्हींका आदर बढ़ा दें, तो अख़बारवाले समझ जायेंगे कि अब अंग्रेज़ी अख़बारकी क्रीमत नहीं रही है । ऐसा कुछ हो भी रहा है । अेक ज़माना था कि जब मातृभाषामें या राष्ट्रकी भाषामें निकलनेवाले अख़बार कम पढ़े जाते थे । अब तो जैसे अख़बारोंकी संख्या बढ़ गयी है, ग़्राहकोंकी संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन जैसे जनताका धर्म रहा है, वैसे ही भाषाप्रेमी अख़बारवालोंका भी कुछ धर्म है । यह दुःखकी बात है कि राष्ट्रभाषामें या प्रान्तोंकी भाषामें या कहिये कि मादरी ज़बानमें जो अख़बार निकलते हैं अुन्हें चलानेवाले भाषाका गौरव बढ़ाते नहीं । और अुनमें छपनेवाले लेखोंमें मौलिकता कम रहती है । अिन दोषोंको दूर करना अख़बारवालोंका ही काम है ।

२६-५-'४६

('हरिजनसेवक' से)

हिन्दुस्तान और उसकी मुल्की ज़बान

गांधीजीने हिन्दुस्तानको बहुतसी चीज़ें दी हैं। मगर शायद कम लोगोंका ध्यान जिस तरफ़ गया होगा कि एक बड़ी चीज़ जो हिन्दुस्तानको उनके हाथोंसे मिली, वह उसकी मुल्की ज़बान है। बहुतसी बोलियाँ रखनेपर भी हिन्दुस्तान अपनी मुल्की बोली नहीं रखता था। गांधीजीने उसकी यह कमी पूरी कर दी।

अंग्रेज़ी ज़बान हुकूमतके दरवाज़ेसे आयी। लेकिन आते ही सारे मुल्कपर छा गयी। और जिस तरह छा गयी कि हमारी तालीमी, जिल्मी और समाजी ज़बानकी जगह उसीको मिल गयी। अब पढ़े-लिखे हिन्दुस्तानी अपनी मुल्की ज़बानमें बातचीत करना शरमकी बात समझने लगे थे। बड़ाभी और अिज़ज़तकी बात यही समझी जाती थी कि हर मौक़ेपर अंग्रेज़ी ही ज़बानसे निकले। लोग अपनी निजकी बातचीतमें भी अंग्रेज़ीको भुलाना पसन्द नहीं करते थे।

पिछली सदीके आखिरी हिस्सेमें मुल्ककी नयी सियासी जागृति शुरू हुयी और अिण्डियन नैशनल काँग्रेसकी नींव पड़ी। अब काँग्रेसके जलसे जिसलिअे होने लगे थे कि मुल्ककी क़ौमी माँगों और क़ौमी फ़ैसलाकी आवाज़ दुनियाको सुनायी जाय। लेकिन यह आवाज़ भी अपनी ज़बानमें नहीं सुठती थी। अंग्रेज़ीमें सुठती थी। हिन्दुस्तान अब अिग्लैण्डको यह बात सुनाना चाहता था कि उसका मुल्क खुद उसके लिअे है, दूसरोंके लिअे नहीं है। लेकिन यह बात कहनेके लिअे भी उसे अपनी हिन्दुस्तानी ज़बान नहीं मिली थी। वह दूसरों ही की ज़बान अधार लेकर अपना काम चलाना चाहता था।

लेकिन ज्योंही गांधीजीने मुल्कके सियासी मैदानमें क़दम रखा, अचानक एक नया अिन्क़लाब अुभरना शुरू हो गया। अब मुल्ककी आवाज़ खुद उसकी ज़बानमें सुठने लगी और मुल्ककी ज़बानमें बातचीत करना शरमकी बात नहीं रही। अुन्होंने लोगोंको याद दिलाया कि शरमकी बात यह

नहीं है कि हम अपनी ज़बान बोलें, शरमकी बात यह है कि अपनी ज़बान भूल जायँ । अन्होंने १९२०-२१ में सारे मुल्कका दौरा किया और सैकड़ों तक्ररीरें कीं, लेकिन हर जगह अुनकी तक्ररीरोंकी ज़बान हिन्दोस्तानी ही रही ।

मुझे याद है कि पहली बड़ी लड़ाईके ज़मानेमें, जब मैं राँचीमें कैद था, तो मैंने अखबारोंमें अुस कान्फ्रेन्सकी कार्रवायी पढ़ी थी, जो सन् १९१७में लॉर्ड चेम्सफोर्डने दिल्लीमें बुलायी थी । गांधीजी अुस कान्फ्रेन्समें शरीक हुअे थे, मगर अुन्होंने यह बात बतौर शर्त्तके ठहरायी थी कि वह तक्ररीर हिन्दोस्तानीमें करेंगे । अुस वक्त अखबारोंने अिस वाक्याको अेक नयी और अजीब तरहकी बात खयाल किया था । लेकिन यह नयी बात बहुत जल्द मुल्ककी सबसे ज़्यादा आम बात बननेवाली थी । चुनाँचे आज हम सब देख रहे हैं कि जो जगह २५ बरस पहले अंग्रेज़ी ज़बानकी समझी जाती थी, वह हिन्दोस्तानी ज़बानने ले ली है ।

अबुल कलाम आज़ाद

[अूपरका लिखान मेरी तारीफ़के लिअे नहीं है । जो आदमी अपना धर्म समझकर कुछ सेवा करता है, अुसमें तारीफ़ क्या ? मौलाना साहब विद्वान् हैं । फ़ारसी और अरबीका ज्ञान रखते हैं । अिसलिअे अुर्दू खूब जानते हैं । लेकिन वे जानते हैं कि न तो अरबी-फ़ारसीमयी अुर्दू हिन्दुस्तानकी आम ज़बान हो सकती है और न संस्कृतमयी हिन्दी ही । अिसलिअे वे अुर्दू और हिन्दीका मेल चाहते हैं और दोनोंको मिलाकर बोलते हैं' । मैंने अुनसे प्रार्थना की है कि हर हफ़्ते अेक छोटा-सा हिन्दुस्तानी लेख देते रहें, जिससे हिन्दुस्तानीका अेक नमूना 'हरिजनसेवक' पढ़नेवालोंको मिलता रहे । अुस प्रयत्नका पहला नमूना अूपरका लिखान है ।

२६-५-४६

('हरिजनसेवक'से)

मो० क० गांधी]

उर्दू 'हरिजन'का मज़ाक

भाभी जीवणजीने मुझको हिन्दी और उर्दू अखबारोंसे कड़ी टीकाके कुछ नमूने भेजे हैं। सबमें काफ़ी मज़ाक खुड़ाया गया है। हिन्दीवाले कहते हैं, उर्दू 'हरिजन'में चुन-चुनकर उर्दू शब्द भरे जाते हैं; उर्दूवाले कहते हैं, जैसे संस्कृत शब्द भरे हैं, जिन्हें मुसलमान नहीं समझते। मुझे तो दोनों तरहकी टीकायें अच्छी लगती हैं। 'हरिजनसेवक' क्यों, 'खिदमतगार' क्यों नहीं? 'सम्पादक' क्यों, 'अेडीटर' या 'मुदीर' क्यों नहीं? उर्दूवाले मानते हैं कि हिन्दुस्तानी और उर्दू अेक ही हैं; हिन्दीवाले मानते हैं कि लिपि उर्दू होनेपर भी हिन्दुस्तानी हिन्दी ही है, और ऐसा ही है, तो मैं हारकर उर्दू लिपि छोड़ दूँगा। मैं हार जाऊँ, ऐसी आशा तो निराशा ही होनी चाहिये। और, न हिन्दी, हिन्दुस्तानी है, न उर्दू, हिन्दुस्तानी। हिन्दुस्तानी बीचकी बोली है। यह सही है कि आज उसका चलन नहीं है। अगर अखबारवाले और दूसरे टीका करनेवाले धीरज रखेंगे, तो दोनों देखेंगे कि वे हिन्दुस्तानी आसानीसे समझ सकते हैं। मैं क्रबूल करता हूँ कि आज हम सब 'हरिजन'वाले तैयार नहीं हो पाये हैं, मनसूबा तैयार होनेका है। आज 'हरिजनसेवक'की हिन्दुस्तानी खिचड़ी-सी लगेगी, भद्दी लगेगी, उसके लिअे माफ़ करें। अगर भीश्वर मुझे ज़िन्दा रखेगा, तो अिसी अखबारको पढ़नेवाले देखेंगे कि हिन्दुस्तानी बोली वैसी ही भीठी होगी, जैसी हिन्दी या उर्दू है। आज दोनोंके बीच कुछ होड़-सी माळूम पड़ती है। कल दोनों बहनें बन जायँगी और दोनोंका सहारा लेकर हिन्दुस्तानी ऐसी बोली बनेगी, जो करोड़ोंको पूरा काम देगी, और कम-से-कम भाषाका झगड़ा मिट जायगा। अिस दरमियान टीकाकार गलतियाँ दिखाते रहें। अुन्हें मुहब्बतके साथ समझनेसे 'हरिजनसेवक'की भाषामें दुस्ती होती रहेगी।

१६-६-४६

('हरिजनसेवक'से)

उर्दू, दोनोंकी भाषा ?

भेक विद्वान् (आलिम) हिन्दी प्रेमी लिखते हैं —

१. “जिस प्रकार (तरह) आप शुधोग (मेहनत) कर रहे हैं कि भारतवासी, विशेष (खास) कर हिन्दू — क्योंकि आपके दैनिक सम्पर्क (रोजमर्राके मेलजोल)में हिन्दू ही अधिक (ज्यादा) आते हैं — उर्दू सीख लें, उसी प्रकार क्या कोश सज्जन मुसलमानोंको भी हिन्दी सिखानेका शुधोग कर रहे हैं ? यदि (अगर) ऐसा नहीं है, तो आप ही के शुधोगके कारण उर्दू हिन्दू-मुसलमान दोनोंकी भाषा हो जायगी और हिन्दी केवल हिन्दुओंकी भाषा रह जायगी । क्या जिसमें हिन्दीकी सेवा होगी ?

२. “आपके यहाँके लेखोंमें हिन्दी शब्दों (लफ्जों)के उर्दू पर्याय (बराबरके लफ्ज) कोष्ठ (ब्रैकेट)में दिये जाते हैं, परन्तु (पर) उर्दू शब्दोंके हिन्दी पर्याय नहीं दिये होते । क्या यह हिन्दी-भाषियों (बोलने-वालों)को जबरदस्ती उर्दू पढ़ानेकी चेष्टा (कोशिश) नहीं है ?

३. “आपके प्रकाशनोंमें फ़ारसी, अरबी शब्दोंकी भरमार रहती है । क्या आपके विचारमें ये जैसे शब्द हैं, जिन्हें भारतकी साधारण (आम) जनता समझती है ? शुदाहरण (मिसाल)के लिये — ‘अदब’, ‘आदाब’, ‘अेतकाद’ ।

४. “यदि हिन्दुस्तानी भेक भाषा है, तो आपको शिक्षा-योजना (तालीमकी स्कीम)की पाठ्यपुस्तकों (रीडरों)के हिन्दी-उर्दू संस्करणों (अेडीशनों)में अितना अन्तर (फ़र्क) क्यों रखना पड़ता है ?

५. “मेरा नम्र निवेदन है (बड़ी आजिजीसे गुज़ारिश है) कि अभीतक जो लाखों दक्षिणी हिन्दी सीखते हैं, उनमेंसे अधिकांश (ज्यादा हिस्सा) उर्दू लिपिके डरसे दोनोंमेंसे भेक लिपि भी न सीखेंगे, और हिन्दी-प्रचारका आजतकका कार्य (काम) मलिया-मेट हो जायगा ।”

१. कोशिश तो की जा रही है कि जो उर्दू ही जानते हैं, वे हिन्दी रूप सीख लें । हिन्दी जाननेवाले उर्दू रूप सीख लें । यह बात सच है कि मुझे हिन्दी जाननेवाले हिन्दू ही ज्यादा मिलते हैं । जिससे मुझे कोश कष्ट नहीं । हिन्दू हिन्दी भूलनेवाले नहीं हैं । उर्दूके ज्ञानसे

अनुकी हिन्दी बड़ेगी ही । भारतवर्षमें जो लोग हैं, वे हिन्दू हों या मुसलमान, उनमें ज्यादा हिस्सा तो अपने प्रान्त (सूबे) की ही भाषा जाननेवाले हैं । वे हिन्दी रूप तो भूल ही नहीं सकते, क्योंकि हिन्दीमें और प्रान्तीय भाषाओंमें अधिक शब्द संस्कृतके ही हैं । और माना कि मेरे प्रयत्नका नतीजा यह आवे कि सब अर्द्ध रूप ही सीख जायें, तो भी मुझे उसका न तो कोअी भय (डर) है, न वैसी कोअी आशा ही । जो स्वाभाविक होगा, वही होनेवाला है । दोनों रूपोंको मिलानेके साहसको मैं सब पहलुओंसे अच्छा ही मानता हूँ

२. मैंने हिन्दुस्तानी-प्रचारके सब प्रकाशन पढ़े नहीं हैं । अगर उनमें हिन्दी शब्दोंके अर्द्ध शब्द भी दिये हैं, तो उसमें फ़ायदा ही है । उसका अर्थ (मतलब) तो यह होगा कि पुस्तकके लेखककी नज़रमें हिन्दीके अर्द्ध शब्द पाठक लोग नहीं जानते होंगे । अर्द्धके हिन्दी नहीं दिये जाते हैं, तो अर्थ यह हुआ कि वे शब्द हिन्दीमें चालू हो गये हैं । समझमें नहीं आता कि ऐसी सीधी बातमें भी विद्वान् लेखक शक क्यों करते हैं ? ऐसा शक करना विद्याका भूषण नहीं है ।

३. यह बात सही नहीं है । अगर सही भी हो, तो उसमें हानि (नुक़सान) क्या हो सकती है ? भाषामें ऐसे शब्द दाखिल होनेसे भाषाका गौरव (शान) बढ़ेगा । नॉर्मन हमलेके बाद अंग्रेज़ीमें फ़्रेञ्च भाषाकी मारफ़त जो शब्द दाखिल हुअे, उनसे अंग्रेज़ी भाषाका ज़ोर बढ़ा, कम नहीं हुआ । जितना आडम्बर था या अतिशयता थी, वह निकल गयी । जो अुदाहरण (नमूने) लेखकने दिये हैं, उनहें अुत्तर (शुमाल) के सभी हिन्दी-प्रेमी जानते हैं । उनहोंने हिन्दी बोलीमें अपनी जगह बना ली है । दक्षिणकी हिन्दीके लिअे वे नये हैं सही । उसके लिअे उनके संस्कृत शब्द देनेकी ज़रूरत रहेगी । और ऐसी मदद वी भी जाती है । बात यह है कि हिन्दुस्तानी-प्रचारमें न अेकका द्वेष (नफ़रत) है, न दूसरीका पक्षपात (तरफ़दारी) । दोनों रूप मौजूद हैं और रहेंगे । उसमें आपत्ति न होनी चाहिये । अगर दोनों पक्षों (फ़रीक़ों) में द्वेषभाव (नफ़रतका ज़ब्बा) ही रहा, तो हिन्दुस्तानी नहीं बनेगी । ऐसा हुआ, तो वह हिन्दुस्तानके लिअे बुरा होगा ।

४. हिन्दुस्तानी अेक जमानेमें थी । अब तो बहुत देखनेमें नहीं आती । अिसीलिये यत्न हो रहा है कि जो भाषा दोनोंके मेलरूप हिन्दुस्तानी शकलमें थी, वह अब भी बने और बड़े । अिससे न हिन्दीवाले दुःख मानें न उर्दूवाले । हिन्दी और उर्दू दोनों बहनें हैं । बहनोंके मिलनेसे क्या नुक्रसान होनेवाला है ? अिस संधि-युगमें दोनों रूपमें हिन्दुस्तानी-प्रचारकी पुस्तकोंमें अन्तर रहता है, तो कोअी ताज्जुबकी बात नहीं है ।

५. मेरा अनुभव लेखकसे अुलटा है । दोनों लिपि सीखनेके डरसे किसीने दोनोंको छोड़ दिया हो, अैसा अेक भी नमूना मेरे ध्यानमें नहीं आया है । मुझे अैसा होनेका कोअी डर भी नहीं है ।

लेखकसे मेरी विनय है कि वे अपनी संकुचित दृष्टि (तंग नज़री) छोड़ दें ।

१६-६-'४६

('हरिजनसेवक' से)

१५

हिन्दी और उर्दूका अन्तर

भाअी रामनरेश त्रिपाठीको मैं काफ़ी जानता हूँ । अेक रोज़ वे मसूरीमें मिलने आये थे । मुझे डर था कि हिन्दुस्तानीके प्रचारके लिये वे मुझे ढाँटेंगे । लेकिन बातें करनेसे मैंने अुलटा ही पाया । वे मुझसे कहने लगे कि अगर मैं हिन्दी और उर्दूके मेलसे सच्ची हिन्दुस्तानीकी अुम्मीद रखता हूँ, तो मुझे उर्दूसे ज़्यादा मदद मिलेगी । शर्त यह है कि उर्दूको नया जामा पहनाकर बिगाड़नेकी जो कोशिश हो रही है, अुसे मैं अुसी तरह समझ लूँ, जिस तरह हिन्दीको बिगाड़नेकी कोशिशको समझता हूँ । अुस हालतमें हिन्दुस्तानी अपने-आप फिर ज़िन्दा हो जायगी । अिसपर मैंने अुनसे कहा कि वे मुझको कुछ भिसालें दें, जिससे मैं समझ सकूँ कि अुनके कहनेका मतलब क्या है । सोचने लगे, तो कुछ

दिवक्रत मालूम हुआ। तब मैंने कहा कि मुझको कुछ लिखकर समझावें।
असका नतीजा यह है कि अन्होंने मुझे नीचेका खत भेजा—

“पूज्य बापू,

“हिन्दी और अर्दूके ढाँचेका अन्तर आपने मँगा था। पर ढाँचा तो मुझे अनुभवगम्य-सा जान पड़ता है। असकी कोभी अलग रूपरेखा खींचकर नहीं दिखा सकता हूँ। हाँ, अेक सुझाव दे सकता हूँ। ‘हरिजन’के किसी अेक पैरेग्राफका अनुवाद हिन्दी और अर्दूके किन्हीं दो योग्य लेखकोंसे कराकर देख लीजिये। ढाँचेका अन्तर दिखाभी पढ़ने लगेगा।

“मैंने अस दिन कहा था कि अर्दू हिन्दीसे अधिक परिमार्जित है। असका अेक अुदाहरण लिखता हूँ। हिन्दीके अेक प्रसिद्ध लेखकका यह वाक्य है—‘समझमें न आनेसे घबराहट-सी लगने लगती है।’ अर्दूमें घबराहट ‘लगती’ नहीं, ‘होती है’ या ‘पैदा होती है’। अर्दूका कोभी प्रसिद्ध लेखक कभी गलत मुहावरा नहीं लिखेगा। और अगर लिख देगा, तो असको जबरदस्त मोरचा लेना पड़ेगा। हिन्दीमें भाषाके संशोधनका आन्दोलन ही नहीं है। कोभी आन्दोलन कायम करनेकी अपेक्षा अर्दू भाषाकी पुस्तकें या लेख हिन्दी अक्षरोंमें छपने लगे, तो हिन्दी भाषाका बड़ा अुपकार होगा। अर्दू भाषाके सुधारने और सँवारनेमें अर्दूके शायरों और लेखकोंने पिछले कभी सौ बरसोंमें जो हाथापायी की है, असका लाभ हिन्दी भाषाको सहज ही मिल जायगा, और अिस प्रयोगसे वह आप-से-आप हिन्दुस्तानी बन भी जायगी।”

यह खत विचार करनेके लायक है। मैं भाषाका प्रेमी हूँ, भाषाका शास्त्री नहीं हूँ। हिन्दीका मेरा ज्ञान अैसा ही है। मैंने कोभी पुस्तक पढ़कर हिन्दी सीखी नहीं। असके लिअे समय ही नहीं मिला। मेरा लड़का देवदास, जो मेरे प्रोत्साहनसे और आशीर्वादसे हिन्दी सीखनेके लिअे मद्रास चला गया था, मुझसे बहुत ज़्यादा हिन्दी जानता है। अैसे दूसरे भी हैं, जिनके नाम मैं दे सकता हूँ। अर्दूका ज्ञान मुझे हिन्दीसे भी बहुत कम है। नागरी लिपि बचपनसे जानता हूँ। फ़ारसी लिपि तो मेहनत करके सीखा हूँ। लेकिन असका महावरा न होनेसे असुं थोड़ी मुश्किलसे पढ़ पाता हूँ। जैसे-तैसे लिख भी लेता हूँ। अिस तरह अर्दूका ज्ञान तो बहुत ही कम है। जो है, सो प्रेम है, और किसीका पक्षपात नहीं है। अिसलिअे अगर भगवान्की कृपा हुआ,

और भाषा-शास्त्रियोंकी मदद मिली, तो मेरा यह साहस सफल होगा ।
अिसी खयालसे त्रिपाठीजीका यह खत मैंने छापा है, जिससे वे अिस
काममें मदद दें और दूसरे भी हाथ बँटायें ।

अेक दूसरे हिन्दी भाषा-प्रेमीने भी मुझे यह बताया है कि अर्दूमें
भाषापर जो मेहनत हुअी है, वह हिन्दीमें शायद ही हुअी हो । अब
अगर दोनों खीँचातानीमें न पड़ें और समझ लें कि दोनों भाषाओंकी
जड़ अेक ही है, और जिसे करोड़ों देहाती बोलते हैं, अुसीके लिअे
शास्त्रियों और शायरोंको मेहनत करनी है, तो हम जल्दीसे आगे कूच
कर सकते हैं ।

१४-७-१९६

('हरिजनसेवक' से)

१६

हिन्दुस्तानी बनाम हिन्दी और अर्दू

बम्बअी सरकारकी ता० १६-८-१९की गश्ती चिठ्ठीमें यह लिखा
गया है—

“पता चला है कि अोग 'हिन्दुस्तानी' लफ्जका अिस्तेमाल अिनासोअे-
समझे हिन्दी या हिन्दुस्तानी ज्बानके लिअे करते हैं । मेहरबानी करके अिस
बातका खयाल रखिये कि हिन्दुस्तानी हिन्दी या अर्दूसे अलग और अिराली
ज्बान है; अुनोंअे जब भी आपको अिस ज्बानका अिक्र करना पड़ जाय,
आप अिसे 'हिन्दुस्तानी' लिखिये ।”

९ अक्टूबर, १९४०को अेक सरकारी बयान जारी किया गया था ।
अुसमें लिखा गया है—

“सन् १९३८के सितम्बर महीनेमें बम्बअी सरकारने प्रान्तकी पाठशालाओंमें
हिन्दुस्तानीकी पढ़ाअी शुरू करनेका अपना फ़ैसला जाहिर किया था । अुनोंअे
अुस फ़ैसलेपर अमल करनेके लिअे जरूरी कार्रवाअी की गयी थी, और तबसे
प्राअिमरी स्कूलों, मिडिल स्कूलों और ट्रेनिंग स्कूलों या कॉलेजोंमें हिन्दुस्तानी

सिखानेका अन्तर्जाप किया गया है। असे सिखानेके सिलसिलेमें कुछ अमलले दिक्कतें पैदा आभी हैं। अिन दिक्कतोंपर गौर करना जरूरी है। हिन्दुस्तानीका विकास अभी होना बाकी है, चुनोंचे अुसमें लिखा साहित्य कम मिलता है, और स्कूलोंमें पढ़ाने लायक किताबें भी अुसमें नहीं मिलतीं। ये अुसकी कुछ खास दिक्कतें हैं। फ़िलहाल हिन्दुस्तानीकी जो किताबें पढ़ाभी जाती हैं, अुनमें बरती गभी जवान और दिये गये सबक पाठ्यवस्तुकी दृष्टिसे खामीवाले मालूम हुअे हैं। कहा जाता है कि अिन किताबोंकी जवानमें ठेठ हिन्दीके लफ़्ज़ ज़्यादा तादादमें हैं, और अिनके कुछ सबकोंका मज़मून विद्यार्थियोंके लिअे ठीक नहीं है। दूसरे, अुर्दू और हिन्दुस्तानी जवानोंके शब्द-भण्डारमें दोनों जवानोंमें अेक-साँ पाये जानेवाले शब्द अितने ज़्यादा हैं कि अुर्दू मदरसोंमें हिन्दुस्तानी सिखानेका आग्रह (अिसरार) रखना ग़ैरज़रूरी है। अिन सारे मसलेपर अच्छे तरह गौर करनेके बाद सरकार अब यह सुझाती है कि अगरचे दूसरे मदरसोंमें हिन्दुस्तानी सिखानेके ख़िलाफ़ कोई खास अेतराज नहीं है, तो भी सूअेमें अुर्दू पढ़ानेवाली जो संस्थायें (अिदारे) हैं, यानी अिनमें अुर्दूके ज़रिये तालीम दी जाती है, अुन प्राअिमरी स्कूलों, मिडिल स्कूलों और ट्रेनिंग स्कूलों या कॉलेजोंको अपनी पढ़ाअीमें हिन्दुस्तानीकी तालीम दाख़िल करनेसे बरी किया जाय।”

सन् १९४१में जारी किये गये अेक दूसरे ग़ती खतके ज़रिये अिसी तरह हिन्दी पढ़ानेवाली पाठशालाओंको हिन्दुस्तानी पढ़ानेसे मुक्ति दी गअी है। अिस तरह जहाँ पढ़ाअीका ज़रिया हिन्दी या अुर्दू न हो, वहाँ, अुन मदरसोंमें, हिन्दुस्तानी सिखानेकी बात तय हुअी। सवाल यह है कि अैसी हालतमें आम लोगोंकी रायसे बनी हुअी सूअेकी मौजूदा सरकारको क्या करना चाहिये ?

अगर यह माना जा सके कि सूअेकी मौजूदा सरकार आम लोगोंकी रायसे बनी है, तो अुससे हमें अिस सवालका जवाब मिल जाता है। अगर हिन्दी पाठशालायें प्राअिमरी और मिडिल स्कूलोंमें राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी सिखाना चाहें, तो वह सिखाअी जानी चाहिये। सहज ही अिस बातका फ़ैसला अिन स्कूलोंमें पढ़ानेवाले लड़कों और लड़कियोंके माँ-बापोंको करना होगा। अगर अुन्हें अिसकी ज़रूरत न मालूम होती हो और यह चीज़ अुनपर ज़बरदस्ती लादनेकी कोशिश की जाय, तो लोगोंकी सरकार होनेका अुसका दावा टिक न सके। मैं माँ-बापोंको ज़रूर यह सलाह दूँगा कि वे

अपने बच्चोंको हिन्दुस्तानी सिखानेकी माँग करें। असलमें हिन्दुस्तानी हिन्दी और उर्दूका मिलाजुला रूप है, और वह नागरी व फ़ारसी दोनों लिखावटोंमें लिखी जाती है। यह हकीकत कभी भूलनी न चाहिये। अगर माँ-बाप सिर्फ़ हिन्दी या सिर्फ़ उर्दू और कोअी अेक ही लिपि चाहते हों, तो वे अपनी यह चीज़ अुस सरकारपर लाद नहीं सकते, जो अुनकी अिस बातको मानती न हो, और वैसा करनेके लिअे नाखुश हो। दोनों दल अपनी-अपनी मरज़ीके मुताबिक़ बरतनेको आज़ाद हैं।

यहाँ यह सवाल मौजूँ नहीं कि आया हिन्दुस्तानी राष्ट्रभाषा है, या कि वह राष्ट्रभाषा यानी क़ौमी ज़बान हो सकती है या नहीं? 'हरिजनसेवक' के पिछले अंकोंमें अिस मसलेपर कभी दफ़ा लिखा जा चुका है।

८-९-४६

('हरिजनसेवक' से)

१७

हिन्दुस्तानीके बारेमें

बिहारके अेक सज्जन लिखते हैं —

“आपके नेतृत्वमें हिन्दुस्तानी-प्रचारका जो बड़ा और सराहनीय काम चल रहा है, अुसके ज़रिये देशकी तरक्की और आज़ादी हासिल करनेमें बड़ी मदद मिल रही है। जिन देशको अपनी भाषा नहीं, अुसे जीनेका अधिकार ही क्या हो सकता है? अिस मुल्ककी भी यही बदकिस्मती है। सब-कुछ जानते अुबे भी हमारे नेताओंका ध्यान अिस ओर पूरी तरहसे नहीं गया है। आपके अितनी कोशिश करनेपर भी काँग्रेसी कार्यकर्त्ताओंने अिसपर पूरा-पूरा अमल नहीं किया है। यह बात भी आपसे कुछ छिपी नहीं कि अंग्रेज़ीकी बू गभी नहीं है, और आज भी अखिल भारत काँग्रेस-कमेटीके अिजलासमें और अेसेम्ब्लियोंमें अक्सर वे लोग भी, जिनकी मातृभाषा हिन्दुस्तानी (हिन्दी या उर्दू) है, अंग्रेज़ीमें बोलना ज़यादा पसन्द करते हैं। क्या यह मुमकिन नहीं कि जिन तरह काँग्रेसी मेम्बरके लिअे खादी पहनना अनिवार्य (लाज़िमी) है, अुसी तरह काँग्रेस यह भी नियम बना दे कि

कांग्रेसी सदस्योंको (फिर वे किसी भी असेम्बली या संस्थामें हों) हिन्दुस्तानीमें ही अपने खयालातका बिजहार करना होगा ? हाँ, धुन लोगोंके लिभे, जो हिन्दुस्तानी बिलकुल नहीं जानते, कुछ रिबायत की जा सकती है। मगर धुन्हें भी निश्चित समयके भीतर ही हिन्दुस्तानी सीख लेनी होगी। मुझे यह अनुभव हुआ है कि उस असेम्बलीमें भी, जहाँ सभी लोग अच्छी तरह हिन्दुस्तानी जानते हैं, चाहे धुनमें अंग्रेज़ भी क्यों न हों, हमारे जिम्मेदार कांग्रेसी सदस्य अंग्रेज़ीमें ही बोलना पसन्द करते हैं। जिसको तो बन्द ही करना होगा। बरौर ऐसा किये देशकी कायापलट नहीं हो सकती, ऐसा हमारा खयाल है। कांग्रेस आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले रही है। कांग्रेसी सदस्योंको वहाँ भी हिन्दुस्तानीमें ही काम शुरू करना चाहिये।”

जिस खतके लेखकने ठीक ही लिखा है। अंग्रेज़ी भाषाका मोह अभीतक हमारे दिलसे दूर नहीं हुआ है। जबतक वह न छूटेगा, हमारी भाषायें कंगाल रहेंगी। काश, हमारी बड़ी सरकार, जो लोगोंके प्रति जिम्मेदार है, अपना कार-बार हिन्दुस्तानीमें या प्रान्तोंकी भाषाओंमें करे ! जिस कामके लिये उसके अमला-फेलामें, कर्मचारियोंमें, सब सूबोंकी भाषाके जानकार होने चाहियें। साथ ही, लोगोंको अपने सूबेकी भाषामें या राष्ट्रीय भाषामें लिखनेका बढ़ावा देना ज़रूरी है। ऐसा होनेसे हम बहुत-से खर्चसे बच जायेंगे, और जिसमें शक नहीं कि जिससे लोगोंको भी सुमीता होगा।

१५-९-'४६

('हरिजनसेवक' से)

हिन्दी या हिन्दुस्तानी

श्रीमती पेरीन बहन कैप्टन लिखती हैं :

“दिल्ली रेडियोपर मुझे यह सुनकर बड़ा दर्द और शर्म मालूम हुई कि विधान-सभाके कुछ अपने ही लोग हमारी उस राष्ट्रभाषाको गद्दीसे उतारना चाहते हैं जिसके लिभे हम बरसोंसे लड़ते रहे हैं। सबसे ज्यादा चोट लगाने-वाली बात तो यह है कि कांग्रेसके कभी पुराने लोग भी आज अिस तरह अपना दिमाग खो बैठे हैं कि जिस चीज़को अुन्होंने मेहनतसे बनाया, जिसे प्यारसे अपनाया, अुसीको तोड़ने पर अुतारू हो गये हैं। मुझे आशा थी कि हमारे बड़े बड़े नेता तो बुद्धिमानी और राजनीतिसे काम लेंगे। मेहरबानी करके साफ़ साफ़ लिखिये कि आप अिस बारेमें क्या चाहते हैं : (१) हमारी हिन्दुस्तानी-कमेटी क्या करे, (२) हमारे अीमानदार और त्यागकी भावनावाले हिन्दुस्तानी-प्रचारक क्या करें, (३) हमारे देशके रहनेवाले जो हिन्दू, मुसलमान, पारसी, अीसाअी और यहूदी कांग्रेसके ठहरावमें मानी हुई हिन्दुस्तानीको स्वीकार कर चुके हैं और अुसे प्यार करते हैं, वे क्या करें ?

“मैं जानती हूँ कि आप बहुतसे कामोंमें फँसे हुअे हैं। मगर अिस कामके लिभे भी आपको चन्द मिनट तो निकालने ही होंगे। क्योंकि मैं समझती हूँ कि यह अच्छे दिनोंमें मुल्कको अेक करनेवाली मज़बूत-से-मज़बूत कड़ियोंमेंसे अेक कड़ी है। हमने तो अखण्ड हिन्दुस्तानकी तसवीर ही अपनी आँखोंके सामने हमेशा रक्खी है और अुसीके लिभे सारी ज़िन्दगी काम किया है। कल हमारी अेक क्लासके, करीब २५ नौजवान मेरे पास आये और कहने लगे, ‘हमें तो हिन्दुस्तानी प्रिय है, साहित्यके

हिन्दी और अर्द्ध दोनों रूप प्रिय हैं । हम हिन्दुस्तानीका राष्ट्रीय महत्व भी जानते हैं । कुछ तंगदिल लोग क्यों हमारा क्षेत्र संकुचित करना चाहते हैं ?' कृपा करके हमारे दोस्तोंको दुश्मनी और नफ़रतके पंजेमें फँसकर दूरदेशी खोनेसे रोकिये । नहीं तो कन्याकुमारीसे लेकर काश्मीर तक और आसामसे लेकर सिन्ध तकके सारे देशको सच्ची दोस्ती और दिली मुहब्बतकी जंजीरमें बाँधनेकी अुम्मीद ख़तम हो जायगी ।”

श्री० पेरीन बहनकी तरह बहुतसे दूसरे देशभक्त भी, चाहे वे कांग्रेसवाले कहलाते हों या न कहलाते हों, बहुत दुःखी हैं । यह ख़त लिखे जानेके बाद राष्ट्रभाषाके सवालका फ़ैसला करीब दो माहके लिये मुलतवी हो गया है । जब विधान-सभा फिर मिलेगी, तब अिस चीज़का फ़ैसला होगा । यह अच्छी बात है । अिससे लोगोंको ठण्डे दिल और साफ़ दिमाग़से सोचनेका मौक़ा मिलेगा ।

हिन्दुओंको अपने प्रत्यक्ष या परोक्ष बरतावसे मुस्लिम लीगके अिस बयानको शलत साबित कर दिखाना है कि ‘ हिन्दुस्तानके हिन्दुओं और मुसलमानोंका धर्म अलग है, और अिसलिअे वे अेक नहीं बल्कि दो राष्ट्र हैं ।’ कांग्रेसकी पैदायशसे ही कांग्रेसवालोंने यह अैलान किया है कि हिन्दुस्तान अेक राष्ट्र है, जिसमें दुनियाके हर धर्म और हर फ़िरक़ेके लोग रहते हैं । कांग्रेससे कभी बार भूलें हुअी हैं । फिर भी कसौटीके समय अक्सर अुसने अपने अिस दावेको साबित कर दिखाया है कि हिन्दुस्तानके रहनेवाले सारे हिन्दुस्तानी अेक राष्ट्र हैं ।

पेरीन बहन दादाभाअी नौरोजीकी पोती हैं । वे हिन्दुस्तानके पितामह थे और हमेशा रहेंगे ।

फीरोज़शाह मेहता बम्बअी सूबेके बेताजके बादशाह बने और दादाभाअी नौरोजीकी मृत्युके बाद कांग्रेसमें अुन्हींकी चलती थी । यह अधिकार अुन्हें अुनकी निःस्वार्थ सेवाकी वजहसे मिला था ।

और बदरहून तैयबजी कौन थे ? वे अेक समय कांग्रेसके प्रेसिडेण्ट थे । क्या वे पक्के मुसलमान न थे ? मुसलमान होनेके कारण क्या

अनके हिन्दुस्तानी होनेमें कोअी कमी थी ? हिन्दुस्तानमें कअी धर्म हैं, मगर राष्ट्रीयता अेक ही है । और यह बात में आज भी कहनेकी हिम्मत करता हूँ, जब कि हिन्दुस्तानके दो टुकड़े हो चुके हैं । ये टुकड़े शायद लम्बे अरसे तक क्रायम रहें, मगर हमें अेक मिनटके लिअे भी अेक-दूसरेके दुश्मन नहीं बनना चाहिये । लड़ाअीके लिअे दोकी जरूरत होती है, ताली दो हाथसे बजती है, मगर दोस्ती अेक तरफसे भी हो सकती है । दोस्ती सौदा नहीं है । यह दोस्ती, जिसका दूसरा नाम अहिंसा या मुहब्बत है, बुझदिलोंका काम नहीं, बल्कि बहादुरों और दूरन्देश लोगोंका काम है ।

मैं पेरीन बहनकी जिस बातसे सहमत हूँ कि न तो देवनागरी लिपिमें लिखी हुअी और संस्कृत शब्दोंसे भरी हुअी हिन्दी और न फारसी लिपिमें लिखी हुअी, व फारसी लफ्जोंसे भरी हुअी उर्दू ही हिन्दुस्तानकी दो या ज़्यादा जातियोंको अेक दूसरीसे बाँधनेवाली जंजीर बन सकती है । यह काम दो दोनोंके मेलसे बनी हुअी हिन्दुस्तानी ही कर सकती है, जो दोनोंसे ज़्यादा स्वाभाविक है और देवनागरी या फारसी लिपिमें लिखी जाती है । हिन्दी और उर्दूका मिलाप स्वाभाविक तौरपर बरसोंसे होता आया है । सब कुदरती बातोंकी तरह यह भी धीमे धीमे हो रहा है, मगर हो रहा है, यह बात पक्की है । जिस तरह में उर्दू भाषा और लिपि सीख रहा हूँ, उसी तरह मेरा मुसलमान भाअी भी मेरी भाषा और लिपि सीखने-समझनेकी कोशिश करता है या नहीं, जिसकी मुझे कोअी परवाह नहीं । अगर वह अैसा नहीं करता, तो नुकसान उसीका है । मैं तो उसकी भाषा सीखकर फ़ायदा ही अुठाता हूँ । मैंने कअी मौलवियोंसे बातें की हैं । हिन्दुस्तानीमें अुन्हें अपनी बात समझानेमें मुझे कभी दिक्कत नहीं मालूम हुअी, अगरचे मैंने अुनकी फारसी शब्दोंसे भरी अूंची उर्दू बोलनेका ढाँग करनेकी कभी कोशिश नहीं की । क़रीब क़रीब सब मौलवी हिन्दी या हिन्दुस्तानी नहीं जानते । अुसमें नुकसान अुनका है । मैंने तो हमेशा फ़ायदा ही अुठाया है । मुझे विश्वास है कि जो बात मेरे लिअे सच है, वह दूसरे बहूतोंके लिअे भी सच है ।

अब पेरीन बहनके खास सवालॉको लूँ :—

१. हिन्दुस्तानी-कमेटीके हरअेक मेम्बरको अपने अक्कीदेपर अमल करना है, यानी अुसे दोनों लिपियाँ सीखनी हैं और हिन्दी और अुर्दूकी मिलावटसे बनी हुआ भाषा हिन्दुस्तानीपर क्राबू पाना है । यह तमी होगा जब सादी हिन्दी और सादी अुर्दूका मेहनतके साथ अभ्यास किया जायगा । और यह पहली जरूरत पूरी करनेके बाद, यानी खुद हिन्दुस्तानी सीख लेनेके बाद अुसे (मेम्बरको) चाहिये कि वह दूसरोंको हिन्दुस्तानी सीखनेके लिअे कहे ।

२. अगर हिन्दुस्तानी-प्रचारक अीमानदार और त्यागी हैं, तो अुनके आसपासके वातावरणपर अुनकी बातका असर पड़े बिना न रहेगा ।

३. जो लोग हिन्दुस्तानीको राष्ट्रभाषा मानते हैं और अुसे प्यार करते हैं, अुन्हें अिसका सबूत देनेके लिअे अुन लोगोंसे हमेशा सिर्फ हिन्दुस्तानीमें ही बोलना चाहिये या खत लिखना चाहिये, जो अुनकी मादरी ज़बान नहीं जानते । अिस तरह तामिलनाडुका आदमी अपने यहाँके आदमीसे तामिलमें ही बोलेगा, मगर दूसरे प्रान्तोंके लोगोंके साथ हिन्दुस्तानीमें बात करेगा; आजकी तरह अंग्रेज़ीमें नहीं ।

३-८-४७

(' हरिजनसेवक 'से)

गरवीला गुजरात भी ?

श्री मगनभाभी देसाभीने श्री रतनलाल परीखके साथ हुअे अपने पत्र-व्यवहारकी नकल मेरे पास भेजी है । श्री रतनलालके खतमें यह लिखा है :

“अखबारोंमें कांग्रेस पार्टीका हिन्दी भाषाके बारेमें जो निर्णय छपा है, उसका लोगोंपर बहुत असर पड़ा है । अर्दू लिपिसे अन्हें अितनी चिढ़ हो गयी है कि वह जिन्दा चीज़ नहीं, यही खैरियत है । कट्टर कांग्रेसी भी अब तो अर्दूका विरोध करने लगे हैं । अिसलिअे अगली फरवरीमें होनेवाली हिन्दुस्तानी परीक्षाओंमें विद्यार्थियोंकी तादाद शायद बहुत घट जायगी ।”

मैं आशा करता हूँ कि यह बात सच नहीं है । गुजरात अैसी नादानी नहीं कर सकता । मुझे अर्दू लिपि लिखनेवालेसे की जानेवाली नफ़रत पसन्द नहीं, फिर भी मैं असे समझ सकता हूँ । मगर लिपिसे नफ़रत कैसी ? अैसा करनेमें मुझे गुजरातियोंकी व्यापारी बुद्धिकी कमी दिखायी देती है । अिसमें विचारका अभाव मालूम होता है । गुजराती लोग व्यापारमें दुश्मन और दोस्तमें कोअी फर्क नहीं करते । दोनोंका पैसा अन्हें प्यारा लगता है । अैसी व्यवहार-बुद्धि वे राजनीतिमें क्यों नहीं दिखाते ?

मुझे तो दिल्लीमें रोज हिन्दू और मुसलमान मिलते रहते हैं । अिनमेंसे ज़्यादातर हिन्दुओंकी भाषामें संस्कृतके शब्द कमसे कम रहते हैं, फ़ारसीके हमेशा ज़्यादा । नागरी लिपि तो वे जानते ही नहीं । अउनके खत या तो अर्दूमें या टूटी-फूटी अंग्रेज़ीमें होते हैं । अंग्रेज़ीमें लिखनेके लिअे मैं अन्हें डाँटता हूँ, तो वे अर्दू लिपिमें लिखते हैं । अगर राष्ट्रभाषा हिन्दी हो और लिपि नागरी, तो अिन सबका क्या हाल होगा ?

लेकिन मैं यह कबूल करता हूँ कि हिन्दुस्तानीपर मेरा ज़ोर मुसलमान भाअियोंके खातिर है । यहाँ मैं गुजरातके मुसलमानोंकी बात नहीं करता ।

वे तो अर्दू जानते ही नहीं । वे बहुत मुश्किलसे अर्दू सीखते हैं । उनकी मातृ-भाषा गुजराती है । लेकिन अत्तरके मुसलमानोंकी भाषा हिन्दुस्तानी है, अर्दू नहीं । यानी उनकी भाषा आसान अर्दू है । गाँवोंके करोड़ों हिन्दू-मुसलमानोंका किताबोंसे बहुत कम लेना-देना होता है । उनकी बोली हिन्दुस्तानी है । जिस बोलीको मुसलमान अर्दू लिपिमें लिखेंगे, और कभी हिन्दू नागरीमें और कभी अर्दू लिपिमें लिखेंगे । जिसलिसे मेरा और आपका यह धर्म है कि हम दोनों लिपियोंमें लिखें । जिस धर्मको गुजरातके भाभी-बहनोंने समझ-बूझकर अब तक पाला है । अन्होंने ऐसा करनेमें आनन्द माना है, कडुवा घूँट नहीं पिया है । अब क्या अर्दू लिपि अुनके लिसे कडुआ हो गयी है ? मेरे लिसे तो वह आजके ज़हरीले वातावरणमें ज़्यादा मीठी बन गयी है । मुझे आज पाकिस्तानके बाहरके मुसलमान ज़्यादा प्रिय लगते हैं । अन्हें अपनी रक्षाके लिसे पाकिस्तानकी तरफ़ नहीं देखना है । अगर ऐसा हुआ, तो यह मेरे और आपके हिन्दू धर्मके लिसे शर्मकी बात होगी । सनातन हिन्दू धर्म ओछा नहीं है । वह बड़ा अुदार धर्म है । वह कुअेंके मेंढककी तरह कुअेंको ही अपना देश नहीं मानता । वह अिन्सानका धर्म है । महाभारतके अेक मलयाली टीकाकारने कहा है कि महाभारत अिन्सानका अितिहास है । यही ठीक है । मगर ऐसा हो, या न हो, हिन्दू शब्द संस्कृतका नहीं है । सिन्धुके अिस पार रहनेवालोंको परदेशियोंने हिन्दू कहा और हमने यह शब्द पचा लिया । मनु किसी अेक आदमीका नाम नहीं है । अुनका बनाया हुआ शास्त्र मानव-धर्म-शास्त्र कहा जाता है । यह शास्त्र अिन्सानका है । अिसमें असल श्लोक कौनसे हैं और वादमें कौनसे जोड़े गये हैं, यह कहना मुश्किल है ।

बाबू भगवानदास कुछ श्लोकोंको क्षेपक मानते हैं । आर्यसमाजने दूसरे कुछको क्षेपक माना है । श्लोकोंके अर्थ बैठानेमें भी कुछ बहस हुयी है । मैं तो यह मानता हूँ कि अुसमेंसे अज़लमन्दके दिल और दिमागको जो जँचे, वही मानव-धर्म-शास्त्र है । अुसमें सुधारनेकी व बढ़ानेकी हमेशा गुंजाअिष रही है । क्षेपक श्लोक भी अलग-अलग युगोंके अपने आपको सुधारक माननेवाले लोगोंके सफल या असफल प्रयत्न हैं ।

ऐसा मानव-धर्म-शास्त्र सब अिन्सानोंपर लागू होना चाहिये । अुसमें जात-पाँतका भेद नहीं हो सकता । अुसके लिये कोअी हिन्दू नहीं, मुसलमान नहीं, पारसी नहीं, अीसाअी नहीं, बल्कि सब अिन्सान हैं । अैसे शास्त्रको माननेवाले किसी तरहका भेद-भाव कैसे रख सकते हैं ?

‘अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्’ अिस सनातन श्लोकके आधारपर मेरे और आपके लिये तो, यह हिन्दुस्तान है और यह पाकिस्तान है, अैसा भेद ही नहीं रहना चाहिये । आज भले अैसा माननेवाले आप और मैं दो हूँ, मगर हम सच्चे होंगे, सच्चे रहेंगे, तो कल सब हमारे जैसे ही बन जावेंगे ।

कांग्रेसकी हमेशा अैसी ही विशाल दृष्टि रही है । आज अिस दृष्टिकी और भी ज़्यादा ज़रूरत है । हिन्दुस्तानके टुकड़े बंदूकके ज़ोरसे हुअे हैं । बंदूकके ज़ोरसे अुन्हें जोड़ा नहीं जा सकता । दोनोंके दिल अेक होंगे, तभी वे टुकड़े जुड़ेंगे ।

आजकी तैयारी अिससे अुलटी है । अिस हालतमें कांग्रेस-जनोंको मज़बूत रहना चाहिये । राष्ट्रभाषा दो नहीं, अेक ही हो सकती है । वह संस्कृतसे भरी हिन्दी या फ़ारसीसे भरी अुर्दू नहीं हो सकती । वह तो दोनोंके सुंदर संगमसे ही बन सकती है, और अुर्दू या नागरी किसी भी लिपिमें लिखी जा सकती है । गरवीले गुजरात, तू अिस तूफानके सामने झुक न जाना ! जिन दाँतोंने धान चबाया है, वे क्या कोयला चबावेंगे ? मेरी चले, तो अैसा कमी न होने दूँ ।

‘प्रेम पंथ पावकनी ज्वाळा, भाळी पाळा भागे जोने ।’

यह प्रीतम (कवि) ने हम सबके लिये गाया है । हम अुसपर अमल करें । अुदू लिपिसे भागकर कायरोंकी तरह पीछे न हटें ।

१०-८-४७

(‘हरिजनसेवक’से)

सूची

अण्णा १७८

अक्षर-ज्ञान और चारित्र्य ६३-६६,
अक्षर-ज्ञानका प्रचार (और अेक
लिपिका प्रश्न) २८-३०, ४७,
५०-५१, ८६, १०७

अखिल भारतीय साहित्य परिषद्
४८, ५०, ५१, ५९, ६७, ६९,
७९-८०, ८९, १५७, १५८

अखिल भारतीय हिन्दुस्तानी प्रचार
सम्मेलन १५२

अखिल भारतीय हिन्दुस्तानी प्रचार
सम्मेलन और अुसके ठहराव
१५९-६०

अप्रवाल, श्रीमन्नारायण १५२, १५३,
१६५, १६९, १७०, १८६, १८७

अदालतकी भाषा १४, २३, ९०, १६१

अपभ्रंश भाषाअें १३२

अब्दुल हक, मौलवी ६०, ७२, ८०,
९३, १००, १०२, १५२, १५७,
१५८, १६६, १७०

अबुलकलाम आज़ाद, मौलाना १०२,
१५८, १९८-९९

अमीर खुसरो १३१, १३३

अयोध्यानाथ पंडित ५९

अरबी लिपि ११, ४४, ६८ (देखिये
अूर्दू लिपि)

अर्द्ध मागधी १३१, १३५

अलीभाउमी ६८

अवहृथ्य १३२

अशरफ़, डॉक्टर ६१

अंग्रेज़ व्यापारीके लिअे भाषा-विचार २७

अंग्रेज़ सरकार और अेक राष्ट्रभाषा
३-५, १४, २६-२७, ४३, ११०-११

अंग्रेज़ सरकार और शिक्षण-पद्धति ११७

अंग्रेज़ी और गांधीजी ११६-१७,
१४१, १५५, १८३-८५, १९६-
९७, २०८

अंग्रेज़ीका स्थान ४-५, २३, ४३, ५६,
८५, ११९, १४१, १९६-९७

अंग्रेज़ी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती
४-५, १७-१९, २५-२७, ३५, ४३,
५०, ५३-५४, ५६, ५९, ६२, ६६,
८२, १४१, १७९-८०

अंग्रेज़ीका असर १७३, १७७

अंजुमने-तरक्की-अे-अूर्दू ११९

आक़िल साहब ७२, ७६

आनन्द कौसल्यायन १५०, १५६,
१५७, १५८, १६९

आर्य संस्कृति (हिन्दू संस्कृति भी
देखिये) ६९, १०१

अिस्लामकी संस्कृति ७०, १०१, १०४

अूर्दू ५, ६, ११, १२, ३०, ४४, ५५,
६०, ६७, ६८, ७१-७४, ८७-८९,
१००-१०२, ११४, ११८, ११९,

१२३, १२४, १२९, १३०, १३८-
 ४०, १४२-४३, १४५, १४८,
 १४९, १५१, १७७, २०३-२०५
 अर्दूकी व्याख्या ११८-१९, १२३-
 २६, १४५
 अर्दू लिपि ३, ५, ३४, ४७, ५०, ५५,
 ६२, ६८, ७२, ७८, ८०, ८६,
 १०४, १०७, १२६, १६३, १९५
 अर्दू लिपिका शिक्षण १२६-२७
 अर्दू शब्द ७९, ८०, ८१, ८८
 अस्मानिया युनिवर्सिटी १००, १०२
 अड्डिया १६७
 एनी बीसेंट १२, १५, १६
 अस्पेरान्टो ५, १८०
 ओ० अेन० ख्वाजा १८६
 कबीर १३१, १३४-३६
 कराची काँग्रेस ३३-३४
 करीमभाभी वीरा १९२
 काका साहब ४२, ४७-४९, १०४,
 १२८, १४७, १७०, १८६,
 १८७, १८९, १९१, १९४
 कानपुरका ठहराव २४, १०८
 कांगड़ी गुरुकुल ३१
 कुरान शरीफ १०५
 कृष्णस्वामी, स्व० न्यायभूर्ति १७, १७३
 काशी विद्यापीठ १६८
 काँग्रेस और राष्ट्रभाषा २४, ३३-
 ३४, ५८-६२, ७३, ९७, १०१,
 ११८, १२७, १४०, १४५, १४८

काँग्रेसकी सरकार और हिन्दुस्तानी-
 शिक्षण ९५-९७, २०५-७
 काँग्रेसमें राष्ट्रभाषाका उपयोग १३,
 १५, ३२, ३३, ५९, ६१, ६२, ९८,
 ९९, १०९, १४८, २०७-९
 काँग्रेस क्या करे? ९८-९९, १०२,
 १०३, ११९
 किशोरलाल मशरूवाला १७१, १७२
 खड़ी बोली १२९
 खालिक्वारी १३३
 गांधीजी और अंग्रेज़ी (अंग्रेज़ीमें
 देखिये) १४१, १७९, १८०,
 १९४, १९५
 गांधीजी और टण्डनजीका पत्र-व्यवहार
 १६३-७२
 गांधीजी और हिन्दी ४४, १५७-५९,
 १९९, २००, २०२-५, २११
 गांधीजी और अर्दू १५७-५८, १९९-
 २००, २०२-३, २०४, २०५, २११
 गांधीजी और हिन्दुस्तानी प्रचार-सभा
 १४४-४७, १९३
 गांधीजी और हिन्दी साहित्य-सम्मेलन
 (हिन्दी साहित्य-सम्मेलनमें देखिये)
 १५६-५८, १६३-७२
 गांधीजीके साहित्यके बारेमें विचार
 ५०-५१
 गांधीजीसे शिकायत और उनका जवाब
 ६७, ७३-७८, ७९, ८१, १०६,
 १२१-२६
 गिरिसजजी १९२

- गुजरात-शिक्षा-परिषद् ३-८
 गुजरातमें राष्ट्रभाषाका प्रचार ४२,
 १४७-५०, १८९-९४
 गुजरात हिन्दुस्तानी-प्रचार-समिति
 १८९-९३
 गुजराती १६७
 गुरुग्रन्थ १३४
 गुजरात विद्यापीठ १९०, १९१, १९२,
 १९३, १९४
 गोपबन्धु चौधरी ४१
 गो-सेवा संघ १८४, १८५
 गौरीशंकर ओझा १३३
 ग्रियर्सन १३३
 चन्द्रशेखर रमण, सर ५९
 चेम्सफोर्ड, लॉर्ड १९९
 चैतन्य ४८, ४९, ५७
 जगदीश बसु १७
 जमनालालजी ४०, १२६, १५३, १५६,
 १७७, १८४
 जवाहरलालजी ७९, ९०-९२, १५८
 जानकीबायी १८४
 जापानका शुदाहरण १११-१२
 ज्ञाकिर हुसेन, डॉ० १८६
 जामिया मिलिया १६८
 जीवणजी देसायी १९२, २००
 जुगतराम दवे १८६, १९२
 जुद्ध १९४
 टण्डनजी, पुरुषोत्तमदास १३, ६८,
 ७७, ७९, १४४, १६३-७२, १९०
 टेगौर, रवीन्द्रनाथ १२, ४५, ५७,
 ७२, १२४
- टेस्लीटोरी १३२
 ताराचन्द, डॉ० १२८, १३०, १५२,
 १५६, १६०, १७०, १८६-८७
 ताराचन्दजीकी हिन्दुस्तानीकी व्याख्या
 १३१
 तिरुवेल्लुवर ४८
 तिलक, लोकमान्य १२, १५, ५७, ११५
 तुकाराम ४८
 तुलसीदासजी ४५, १०१
 तुलसीदासजीकी रामायण ५७
 दक्षिण भारतमें हिन्दी-प्रचार १७,
 १८, २०, २१, २५, २६, ३२, ३३,
 ३५, ३६, ३७-४०, ५२, ६३, ६४,
 १५१, १७३-८०
 दक्षिण भारतमें हिन्दी-प्रचार और
 कांग्रेस सरकार ९५-९७
 दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार-सभा
 ४०, १७३ (द०भा०में हिन्दी प्रचार
 भी देखिये ।)
 दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार-सभा
 १७३-८० (रजत जयंती श्रुत्सव)
 दयानन्द सरस्वती १७
 दादाभायी नौरोजी २१०
 द्राविड़-प्रान्त और भाषाओं (देखिये
 दक्षिण भारतमें हिन्दी-प्रचार)
 देवनागरी ३, ५, ११, २३, २८-३१,
 ४४, ४६, ५०, ५६, ६२, ६८, ७२,
 ७८, ८३, ८६, ८९, १०४-६,
 १२५, १३७, १३८, १५१
 देवप्रकाश नय्यर १८६

देशी भाषाके अखबार बनाम अंग्रेज़ी
भाषाके अखबार १९६-९७
देशी भाषाओं (देखिये प्रान्तीय भाषाओं)
घना १३४
धारासभाकी भाषा १३, १६१, १६२
धीरेन्द्र वर्मा १३६
नवजीवन संस्था १९०, १९३
नरसिंह मेहता ४९
नागर भाषा १३२
नागरी (देखिये देवनागरी) १४०,
१४१, १५१, १६३, १८९, १९५,
२०४, २११
नागरी-प्रचारिणी सभा १००, १६८
नाणावटी, अमृतलाल १४७, १४८,
१५३, १८६, १८७, १८९, १९१,
१९२
नानाभाभी भट्ट १९२
नामदेव १३४
निज़ाम राज्य और अर्दू-प्रचार १४२
न्यू अिण्डो आर्यन भाषाओं १३२
पश्चिम हिन्दुस्तानमें हिन्दी-प्रचार ४२
पंजाबमें हिन्दी-प्रचार ४२
प्यारेलालजी १६७, १८६
पाली १३१, १३५
पीताम्बरदत्त बड़धवाल १३४
पीपा १३४
पूर्व हिन्दुस्तानमें हिन्दी-प्रचार ४१
प्रफुल्लचन्द्र राय ४५
पृथ्वीराजरासो १३३
प्राकृत भाषाओं १३१-३२

प्रान्तीय भाषाओं १४, १८, १९, २३-
२६, ३०-३३, ४२-४३, ४६, ४७,
५०, ५१, ५६, ५७, ५८, ५९, ६७,
६९, ८५, ९०, १०७, ११४, ११८,
१३८, १३९, १७४, १७७, १८१
प्रान्तीय भाषाओं और राष्ट्रभाषा १७४
(राष्ट्रभाषामें देखिये)
प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग
१६७
प्रान्तीय भाषाओं और अंग्रेज़ी १०८-९
११६-१७, १८०
प्रान्तीय भाषाओंके लिये अेक लिपि २८-
३१, ४६-४८, ५०, ५६, ७२, ७३,
८५, ८६, १०५-७
प्रान्तीय लिपियाँ ('संस्कृतकी पुत्रियाँ'
में देखिये)
प्रान्तीय लिपियों द्वारा राष्ट्रभाषा-प्रचार
१३९
पेरीन बहन १६६, १६९, १८८,
२०९, २१०, २११
प्रेमा कण्ठक १८६
फ़ारसी लिपि (अर्दू लिपि भी देखिये)
११, २३, ३०, ६८, १३७,
१३८, १४१, १५१, २०४, २११
फ़ारसी-अरबी शब्द ६, ७, ११, ३३,
४४, ७१, ७६, ७७, ८८, ९९,
१०१, ११४, १२२, १२९, १३७
फ़ीरोज़शाह मेहता २१०
बदरुद्दीन तैयबजी २१०
बनारसीदास चतुर्वेदी ४१, ४५
बनहट्टी श्री० ना० १८७

षबलभाभी महेता १९२
 बंकिमचन्द्र १२४
 बंगालमें राष्ट्रभाषा-प्रचार २१, ४१, ४३
 बंगाली १६७
 बंगाली राष्ट्रभाषा ? ६, ७, ५७
 बम्बई-सरकारके गश्तीखत २०५-६
 ब्रजभाषा १२८, १२९-३०, १३१,
 १३२, १३३, १३४, १३५, १३६
 ब्रजकिशोर बाबू १८२
 बाबा राघवदास ४१
 बुद्ध १३५
 बुहलर १३३
 बुन्देली १३२
 भगवानदास बाबू ९९, १०३
 भारतीय साहित्य (अ० भा० साहित्य
 परिषद्में भी देखिये) ४८-५२
 भारतीय संस्कृति ६९-७१, १०१, ११६
 भाषा और लिपिपर टण्डनजीके विचार
 १६३-७२
 मगनभाभी देसायी १८६, १९२
 मराठी १६७
 मुहम्मदअली, मौलाना ९९
 मुहम्मद शेरानी, प्रो० १३३
 महाराष्ट्री १३१
 महावीर १३१
 मानपत्रोंकी भाषा २५-२६
 मातृभाषाओं (देखिये प्रान्तीय भाषाओं)
 मालवीयजी ५, ३७, ९९, १०३,
 १११, ११२, ११३

मुस्लिम लीग २१०
 मुन्शी कन्हैयालाल ४९, ७१, ७६
 मुन्शी प्रेमचन्द ७५
 मोतीलालजी, पण्डित ९९
 मोरारजी देसायी १९२
 यशोधरा दासप्पा १८६
 याकूबहुसैन ५९, ६०
 युद्ध-परिषद्में हिन्दुस्तानी २७
 रमादेवी चौधरी ४१
 रमाबायी १८४
 राजस्थानी १२९, १३४, १३५
 राजा और भाषाकी सेवा १४, ८७
 राजाजी ९७
 राजेन्द्र बाबू ६५, ६८, ७९, ९३,
 १०२, १४५
 राधाकृष्णन्, सर ११०, ११२
 रानडे, न्यायमूर्ति १८४
 रामकृष्ण ५७
 रामनरेश त्रिपाठी २०३, २०५
 रामचन्द्र शुक्ल १३३, १३५
 राममोहनराय, राजा १८, ५७
 रामानन्द बाबू ४१
 राष्ट्रभाषा और अंग्रेज़ी (अंग्रेज़ीमें भी
 देखिये) ४, ५, १६, १९, ३५,
 ४३, ४४, ५३, ८५, ९८, १०८,
 १०९, ११०, १११, ११७,
 ११८-१९, १२४, १९८, १९९
 राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति १४७
 राष्ट्रभाषा-प्रचार-सभा और हिन्दुस्तानी
 प्रचार-सभा १६५, १६९

राष्ट्रभाषा और अेक लिपिके प्रश्नको मत
 अुलझाअिये २९, ५६, १५४-५५
 राष्ट्रभाषा और धर्म, जाति वगैरा ८९,
 १२०, १२३, १७७, २०१-३
 राष्ट्रभाषा और प्रान्तीय भाषाअें ३०,
 ३३, ३५, ४३, ४४, ४६, ५३-५६,
 ८२, ८५, ८९, ९५-९९, १२४, १४२
 राष्ट्रभाषा और प्रान्तीय भाषाअोंका
 तुलनात्मक व्याकरण १३
 राष्ट्रभाषा और साम्राज्यका विचार
 ४-६, १९
 राष्ट्रभाषा कौनसी हो? ३-४, ३५, ५३-
 ५५, ५६, ५७, ६८, ७१-७३, ८५,
 ८८, ८९, ९०, १०१, १०३-४, १४२
 राष्ट्रभाषाकी पाठ्यपुस्तकोंके वारेमें
 ४५, ४६, १४०
 राष्ट्रभाषाके लक्षण ४-५, ११, ५२-५४,
 ७९, १०३, १०४, १०९, १४२
 राष्ट्रभाषाकी दो शैलियाँ — साहित्यिक
 रूप ६०, ६५, ६८, ७२, ८०,
 ८८, ८९, १००-१, १०३, ११८-१९,
 १२४, १२५-२६, १४५-४६, १४८,
 १५०, १५१, १७१, १८१
 राष्ट्रभाषाका नाम ('हिन्दी' 'हिन्दी-
 हिन्दुस्तानी', 'हिन्दुस्तानी'में भी
 देखिये) ४४, ५५, ६०, ६१, ६८, ६९,
 ७२, ७३, ७८-८०, ८८-८९, १००-
 १०१, १०८, १२१, १३१-३२, १५२
 राष्ट्रभाषाका पूरा ज्ञान, किसके लिअे?
 १३९, १४२-४३, १४९

राष्ट्रभाषाका व्याकरण १३, ५५, ८०,
 १४६
 राष्ट्रभाषाका शब्द-भण्डार ५-६, ११, ४४,
 ४५, ५४, ६१, ७०, ७१, ७५, ७६,
 ७८, ९४, ९८, ९९, १२०, १२४, १२५
 राष्ट्रभाषाकी शिक्षा ८४, ८९, ९५-९७,
 ११९-२०, १२२, २०५-७
 राष्ट्रभाषाका साहित्य कैसा हो? ४६
 राष्ट्रभाषाका कोश ९४, १०२
 राष्ट्रभाषाका प्रचार ८, १३-१४, २०,
 २१, २५, २६, ३२, ३३, ३७-४२,
 ५३-५५, ६१, ६२, ११९-२०,
 १२६-२७, १४७, १५१, १९३
 राष्ट्रभाषा-प्रचार, अेक रचनात्मक कार्य
 १०८-९ [१९३
 राष्ट्रभाषा और बहनें ५२, ५३, ६३, ६४,
 राष्ट्रभाषा और चारित्र्य-शुद्धि ६३
 राष्ट्रभाषाका प्रचारक, (प्रतिज्ञा और
 तैयारी) ६१-६४, १०३-४, २१२
 राष्ट्रभाषाके लिअे फण्ड ९८, ९९, १०२
 राष्ट्रभाषाके विरोधी तीन दल ६५, ६६
 राष्ट्रलिपिका प्रश्न ३, ५-६, ११, ४६-४७,
 ५५, ७२, ७८, ८३-८६, ८९, १०५,
 १०६, १३९, १४०, १९४
 राष्ट्रलिपि दो हैं ३, ५, ११, ६०, ६५,
 ७२, ७८, ८३, ८५, ८६, ९०, ९८,
 १००, १०४-६ ११४, ११९,
 १२६, १५६, १६४, २०७
 राष्ट्रलिपि दोनों सीखो ९८, ११९, १३७,
 १३८, १३९, १४०, १४१, १४९,
 १५०, १५५, १५६, १५७, १५८,
 १७३, १७८

राष्ट्रलिपि अेक कौनसी और कैसी हो
सकती है ? (अुर्दू और देवनागरीमें
भी देखिये) ६, ११, ५०, ५१, ८४,
१०४-६, १३८

राष्ट्रीय अेकता (हिन्दू-मुस्लिम अेकता
भी देखिये) ४६-४७, ५०, ५३,
५५-५६, ६०, ७२-७३, ८३, ८४,
८९, ९५, ९६, ९७, १००-१, १०९

रैदास १३४

रैहाना तैयबजी १८७

रोमन अुर्दू १९४

रोमन लिपि ५०, ८९, ९१, १०४-६,
१३७, १४१, १९४, १९५

रोमन हिन्दी १९४

* लिपि और अक्षर-ज्ञान-प्रचार (अक्षर-
ज्ञान-प्रचारमें देखिये)

लिपि और राष्ट्रभाषा (राष्ट्रलिपिमें
देखिये) १३९, १४०, १४१, १९४

लिपियोंकी रक्षा (कराची ठहराव)
३३-३४, ४६-४७, ४८, ८३-८४

लिपियोंकी शिक्षा १३८, १५५, १५८

लिपि-सुधार ४२, ४६-४७, ९०

लेडी रमण ५४

वल्लभभाभी १५८, १९२

वल्लभाचार्य १३५-३६

वाभिसराय ३, २७

विजय राघवाचार्य, सर टी० ३२

विठ्ठलदास कोठारी १९२

विवेकानन्द ५७

विद्यापीठ मंडल परिपत्र १९१

विधान-सभा २०९-१०

विशाल भारत ४१

वीलापुक १८०

शिक्षामें राष्ट्रभाषा ७-८, १९, ३२-३३

शिवली, मौलाना ६०, १०१

शृंगार रस ४५

श्रीनाथसिंह १८६

श्रीपाद जोशी १८६

शौरसेनी १३१-३२

श्यामसुन्दरदास, बाबू ६०, १३४

सत्यनारायणजी १७३, १७८, १७९,
१८६, १८७

सप्रू, सर तेजवहादुर ९९

संस्कृतकी पुत्रियों ७, ३८, ४६, ५५,
८५, १०५, १०६, १०७, १०८

संस्कृतका ज्ञान ३, १२, ३१, ५६, ६५

संस्कृत शब्द ६, ११, १२, ३०, ३९,

४४, ५५, ७१, ७६, ७७, ८०, ८८,

९९, १०१, ११४, १२१, १५८

संस्कृति (आर्य, अिस्लामी, हिन्दी,
हिन्दू अिन अिन नामोंमें देखिये)

सूरदास १०१, १२९, १३०, १३१, १३६

सुशीला नय्यर, डॉ० १८६

सुलेमान नदवी, सैयद ७३, १६०

सुदर्शन १८७

सेन १३४

सैयद महमूद, डॉ० १८६

स्वभाषा ('प्रान्तीय भाषाओं' देखिये) १५५

स्वराज और भाषाका प्रश्न (हिन्दू-मुस्लिम

अेकता भी देखिये) १३-१४, २३, ३४-

३५, ४३, ५०, ५५-५६, ५९-६०, ७३,

८३, १०८, १०९, १२७, १४९

- हरिहर शर्मा, पण्डित ४०, ४२
हरिजन सेवककी भाषा १८२, १८८,
२००
हरिजन १८२
हरिभाषू अुपाध्याय १८६
हंस ७१, ७५
हिदायत हुसैन, डॉ० १३३
हिन्द-स्वराज ३
हिन्दी (व्याख्या — राष्ट्रभाषा) ३, ५, ७,
११, १९, २२, २५, २६, २७, ३०,
३५, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४८,
५४, ५५, ५७, ६०, ६४-६५, ६८-
६९, ७२, ७६, ७८-७९, ८७-८८,
१००, १०८, ११९-२०, १२४,
१२५, १३७, १३८, १४५, १४७,
१५६
हिन्दी शब्द ६०, ६१, ७९, ८०, ८१,
८८, १६३, १६४
हिन्दीका व्याकरण १३
हिन्दी और अुर्दू (अलग अलग हैं ?
अेक हैं) ५, ६, ११, ३०, ५५, ८८,
१०१, १०३, ११९, १२३, १२४,
१४०, १४५, २०५
हिन्दी और अुर्दू—दो शैलियाँ (देखिये
राष्ट्रभाषाकी दो शैलियाँ) १४५, १६४
हिन्दी और अुर्दूका अितिहास ७, ११,
६१, ६८, ७५, ८०, १२५, १२८
हिन्दी और अुर्दूका झगडा ५-६, ११-
१३, ३०, ५०, ५१, ५५, ७३-७७,
८८, ८९, ९८-१००, ११९-२०,
१२४, १२५, १४९, २०२-३
हिन्दी-अुर्दू १३, १६, २४, ३०, ८०,
८१, १०३-४, १४९, १५७-५८,
१६७, २०३-४
'हिन्दी यानी अुर्दू' १०३-४, १५७
हिन्दी पदवीदान-समारम्भ (बंगलोर) ५२
हिन्दी पदवीदान-समारम्भ (मद्रास)
५७, ६३
हिन्दी साहित्य और शृंगार रस ४५
हिन्दी साहित्य सम्मेलन ८, १८, ३७,
४०, ४६-४७, ५८-६०, ६५, ७०,
७४, ७९, ८७, ८९, १००, ११९,
१२५, १३७, १४४, १४५, १४७,
१४९, १५६, १५८, १६३-१७०,
१७७, १८९
हिन्दी प्रचार-सभा १७३, १७७
हिन्दी साहित्य सम्मेलन और हिन्दु-
स्तानी-प्रचार-सभा १४४, १५०,
१५१, १६४, १६६, १६७
हि० सा० सम्मेलनकी परीक्षाओं और
पाठ्य-पुस्तकें ४५-४६, १९३
हि० सा० सम्मेलनकी परीक्षाओं और
हिन्दुस्तानी प्रचार १४७, १४९
हिन्दी-हिन्दुस्तानी (हिन्दी यानी हिन्दु-
स्तानी) ३५, ४४, ४९, ५२-५४,
६०-६१, ६५, ६७, ६९, ७२, ८०,
८३, ८९, १२१, १२९, २०९
हिन्दू-मुस्लिम अेकता (राष्ट्रभाषा और
लिपिकें साथ सम्बन्ध) ३, ५, २९-
३१, ४३-४४, ४७, ५०-५१, ५५-
५६, ६०-६१, ६७-६८, ७०-७१,
७६-७७, ८५-८६, ८८-८९, ९९-
१०१, १०५, ११४-१५, ११९,

- १२०, १२२, १२५, १२९, १३७,
१४८, १५७, २०९
- हिन्दू विश्व विद्यालय १०३, ११३,
११४, ११५, ११६, १२१
- हिन्दू संस्कृति १११, ११५, ११६
- हिन्दुस्तानी (व्याख्या — राष्ट्रभाषा है)
१५-१८, २३-२७, ३०, ४४, ५०,
५५, ६०-६१, ६२, ६८-६९, ७३,
७८, ८०, ८१, १०८-९, ११८-१९,
१२४, १२८, १४५, १४८, १७९,
१८१, १८८, १९८-९९, २०७, २११
- हिन्दुस्तानी अकेडेमी १६४
- हिन्दुस्तानी कमेटी २०९, २१८
- हिन्दुस्तानी नगर १८१
- हिन्दुस्तानीके बारेमें डॉ० ताराचन्द्रका
मत १३८-३०
- हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा, बम्बयी १८२
- हिन्दुस्तानी प्रचारक १८७
- हिन्दुस्तानी बोलीका अितिहास १२८,
१२९, १३०
- हिन्दुस्तानी=हिन्दी+अर्द्ध ११८-१९,
१२२, १२६-२७, १२९, १४५-
४६, १५४-५५, १७९, १८१,
१८८-८९, १९९, २००, २०२,
२०३, २०७, २११
- हिन्दुस्तानी = हिन्दी = अर्द्ध १२१,
१२६, १२९
- हिन्दुस्तानी और हि० सा० सम्मेलन
११९
- हिन्दुस्तानीकी धनियॉ १२९
- हिन्दुस्तानी परीक्षाओंका कार्यक्रम
१८६-८७
- हिन्दुस्तानी प्रचारक मद्रसा १८७
- हिन्दुस्तानी प्रचारके लिअेनअी संस्थाकी
ज़रूरत है ११९, १२५, १४४
- हिन्दुस्तानीकी परीक्षाओं १८६
- हिन्दुस्तानी प्रचार-सभा, वर्धा और
अुसकी कार्रवाजी १८६
- हिन्दुस्तानी बोलनेके लिअे दो शैलियॉ
जानना चाहिये ९९, १०३, १२३,
१२४, १४८, १५०, १५९, १७१,
२०२-३
- हिन्दुस्तानीका रूप (किस तरह बन
सकता है) ९८-९९, १०२-३, १५४
- हिन्दुस्तानीका शब्दकोश ९९, १०२,
१४६, १५९, २०६
- हिन्दुस्तानीका साहित्य ९९, १०३,
११९, २०६
- हिन्दुस्तानीकी दो शैलियॉ (राष्ट्रभाषा
देखिये)
- हिन्दुस्तानीका अितिहास १२८, १३०,
१५२
- हिन्दुस्तानी सीखो १२६-२७, १५४-
५५, १७४, २०८, २१२,
- हिन्दुस्तानी प्रचार-सभा १४४-४७,
१४९-५३, १९०, १९३
- हिन्दुस्तानी प्रचार-सभाका विधान और
कार्य १४६-४७
- हिन्दुस्तानी प्रचार-सभाका अुदेश और
सन्देश १४६-४७, १५४
- हृषिकेश पंडित ४२
- हेमचन्द्र १३२

